आवास भारती

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन विशेषांक

2014

राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

बैंक में आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं की झलकियाँ

संदेश

मुझे यह जानकर असीम प्रसन्नता हो रही है कि बैंक अपनी 26वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इस उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतिभागियों से आमंत्रित आलेखों को एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित कर रहा है। यह विशेषांक बैंक की गृह पत्रिका – आवास भारती की कड़ी में ही एक अतिरिक्त प्रयास है। यह प्रसन्नता तब और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि ठीक एक वर्ष पूर्व भी बैंक रजत जयंती के अवसर पर एक विशेषांक निकाल चुका है।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि बैंक पिछले 26 सालों से लगातार राष्ट्र की सेवा में समर्पित है और इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। एक ओर बैंक जहां आवास वित्त के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने के साथ–साथ विनियमन एवं पर्यवेक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है, वहीं संसाधन संग्रहण के साथ–साथ अनेक सरकारी योजनाओं के लिए नोडल एंजेंसी के रूप में भी काम कर रहा है। बैंक ने आवास वित्त के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किए हैं।

बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति का अक्षरशः पालन करते हुए प्रोत्साहन की नीति को बढ़ाते हुए काम करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। बैंक में राजभाषा हिंदी के उपयोग को निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है जिसके लिए बैंक ने अनेक राजभाषा प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजनाएं क्रियान्वित की है। बैंक बिना किसी अवरोध के अपनी राजभाषा गृह पत्रिका – आवास भारती को सफलतापूर्वक निकाल रहा है। अभी पिछली तिमाही में ही अपनी गृह पत्रिका का 50वां अंक प्रकाशित किया है। बैंकिंग एवं वित्तीय जगत में पत्रिका ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफलता पाई है। बैंक की पत्रिका पिछले दो वर्षों से लगातार अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक की गृह पत्रिका प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने में सफल रही है, उससे पूर्व भी कई प्रमुख मंचों से पुरस्कृत की जा चुकी है।

बैंक की गृह पत्रिका – 'आवास भारती' का ''राजभाषा सम्मेलन विशेषांक'' प्रस्तुत करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं पत्रिका में विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के कार्मिकों द्वारा लिखित आलेखों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा उन्हें उनके प्रयासों के लिए बधाई एवं शुभाकामनाएं देता हूं।

मो. मुस्तफा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संदेश

मुझे यह जानकर अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारा बैंक छब्बीस वर्षों की यात्रा को अविस्मरणीय बनाने के लिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि बैंक ने इस राजभाषा सम्मेलन को केवल भाषायी सम्मेलन न बनाकर एक व्यावहारिक राजभाषा सम्मेलन बनाने की दिशा में नवीन पहल की है। बैंक ने इस सम्मेलन में जहां राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को मूल विषय बनाया है, वहीं बैंकिंग जगत से जुड़े चार अन्य विषयों को भी राजभाषा के माध्यम से परिचर्चा के केन्द्र में लाने का प्रयास किया है।

यह बड़े ही आनंद का विषय है कि बैंक के इस राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा के माध्यम से सूचना–प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा, भारत में रिहायशी आवास की स्थिति, ऋण वसूली को बेहतर बनाने के नवोन्मेषी उपाय एवं जोखिम प्रबंधन और किफायती, ऊर्जा दक्ष एवं हरित आवास जैसे विषयों को भी समेटने का उपाय किया है। इससे न सिर्फ हिंदी जगत, बल्कि सभी क्षेत्रों के लोगों की रूचि एवं राजभाषा के उपयोग की परिधि और अधिक व्यापक बन जाती है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि बैंक अपनी गृह पत्रिका – 'आवास भारती' के माध्यम से किए जाने वाले ऐसे प्रयासों के द्वारा देश भर में सामान्य नागरिक से और भी अधिक निकटता से जुड़ेगा और इस प्रकार से वित्त एवं आवास वित्त जैसे मामलों के लिए समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसा करके बैंक अपने स्थापना के उद्देश्य को और आगे बढ़ाएगा तथा देश के कमजोर आर्थिक वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लागों सहित मध्यम वर्ग की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा।

यहां पर मुझे यह जानकर गर्व महसूस हो रहा है कि इस सम्मेलन एवं बैंक की स्थापना की छब्बीसवीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए बैंक की गृह पत्रिका – 'आवास भारती' का राजभाषा सम्मेलन विशेषांक भी प्रकाशित किया जा रहा है। राजभाषा सम्मेलन के आयोजन में यह विशेषांक ''सोने में सुहागा'' जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि सभी प्रतिभागियों के लिए यह एक स्मरणीय संग्रह साबित होगा।

मैं अपने बैंक के आयोजकों तथा राजभाषा सम्मेलन विशेषांक की संपादन टीम सहित सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं तथा विशेषांक के सफल प्रकाशन हेतु साधुवाद एवं बधाई देता हूं।

(आर.एस. गर्ग)

कार्यपालक निदेशक

संदेश

मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारा बैंक राजभाषा हिंदी के प्रति विशेष सम्मान दर्शाते हुए इस वर्ष बैंक के स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए एक राजभाषा सम्मेलन आयोजित कर रहा है और संपूर्ण कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए अपनी गृह पत्रिका 'आवास भारती' का एक राजभाषा सम्मेलन विशेषांक भी निकाल रहा है। इस विशेषांक में सम्मेलन के लिए आमंत्रित किए जानेवाले लेखों को छापकर पुस्तकाकार रूप दिया जा रहा है।

यह जानकर काफी अच्छा लगा कि बैंक के स्थापना दिवस के स्मरण में आयोजित इस सम्मेलन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर देशभर के विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के कर्मियों द्वारा लेखों को आमंत्रित किया गया था। राजभाषा सम्मेलन के लिए मुख्यतः पांच विषयों को चुनकर लेख मांगे गए थे। इन विषयों में जहां राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव मांगे गए थे, वहीं एक अन्य विषय के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी एवं राजभाषा, किफायती एवं पर्यावरण मैत्री आवास तथा वसूली एवं जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों को भी समेटने का प्रयास किया गया। इन सभी विषयों पर लेखकों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुई हैं।

यहां मैं यह स्मरण दिलाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपनी स्थापना काल से भारत सरकार की विभिन्न आवास योजनाओं को बढ़ावा देने में अग्रणी एवं नोडल एजेंसी के रूप में काम करता रहा है। बैंक निरंतर नवोन्मेषी एवं पर्यावरण मैत्री तथा पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण जैसे मुद्दों को मूल में रखकर ऊर्जा दक्ष आवासों के निर्माण की दिशा में कार्यरत है। बैंक न केवल भारत, बल्कि एशियाई देशों के साथ साझा मंच बनाकर आवास एवं आवास वित्त के क्षेत्र में काम कर रहा है।

मुझे पूरा विश्वास है कि बैंक की अपनी बहु आयामी भूमिकाओं के साथ यह राजभाषा विशेषांक अपने बहुविध आलेखों के साथ आवास, आवास वित्त, बैंकिंग एवं राजभाषा आदि के प्रोत्साहन तथा प्रचार–प्रसार की दिशा में एक साथ कई उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा। मैं राजभाषा सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए राजभाषा विशेषांक को प्रकाशित करने के लिए राजभाषा अनुभाग के साथ–साथ बैंक के सभी अधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं विशेष रूप से 'आवास भारती' के संपादन मंडल से जुड़े अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने एवं विशेषांक के सफल प्रकाशन के लिए अनथक परिश्रम किया है। मैं बैंक के सभी अधिकारियों सहित आलेख के रचनाकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें लेखन हेतु बधाई देता हूं। मैं राजभाषा विशेषांक के लिए सभी को कोटि–कोटि शुभकामनाएं देता हूं।

(अर्णव रॉय)

कार्यपालक निदेशक

संपादकीय

'आवास भारती' का 50वां अंक पाठकों को सौपने के तुरंत बाद 'राजभाषा सम्मेलन' विशेषांक 2014 प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं हमारी बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक श्री अर्णव रॉय जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिनके कुशल मार्गदर्शन में न सिर्फ राजभाषा सम्मेलन आयोजित हो रहा है बल्कि राजभाषा सम्मेलन विशेषांक भी आवास भारती में छपकर सम्मेलन के दिन विमोचन पश्चात प्रतिभागियों एवं पाठकों को उसी वक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। धन्यवाद के भाव सहज ही उमड़ पड़ते हैं जब कोई वरिष्ठतम कार्यपालक राजभाषा की बात को तव्वजो देता है। हमारा बैंक इस मामले में सौभाग्यशाली है।

अब कुछ प्रकाश हमारी देशी भाषाओं के इतिहास और वर्तमान स्थिति पर डालता हूं। कुछ समय पूर्व संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई थी कि इस सदी के मध्य तक संसार की अनेक भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी, उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। उस सूची में अनेक भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट के बाद हमारे देश के भाषाई और साहित्यिक संसार में विचार मंचन की प्रक्रिया प्रारंभ होना स्वाभाविक ही है किसी भी भाषा के जीवित होने का सबसे महत्वपूर्ण क्षण यह है कि वह निरंतर विकसित होती रहे। उसका शब्द भंडार दिनों–दिन बढ़े। वह प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा का माध्यम बने और सरकारी क्षेत्र में उसका व्यापक प्रचार–प्रसार और प्रयोग हो। दूसरी भाषाएं जो ठहराव की स्थिति में आ जाती है वह प्रायः लुप्त होने के कगार तक पहुंच जाती हैं। ब्रज भाषा और अवधी अब इसी श्रेणी में आती है। एक समय में दोनों भाषाएं अपने चरम प्रसिद्धि पर थी; परंतु आज इनका साहित्यिक प्रयोग न के बराबर है। केवल बोलचाल तक सीमित है। हालांकि, किसी भाषा के विलुप्त हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसके बोलने वाले नहीं रहेंगे। जन स्तर पर ऐसी भाषाएं सदियों तक जीवित रहती हैं और मौखिक रूप से उसका उपयोग होता रहता है।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आनेवाले समय में इसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है भले ही आज इसमें खूब साहित्य सृजन हो रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश में हिंदी विज्ञान की तथा उच्च न्यायालयीन भाषा नहीं बन पाई है। विज्ञान के इस महान युग में विज्ञान की भाषा भारत में यदि अंग्रेजी रही तो आने वाला समय हिंदी का न होकर अंग्रेजी परस्ती का ही होगा। अतः सावधानी जरूरी है। उच्च और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा में हिंदी का भी प्रयोग हो, ऐसी व्यवस्था करने के लिए कहां से और किसके आदेश की आवश्यकता है भगवान भोलेनाथ को ही मालूम।

बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या हो, देश में इस पर सवाल उठते रहे हैं। ज्यादातर राज्य सरकारें चाहती हैं कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनके मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में दी जाए। एक राज्य में कई क्षेत्रीय मातृभाषाएं हो सकती हैं इसलिए उस राज्य में जो मुख्य भाषा हो वही माध्यम प्राथमिक शिक्षा का होना चाहिए। शिक्षा में भाषा संबंधी विवाद पैदा ही नहीं होता, यदि देश में सभी के लिए शुरू से ही त्रिभाषा फार्मूला अनिवार्य कर दिया जाता।

मैं हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, मुंबई द्वारा आयोजित राजभाषा गोष्ठी में भाग लेकर लौटा। वहां हिंदी के प्रख्यात उद्घोषक श्री अमीन सयानीजी के विचार सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आप जानते होंगे कि अमीन सयानीजी आकाशवाणी एवं रेडियो सिलोन पर हिंदी उद्घोषक बनने से पूर्व अंग्रेजी के प्रथम श्रेणी के उद्घोषक थे और उन्हें इससे इज्जत और पैसा दोनों अच्छी मात्रा में मिलता था। हिंदी की तरफ मुडना महज इतेफाक नहीं था उनके लिए वे अपनी भाषा को समृद्ध और विश्व प्रसिद्ध बनाना चाहते थे और वही हुआ 'बिनाका गीत माला' के साथ। अमीन जी की दमदार आवाज पूरे विश्व में गूंज उठी। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं।

किसी ने ठीक ही कहा है कि देश में हिंदी आंदोलन या तो लोक सेवा आयोग के सामने चलने वाला सनातन धरना रहा है या हिंदी पखवाड़ा मनाना मात्र। तो दूसरी ओर विश्व हिंदी सम्मेलन के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक। गरीबी हटाने जैसा ही है अंग्रेजी हटाओ की बात। इससे साफ है हम हटाने का नाम लेकर उन्हें बढाने की दिशा में तत्पर होते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि भूमंडलीयकरण में हिंदी के विस्तार, विकास की असीम संभावनाएं है इसलिए अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में धडल्ले से आने देना चाहिए। यहां सवाल हिंदी का नहीं हिंदी की अस्मिता का है।

क्या बाजार की अर्थव्यवस्था हिंदी को बेजान बना देगी। हिंदी में लंदन और न्यूयार्क से हजारों शब्द आकर खिचड़ी पका रहे हैं। लगता है कि हिंदी का मुंह दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई की ओर न होकर लंदन और न्यूयार्क की ओर हो गया है। हिंदी अंग्रेजीमय हो गयी है। परंतु आप को बता दें कि चीन, जापान में उनकी भाषाओं की अस्मिता आज भी कायम है। वहां उनकी भाषाओं पर कोई संकट नहीं है। फिर हिंदुस्तान को क्या हो गया? हिंदी के साथ–साथ हमारी प्रादेशिक भाषाएं भी क्यों खिचड़ी बोली में लिखी और पढ़ी जा रही हैं। हमारी शिक्षा और विद्वता के लिए यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दरअसल भाषाएं विकसित और अविकसित नहीं होती, उनके बोलने वाले विकसित या अविकसित होते हैं।

सम्मेलन में पधारे सभी अधिकारियों / प्रतिभागियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं आप सबका। मैं आप सबसे अपनी मातृभाषा और राजभाषा की प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु सादर निवेदन करता हूं। चलो सब मेरी राह चलो। धन्यवाद!

डॉ0 जी.एन. सोमदेवे

सहायक महाप्रबंधक एवं संपादक

आवास भारती

मो0 09560900451

पंजीकरण संख्या–दिल्ली इन/2001/6138

आवास भारती

विषय सूची

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन विशेषांक

विषय : पृष्ठ संख्या

1. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने एवं अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु किए जा सकने वाले उपाय —वीरेन्द्र सिंह रावत 1
2. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने .... —डॉ. उषा गुप्ता 11
3. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने .... —नरेन्द्र कुमार 16
4. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने .... —अशोक कुमार चौहान 18
5. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने .... —नगेन्द्र कुमार सिंह 20
6. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने .... —श्रीमती नीना लाम्बा 22
7. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने .... —सोनी कुमार 24
8. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने .... —सुभाष चन्द्र साह 27
9. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने .... —विमल प्रकाश दुबे 31
10. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने .... —डॉ. अमर सिंह सचान 35

प्रधान संरक्षक
मो. मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक
अर्णव रॉय
कार्यपालक निदेशक

संपादक
डॉ. जी.एन. सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक

सहायक संपादक
डॉ. अमर सिंह सचान
राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल
एस.के. पाढ़ी, सहायक महाप्रबंधक
रंजन कुमार बरून, सहायक महाप्रबंधक
मोहित कौल, क्षेत्रीय प्रबंधक
पंकज चड्ढा, प्रबंधक
रवि कुमार सिंह, प्रबंधक
संजीव कुमार सिंह, उप प्रबंधक
सुश्री स्तुति रूचा, उप प्रबंधक
अड्डा लीला विजयकृष्ण, सहायक प्रबंधक

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

कोर–5 ए, 3–5 तल,
इंडिया हैबिटेट सेंटर
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

विषय सूची

विषय :		पृष्ठ संख्या
11. ऋण वसूली को बेहतर बनाने के नवोन्मेषी उपाय तथा जोखिम प्रबंधन	–मुकेश आनंद मेहरा	38
12. ऋण वसूली को बेहतर बनाने के नवोन्मेषी.....	–श्री आर.पी. शर्मा	43
13. ऋण वसूली को बेहतर बनाने के नवोन्मेषी.....	–अरविंद जोशी	48
14. ऋण वसूली प्रक्रिया को तेज करने में वकीलों की भूमिका	–डॉ. जी.एन. सोमदेवे	50
15. किफायती, उर्जादक्ष एवं हरित आवास की आवश्यकता एवं तत्संबंधी उपाय	–प्रवीण भारद्वाज	53
16. भारत में रिहायशी आवासों की स्थिति	– अमित कुमार	56
17. सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व	–डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल	60
18. सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व	–रजनीश कुमार यादव	62
19. सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व	–साकेत कुमार सहाय	66
20. सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व	–ए.के.गुप्त	69
21. सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व	–डॉ. मधुकरराव शंकरराव लारोकर	71
22. बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में हिंदी सहायक है	–जितेन्द्र मोहन शर्मा	73
23. सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व	–कृष्ण कुमार गुप्ता	76
24. सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व	–पी.एन. बैनर्जी	78
25. सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व	–संजय कुमार	83
26. सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व	–सीमा मलहोत्रा	85
27. हिन्दी भारतीयता की आत्मा	–श्री वेदप्रकाश दूबे	89
28. सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व	–विजय कुमार सोमदेवे	93
29.सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा	– सौरभ शेखर झा	96

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढावा देने एवं अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु किए जा सकने वाले उपाय

वीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा
विजया बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़

आम बोलचाल की भाषा में समझें तो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। हम जानते हैं कि हमारा देश भारत सदियों से अंग्रेजों के शासनाधीन रहा और स्वाभाविक रूप से उनके शासनकाल में राजकाज की भाषा अंग्रेजी ही रही लेकिन विविध भाषाभाषी इस देश की अवाम की भाषा अंग्रेजी नहीं थी इस कारण शासक वर्ग और शासित जनता, के बीच सम्प्रेषण की खाई बहुत व्यापक थी। व्यापारिक उद्देश्य से यह आकर इस देश के भाग्य विधाता बना बैठे शासकवर्ग की नीति लूटखसोट कर अपना हित साधने की रही, बड़ी क्रूर रही फलस्वरूप आम जनता बड़ी त्रस्त थी। सर्वविदित है कि वाइसराय लॉर्ड मैकाले की नीति के अनुरूप अंग्रेजों ने मिशनरियों का जाल फैलाकर अंग्रेजी का प्रचार–प्रसार जमकर किया। सरकारी नौकरियां अंग्रेजी जानने वालों को ही मिल पाती थी और सफेदपोश पेशे की ललक में हमारे लोग मेहनतकश उधो की वृत्ति छोड अंग्रेजों आरामपरस्त की बाबूगिरी में रमते गए। आम जनता का दमन होता रहा। दासता की बेड़ियों में जकड़े अवाम में आज़ादी की छटपटाहट जागी स्वाधीनता संग्राम छिड़ा। आजादी की दीवाने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी किसी एक क्षेत्र विशेष से नहीं वरन पूरे भारतभर से थे, स्वाभाविक था कि भिन्न–भिन्न भाषा भाषी क्रान्तिवीरों की मातृभाषा अलग–अलग थी और उन्हें स्वाधीनता संग्राम के इस महत्कार्य की पूर्णाहुति तक आपस में एक दूसरे से जोड़े रखने और इस संघर्ष में उनकी रणनीति, कूटनीति को गुप्त रखने के लिए सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी से इतर और आम जनता में प्रचलित किसी सरल सहज भारतीय भाषा की अत्यन्त आवश्यकता थी और इतिहास गवाह है कि इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने बखूबी की। हिंदी की सरलता–सहजता की बदौलत सर्वग्राहयता सरीखे अन्य बहुत से कारणों में से स्वतन्त्रता आंदोलन की संवाहक भाषा होना भी एक अतिविशिष्ट और महत्वपूर्ण कारण रहा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।

संघ की राजभाषा नीति के संबंध में संविधान में पर्याप्त प्रावधान किए गए। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी है तथा अंकों में भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 343(2) में शासकीय कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को संविधान के लागू होने के बाद से 15 वर्ष, यानी 25 जनवरी, 1965 तक जारी रखने का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 343(3) में संसद को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए कानून बनाकर सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया गया और तदनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) की धारा 3(2) में यह व्यवस्था भी की गई कि हिंदी के अलावा, अंग्रेजी भाषा सरकारी कामकाज के लिए 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रहेगी। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि कुछ विशेष कार्यों, जैसे–संकल्प, सामान्य आदेश नियम, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासकीय और अन्य रिपोर्टें, लाइसेंस, परमिट, ठेकों आदि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग अनिवार्य होगा। इसी अधिनियम की धारा 3(4) के अंतर्गत सन् 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। इनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं –

(1) ये नियम केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू हैं, जिनमें सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति या ट्रिब्यूनल एवं इसके नियंत्रण वाले निगम या कंपनियां भी शामिल हैं।

(2) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से क्षेत्र "क" के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तसीगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान हरियाणा, अडंमान निकोबार द्वीपसमूह और दिल्ली) के बीच पत्र–व्यवहार की भाषा हिंदी होगी;

(3) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से क्षे 'ख' (पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ़) को पत्र आदि हिंदी में भेजे जाएंगे, किंतु क्षेत्र 'ख' में किसी व्यक्ति के पास भेजे गए पत्र आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भेजे जाएंगे;

(4) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भेजे जाने वाले पत्र 'ग' क्षेत्र के लिए (जिसमें क्षेत्र 'क' 'ख' के अन्य राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश शामिल नहीं हैं) अंग्रेजी में भेजे जाएंगे

(5) केन्द्र सरकार के कार्यलयों के बीच, केन्द्र सरकार के कार्यालयों से राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के सरकारी कार्यालयों तथा व्यक्तियों आदि के बीच पत्र–व्यवहार उस अनुपात में हिंदी में होगा, जो समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा;

(6) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी नियमावलियां, संहिताएं तथा प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार कराए जाएंगे। सभी फार्म, रजिस्टरों के प्रमुख पृष्ठ, नाम पट्टिकाएं, सूचना पट्ट तथा स्टेशनरी की वस्तुएं हिंदी और अंग्रेजी में होंगी;

(7) अधिनियम के धारा 3(3) में उल्लिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले को यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि ये दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी हों: केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय में प्रशासनिक प्रमुख को ही यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि उप–नियम (2) के तहत जारी नियमों और निर्देशों तथा धारा की व्यवस्थाओं का पूरा पालन हो रहा है तथा इस पर नजर रखने के लिए समुचित एवं कारगर चैक प्वाइंट बनाए गए हैं।

इसी दिशा में कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग है की स्थापना जून, 1975 में की गई थी। यह विभाग केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक गतिविधियां बखूबी चला रहा है– जैसे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि, हिंदी टंकण व अनुवाद का प्रशिक्षण देना, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में हो रहे कामकाज का निरीक्षण करना, तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से संघ के कामकाज में राजभाषा हिंदी की प्रगति पर निगरानी रखना, राजभाषा कार्यान्वयन के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाओं का परिचालन तथा उनकी मानिटरिंग करना, अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय स्तर के राजभाषा

सम्मेलन आदि करना और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों की बैठकों आदि से संबंधित कार्यों का समन्वय करना आदि शामिल हैं। इसके साथ–साथ यह विभाग राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए सहायक साहित्य का प्रकाशन तथा वितरण का कार्य भी करता है। बदलते समय के साथ युगधर्म बदलता है और स्वाभाविक रूप से वर्तमान युग इलैक्ट्रॉनिकी युग है और इस युग में जहां समूचा एक गांव के रूप में सिमट आया हो और तमाम जानकारियां मात्र एक माउस–क्लिक की दूरी पर उपलब्ध हों वहां किसी भी राजभाषा को इतना सक्षम होना ही चाहिए कि इलैक्ट्रानिकी युग की तमाम अपेक्षाओं के अनुरूप समस्त कार्यव्यापार सहज सम्पन्न किए जा सकें। तदनुरूप ही विभिन्न कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले विभिन्न यांत्रिक तथा इलैक्ट्रानिक उपकरणों में देवनागरी लिपि के माध्यम से काम करने की सुविधा मुहैया कराने की दृष्टि से ऐसे उपकरणों के विकास, निर्माण तथा उपलब्धियों में समन्वय स्थापित करने की भूमिका भी राजभाषा विभाग निभाता आ रहा है। इस विभाग द्वारा कम्प्यूटरों पर हिंदी में कार्य कर सकने की जानकारी प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार के कर्मियों हेतु पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने और सी–डेक, पुणे के माध्यम से हिंदी प्रयोग में सहायक कुछ साफ्टवेयरों (लीला, मंत्रा, श्रुतलेखन आदि) के विकास के उपक्रम भी कराता रहा है।

राजभाषा विभाग का बुनियादी लक्ष्य है – केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित कराना और हिंदी के प्रचार–प्रसार और प्रगामी प्रयोग से जुड़ी गतिविधियां/कार्यक्रमों को प्रश्रय देना। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान यह सुनिश्चित करने का जिम्मा भी दिया गया है कि उनके कार्यालय/विभाग में राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियम के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है साथ ही उसका यह भी दायित्व है कि राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर राजभाषा नीति संबंधी उपबंधों के अनुपालन के लिए जारी किए गए निर्देशों का सम्यक रूप से अनुपालन हो। राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सरकारी कर्मचारियों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण व आशुलिपि का प्रशिक्षण, सरकारी सामग्री के अनुवाद कार्य, राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार, प्रोत्साहन व कार्यान्वयन के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा उनको पूरा करने का प्रयास किए जाते हैं। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजभाषा विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 8 क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत है साथ ही राजभाषा प्रयोग से संबंधित निम्न विविध समितियां भी विधिवत गत की गई हैं:–

1. **संसदीय राजभाषा समिति** – राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अंतर्गत वर्ष 1976 में गठित 30 सदस्यीय (20 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के) संसदीय राजभाषा समिति का कार्य संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनरावलोकन करते हुए अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना है। समिति द्वारा अब तक राजभाषा हिंदी संबंधी विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुत प्रतिवेदन के आठ खंडों पर राष्ट्रपति के आदेश पारित करवाए जा चुके हैं।

2. **केन्द्रीय हिंदी समिति** – इस समिति का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिंदी प्रचार तथा प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यों में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से किया गया है। यह राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। इस समिति का कार्यकाल सामान्यतः – तीन वर्ष का होता है। समिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कुछ केन्द्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, संसद सदस्य तथा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। गृह मंत्री इस समिति के उपाध्यक्ष तथा सचिव, राजभाषा विभाग इसके सदस्य सचिव हैं।

3. **हिंदी सलाहकार समिति**–केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के बारे में परामर्श देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्री की अध्यक्षता में प्रायः सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित हैं।

4. **केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति** – केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण और राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है।

5. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां** – देश के विभिन्न प्रमुख नगरों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं।

6. इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार और उसके उपक्रमों के प्रत्येक कार्यालय में उस कार्यालय के कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं और उस शाखा/कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और हिंदी में कामकाज को बढ़ाने के उपाय सुझाने और इससे संबंधित विभिन्न मदों पर विचार–विमर्श के लिए इन समितियों की नियमित त्रैमासिक बैठकें आयोजित होती हैं।

हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त तमाम व्यवस्थाओं की बदौलत सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में काफी इज़ाफा हुआ है और इस संबंध में सरकारी कार्यालयों/विभागों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति सूचक त्रैमासिक प्रगति विवरणियों में दर्ज समेकित आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं किंतु आमतौर पर दैनन्दिन कामकाज में प्रायः यही दिखाई देता है कि लगभग सभी सरकारी कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों में कामकाज हिंदी से अधिक अंग्रेजी में ही होता है, हां यह बात दीगर है कि इन कार्यालयों के हिंदी अनुभागों में ही हिंदी में कामकाज होता नज़र आता है। आज़ादी के छः दशक पूरे होने के बाद भी ऐसी स्थिति को अफसोसजनक न समझा जाए तो क्या समझा जाए कि जिस संघ सरकार की राजभाषा हिंदी हो और जिसके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपना अधिकाधिक कार्यालयी दैनन्दिन कामकाज हिंदी में ही किया जाना अपेक्षित हो और इस हेतु यथा सम्भव सभी बुनियादी सुविधाएं, आदेश, अनुदेश, मार्गदर्शन, पुरस्कार, प्रोत्साहन भी समुचित रूप से दिए जा रहे हों वहां की राजभाषा हिंदी की दशा और दिशा लचर है नितान्त असंतोषजनक है। यह विडम्बना नहीं तो और क्या है कि सरकार द्वारा उपर्युक्त सभी उपायों/प्रावधानों के बावजूद हिंदी की प्रगति की कहानी तथाकथित आंकड़ों की जुबानी ही अच्छी नज़र आती है। इस संबंध में अपेक्षित सुधार लाने हेतु कई स्तरों पर कई चर्चा/परिचर्चा और विमर्श भी होते हैं और हर बार इस दिशा में सार्थक प्रयास कर स्थिति में वास्तविक रूप

चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है।

से सुधार लाने के संकल्प भी लिए जाते है लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इन संकल्पित प्रयासों से हिंदी में कामकाज की स्थिति में सुधार लाने की कहानी पुनः आंकड़ों की जुबानी ही दोहराई जाती है। हिंदी कार्यान्वयन की ऐसी अजीबोगरीब स्थिति के मूलभूत कारणों का पता लगाने और उनके निराकरण कर राजभाषा की स्थिति में अपेक्षित सुधार लाने के लिए किए जाने/अपनाए जाने वाले उपाय ढूंढने के लिए विविध स्तरों पर की गई चर्चा–परिचर्चाओं में मुख्य रूप से जो कारण उभर कर सामने आता रहा है वह है अपनी राजभाषा हिंदी में ही कामकाज करने के प्रति हमारी हीन भावना की मानसिकता हमारी हिचकिचाहट और पीछे देख आगे चल की तर्ज पर नकल कर अपने कार्यालयी कामकाज सम्पन्न करने की हमारी आदत की तुष्टि के लिए प्रक्रियागत सामग्री का हिंदी में उपलब्ध न होना और येनकेन प्रकारेण गलत–सलत ही सही अंग्रेजी में कार्य कर सकने में अपने अंदर झूठे बडप्पन का ऐहसास करना। कहना गलत न होगा कि हम सभी की ऐसी मानसिकता बनने के कारक तत्व भी होंगे ही जो आजादी के उपरान्त इतने लम्बे अंतराल में हममें अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अध्ययन करने/कराने की ललक पैदा करने वाली अपनी शिक्षाप्रणाली, तथाकथित सम्भ्रान्त या बड़े कहलाने वाले लोगों सरीखी परवरिश के ढंग की नकल करने की होड़, अंग्रेजी बोलने या लिखने से ही अपने परिवेश में अपना दबदबा कायम रहने या रौब गालिब होने की भ्रान्त धारणा के पनपने, परस्पर आचार–व्यवहार में आमलोगों से ज़रा हटकर बड़ा दिखने की निराधार धारणा से स्वतः पनपे होंगे। हालांकि सरकारी तौर पर राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के औपचारिक रूप से लगभग सभी उपाय किए गएहै और उन उपायों को सख्ती से लागू न कर पाने की तत्कालीन परिस्थितियों में विवशता रही हो लेकिन कोई लचीला उपाय या तौर तरीका जब दशकों लम्बे अंतराल के लिए निर्बाध रूप से जारी रहेगा तो आदत बनेगा ही और इसी तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षाग्रहण करने की होड, अंग्रेजीदॉ तौर तरीके या विदेशी माल के प्रति आकर्षण हम सभी भारतीयों की रूढ़ आदत शायद बन चुकी है। विविध भाषा–भाषी हमारे विशाल भारत देश की आजादी के समय की तत्कालीन आवश्यकता या मजबूरी के चलते और पूरे भारत को अखण्ड, अक्षुण्ण एक राष्ट्र बनाए रखने के आदर्श उद्देश्य से बेशक संघ सरकार की राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहन और प्रेरणा के सहारे पल्लवित पुष्पित करने का निर्णय लिया गया हो और संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 पर्यन्त इस देश की सभी राष्ट्रीय भाषाओं को भी आपस में सहोदरा मानते हुए परस्पर योगदान से विकसित करने की उदात्त भावना व्यक्त करने के साथ ही केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा–विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध कार्यालयों में सृजित हिंदी पदों को एकीकृत संवर्ग में लाने तथा उनके पदाधिकारियों को समान सेवा शर्त, वेतनमान और पदोन्नति के अवसर दिलाने हेतु वर्ष 1981 में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन केन्द्रीय हिंदी समिति द्वारा वर्ष 1976 में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया है। केन्द्र सरकार के उपक्रमों राष्ट्रीकृत बैंकों में भी हिंदी में ही कामकाज के उत्प्रेरक के रूप में राजभाषा कक्षों का गठन किया गया राजभाषा अधिकारियों और हिंदी अनुवादकों की भर्तियां की गई और हिंदी में ही कामकाज के अनुकूल वातावरण बनाने के अधिकाधिक प्रयास किए गए लेकिन इन सबका अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया। राजभाषा अनुभागों का गठन उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करने की उदात्त भावना से किया गया था कि वे अपने अन्य समस्त सहयोगियों अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति, संवैधानिक उपबंधों, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों की जानकारी देते हुए आवश्यकतानुसार हिंदी कार्यशालाएं, संगोष्ठियां सेमिनार और हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यां की जानकारी देंगे ताकि सभी अधिकारी/कर्मचारी इन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सघन प्रयास करें। किन्तु वास्तविकता यह है कि तमाम बैंकों और उपक्रमों में हिंदी विभागों के गठन के बाद राजभाषा अधिकारियों/अनुवादकों/ टंककों/आशुलिपिकों/हिंदी सहायकों की एक बारगी नियुक्ति के उपरान्त इस महत्वपूर्ण कड़ी को उपेक्षा का व्यवहार ही मिला। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय इस दिशा में नियुक्तियों के संबंध में तवज्जो दी गई उसके उपरान्त इन पदों पर नियुक्ति स्टॉफ से जबरन हिंदी से इतर अन्य कामकाज करवाया जाने लगा। उस दौर में भरे गए इन पदों पर नियुक्त कुछ पदाधिकारी बेहतर अवसर मिलने पर सेवा छोड अन्यत्र चले गए कुछ सेवा निवृत्त हुए और उनके पद यूं ही रिक्त पड़े रहते हैं और तो और बैंकों या सरकारी उपक्रमों में हिंदी संवर्ग की सेवा में आए अधिकतर अधिकारी कर्मचारियों की जिस पद पर नियुक्त उसी या उससे एक स्तर ऊपर के पद से सेवानिवृत्त होने की त्रासदी को देखते हुए भी आज की पीढ़ी इस सेवा में आने का जोखिम क्यूं लें और इसी के चलते हिंदी में कामकाज करने की प्रवृत्ति को दोयम दरजे का समझा जाता है हिंदी में कामकाज करने की हीनता से जोड़ा जाता है।

समस्त सरकारी कामकाज हिंदी में ही सुनिश्चित करने और इसे निरन्तर बढ़ावा देने के क्रम में सरकार द्वारा विविध पुरस्कार योजनाएं भी आरम्भ की गई हैं। इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना 1986–87 से शुरू की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने वाले मंत्रालयों/विभागों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नगर राजभाषा क्रियान्वयन समितियों को प्रत्येक वर्ष शील्ड प्रदान की जाती है। केन्द्र सरकार, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा केन्द्र सरकार की स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। आधुनिक विज्ञान/प्रौद्योगिकी और समकालीन विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार योजना थी, उसका नाम पहले "ज्ञान–विज्ञान के लिए मौलिक पुस्तक लेखन" था, इसे अब "हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार योजना" कर दिया गया है। यह योजना भारत के सभी नागरिकों के लिए है। हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने वाले क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों को प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा चलाई जाने वाली हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी भाषा में प्रशिक्षण देने के लिए देशभर में पूर्णकालिक और अंशकालिक केन्द्र चलाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ पूर्णकालिक और अंशकालिक केन्द्रों के माध्यम से हिंदी आशुलिपि और हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदी का प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त केन्द्र बनाए गए हैं। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पूर्व, पश्चिम, उत्तर–मध्य, दक्षिण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शैक्षणिक और प्रशासनिक सहायता के लिए कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुवाहाटी से पांच क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी प्रशिक्षण की भारी मांग को देखते हुए गुवाहाटी में एक नया क्षेत्रीय मुख्यालय खोला गया है तथा इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में नए हिंदी प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं।

हिंदी भाषा और हिंदी टंकण में पूर्णकालिक प्रशिक्षण के साथ–साथ पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए 31 अगस्त, 1985 को केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। 1988 में मुंबई, कोलकाता और

बंगलुरू में तथा 1990 में हैदराबाद में इसके उप–कार्यालय खोले गए। सरकारी स्तर पर देश के लगभग सभी टाइपिंग/स्टेनोग्राफी केन्द्रों में हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंको आदि के अनुवाद कार्यों जैसे गैर–विधिक साहित्य, मैन्युअल/कोड्स, फॉर्म आदि का अनुवाद करने के कार्य हेतु मार्च 1971 में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी। ब्यूरो को अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुवाद कार्य से संबंधित प्रशिक्षण देने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रारंभिक तौर पर दिल्ली में 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मुंबई, बाद में बंगलुरू, कोलकाता में ऐसे अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लघु–अवधि के प्रशिक्षण कोर्स भी आयोजित करता है।

मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर, विशेषकर कंप्यूटर पर राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए राजभाषा विभाग में एक तकनीकी कक्ष की स्थापना की गई। इस कक्ष की प्रमुख गतिविधियां निम्न प्रकार से हैं:–

(I) भाषा विकास के आवश्यक उपकरण जुटाना, इस कार्यक्रम, ''लीला राजभाषा'' के अंतर्गत बांग्ला, अंग्रेजी, कन्नड़, कलयालम, तमिल और तेलुगु माध्यम से स्वयं हिंदी सीखने का एक पैकेज विकसित किया गया है। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए एक सहायक उपकरण ''मंत्र राजभाषा'' विकसित किया गया है।

(ii) हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन – कंप्यूटर पर हिंदी के इस्तेमाल के लिए हर साल करीब 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(iii) हिंदी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उपभोक्ताओं और निर्माताओं को आमने–सामने लाया जाता है तथा इसके लिए द्विभाषी कंप्यूटर प्रणाली के बारे में प्रदर्शनियों और गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

राजभाषा विभाग ने ''राजभाषा भारती'' त्रैमासिक पत्रिका निकाली है जिसका उद्देश्य साहित्य, तकनीकी, सूचना–प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में हिंदी में लेखन को बढ़ावा देना और सरकारी कार्यालयों में हिंदी में अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रचार–प्रसार करना है। इस पत्रिका के अभी तक निरन्तर कई संगृहणीय अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं। राजभाषा नीति से संबंधित वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी के कामकाज की समीक्षा संबंधित वार्षिक आकलन रिपोर्ट जारी की जाती है और इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है। राजभाषा हिंदी के कामकाज को बढ़ावा देने से संबंधित हुए कामकाज की जानकारी देने के लिए राजभाषा मैन्युअल, कैलेंडर, फिल्में, पोस्टर आदि जारी किए जाते हैं। यहां तक कि सरकार द्वारा हिंदी में प्रवीणता प्राप्त समस्त स्टॉफ सदस्यों को राजभाषा नियम 8(4) के तहत अपना समस्त विभागीय कामकाज अनिवार्यतः हिंदी में ही करने के व्यक्तिशः आदेश (कदाचित रस्मी तौर पर ही) भी जारी किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा उक्त सभी औपचारिक उपायों/व्यवस्थाओं के बावजूद समस्त सरकारी कामकाज हिंदी में न होना कहीं न कहीं इस बात का द्योतक भी है कि इनमें कोई न कोई खामी अवश्य है क्योंकि सरकारी स्तर से हटकर बाजार और समाज के परिदृश्य पर नज़र डाले तो दृष्टिगोचर होता है कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं बहुत कारगर हैं। अगर ऐसी स्थिति न होती तो स्थानीय और देशी ब्रॉडों के इतर कोका कोला और पेप्सी कोला जैसे बहुराष्ट्रीय जॉइन्ट ब्रॉड भी अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए ''ये क्या है – पांच। और ठण्डा मतलब कोका–कोला'' तथा ''ये दिल मांगे मोर'' क्षेत्रीय भाषाओं की इन सरीखी पंच लाइनों या का सहारा लेने को विवश क्यों होते। सामाजिक और संस्कृतिक परिवेश में आयोजित जन सभाओं, कार्यक्रमों और सिनेमा तथा टी.वी. सीरियलों और अन्य कार्यक्रमों यहां तक कि चौबीसों घण्टे प्रसारित सभी समाचार चैनल भी हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में ही अपना कार्य कर रहे हैं। स्पष्ट है कि इन स्थानीय – देशी निजी कंपनियां या समाचार चैनल या विदेशी बहुराष्ट्रीय ब्रॉण्ड केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति अधिनियम अथवा राजभाषा नियमों की परिधि में नहीं आते और न ही उनके लिए हिंदी अपनाने या इसे बढ़ावा देने के लिए कोई प्रेरणा, पुरस्कार या प्रोत्साहन की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में भी गैर–शासकीय क्षेत्र में वातावरण पूरी तरह हिंदीमय और हर गतिविधि क्रियाकलाप बखूबी हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में बिना संकोच सम्पन्न हो रहे हैं। स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र में वास्तविक रूप में हिंदी कार्यान्वयन और इसके प्रचार–प्रसार संबंधी सरकारी व्यवस्थाएं/उपाय/ प्रावधान/योजनाएं या तो गैर–जरूरी हैं या त्रुटिपूर्ण और नाकाफी हैं और इनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने वाली प्रणाली दंतहीन – विषहीन सर्प समान है। इसलिए इस पर पुनरीक्षण की आवश्यकता है तमाम उपरोक्त पर्याप्त व्यवस्थाओं को कारगर ढंग से अमल में लाना नितान्त आवश्यक है।

राजभाषा हिंदी के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए झूठे आंकडों पर विश्वास न कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र गौरव का सम्मान करने वाले इस महान कार्य को कार्यालयों के एकमात्र हिंदी विभागों का ही जिम्मा न समझकर प्रत्येक हिंदी में प्रवीणता प्राप्त स्टॉफ को गम्भीरता पूर्वक अपना समस्त कामकाज हिंदी में ही करवाने के लिए कारगर रीति से अभिप्रेरित, प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत करना होगा। हिंदी में अपना समस्त कामकाज करने वाले स्टॉफ की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट या कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अंक देकर उनकी पदोन्नति प्रणाली से जोड़ना होगा और जिस तर्ज पर सैनिकों, खिलाडियों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों इत्यादि अनेकानेक तमाम विविध क्षेत्रों के पारंगत/निष्णात विभूतियों को पद्यविभूषण, अर्जुन, द्रोणाचार्य इत्यादि परम कोटि के पुरस्कार से विभूषित किया जाता है उसी तरह हिंदी में ही अपना समस्त सरकारी कामकाज सुनिश्चित करने वाले स्टॉफ को भी परम हिंदी सेवी की पदवी और पद्य पुरस्कार से विभूषित कर सम्मानित/प्रेरित/प्रोत्साहित करना होगा।

संतान

संतान का मोह सर्वोपरी है। आप कितने भी कुपित हों उसके एक प्यार भरी पुकार से मोम की तरह पिघल जाते हैं। ऐसा ही वात्सल्य पशु, पक्षी और कीट–पतंगों को भी अपने संतान के प्रति उमडता है। किसी कुत्ते के पिल्ले को यदि आप छेडते हैं, सताते हैं, मारते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसकी मां को दर्द होता होगा। चूंकि उनका कोई संघटन नहीं है इसलिए हम उन्हें छेड रहे है, सता रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। यह अवस्था यदि पलट जाए और उस योनी में हमें जन्म लेना पड़े तो कैसा अनुभव होगा? सोच, समझ और सुझ–बुझ की आवश्यकता है। ज्ञानी बनो, अनुभवी बनो बुद्धता स्वयं आप में समा जाएगी।

'मां ज्ञान सुमन'

आने वाले समय में विश्वस्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की जो चन्द भाषाएँ होंगी उनमें हिन्दी भी प्रमुख होगी।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने एवं अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु किये जा सकने वाले उपाय

डॉ. उषा गुप्ता सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

सरकार की राजभाषा नीति एवं बैंक

सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रक्रिया सरकारी क्षेत्र के बैंकों में राष्ट्रीयकरण के उपरांत शुरू हुई है। जब 19 जुलाई, 1969 को देश के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया एवं तत्पश्चात इनमें वर्ष 1980 में 6 अन्य बैंकों को शामिल किया गया था, तब इन राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकारी नियंत्रण की वजह से सरकार की राजभाषा नीति आधिकारिक रूप से लागू हो गई। तत्पश्चात इन सभी बैंकों में सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए व्यवस्था की जाने लगी। बैंकों में इस कार्य को समुचित ढंग से करने के लिए राजभाषा विभागों की स्थापना की गई। इनमें राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। कतिपय बैंकों में राजभाषा विभाग का कार्य देखने के लिए विशिष्ट स्टाफ सदस्यों का नामांकन किया गया। धीरे–धीरे इन विभागों में सभी बैंकों ने सरकार द्वारा जारी स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति की एवं क्रमिक आधार पर पदोन्नतियां भी की गईं। आज लगभग सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में पूर्णतः सुसज्ज राजभाषा विभाग हैं, जिन्हें सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप हिंदी प्रयोग सुनिश्चित करना होता है।

सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में स्थित राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है, जिसके अंतर्गत अनुपालन के विभिन्न मुद्दों पर लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। वार्षिक कार्यक्रम की विभिन्न मदों का निरीक्षण करने पर हमें ज्ञात होता है कि बैंकों को भाषिक क्षेत्र के आधार पर पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य (भाषिक क्षेत्र 'क' के लिए 100%, भाषिक क्षेत्र 'ख' के लिए 90% तथा भाषिक क्षेत्र 'ग' के लिए 55%) प्राप्त करना होता है। प्रायः इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिस कार्यनीति का अवलम्ब लिया जाता है, वह सही मायनों में हिंदी का प्रचार–प्रसार करने में अथवा इसे जन समुदाय के बीच लोकप्रिय बनाने में उतनी कारगर साबित नहीं होती है, बल्कि विभिन्न रिपोर्टों में लक्ष्यों की प्राप्ति दर्शाने में ही ज्यादा सफल होती है। बेहतर होता; यदि समग्र पत्राचार हेतु एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय इसकी गहन समीक्षा की जाती है और सभी विभागों के लिए एकसमान लक्ष्य निर्धारित न कर विभागवार इसके प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाते। उदाहरणार्थ; किसी भी बैंक में विभिन्न विभागों के माध्यम से पूरा करोबार निष्पादित होता है। जैसे बैंक का ग्रामीण विभाग यदि ग्रामीण जनता के लिए बैंकिंग व्यवस्था को मुहैया करने के लिए कार्यरत है तो इस विभाग में अंग्रेजी के बजाय हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक समीचीन होगा। अतः कम से कम हिंदी भाषा–भाषी क्षेत्रों में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन विभागों में अंग्रेजी के प्रयोग को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए।

इसी तरह, यदि बैंकों में विधि विभाग ओर विदेशी विनिमय विभाग कार्यरत है तो इन विभागों में शत–प्रतिशत हिंदी पत्राचार के लिए बहुत दबाव डालना व्यावहारिक नहीं प्रतीत होता है। कुछ विधिक एवं तकनीकी स्वरूप के पत्राचार एवं सम्प्रेषणों में शत–प्रतिशत हिंदी का प्रयोग आम लोगों में हिंदी की जटिलता का संदेश पहुंचाने में अपेक्षाकृत अधिक सफल रहा है। कई बार भाषा एवं विषय इन दोनों ही पक्षों पर अच्छी पकड़ नहीं होने की स्थिति में इन संदर्भों में किए गए अनुवाद बड़े हास्यास्पद लगते हैं, जो भाषा के बारे में घातक आम धारणा बनाने में अधिक मददगार साबित होते हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अजीबोगरीब हथकंडे अपनाए जाते हैं। पुरस्कारों की प्राप्ति के लिए येन–केन प्रकारेण रिपोर्टों के माध्यम से लक्ष्य। प्राप्ति की सूचना भेज दी जाती है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि पत्राचार जैसी मद के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित करते समय व्यापक सोच को मद्देनजर रखकर निर्णय लिया जाना चाहिए। सालों–साल वही वार्षिक कार्यक्रम मामूली फेरबदल के बाद सभी कार्यालयों को भेज दिए जाते हैं। ये जाने समझे बगैर कि पिछले वार्षिक कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए अथवा रिपोर्टों में भेजे गए आंकड़े कहां तक वस्तुस्थिति से मेल खाते हैं। विद्यमान रिपोर्टिंग प्रणाली ने कुछ हद तक राजभाषा के प्रयोग को आंकड़ों की गिरफ्त में जकड़ कर रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन रिपोर्टों के आधार पर घोषित पुरस्कारों ने एक अस्वस्थ परम्परा की नींव डाल दी है, जहां सभी बैंकों के राजभाषा विभाग बेतहाशा इस अंधी दौड़ में भागते नजर आ रहे हैं क्योंकि आखिर उनकी उपयोगिता एवं अस्तित्व का प्रश्न तो उतना ही जीवंत है, जितना अन्य क्षेत्रों में। अतः यह कहना हास्यास्पद है कि बैंकों के राजभाषा विभागों द्वारा तैयार की जा रही रिपोर्टों में आंकड़े वास्तविकता से मेल नहीं खाते। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि राजभाषा नीति के निर्धारण के लिए नीति–निर्धारण एवं कार्यान्वयन करने वाले उच्च पदस्थ व्यक्तियों का ध्यान बराबर इस ओर केन्द्रित रहे। बैंकों में भी इस दिशा में महत्तम कार्य किया जा रहा है। इसी बात को रेखांकित करते हुए श्री अरुण कुमार उपाध्याय लिखते हैं कि 'राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रेम, सदभाव, प्रोत्साहन तथा प्रेरणा से इस मिशन को बढ़ाने के लिए बैंक, रेलवे आदि इसके कार्यान्वयन में आज की परिस्थितियों के अनुरूप कुछ, ऐसे कदम भी उठाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जो अंग्रेजी के बढ़ते प्रयोग को पूरी तरह हावी नहीं होने देगा'।

बैंकों में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वहन हेतु जिम्मेदार प्राधिकारियों की मानसिकता

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का बहुत लंबा इतिहास न भी हो तो वर्ष 1969 में जब 19 जुलाई को देश के प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तबसे इन बैंकों पर सरकार की राजभाषा नीति लागू हो गई थी। इस दृष्टि से लगभग 40 वर्षों की अवधि किसी भी संस्था में सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए पर्याप्त है। वर्ष 1969 में राष्ट्रीयकरण के उपरान्त एकाएक बैंकों की कार्यप्रणाली एवं उद्देश्यों में आमूलचूल परिवर्तन परिलक्षित हुए और 'लाभार्जन' जो बैंकों का अब तक मुख्य उद्देश्य और 'वर्ग विशेष' के लिए बैंकिंग सुविधायें मुहैया कराना, जिनका लक्ष्य था, वही बैंक अब तेज रफ्तार से गांवों–गांवों में जाकर शाखायें खोलने लगे तथा कमजोर एवं पिछड़े तबके की जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए सरकार का हाथ बंटाने में जुट गए। इसी बदलाव के साथ भाषा की अहमियत भी जोर पकड़ने लगी। यदि गांव की आबादी के लिए बैंकिंग सेवायें उपलब्ध करानी थीं तो यह स्वाभाविक है कि अंग्रेजी भाषा का माध्यम बेमानी सिद्ध होता। अब बैंकों की योजनाएं उनकी कार्यप्रणाली, उनके सामाजिक दायित्व के निर्वहन में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रवेश होने लगा। इसका दूसरा पहलू यह भी था कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत अब इनका नियंत्रण सरकार के हाथ में चला गया और सरकार के सभी नीति–नियम इन पर लागू हो गए। इस स्थिति में

हिन्दी शब्द का सम्बन्ध संस्कृत शब्द सिन्धु से माना जाता है।

सरकार की राजभाषा नीति भी इन पर लागू हो गई। अब बैंकों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे अपने कामकाज में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करें। तथापि, बैंकों का अपना एक दीर्घ इतिहास था, कई बैंक लगभग 100 वर्षों से अपने दैनंदिन कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग करते चले आ रहे थे, जिसे अब शनैः शनैः हिंदी में परिवर्तित करना था। कई स्थानों पर अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी का प्रयोग होना जरूरी था, जैसे कि राजभाषा अधिनियम, 1969 (संशोधन 1967) के तहत धारा 3 (3) के अधीन जारी होने वाले कागजात। इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए सत्तर के दशक में भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में योजनाबद्ध कार्रवाई की शुरुआत हुई।

सत्तर दशक के उत्तरार्ध में बैंकों में प्रधान कार्यालय स्तर पर राजभाषा विभागों की तथा अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कक्षों की स्थापना बड़े जोर–शोर से हुई। इन राजभाषा विभागों एवं राजभाषा कक्षों में हिंदी अधिकारियों और हिंदी अनुवादकों की नियुक्तियां की गई, जिन्हें सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करना प्रासंगिक लग रहा है कि राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार किसी भी संस्था में सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने का दायित्व उस संस्था के प्रशासनिक प्रधान पर होता है। अतः राष्ट्रीयकृत बैंकों में सर्वोच्च पद पर आसीन अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वे सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें, जबकि इस कार्य से वास्तव में जुड़े कार्मिकों की पदस्थिति उतनी दमदार नहीं होती है कि वे नीतियों के अनुपालन हेतु अपने स्वर पर कोई ठोस निर्णय ले सकें। प्रायः यह भी देखने में आता है कि सर्वोच्च/उच्च पदों पर आसीन प्राधिकारियों के दायित्व इतने जटिल होते हैं अथवा उन्हें अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में इतना व्यस्त रखा जाता है कि वे चाह कर भी इस ओर अपना पर्याप्त समय अथवा अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई बार इन प्राधिकारियों के दायित्वों की लंबी सूची में न चाह कर भी सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति बहुत निचले पायदान पर चली जा रही है। अतः इन प्राधिकारियों के स्तिर पर जितनी गंभीरता से निर्णय लिये जाने चाहिए अथवा जो रूचि लेकर इन्हें सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, वह न होकर महज औपचारिकता भर रह जाती है। बैंक में यदि इन प्राधिकारियों को सौंपे गए अन्य दायित्वों का अवलोकन करें तो हमें यह भी ज्ञात होता है कि सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के मुद्दे की तुलना में बैंकिंग परिचालन के अन्य कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण नजर आते हैं, जहां अधिक समय देने की जरूरत पड़ती है, अंततः अन्य विभागों में कार्य–निष्पादन की बात होती है तो राजभाषा विभाग की तुलना में इन्हें अधिक गंभीरता से लिया जाता है। कई बार बैंकों में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन महज औपचारिकता ही रह जाता है।

यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि यद्यपि सरकार के गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, राजभाषा के अनुपालन हेतु बड़ी तत्परता से वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित करता है एवं इन्हें बैंकों में परिचालित करता है, तथापि, इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने में वही ईमानदारी परिलक्षित नहीं होती है। न तो इनका अनुपालन लक्ष्यानुरूप हो रहा है अथवा उसकी जांच के लिए कोई पारदर्शी व्यावस्था है और न ही इसका अनुपालन न करने वाले बैंकों को किसी भी तरह से दंडित करने का कोई प्रावधान ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि बैंकों में जिन प्राधिकारियों को सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन का दायित्व अतिरिक्त दायित्व के तहत सौंपा जाता है, वही अधिकारी धड़ल्ले से अपना कार्य अंग्रेजी में ही करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि सरकारी स्तर पर भी राजभाषा नीति के अनुपालन को फिलहाल प्रशंसा, पुरस्कार, प्रेरणा इत्यादि तक सीमित रखा गया है। कहीं न कहीं इस सोच से बाहर निकलना न केवल सरकारी स्तर पर अनिवार्य है, बल्कि बैंक के स्तर पर भी गंभीरता बरतना जरूरी है। बैंकों के शीर्ष प्रबंधतंत्र को भी इस मुद्दे पर वही तत्परता एवं गंभीरता दर्शानी चाहिए, जो बैंक के अन्य कार्यक्षेत्रों में दर्शायी जाती है।

साथ ही साथ, जब किसी शीर्ष अधिकारी को राजभाषा कार्यान्वयन का जिम्मा सौंपा जाता है तब यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अन्य दायित्वों की तरह इस मद के अंतर्गत भी लक्ष्य प्राप्ति को महत्व दिया जाए और अन्य मदों के तहत इस मद के अंतर्गत भी विशेष कार्यनीति बनाई जाए। कई बार कार्यनीतियां तो बनाई जाती हैं पर ये कार्यनीतियां महज कॉर्पोरेट कार्यालय स्तध पर ही सीमित रह जाती हैं, फील्ड स्तर पर इनके अनुपालन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः शीर्ष प्रबंधतंत्र स्तर पर न केवल इस मद के अंतर्गत समुचित अनुवर्तन (फॉलोअप) जरूरी है, पर साथ ही साथ, इस मद के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति को भी समुचित सम्मान मिलना चाहिए। इसके विपरीत ऐसा देखने में आया है कि कई बार जब किसी बैंक को सरकार की राजभाषा नीति के सफल उल्लास एवं जोश से इस उपलब्धि को सम्मानित करने के बजाय बैंक स्तर पर बड़ी मामूली प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। मानो यह क्या उपलब्धि है? न तो पुरस्कारों की घोषणा के उपरान्त इस कार्य से जुड़े अधिकारी अथवा संबंधित राजभाषा अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है, न ही, इसे एक उपलब्धि की तरह देखा जाता है। इस उपेक्षा में अपेक्षित बदलाव जरूरी है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में हमें ईमानदारी से प्रयास करना है तो सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंकों में शीर्ष प्रबंधतंत्र इस मुद्दे पर भी गंभीर रवैया अपनाएं। साथ ही, जिस तरह अन्य परिचालन की मदों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु ठोस रणनीति बनाई जाती है, तदोपरान्त आवधिक अंतराल पर इनके अंतर्गत हुई उपलब्धि की समीक्षा की जाती है तथा जरूरत पड़ने पर कार्यनीतियों में अपेक्षित बदलाव किया जाता है। ठीक उसी तरह राजभाषा अनुपालन के अंतर्गत भी इसी अवधारणा को लेकर काम करना चाहिए। अन्य विभागों की तरह इस विभाग में भी यह व्यवस्था होनी चाहिए कि इस मद के अंतर्गत चूक करने वाले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए ताकि वे अपने कार्यनिष्पादन के दौरान राजभाषा नीति के अनुपालन के अंतर्गत भी गंभीरतापूर्वक प्रयास करें और इसके अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति को भी एक उपलब्धि के रूप में सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाए तथा इसे सम्मानित किया जाए। इन सबके लिए सर्वाधिक जरूरी यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार प्राधिकारियों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव हो एवं इस मद के तहत लक्ष्य प्राप्ति को एक गौरवपूर्ण उपलब्धि मान कर इससे जुड़े प्राधिकारियों को यथोचित सम्मान दिया जाए।

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चरणब लक्ष्यों का निर्धारण एवं उनकी प्राप्ति हेतु ईमानदार प्रयास।

वर्तमान में राजभाषा कार्यान्वयन लक्ष्यों की पूर्ति में ही भटक रहा है। वास्तविक स्तर पर जितने प्रतिशत कार्य दर्शाया जा रहा है, उतना कार्य नहीं हो रहा है। यदि राजभाषा नीति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करना है तो निश्चित रूप से इसके लिए ईमानदार प्रयास करने होंगे और वह तब ही संभव है, जब यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। वर्तमान में भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के तहत विभिन्न मंत्रालय और उनके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजभाषा कार्यान्वयन हेतु लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और उनकी प्राप्ति के आधार पर उस कार्यालय/उपक्रम के राजभाषा कार्यान्वयन हेतु लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और उनकी प्राप्ति के आधार पर उस कार्यालय/उपक्रम के राजभाषा कार्यान्वयन सम्बंधी कार्य की समीक्षा कर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जाता है।

वित्तीय वर्ष में हम बैंकों की चर्चा करें तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुछ लक्ष्य उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित किये गए हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि न हो। सावधि जमा रसीदों को हिंदी में जारी करने में भी यही परेशानी है। अतः इसे भी उक्त लक्ष्य से अलग रखा जाना चाहिए। पास बुक में प्रविष्टियां हिंदी में की जा सकती हैं एवं कई बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग होने के बावजूद द्विभाषी

हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर अधिकांशतः संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करती है।

सॉफ्टवेयर लोड कर पासबुकों में हिंदी का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा बैंकों के अधिकांश कार्यों का सम्बंध ग्राहकों से होता है और आज बैंकों की संख्या को देखते हुए उनमें बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान कर अपना कारोबार बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा बरकरार है एवं अधिकांश स्थानों पर हिंदी भाषा बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने में ज्यादा सहायक सिद्ध होगी। अतः बैंकों द्वारा जन संपर्क के स्थलों पर काम आने वाली हिंदी को जनोन्मुख अर्थात सरल बनाया जाना चाहिए ताकि ग्राहकों का हिंदी में कार्य करने के प्रति सम्मान बढ़ सके। अभी भी राजभाषा अधिनियम/नियम के तहत कई कार्य अंग्रेजी में ही करने के लिए बाध्य किया गया है। अतः इन प्रावधानों में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिल सके। इस प्रकार लक्ष्य निर्धारण में निम्न, बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए :

1. लक्ष्य वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बैंकों के व्यावसायिक उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किए जाएं।
2. लक्ष्य तथ्य परक एवं व्यावहारिक हों।
3. प्रौद्योगिकी के अनुरूप लक्ष्यों में समय–समय पर संशोधन किया जाना चाहिए।

उपर्युक्तानुसार ईमानदारी से लक्ष्य निर्धारित करने से राजभाषा कार्यान्वायन की प्रगति को नई दिशा मिल सकेगी। श्री सुधाकर पाण्डे ने इस विषय में अपने मंतव्य इस प्रकार दिए हैं "आज के युग में प्रसार के महत्व पूर्ण साधन दृश्य और श्रव्य, अर्थात रेडिया एवं टेलीविजन हैं। रेडियो घर–घर तक पहुंच चुका है। टेलीविजन एक दशक में सर्वत्र पहुंच जाएगा। बड़े आन्दोलनों के बाद आकाशवाणी की भाषा–भाषी प्रदेशों में हिंदी के विस्तार का उत्तरदायित्व भी एक सीमा तक उसका है। जागृत समाज में रेडियो और टेलीविजन व्यापक पैमाने पर शिक्षा के प्रसार का कार्य करते हैं और ज्ञान–विज्ञान की अद्यतन उपलब्धियां जन–जन तक पहुंचाने में उनका उपयोग आज के संसार में सभी सभ्य देश कर रहे हैं।"

साथ ही, हम यदि उपर्युक्त लक्ष्यों पर नजर डालें तो इनमें से अधिकांश मदों में निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से हासिल किया जा सकता है। किन्तु जहां तक कार्यान्वयन का प्रश्न है, पत्राचार और आंतरिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग से ही कार्यान्वयन परिलक्षित होता है। राजभाषा नीति सम्बंधी अनुदेशों के तहत यह भी अपेक्षित है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित बैंक की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिंदी में किए जाएं; ग्राहकों द्वारा हिंदी में भरे गए आवेदनों और ग्राहकों की सहमति से अंग्रेजी में भरे गए आवदेनों पर जारी किए जाने वाले मांग ड्राफ्ट, भुगतान आदेश क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी प्रकार की सूचियां, विवरणियां, सावधि जमा रसीदें, चैक बुक सम्बंधी पत्र आदि, दैनिक बही, मस्स्टर, प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियां, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा ग्राहक सेवा सम्बंधी कार्य, नए खाते खोलना, लिफाफों पर पते लिखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, चिकित्सा सम्बंधी कार्य, बैठकों की कार्यसूची–कार्यवृत्त आदि में हिंदी का प्रयोग किया जाए। उपर्युक्त सभी कार्य कंप्यूटीकरण के पूर्व मैनुअली किए जाने की वजह से इन सभी कार्यों में हिंदी का प्रयोग किया जाना संभव था और किया जा रहा था। किन्तु कंप्यूटरीकरण/ऑटोमेशन के पश्चात इन सभी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करना संभव नहीं रहा है। अतः पूर्वानुसार लक्ष्यों का निर्धारण प्रासंगिक ही नहीं रहा है, बल्कि उसमें से कुछ और मैनुअली किए जाने वाले कार्यों में हिंदी का प्रयोग जैसे सावधि जमा रसीदें, चौक बुक सम्बंधी पत्र, प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियां, लिफाफों पर पते लिखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, अवकाश, बैठकों की कार्यसूची–कार्यवृत्त में हिंदी में कार्य किया जाना संभव है। किन्तु अन्य मदों को इससे अलग रखा जाना चाहिए ताकि ऐसे कार्य जिनमें हिंदी का प्रयोग संभव है, उनमें ईमानदारी से प्रयास किए जा सकें।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से जुड़े अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु उपाय

सरकार के कार्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं बैंकों में अलग से राजभाषा कक्ष स्थापित किये गए हैं। ये राजभाषा कक्ष विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों में उनकी संरचना के अनुसार नियंत्रक कार्यालयों में हैं, जिसमें कि विभिन्न वेतनमान के राजभाषा अधिकारी टंकक/आशुलिपिक पदस्थ किये गए हैं, जोकि वस्तुतः राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु लगातार प्रयास करते रहते हैं। राजभाषा कक्ष के प्रभारी अनुवाद से लेकर पत्राचार, विभिन्न विवरणियां तैयार करने, कार्यालय के विभिन्न विभागों को अभिलेख व्यवस्थित रखने, राजभाषा सम्बंधी सभी प्रकार के निरीक्षण चाहे वह संसदीय समिति का हो अथवा भारत सरकार के राजभाषा विभाग का हो अथवा बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों का हो, के लिए सभी अभिलेख उपलब्ध कराते हैं और अद्यतन रखते हैं। इसके साथ समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। साथ ही, हिंदी में अधिकतम कार्य के लिए वातावरण निर्मित करते हैं। किन्तु इतना सब करने के उपरान्त भी राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े प्राधिकारियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, जबकि वे भी मूल रूप से राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए उद्यमरत रहते हैं।

राजभाषा नीति के लागू करने के लिए नीतिगत निर्णय शीर्ष प्राधिकारियों बैंकों में सामान्यतया महाप्रबंधक द्वारा लिये जाते हैं। वास्तव में जिनके पास राजभाषा विभाग नाममात्र के लिए दिया जाता हो, जबकि वे अन्य कार्यों की वजह से इसे ज्यादा महत्व नहीं दे पाते हैं। दूसरे फील्डा स्तर पर कार्यरत राजभाषा से जुड़े अधिकारी और शीर्ष स्तर के अधिकारियों के मध्य। इतना अंतर होता है कि फील्ड से जुड़े अधिकारी सार्थक सुझाव देने में संकोच करते हैं। यदि उनके द्वारा इस सम्बंध में कुछ सुझाव भी दिये जाते हैं तो उनको लागू नहीं किया जाता है अथवा इनके लागूकरण में कोई रूचि नहीं दशाई जाती है। इस तरह से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में वह प्रगति नहीं हो पाती, जो अपेक्षित है।

इसी तरह से कार्यालयों में पदस्थत राजभाषा से जुड़े अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि कार्यालय में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए वे ही कार्य करें अर्थात सभी विभागों के पत्र भी वे लिखें। उनका अभिलेख भी वे ही रखें और समय–समय पर बाह्य एजेंसियों द्वारा विभिन्नं विभागों का निरीक्षण भी वे ही करायें अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से भी एक कार्यालय में 30 अथवा 40 स्टाफ सदस्य हैं तो उन सबके कार्य को हिंदी में एक अकेला अधिकारी ही करे और वही इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाए, जबकि राजभाषा अधिकारियों की पदस्थापना के पीछे उद्देश्य यह था कि वे कार्यालयीन कार्यों को हिंदी में संपादित कराने के लिए सहयोग करें न कि वे कार्य करें, जैसा कि आज हो रहा है। इस तरह से देखें तो राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों को मुख्या धारा के अधिकारियों की अपेक्षा हीन माना जाता है, जिसका विपरीत प्रभाव उन पर पड़ता है और उनके मन में हीनग्रंथि घर कर जाती है और वे भी निरुत्साहित हो जाते हैं।

इन अधिकारियों का संवर्ग तो अलग रहता है किन्तु पदोन्नति बहुत ही धीमी एवं सीमित वेतनमान तक रहती हैं। यह भी उनको हतोत्साहित करती है।

राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक है कि :

1. राजभाषा संवर्ग से जुड़े अधिकारियों को उचित अधिकार प्रदान किए जाएं, जिस प्रकार से अन्यव विषय के विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारी, जैसे सतर्कता, प्रौद्योगिकी एवं विधि विभाग आदि से जुड़े अधिकारियों को प्रदान किये गए हैं।

2. शीर्ष स्तर पर राजभाषा विभाग में पदस्थ अधिकारी राजभाषा संवर्ग से ही हों, इससे राजभाषा कार्यान्वयन से सम्बंधित सुझावों को लागू करने में शीर्ष और फील्डर स्तर में कार्यरत अधिकारियों के बीच सिर्फ अंतर ही कम नहीं होगा बल्कि पदोन्नति के अवसर पर भी उज्ज्वल होंगे, जिससे राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े

अधिकारी कुंठा की भावना से निकल सकेंगे।

3. राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों को मुख्य धारा के अधिकारियों के समान मानते हुए उन्हें वही सम्मान एवं सुविधाएं दी जाएं, जोकि मुख्य धारा के अधिकारियों को दी जाती हैं।

4. राजभाषा अधिकारियों को समय–समय पर मुख्य धारा के अधिकारियों के समान ही विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे राजभाषा कार्यान्वियन को और ज्यादा विश्वासपूर्वक गति दे सकें।

5. राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े प्राधिकारियों के सुझावों को गंभीरता से लिया जाए एवं उन्हें लागू किया जाए तथा इनकी उसी प्रकार निगरानी की जाए, जिस प्रकार से बैंक के अन्य विभागों के कार्यों की निगरानी की जाती है।

6. राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सिर्फ राजभाषा अधिकारियों को उत्तरदायी न ठहराते हुए विभिन्न नियंत्रक कार्यालयों के प्रधान को इसका जिम्मेवार माना जाए। हालांकि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी प्रशासनिक प्रधान की है, किन्तु इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, बल्कि इसके विपरीत राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े प्राधिकारियों को जिम्मेवार मानते हुए उनकी आलोचना कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है एवं कभी कभी अनावश्यक रूप से स्थानांतरित भी किया जाता है।

7. अतः राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि इससे जुड़े प्राधिकारियों को अधिकार प्रदान किए जाएं। उनके द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े गए सुझाव/निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु उचित उपाय किये जाएं व उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हुए मान्यता प्रदान कर उन्हें पदोन्नाति के समान अवसर प्रदान किये जाएं, जिससे वे राजभाषा नीति मनोयोग से लागू कर सकें।

उपसंहार

विश्वभर में बहुराष्ट्रीय बैंकों द्वारा जनता का विश्वास खोने के कारण जहाँ मंदी की स्थिति व्याप्त है, वहीं भारत के सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने ग्राहकों और आम जनता के अटूट विश्वास के कारण अपनी चिरपरिचित पारदर्शी प्रणालियों, कार्यविधियों, भाषा और संस्कृति की समृद्ध परंपराओं और सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण तंत्र के कारण बहुमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, तब से आज तक राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए सरकारी कार्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे पूर्ववर्ती विकेंद्रीकृत मैनुअल बैंकिंग की बात हो या आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित केंद्रीयकृत बैंकिंग की, राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सभी सरकारी कार्यालयों में बैंक अग्रणी रहे हैं। बैंकों, ग्राहकों और बैंक कर्मियों के बीच परस्पर बोलचाल के अलावा बोर्ड विज्ञापनों, अन्य प्रचार –सामग्रियों, गृहपत्रिकाओं, एटीएम, वेबसाइटों, कोर बैंकिंग, इंटरनेट, किओस्क और ई–मेल आदि में हिंदी का दिनों–दिन बढ़ता प्रयोग इसका प्रमाण है। जनता से सीधे संपर्क के कारण बैंकों में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग के लिए अपेक्षाकृत अधिक अवसर हैं तो चुनौतियाँ भी कम नहीं, पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपने अनुभवी और प्रतिबद्ध मानव–संसाधन के बल पर इन चुनौतियों को अवसरों में बदला है।

बैंकों पर लागू राजभाषा अधिनियम, नियम और वार्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से दिए गए निदेशों के अनुपालन के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित आंकड़ों का अवलोकन करने पर हमें ज्ञात होता है कि बैंकों ने सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है। बैंकों में हिंदी के प्रयोग की असली शुरुआत वर्ष 1969 से ही मानी जा सकती है, जब पहली बार 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। छुटपुट रूप में कार्य प्रारंभ हुए, जिनमें राजभाषा कक्षों एवं कुछ बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के आयोजन की शुरुआत किया जाना है। उदाहरण के लिए, सेन्ट्रंल बैंक ऑफ इंडिया में राजभाषा कक्ष की स्थापना 1974 में हुई, जबकि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक का शुभारंभ 1973 में ही कर दिया गया। ऐसे ही कुछ अन्य बैंकों द्वारा भी इस कार्य का श्रीगणेश किया गया। परंतु वास्तविकता तो यह है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन का विधिवत कार्य राजभाषा नियम 1976 लागू होने के बाद ही प्रारंभ हुआ, जब राजभाषा कक्षों की स्थापना एवं राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने पिछले 35–36 वर्षों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में एक लंबी दूरी तय की है। यद्यपि राजभाषा अधिनियमों, नियमों एवं संविधान के हिंदी के प्रयोग संबंधी अनुच्छेदों में हिंदी का प्रयोग न करने पर दंड का विधान न होने से उल्लंघन की प्रवृत्ति स्पष्ट परिलक्षित होती है, फिर भी, प्रेरणा, सदभावना एवं प्रोत्साहन की भावना वाली नीति ने ही हिंदी के प्रयोग रूपी कार्य को हमेशा गतिमान बनाए रखा है। इन सभी का मिला जुला प्रभाव यह हुआ है कि बैंकिंग जैसे क्षेत्र को, जिसे सामान्यतया शुष्क कहा जाता है, वहाँ भी हिंदी ने अपनी प्रेम और मादक दृष्टि हर तरफ घुमाई है और आज अब लगने लगा है कि हिंदी का जादू चल गया है। भले ही, उसका कारण स्वार्थ (लाभ) हो, या फिर कोई भी अन्य कारण क्यों न हो। हिंदी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने जो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उनका मदवार विवेचन निम्नानुसार है :

कामकाजी भाषा के जानकर लोगों को संबंधित ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का कार्य और भी महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने ज्ञान का बहुविध उपयोग कर सकें। इस दिशा में भी भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ कॉलेज, कृषि बैंकिंग प्रशिक्षण महाविद्यालय पुणे, बर्ड–लखनऊ, भारतीय स्टेट बैंक तथा सभी बैंकों के शीर्ष प्रशिक्षण महाविद्यालयों, आदि प्रशिक्षण केद्रों के माध्यम से पर्याप्त कार्य किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के नेतृत्व में गठित प्रशिक्षण समन्वय समिति इस क्षेत्र में अपनी महती भूमिका निभा रही है। प्रशिक्षण सामग्रियों (हैण्डआउटों) के निर्माण में भी इस समिति ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को सफल मार्गदर्शन प्रदान किए हैं। पिछले चार वर्षों में इस समिति के मार्गदर्शन में आयोजित बैंकिंग हिन्दी सेमिनारों से भी बैंकिंग के विभिन्न गहन क्षेत्रों में हिन्दी में लेख लिखने तथा बैंकिंग के विभिन्न तकनीकी विषयों पर हिन्दी में आपसी विचार–विमर्श का दायरा बढ़ाने में मदद मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक आधार पर आयोजित अंतर–बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिताओं, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक तथा सिडबी द्वारा अंतर–बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं उनमें प्राप्त लेखों को एकत्रित करके पुस्तकाकार प्रकाशन ने भी बैंकिंग के जटिल विषयों को हिन्दी में समझने–समझाने का वातावरण निर्मित किया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित अंतर–बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिताओं की भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है।

बैंकों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि 'ग' क्षेत्र में बड़ी संख्या में बैंक–कर्मियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है। वैसे तो कार्यसाधक ज्ञान की पूर्वनिर्धारित परिभाषा भी आज अप्रासंगिक प्रतीत होती है, विशेषकर बैंकों के प्रौद्योगिकीकरण के पश्चात, भले ही बैंकों में कर्मचारियों की भरती के लिए आज भी न्यूनतम आवश्यक योग्यता उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं है, पर जिस तरह आधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित बैंकों में कार्य करने के लिए यह योग्यता पर्याप्त नहीं होती और हम उन्हें प्रशिक्षण देकर कार्य करने के लिए तैयार करते हैं, वैसे ही हिंदी में कार्य करने हेतु भी हमें उन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान देना होगा। यद्यपि गृह मंत्रालय के निदेशानुसार भारत सरकार के प्रत्येक कार्यालय से प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों कर्मचारियों में से 20

प्रतिशत कर्मिकों को प्रशिक्षण हेतु भेजना अपेक्षित है, ताकि हिंदी प्रशिक्षण वर्ष 2015 तक पूरा किया जा सके। तथापि, हिंदी शिक्षण योजना का जिस तरह का पाठ्यक्रम है और बैंकों की जिस तरह की कार्यप्रणाली है तथा उनके स्टाफ पर जिस कदर कार्यभार यानी वर्कलोड रहता है, उसे देखते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शायद ही कोई बैंक उन्हें छह महीने के लिए हिंदी सीखने हेतु किसी केंद्र पर प्रतिनियुक्त करने की स्थिति में होगा। इसलिए उन्हें राजभाषा विभाग की साइट www.rajbhasha.gov.in पर प्रौद्योगिकी आधारित लीला पाठ्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन हिंदी सीखने या पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए प्रेरित करना होगा। पाठ्यक्रम भी बैंकिंग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, हिंदी सीखने के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन की राशि भी वर्तमान में उतनी आकर्षक नहीं रह गई है कि बैंककर्मी उसकी वजह से इस ओर उन्मुख हो, इसलिए वर्तमान प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा करना भी जरूरी हो गया है। भारत सरकार ने कार्यालयों में हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने प्रर वेतनवृद्धि का प्रावधान किया हुआ है। बैंकों में भी जेएआइआइबी और सीएआइआइबी आदि परीक्षाएँ हिंदी माध्यैम से उत्तीर्ण करने वालों को प्रोत्साहित करने से उन्हें हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी। वैसे पूर्ववर्ती बैंककर्मियों की तुलना में वर्तमान बैंककर्मी हिंदी का बेहतर ज्ञान रखते हैं और थोड़े से प्रशिक्षण से उन्हें हिंदी में कार्य करने के लिए तैयार किया जा सकता है। हिंदी का बिल्कुल भी ज्ञान न रखने वालो की संख्या अब उतनी अधिक नहीं रह गई है कि प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा करने पर बैंकों पर कोई बहुत अधिक अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

बैंकों में बैंकिंग के प्रशिक्षण का जहां तक संबंध है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी और हिन्दीतर क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा रहता है, पर प्रशिक्षण सामग्री सभी क्षेत्रों में अधिकांशतः अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। मीडिया पर हिंदी के प्रयोग के चलते हिंदीतर क्षेत्रों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के मिलेजुले माध्यम का प्रयोग किया जा सकता है। प्रशिक्षण सामग्री के द्विभाषीकरण के प्रयासों में तेजी लाने की भी आवश्यकता है। सभी बैंकों में अब इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है और उसमें प्रशिक्षण पोर्टल उपलब्ध कराए गए हैं। इन पोर्टलों में हिंदी का विकल्प उपलब्ध कराने से प्रशिक्षणार्थी अपनी इच्छानुसार हिंदी–विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे। वैसे भी प्रशिक्षण केंद्रो में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने का जमाना पीछे छूटता जा रहा है, आज डेस्क पर प्रशिक्षण का युग है, प्रशिक्षण–सामग्री को सरल से सरल बनाने का प्रयास करना होगा और उसमें बोलचाल की हिंदी का प्रयोग करना होगा।

लगभग पिछले 20 वर्षों से कंप्यूटर में हिंदी की शुरुआत हुई है, पर इतनी कम अवधि में ही आज कंप्यूटर में हिन्दी ने अपनी जगह स्थापित कर ली है। लिपि, श्री लिपि, अक्षर, शब्दरत्न, सुलिपि, आकृति, प्रकाशक, एपीएस आदि जैसे शब्द संसाधन के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, और उसमें भी लीप ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जिसमें केवल हिंदी ही नहीं अपितु अनेक भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर सामान्य कार्य से लेकर इंटरनेट, ई–मेल तक की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें केवल शब्द संसाधन ही नहीं, अपितु विंडोज पर आधारित अन्य अनुप्रयोगों जैसे, एक्सेल, पावर पाइंट, पेज मेकर, कोरलड्रा आदि में भी हिंदी में कार्य किया जा सकता है। इसने इस भ्रम को तोड़ा है कि कंप्यूटर पर केवल अंग्रेजी में ही कार्य करना संभव है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा लीला हिंदी प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ नामक मल्टीमीडिया कंप्यूटर पर स्वयं शिक्षक पैकेज उपलब्ध कराया गया है। इसमें स्पीच, ग्राफिक्स और एनिमेशन का भरपूर प्रयोग किया गया है। बैंकों में अब ई–मेल हिंदी में भेजे एवं प्राप्त किए जा रहे हैं। एक्जिम बैंक तथा कई अन्य बैंकों के इनहाउस डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में भी द्विभाषिक सुविधा उपलब्ध है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तथा कुछ अन्य बैंकों की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में अन्य प्रयोजनों के साथ–साथ राजभाषा कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाती है। अब यूनिकोड के प्रयोग से हिंदी और भारतीय भाषाओं में बैंकों में कार्य करने की उम्मीदें बढ़ी हैं। आँकडा संसाधन में भी ओमनी, बैंक मित्र जैसे सॉफ्टवेयरों से हिंदी में कार्य हो रहा है। अगला चरण सीबीएस का है, इसमें भी हिन्दी सफलता की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है।

वर्तमान बैंकिंग प्रौद्योगिकी–आधारित हो गई है, बैंकों द्वारा शुरू किए गए एटीएम, वेबसाइट, कोर बैंकिंग, टच स्क्रीन, इंटरनेट बैंकिंग किऑस्क आदि सभी प्रौद्योगिकी संचालित हैं और केंद्रीकृत बैंकिंग–व्यवस्था पर आधारित हैं। इनमें ग्राहक को कहीं भी और कभी भी बैंकिंग का विकल्प उपलब्ध रहता है, जिसमें ग्राहक बैंक की किसी एक शाखा का ग्राहक न रहकर, अब बैंक का ग्राहक बन गया है। ग्राहकों को 24'7 सेवा प्रदान करने के लिए लगभग सभी बैंकों ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, कॉल सेंटर, डाटा रिकवरी सेंटर आदि स्थापित किए हैं। जिनमें सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी दिन–रात कार्य करते हैं। इन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और उत्पादों के द्विभाषीकरण के लिए आम तौर पर केवल एक राजभाषा अधिकारी पदस्थ किया गया है, जो कार्य की मात्रा और सरकार के निदेशों के अनुसार अपर्याप्त है, कोर बैंकिंग के साथ–साथ यहाँ कई तरह के सॉफ्टवेयर, जैसे ट्रेड फाइनेंस, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, आरटीजीएस, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। कई तरह के मैनुअल जॉब कार्ड आदि तैयार किए जाते हैं। जिनके द्विभाषीकरण के लिए एक राजभाषा अधिकारी बिल्कुल अपर्याप्त रहता है, अतः इस स्तर पर राजभाषा अधिकारी और संबंधित स्टाफ बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

बैंकों द्वारा एटीएम, कोर बैंकिंग, टच–स्क्रीन, इंटरनेट बैंकिंग, किऑस्क आदि में अब अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। एटीएम, टच स्क्रीन और इंटरनेट बैंकिंग किऑस्क में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में हिटों की दिनोंदिन बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि ग्राहक हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकल्पों को अधिक सुविधाजनक पाता है। कोर बैंकिंग में भी हिंदी का विकल्प उपलब्ध होने और अपनी पासबुक, खाता विवरण, जमा–रसीद आदि हिंदी में भी मिल सकने की जानकारी मिलने पर ज्यादातर ग्राहक इनकी हिंदी में ही माँग करेंगे, इसमें शक नहीं है। कोर बैंकिंग में हिंदी–विकल्प लागू करने की प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर में उजागर हुई कमियों के निराकरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों के अधिकारियों ने सॉफ्टवेयर प्रदाता से विचार–विमर्श किया, जिसमें एक मुद्दा यह उठा कि एनईएफटी, आरटीजीएस और विदेशी विनिमय के लेनदेन को यदि हिंदी में भरा जाता है और प्राप्तकर्ता शाखा यदि इस संदेश को अंग्रेजी में डाउनलोड करती है या उसका अवलोकन करती है तो संदेश में विसंगति पैदा हो सकती है, यह स्थिति 'क' क्षेत्र के बाहर स्थित सभी प्राप्तकर्ता शाखाओं में उत्पन्न हो सकती है। अतः इस तरह के सभी लेनदेनों में जहाँ संदेश हूबहू ही पढ़ा जाना चाहिए, अंग्रेजी–सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना ही उचित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी आरटीजीएस और इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली का द्विभाषीकरण किए जाने से बैंकों को ऐसी समस्याओं से निपटने में मदद मिल सकती है।

मानक भाषा एनकोडिंग यूनिकोड, से अलग एनकोडिंग के प्रयोग के कारण भी बैंकों को कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग में फॉण्ट आदि से संबंधित इस प्रकार की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम समझते हैं कि बैंक में प्रत्येक कंप्यूटर पर हिंदी यूनिकोड प्रणाली को सक्रिय करने से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलेगी। अंग्रेजी में विश्वभर में फॉण्ट और कुंजी–पटल की आज कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कि पेजमेकर आदि सॉफ्टवेयर में भी नहीं। यूनिकोड में कुंजी–पटल संबंधी समस्याओं का समाधान आदि आधुनिकतम सॉफ्टवेयरों के अनुकूल बनाना होगा।

हिंदी एक मात्र ऐसी भाषा है जिसके अधिकतर नियम अपवादविहीन हैं ।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढावा देने एवं अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु किए जा सकने वाले उपाय

नरेन्द्र कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), बैंक ऑफ महाराष्ट्र
कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे (महाराष्ट्र)

राजभाषा– सामान्य बोलचाल की भाषा में राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही हिन्दी स्वतः देश की राजभाषा हिन्दी बन गई जिसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। साथ ही राजभाषा का प्रयोग करते समय अंकों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रुप को मान्यता प्रदान की गई। इन 64 वर्षों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रकार के कदम उठाये गये और आज भी भारत सरकार प्रतिवर्ष राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से राजभाषा हिन्दी को कार्यान्वित करने के लिए कटिबद्ध है। कई बार कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए राजभाषा का विरोध भी किया गया लेकिन देश की आम जनता द्वारा इसे धीरे–धीरे स्वीकार्य होने से राजभाषा अपने प्रगति पथ पर सदैव अग्रसर होती गई। परिणामस्वरुप आज पूरे देश में हिन्दी न केवल संघ की राजभाषा के रुप में बल्कि देश की संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के रुप में स्थापित होती जा रही है।

वर्ष 1975 में गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग की स्वतंत्र रुप से स्थापना के बाद एक तरह से संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन ने जोर पकड़ा और उसके प्रगामी प्रयोग को एक दिशा मिली। हम सभी जानते हैं कि अपनी स्थापना काल से ही राजभाषा विभाग संघ के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढाने के लिए प्रयासरत है और इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए कई स्तरों पर विभिन्न प्रकार की समितियां, उप समितियां राजभाषा विभाग को एक तरह से सहयोग प्रदान करती है चाहे वह मंत्रालय की समिति हो, विभाग की समिति हो, कार्यालय स्तर की समिति हो या शाखा स्तर की समिति हो सभी राजभाषा के कार्यावन्यन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। इन सभी विभागीय समितियों के अतिरिक्त प्रत्येक शहर/नगर में एक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एक महत्वपूर्ण जांचबिन्दु के रुप में कार्यरत है जिसकी प्रत्येक छः महीने में होने वाली बैठकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और क्षेत्रवार आवश्यकता के अनुरुप निर्णयों पर कार्रवाई भी की जाती है। यहां इस बात का उल्लेख करना अतिमहत्वपूर्ण है कि राजभाषा नीति का कार्यान्वयन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है बल्कि सरकारी तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है. जिस प्रकार किसी संस्था के लिए वार्षिक कार्य परिणाम हासिल करने के लिए निष्पादन बजट को आवश्यक एवं एक महत्वपूर्ण सामग्री के रुप में स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार राजभाषा संबंधी वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा विभाग, भारत सरकार प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है, जिसे केन्द्रीय हिन्दी समिति स्तर (जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है) से लेकर ग्रामीण शाखा, कार्यालय स्तर पर राजभाषा को कार्यान्वित करने पर जोर दिया जाता रहा है।

वर्ष 1985–86 में राजभाषा विभाग ने राजभाषा कार्यान्वयन को सुचारु रुप देने के उद्देश्य से देश के प्रमुख शहरों में विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की स्थापना आरंभ की। आरंभ में तो इसे एक मामूली समिति के रुप में स्थापित किया गया परन्तु समय के साथ साथ इन समितियों की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई और आज राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को एक महत्वपूर्ण जांचबिन्दु के रुप में मान्यता प्राप्त हो गई है। इन समितियों के व्यापक कार्यक्षेत्र को देखते हुए अनेक महानगरों में तीन अलग अलग समितियों के रुप में मान्यता प्रदान की गई और सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए अलग अलग समितियां कार्यरत हैं। आज पूरे देश में लगभग 310 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की सहायता से राजभाषा को कार्यान्वित किया जा रहा है और वास्तव में ऐसी समितियां राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है।

आज के बदलते हुए परिदृश्य में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु हमें निम्नलिखित बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि जहां किसी संस्था, समिति की कुछ खास विशेषताएँ होती हैं वहीं कुछ खामियां होना भी स्वाभाविक है। खामियों के अभाव में हम किसी समिति या संस्था की विशेषताओं का अंदाज नहीं लगा सकते हैं। हम सभी को ज्ञात है कि विगत वर्षों में कंप्यूटर के आगमन से राजभाषा के कार्यान्वयन का कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और विभिन्न संस्थानों में कार्यरत राजभाषा अधिकारी विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर की सहायता से हिन्दी विभाग या राजभाषा विभाग को किसी बड़े अस्पताल के सघन चिकित्सा इकाई में पड़े हुए मरीज की तरह देखभाल करते रहे. हम सभी इस बात से सहमत होंगें कि राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति लगभग सभी कार्यपालकों की उदासीनता से राजभाषा अधिकारी और राजभाषा विभाग मानसिक रुप से त्रस्त है और कुछ राजभाषा अधिकारी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ अन्य विभागों के कार्य को अपना कर अपनी उपस्थिति का अहसास करा रहे थे, लेकिन सरकार की सक्रियता और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए राजभाषा को कार्यान्वित करना अति आवश्यक हो गया। चाहे रेलवे हो या बैंकिंग अथवा सरकार को कोई भी विभाग हर जगह हिन्दी की मांग को देखते हुए बहुभाषी सॉफ्टवेयरों की प्रचुरता से खरीद की गई जिसके परिणामस्वरुप आज राजभाषा का कार्यान्वयन स्वतः और तीव्रगति से होता नजर आ रहा है। फिर भी राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हमसभी को एक समयबद्ध कार्यक्रम की रुपरेखा बनाकर कार्यान्वित करने के लिए हरसंभव प्रयास करना होगा और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करनी होगी:–

1) **राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का नियमित आयोजन करना**– जैसाकि हम सभी को ज्ञात है कि प्रत्येक 3 महीने में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक आवधिक बैठक नियमित रुप से अनिवार्यतः होती है जिसमें कार्यालय के लगभग सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहते हैं और जिस बैठक में तिमाही विवरण की समीक्षा की जाती है और विभागवार समीक्षा होने के भय से सभी विभागीय प्रमुख इन बैठकों को गंभीरता से लेते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति अवश्य की जाती है। अतः सभी कार्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन कर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा के साथ साथ अगली तिमाही के रुप में रुपरेखा का निर्धारण करने से कार्यान्वयन में एक गति बनी रहेगी।

2) **वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन सुनिश्चित करना**– किसी भी संस्थान में राजभाषा का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सभी विभागीय प्रमुखों के साथ समय समय पर भेंट कर उनके सामने आने वाली कठिनाईयों पर चर्चा कर उसके निवारण के लिए त्वरित कार्रवाई करने से ही राजभाषा के कार्यान्वयन को एक गति मिलेगी। इस प्रयास में और अधिक गति लाने के लिए कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के नेमी प्रकार के पत्रों का हिन्दी में अनुवाद उपलब्ध कराने अथवा उसे द्विभाषिक रुप में तैयार कर संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करा देने से उसे हिन्दी में कार्य करने में सुविधा होगी जिसका परिणाम कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रगति रिपोर्ट में परिलक्षित होता है। साथ ही वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित सभी मदों पर यथावश्यक कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के लेखन–सामग्री, नामपट्ट, रबर मोहरें, विजिटिंग कार्ड आदि द्विभाषिक रुप में उपलब्ध करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. यदि कार्यालय में उपलब्ध उपस्थिति पंजी में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों

हिन्दी के विकास में पहले साधु–संत एवं धार्मिक नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

के नाम केवल हिन्दी में ही दर्ज किए जायें तो दिन की शुरुआत ही हिन्दी से सुनिश्चित की जा सकेगी। उन कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य बड़ी तत्परता एवं लगन से किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय भावना अधिक है, जो अपनी मातृभाषा से लगाव रखते हैं और जिन्हें समय पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री उपलब्ध करा दी जाती है। बस आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे कर्मचारियों को मानसिक रुप से तैयार किया जाये और उसे विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जाये।

3) विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना– राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि संस्थान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति चेतना जागृत की जाए और सभी को राजभाषा के प्रति उत्साहित किया जाए। इसके द्वारा जहां एक ओर अधिकारियों में रचनात्मक जागृति पैदा होती है, वहीं इससे अन्य अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि होती है और दूसरे अन्य अधिकारी भी राजभाषा में कार्य करने हेतु प्रेरित होते हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में वरीयता से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले अधिकारी राजभाषा के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि जहां पुरस्कार पाने से उनकी मर्यादा में वृद्धि होती है वहीं उन्हें समस्त कर्मचारियों के समक्ष सम्मान मिलता है जो निश्चित तौर पर दूसरे अधिकारियों के लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है। कार्यालय में आयोजित प्रतियोगिताओं में सभी अधिकारियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए जिससे राजभाषा के अधिक प्रचार प्रसार में सहायता मिलती है और राजभाषा कार्यान्वयन को एक गति भी प्राप्त होती है।

4) गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन सुनिश्चित करना – विभिन्न कार्यालयों द्वारा अपने–अपने स्तर पर अनेक उत्कृष्ट प्रकार की गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है जिससे कार्यालय के अधिकारियों में साहित्यिक सृजनशीलता पनपती है और उनसभी में उत्कृष्ट रचना लेखन की होड़ सी लगी रहती है क्योंकि प्रकाशित रचनाओं के साथ संबंधित अधिकारी के फोटोग्राफ भी छपते हैं जिससे निश्चित तौर पर दूसरे अधिकारी भी हिन्दी में लिखने को विवश हो जाते हैं और इससे कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन में हमें बहुत सहायता मिलती है।

5) संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन करना– विभिन्न कार्यालयों द्वारा कार्यालय के अधिकारियों के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों/सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। यदि इन कार्यक्रमों में राजभाषा संबंधी सत्र अथवा सूचना प्रौद्योगिकी विषयक सत्रों का समावेश किया जाये तो इससे अधिकारियों में एक चेतना जागृत होगी और आज उपलब्ध यूनिकोड की सहायता से सभी अधिकारियों को हिन्दी में कार्य करने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे अधिक से अधिक अधिकारी लाभान्वित तो होते ही हैं साथ ही राजभाषा संगोष्ठी के आयोजन से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में बहुत सहायता मिलती है। जहां आवश्यक हो वहां विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए भी हिन्दी माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है। अतः ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रुप से कार्यालय–वार आयोजित किया जाना चाहिए।

6) विभिन्न प्रोत्साहन योजना को कार्यान्वित करना– राजभाषा का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक तभी किया जा सकता है जब अधिकारी या कर्मचारी मानसिक रुप से तैयार हो। इसके लिए संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जायें जैसे– किसी अधिकारी ने हिन्दी में बहुत सराहनीय कार्य किया है तो उसे संस्था प्रमुख की ओर से अर्ध–शासकीय पत्र जारी कर उसके द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की जाये। ऐसा करने से दूसरे अधिकारी प्रोत्साहित होंगे और उनमें में हिन्दी में बेहतर कार्य करने की लालसा जागृत होगी। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की हिन्दी परीक्षाओं में सफलता पाने वाले अधिकारियों को जब नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है उस समय भी यदि प्रोत्साहन राशि के साथ साथ यदि उसे सराहना पत्र प्रदान किया जाये तो एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा और इससे दूसरे अधिकारी प्रेरित होंगें।

7) विभिन्न साहित्यिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना– प्रायः ऐसा देखा गया है कि कुछ महत्वपूर्ण अवसरों यथा–गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, हिन्दी दिवस एवं अन्य उत्सवों/अवसरों पर कई प्रकार की साहित्यिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जैसे कवि सम्मेलन/रक्तदान शिविर/स्वास्थ्य जांच शिविर/एकांकी/नाटकों का प्रदर्शन आदि। इससे इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अधिकारियों को सामाजिक मान्यता तो मिलती ही है साथ ही राजभाषा के प्रचार–प्रसार में भी सहायता मिलती है। किसी साहित्यिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर यदि उस क्षेत्र विशेष के ख्यातिप्राप्त लोकप्रिय व्यक्तित्व को आमंत्रित किया जाए तो निश्चित ही इससे अधिकारियों में एक उत्साह का निर्माण होगा और उनमें भाषा के प्रति एक आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए इस प्रकार की सार्थक साहित्यिक/सांस्कृतिक गोष्ठियां या कार्यक्रमों का समय समय पर नियमित रुप से आयोजन करते रहना चाहिए।

8) राष्ट्रीय उत्सवों पर अन्य गतिविधियों का आयोजन करना– दशहरा, दीपावली, साक्षरता दिवस, पर्यावरण दिवस, हिन्दी दिवस, होली जैसे राष्ट्रीय उत्सवों पर यदि अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उनमें व्यक्तित्व विकास के लिए, सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए, अधिकारियों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरुक करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जायें तो इससे भी अधिकारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उनमें स्वयं की लोकप्रियता के लिए कुछ विशेष करने की लालसा जागृत होगी क्योंकि इससे संबंधित अधिकारी की अपने सहकर्मियों के बीच एक विशेष पहचान बनती है। साथ ही इन विशेष अवसरों पर प्रमुख रेलवे स्टेशनो, बस पड़ावों एवं सार्वजनिक स्थलों पर यदि उदघोष वाक्यों के साथ बैनर/होर्डिंग का प्रदर्शन किया जाए तो इससे भी न केवल कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी लाभान्वित होंगें बल्कि संस्थान को एक अलग पहचान मिलेगी और आम लोगों में एक नवीन चेतना जागृत होगी। अतः इन विशेष अवसरों का भरपूर लाभ उठाते हुए ऐसे समारोहों का आयोजन निश्चित रुप से लाभदायक होंगें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य राजभाषा अधिकारी या राजभाषा विभाग तक सिमट कर रह जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को राजभाषा विभाग से बाहर लाकर सभी अधिकारियों के बीच जागरुकता लाने की आवश्यकता है। ऐसा तभी संभव है जब कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वयं राजभाषा के प्रति आकर्षण हो और उनके द्वारा छोटी–मोटी टिप्पणियां आदि हिन्दी में ही प्रस्तुत की जाये। ऐसा करने से उनके अधीन कार्य करने वाले अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति एक आकर्षण जागृत होगा और कार्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। साथ ही यदि कार्यालय प्रमुख द्वारा समय समय पर आहूत विभागीय बैठकों में भी हिन्दी का भरपूर प्रयोग किया जाये तो इससे भी बैठक में उपस्थित दूसरे अधिकारियों/कर्मचारियों को एक प्रेरणा मिलेगी और उनका मनोबल बढ़ेगा जिससे राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य आसानी से किया जा सकता है।

प्रायः हम सभी को ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ हिन्दी–भाषी और हिन्दी में पूरी तरह दक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में कार्य करते समय संकोच होता है। ऐसे संकोच को हम तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैः प्रथम– हिन्दी में कार्य करते समय यदि कोई व्याकरणिक भूल होगा तो बाकी सहकर्मी उसका मजाक बनायेंगे, दूसरा– हिन्दी में कार्य करते समय उसके भीतर एक हीनभावना का होना, और तीसरा– हिन्दी में कार्य करने पर उसे टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर की सुविधा न मिलना। यदि ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को मानसिक रुप से तैयार कर लिया जाये तो और वांछित सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाये तो वह स्वैच्छिक रुप से हिन्दी में कार्य करने में सहजता महसूस करने लगेगा। इसके लिए हम दूसरे विकल्प का भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे हिन्दी में कार्य करने का माहौल बनाने के लिए कार्यालय में हिन्दी समाचार पत्रों एवं हिन्दी की चुनिंदा पत्रिकाएं मंगवा कर कर्मचारियों में उसका परिचालन किया जाये जिससे कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान में वृद्धि अवश्य होगी और वह हिन्दी में कार्य करने को प्रेरित होंगें।

अंततः हम यही कहना चाहेंगे कि यदि कार्यालय स्तर पर आयोजित उपरोक्त सभी गतिविधियों में अधिकांश अधिकारियों का उचित प्रतिनिधित्व हो और लिये गये सभी निर्णयों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाए तो इससे राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को तो बढ़ावा मिलेगी ही साथ ही साथ कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी सकारात्मक रुप से प्रेरित होंगें और कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में एक सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा और इससे संस्था विशेष को विशेष लाभ मिलेगा।

हिन्दी लिखने के लिये प्रयुक्त देवनागरी लिपि अत्यन्त वैज्ञानिक है।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने एवं अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु किए जा सकने वाले उपाय

अशोक कुमार चौहान
सहायक महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मुम्बई

इदमन्धैतमः त्स्नं जायेत भुवनगयम्
यदि शब्दाछ्यं ज्योतिरा संसार न दीप्यते

आचार्य दंडी ने कहा था कि 'यह सृष्टि अंधकार में डूब गई होती यदि भाषा रूपी प्रकाश का अभ्युदय नहीं हुआ होता।' भाषा के महत्व पर निरंतर चर्चा होती हैं। भाषा ही किसी राष्ट्र की, समाज की पहचान होती है। उस राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार उसकी भाषा में प्रतिबिंबित होते हैं। परिवार को तो विरासत में जमीन जायदाद मिलती है, पर किसी संस्कृति व सभ्यता की विरासत उस समाज की भाषा ही होती है। आज विदेशों में लोग हिंदी सिर्फ इसलिए पढ़–समझ रहे हैं क्योंकि वे भारत की संस्कृति, नैतिकता व दर्शन को समझना चाहते हैं। हिंदी राष्ट्रीय एकता की भाषा है, देश की संपर्क व जन भाषा है, इसलिए राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई है। प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना झंडा, राष्ट्रगीत और अपनी राजभाषा होती है, किंतु अंग्रेजों की गुलामी की, उनकी दासता की जंजीरों से अपने को मुक्त कराने के लिए जिस भाषा का हमने सहारा लिया, पर अंग्रेजों के जाते–जाते उनकी भाषा को सीने को लगाए रखने का मोह नहीं छोड़ पाए और आज एक–दो नहीं पूरे 67 वर्ष बीत चुके है पर हम अभी भी इसी पर विचार कर रहे हैं कि इस देश में राजभाषा के प्रचार–प्रसार के लिए हमें क्या करना होगा। कभी विचार किया कि आखिर भारत के डेढ़–दो प्रतिशत अंग्रेजीदां लोगों के स्वार्थ के लिए जनता का हित कुर्बान करने के पीछे क्या तर्क है? हम कब तक यह कहते रहेंगे कि हम 'हिंदी थोपना' नहीं चाहते हैं पर क्या हम गरीब, अनपढ़ व छोटे–छोटे शहरों–कस्बों और गांवों में रहने वाले लोगों पर जो अंग्रेजी नहीं जानते, उन पर अंग्रेजी थोपने जैसा कार्य क्यों कर रहे हैं? हिंदी जिन लोगों को कठिन लगती है, वह मात्र सोच व मानसिकता की बात है जैसे विदेशी भाषा सहज सीख ली वैसे ही व्यवहार में हिंदी का भी प्रयोग किया जा सकता है।

हम तुर्की के कमाल पाशा का उदाहरण देते हैं जिन्होंने तुर्की के राजकाज की भाषा होने के लिए लगने वाली अवधि को उसी समय खत्म करने का फरमान दे दिया था। इसे भले ही दूर इतिहास की बात कहें पर ताजा उदाहरण श्रीलंका का भी है जिसने 1964 में सिंहली को राजभाषा के पद पर बिठाने का निश्चय किया तो सरकार ने देश के हित में एक आदेश निकाला कि जो लोग सिंहली भाषा को सीखने और राजकाज में उस भाषा का प्रयोग करने में असमर्थ रहे, उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करके पेंशन दे दी जाए। क्या हमें भी ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए? यह विषय आत्म मंथन करने का है। एक और उदाहरण इस्त्राइल का भी है जिसने समाप्तप्राय भाषा हिब्रू को राजकाज की भाषा बनाकर जीवनदान दिया है। जिस देश में हिंदी सबसे अधिक प्रचलित भाषा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था कि 'जिन बोलियों से भी हिंदी का निर्माण हुआ हो, वे मानव मस्तिष्क के किसी भी विचार को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने में समर्थ हैं। हिंदी का अपना एक बृहत शब्द भंडार है और गूढ़ विचारों को प्रकट करने के भी उसके पास पूर्ण साधन हैं।

दरअसल किसी देश की सभ्यता व संस्कृति के विकास में उस देश या राष्ट्र की भाषा की अहम भूमिका होती है। इतिहास इस बात की गवाह है कि रोम, ग्रीक आदि देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध रहे हैं। बौद्ध एवं जैन धर्मों के समय में भारत का शिल्प व स्थापत्य, चित्रकला एवं काव्यकला, सर्वोच्च ऊंचाईयों पर थे। यहां के राज दरबारों में विदेशी राजदूत नियुक्त थे। विदेशों से विद्यार्थी तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाने आते थे। मेगस्थनीज, अब्दुल रजाक प्रीति विदेशी यात्रियों ने हमारे देश का भ्रमण करके जो यात्रा वृत्तांत लिखे उनसे भारतीय वैभव व संस्कृति का पता चलता है। चंद्रगुप्त जैसे प्रतापी और चाणक्य जैसे कुशल राजनीतिज्ञ विश्व के इतिहास में दुर्लभ हैं। चाणक्य ने 'अर्थशास्त्र' की रचना अंग्रेजी में नहीं 'संस्कृत' में की थी। लार्ड मैकॉले ने भारतवासियों को इंग्लैंड का बौद्धिक गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हम उसी भाषा के चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा। तेलुगु के महाकवि आचार्य सुब्बाराव ने अपने राष्ट्रीय गीत में यह उद्‌बोधन किया है जिसका भाव यह है कि तुम किसी भी देश में जाओ, जहां भी कदम रखो अपनी मातृ सदृश भारत भूमि को प्रस्तुत करना न भूलो'। अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करना और उससे जुड़े रहने के उदाहरण हमें पौराणिक ग्रंथों में भी मिलते हैं, कहा गया है "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी"।

अब प्रश्न उठता है कि देश में अपनी भाषा को सही स्थान दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा और उनमें कैसे बदलाव कर अभीष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। हिन्दी को आज भावना के स्तर पर नहीं रोजी–रोटी के साथ जोड़ना है तभी लोग हिन्दी को मन से स्वीकार करेंगे।

दुनिया में लगभग 70–80 करोड़ हिन्दी बोलने वाले हैं। भारत के अलावा नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, फीजी, रुस में लाखों प्रवासी हिन्दी भाषी हैं। आज बिल गेट्स भी हिन्दी व भारतीय भाषाओं के महत्व को समझ रहे हैं। उन्होंने भारतीय भाषाओं के लिए कम्प्यूटिंग विकास पर 2000 करोड़ की योजना घोषित की है। अमेरिका में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। हिन्दी के साथ हीनता या पिछड़ेपन के भाव को दूर करना होगा। हिन्दी में काम करने वाला व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता, इस तरह की धारणाओं से ऊपर उठना होगा।

प्रौद्योगिकी एवं हिन्दी का विकल्प

- हिन्दी की अभी तक की यात्रा इसलिए भी पीछे है क्योंकि प्रौद्योगिकी की यात्रा में हिन्दी पीछे है। बड़े–बड़े सॉफ्टवेयर अंग्रेजी में बन जाते है। पर उनमें हिन्दी का इंटरफेस भर लग पाता है। कम्प्यूटरीकरण के नाम पर हमने लोगों को कोर बैंकिंग सोल्यूशन का साधन तो दे दिया है पर क्या वाकई वह समाधान बन पाया है।
- बैंकों के अभी भी ऐसे अधेड़ बुजुर्ग ग्राहक है जो अंग्रेजी का ककहरा नहीं जानते है। उनकी उम्र भर की पूंजी जिसे वे किसी म्युचुअल फंडों में डालकर जोखिम लेने के बजाय सावधि जमा में रखकर सुरक्षित रहना चाहते हैं। वे अब बैंकों में उस सहजता से नहीं आ पाते हैं, भाषा कही एक व्यवधान तो नहीं बन रही है?
- "टैक्स्ट टू स्पीच" ड्रेगन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए लोग फख्र महसूस करते हैं, उसकी बुराई करते नजर नहीं आते, पर श्रुतलेखन सॉफ्टवेयर का संघर्ष जारी है। अपने उच्चारण की कमियों को सॉफ्टवेयर की कमजोरी समझने की मानसिकता हावी है।

अंग्रेजी के मूल शब्द लगभग 10,000 हैं, जबकि हिन्दी के मूल शब्दों की संख्या ढाई लाख से भी अधिक है।

इतिहास के पृष्ठों का अवलोकन यह दर्शाता है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने, इसमें पूरे समाज को जगाने वह इसकी आम व खास सभी को समझ में आने की संभावनाओं को देखते हुए इसे सभी के द्वारा अपनाए जाने की आवाज हिन्दी राज्यों से नहीं उठी थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जो हिन्दी को राजकाज की भाषा बनाने की पैरवी करते रहे थे, संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के प्रयोग के खिलाफ थे। वे ऐसे शब्दों के प्रयोग का अनुमोदन नहीं करते थे, वे सरल हिन्दी बोलते थे और वहीं लिखते थे। वे ऐसी भाषा के सख्त खिलाफ थे जिसके लिए शब्दकोश की मदद लेनी पड़े। हिंदी को संस्कृतनिष्ठ शब्दों से जोड़कर क्लिष्ठ वाक्यों की रचना लगभग 100 वर्ष पहले ऐसे हिन्दी लेखकों द्वारा शुरू की गई जो अपना दबदबा बनाना चाहते थे।

शुरुआत वरिष्ठ तंत्र से

प्रकृति का नियम है पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। उच्च अधिकारियों को ही पहल करनी होगी। उन्हीं से हिन्दी में काम करने की प्रेरणा मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी में लिखी टिप्पणियों का अंग्रेजी अनुवाद न मांगना हिन्दी के प्रति उनके सद्‌भाव का परिचायक बनता है। इसके विपरीत शीघ्रता के नाम पर इन्हें अंग्रेजी में करना हिन्दी के प्रयोग के प्रति अनिच्छा दर्शाता है। वरिष्ठ कार्यपालकों के स्तर छोटी–छोटी टिप्पणियां जैसे 'इसे हिन्दी में ही भेजें', 'क्या यह हिन्दी में नहीं जा सकता था', 'हिन्दी में भेजने में क्या कठिनाई है' जैसी टिप्पणियों का व्यापक असर होता है और स्टाफ सदस्य हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं।

प्रशिक्षण

सेवा में भर्ती के समय हिंदी का ज्ञान भले ही अनिवार्य न हो, पर यदि नौकरी के शुरू के वर्षों में प्राज्ञ / मैट्रिक तक ज्ञान का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं किया जाता, तो स्थितियां बदलेंगी नहीं। इसके अलावा, हिंदी टंकण का प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया जाए। व्यावसायिक प्रशिक्षण का माध्यम व प्रशिक्षण सामग्री में भी हिंदी भाषा की सरलता को स्वीकार करना होगा। यदि नए भर्ती स्टाफ को नौकरी शुरू करते ही हिन्दी में काम करने के प्रशिक्षण को उनके संस्था प्रवेश प्रशिक्षण (Induction Programme) का मुख्य हिस्सा बनाया जाता है, तो स्थितियों में उल्लेखनीय अंतर आएगा। एक बार अंग्रेजी में कार्य करने का अभ्यास होने के बाद उसे छुड़वाना अत्यंत कठिन कार्य है।

हिन्दी पत्राचार बढ़ाने के उपाय

- मसौदे मूल रूप से हिंदी में लिखे जाने चाहिए, अनुवाद नहीं।
- हिंदी का काम केवल हिंदी अधिकारियों का काम नहीं।
- सभी प्रकार के कार्यविधिक साहित्य, मैनुअल कोड और नियमावली द्विभाषिक उपलब्ध हों और वे एक ही जिल्द में आमने–सामने हो।
- फार्म आदि डिगलॉट रूप में हों तभी हिंदी में माने जाएं।
- ई–मेल हिन्दी में भेजने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाए।
- जांचबिंदु प्रत्येक विभाग के लिए हों।
- 'क' एवं 'ख' क्षेत्र का पत्राचार केवल हिन्दी में ही किया जाना अनिवार्य किया जा सकता है।
- केवल रबड़ की मुहर, नामपट्ट, साइनबोर्ड, निमंत्रण पत्र आदि ही हिन्दी में बनाए जाए बल्कि कुछ प्रेरक साइनबोर्ड जैसे 'आपको हिन्दी पत्र का उत्तर हिन्दी में ही देना चाहिए', 'आपने अपना कौन–कौन से कार्य हिन्दी में किए', 'क्या आपने किसी स्टाफ को हिन्दी में कार्य करने में मदद की' लगाने से भी स्टाफ सदस्यों को स्मरण दिलाने का कार्य किया जा सकता है।

अधिसूचित कार्यालयों के लिए विभिन्न विभागों के कुछ अनुभागों को पूर्णतः हिंदी में काम के लिए चुना जाएं।

भाषा की सहजता

महावीर प्रसाद द्विवेदी सरल और सुबोध भाषा लिखने के पक्षधर थे। उन्होंने स्वयं सरल और प्रचलित भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में न तो संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है और न उर्दू और फारसी के अप्रचलित शब्दों की भरमार है। वे गृह के स्थान पर घर और उच्च के स्थान पर ऊंचा लिखना अधिक पसंद करते थे। उन्होंने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी के शब्दों का निःसंकोच प्रयोग किया किंतु इस प्रयोग में उन्होंने केवल प्रचलित शब्दों को ही लिया। महात्मा गांधी ने कहा था एक राष्ट्र भाषा हो भारत की एक हृदय हो भारत जननी को सार्थक बनाने का संकल्प कर और उसे पूर्ण रूप से आचरण में लाएं।

हिन्दी सम्मेलनों की भूमिका

हिन्दी की सहजता व सरलता को प्रतिपादित करने के लिए निरंतर अपना मत रखने के लिए ऐसे सम्मेलनों का आयोजन उपयोगी है।

हिन्दी कार्यशालाएं

- भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यालय के प्रत्येक स्टाफ का वर्ष में एक बार हिन्दी कार्यशालाओं को प्रशिक्षण अवश्य दिया जाए।
- प्रशिक्षण यदि डेस्क आधारित हों तो अधिक उपयोगी हो सकते हैं।
- कार्यालय की कार्य प्रकृति के अनुरूप विशिष्ट कार्यशालाएं भी आयोजित की जा सकती है।

सप्ताह में एक या दो दिन केवल हिन्दी में कार्य करने का प्रयोग

सप्ताह के सभी दिन स्टाफ सदस्य प्रायः अंग्रेजी में कार्य करते हैं। क्या इस दिशा में सोचा जा सकता है कि सप्ताह में एक या दो दिन कार्यालयीन कार्य केवल हिन्दी में करने की परंपरा शुरू की जा सकती है। शुरू में यह हास्यस्पद लग सकता है। किंतु संभव है कि इससे स्टाफ सदस्यों में हिंदी में काम करने की आदत पड़े।

राजभाषा प्रगति की समीक्षा

समीक्षा के लिए वार्षिक समयबद्ध कार्यक्रम में यथा निर्धारित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाने वाली बैठकों के साथ–साथ विभाग–वार समीक्षा बैठकों में भी वरिष्ठ तंत्र द्वारा हिन्दी के कार्य का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाना अपेक्षित है। यदि हम अपने सक्रिय जीवन में हिन्दी को उसके पद पर आसीन कर पाए, उसे विश्व भाषा का दर्जा दिलाने के साथ–साथ अपने राजकाज में सहजता से प्रयोग में ला पाए तभी हमारे प्रयास सार्थक हो पाएंगे। कहते हैं कि अपनी भाषा आपकी आंख होती हैं और विदेशी भाषा चश्मा। आंख का स्थान भला चश्मा कैसे ले सकता है। दुनिया को किसी रंगीन चश्में से नहीं अपनी आंखों से देखेंगे तो ही आत्माभिमान व राष्ट्राभिमान रख पाएंगे।

डॉ. राही मासूम रजा ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि जिस भाषा में नेता वोट मांगते है, वहीं सही अर्थों में राष्ट्र की भाषा है और जिस भाषा में आप दुकानदार से चीजों का मोलभाव करते हैं, वहीं सही मायने में बाजार की भाषा है। आजकल पूरे देश में चुनाव की सरगर्मियां देखी जा रही है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक जहां–जहां जनसैलाब फैला था वहां राजनेताओं ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस भाषा में उनके विज्ञापन बने, वह भाषा कोई और नहीं, हिन्दी ही है। द्विभाषिकता की सुविधा वाला डाटा जैसे पैकेज विकसित किए जाने पर जोर दिया जाना बेहद जरूरी है।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने एवं अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु किये जा सकने वाले उपाय

नगेन्द्र कुमार सिंह,
सहायक प्रबन्धक (राजभाषा)
इण्डियन ओवरसीज बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)

भारत में तमाम विविधताओं के बावजूद भी एकता है। भाषा, रंग – रूप, संस्कृति, रहन – सहन, आचार – विचार सब में विविधता व्याप्त होते हुए भी हम एकता रूपी एकसूत्र में बँधे हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामाख्या तक की एक झलक देखने से – इस बात की पुष्टि हो जाती है। परंतु, भाषायी रूप में विश्व पटल पर यदा कदा हमारी पहचान और अस्तित्व सिर्फ एक ही भाषा से है – वह है हिन्दी। भारतीय संविधान के भाग नं 17 में उल्लेखित धारा नं. 343 के अनुसार 'संघ की भाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी होगी '। इस धारा के अनुसार भारत में तमाम विविधताओं के बावजूद भी भारतीय संविधान ने भाषायी स्तर पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी को एकसूत्र में बाँधने का प्रयास किया है। धारा 343 का आशय स्पष्ट है संघ की भाषा अर्थात केन्द्र सरकार के कार्यालयों की कामकाज की भाषा सिर्फ और सिर्फ हिन्दी होनी चाहिए। हिन्दी को संघ की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने में तमाम विवादों, विरोधाभासों एवं संवेदनशील मुद्दों का सामना करना पड़ा है। तमाम विरोधों से प्रतिष्ठित हुई हिन्दी को कार्यालयीन कामकाजों में सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए शुरू से ही जद्दोजहद करनी पड़ी है। जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट किया है भारत विविधता संपन्न देश है –विभिन्न भाषा – भाषी समुदायों के मनोभावनाओं को ठेंस न पहुँचे, इसके लिए केन्द्र सरकार के द्वारा द्विभाषिक एवं त्रिभाषिक सूत्रों का सूत्रपात किया गया।

बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु राजभाषा नियम 1976 के अनुसार, संघ के सभी राज्यों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया – 'क', 'ख' एवं 'ग' के रूप में। समयानुसार, इन वर्गों में राज्यों का परिवर्तन करना यह गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के कर्मठता को दर्शाता है। जैसा कि विदित है भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि संघ के सभी राज्य 'क' क्षेत्र में शामिल हो जाए अर्थात सभी क्षेत्र हिन्दी में कार्य करें। जिसके लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक लक्ष्य केन्द्र सरकार के सभी प्रतिष्ठानों एवं उपक्रमों के मुख्यालयों के प्रमुख को प्रेषित किया जाता है और माननीय प्रमुख महोदय वह पत्र राजभाषा प्रभारी को अग्रेषित कर देते हैं और राजभाषा प्रभारी एक परिपत्र जारी कर अपने अधीनस्थ कार्यालयों को वार्षिक लक्ष्य से अवगत करवाते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशानिर्देश भी दिया जाता है कि कैसे जाँच बिन्दु बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। पर क्या लक्ष्य बनाकर सारे कार्यालयों में उसे भिजवा देने भर से ही हिन्दी का बेहतर कार्यान्वयन संभव है?

क्या राजभाषा का कार्यान्वयन सही ढंग से करवाने की जिम्मेवारी सिर्फ राजभाषा अधिकारी की ही होती है ? राजभाषा नियम 12 के अनुसार किसी भी कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी अनुपालन की जिम्मेवारी प्रशासनिक प्रधान की होती है न कि राजभाषा अधिकारी की। राजभाषा अधिकारी राजभाषा की उत्कृष्ट कार्यान्वयन में सिर्फ मदद कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वह प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकता है, पर जबरदस्ती हिन्दी में कार्य करने हेतु दबाव नहीं डाल सकता है। वह भारतीय संविधान में उल्लेखित हिन्दी संबंधी धाराओं से अवगत करवा सकता है पर संविधान की अवहेलना करने से किसी को रोक नहीं सकता है ।

जब तक राजभाषा अधिकारी बिना अधिकार वाले अधिकारी रहेंगे, तब तक राजभाषा का कार्यान्वयन बेहतर ढंग से करना असंभव कार्य है। उन्हें लक्ष्य दे दिया गया है कि ग क्षेत्र में 55% प्रतिशत हिन्दी में पत्राचार करवाएँ और 30 प्रतिशत हिन्दी में नोटिंग करवाएँ । 25% अपने अधीनस्थ शाखाओं का निरीक्षण करें, प्रतिमाह / तिमाही में एक कार्यशाला आयोजित करना सुनिश्चित करें इत्यादि– इत्यादि। लेकिन इन कार्यों को पूरा करने के लिए राजभाषा अधिकारी को क्या अधिकार दिया गया है। प्रथमतः भारतीय संविधान में उल्लेखित हिन्दी संबंधी सारी जानकारियों से विभागाध्यक्ष को रूबरू करवाना आवश्यक है और उन्हें अपनी जिम्मेवारी का उचित ढंग से निर्वाह करने के लिए सतर्क करना अनिवार्य है। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों, गृह मंत्रालय को प्रति वर्ष सभी कार्यालयों के विभागाध्यक्ष हेतु संगोष्ठी आयोजित करनी चाहिए और हिन्दी के बेहतर कार्यान्वयन हेतु विचार विमर्श करना चाहिए एवं इस संगोष्ठी में विभागाध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। समकालीन समय में हिन्दी के विषय में लोगों के मन में बनी हुई अनुपयोगी कार्य की धारणा बदलना भी राजभाषा विभाग के लिए एक चुनौती है।

इच्छा से हिन्दी अपनाने के लिए छोड़ने का नतीजा अबतक, हमारे सामने है। संविधान निर्मित होने के 64 वर्ष बाद भी हम हिन्दी को कितना लागू करवा पाए है, इसका नमूना आप किसी भी मंत्रालय के कुछ विभागों का निरीक्षण करके ही ज्ञात कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है आज थोड़ी सी सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है ? सबसे पहले जो भी लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश राजभाषा विभाग को दिया जाता हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यथासंभव अधिकार भी दिया जाए।

स्टाफ सदस्यों को हिन्दी परीक्षा प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ उत्तीर्ण होने पर कुछ प्रोत्साहन राशि देने के बजाय, उस व्यक्ति को वह पाठ्यक्रम पदोन्नति में सहायता प्रदान करें ऐसा कोई मार्ग तैयार करवाएँ, क्योंकि रूपये लेने के पश्चात इंसान हिन्दी की हर वह सीख भूल जाता है जिसे कि हिन्दी प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाता है। हिन्दीत्तर भाषी को तो हम हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो हिन्दी जानते हैं उन्हें हम हिन्दी में कार्य करने पर कौन सा विशेषाधिकार दे रहे हैं, उस पर भी विचार मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि आज के दौर में हिन्दी भाषीयों से भी हिन्दी में कार्य करवाना एक चुनौती ही है। मेरा मानना है प्रोत्साहन के रूप में हिन्दी सभी लोगों के पदोन्नति में सहायता प्रदान करें, ऐसा कोई उपाय किया जाए। पदोन्नति के दौरान साक्षात्कार में ही कुछ अंक हिन्दी अनुपालन करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाए। ऐसा करके ही हम स्टाफ सदस्यों को मूल रूप से हिन्दी के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

प्रायः सभी संस्थाएँ अपनी अपनी गृह पत्रिका प्रकाशित करती है। इस

पत्रिका में स्टाफ सदस्यों को रचना प्रकाशन हेतु भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिन स्टाफ सदस्यों की रचना उनकी गृह पत्रिका में प्रकाशित होती है या उन्हें केन्द्रीय कार्यालय से प्रशस्ति पत्र प्राप्त होता है तो उस प्रशस्ति पत्र को सदस्य के मेम्बर फाईल में भी रखी जाए। गोपनीय रिपोर्ट में हिन्दी में प्रकाशित रचनाओं से संबंधित एक कॉलम भी दी जाए और हिन्दी में प्रकाशित रचनाओं पर कुछ अंक भी निर्धारित किये जाए। ऐसा करके हम स्टाफ सदस्यों के रचनाधर्मिता को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें हिन्दी में अत्यधिक कार्य करने हेतु प्रेरित भी कर सकते हैं।

हिन्दी के लिए दोहरे विचारों पर अंकुश लगाना होगा। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर प्रतिवेदन का आठवाँ खण्ड राष्ट्रपति जी को दिनांक 16.08.2005 को प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें एक सिफारीश यह भी थी कि भारत सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा संवर्ग तैयार किये जाये जिससे कि राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े लोगों की पदोन्नती में सहायता मिलें। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार किया है कि जहाँ आवश्यक हो राजभाषा संवर्ग तैयार करें, जहाँ संभव नहीं हो वहाँ पदोन्नति के अन्य मार्ग तैयार करवाएँ। आज भी ऐसे बहुत संगठन है जहाँ पर राजभाषा संवर्ग गठित होने के बावजूद भी राजभाषा कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को उचित पदोन्नति नहीं दिया जाता है। हिन्दी के संयुक्त निदेशक का पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसी और व्यक्ति को दे दिया जाता है जिनका हिन्दी से कोई जुड़ाव ही नहीं है लेकिन हिन्दी कार्य से जुड़े व्यक्ति को इससे वंचित रख रहे हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नही होगा कि बहुत से मंत्रालयों में राजभाषा संवर्ग की स्थापना, बस एक खानापूर्ति करने भर हुआ है। जब तक हमारे बातों में दोहरापन रहेगा, हिन्दी का विकास असंभव है। मेरा मानना है जब तक स्टाफ सदस्य खुश नहीं रहेंगे तब तक वह अपने संगठन को अपना सर्वस्व नहीं दे सकते हैं। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि संगठन का विकास स्टाफ सदस्यों पर निर्भर है।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा विभाग को कुछ अधिकार देने होंगे। जैसे हिन्दी कार्यशाला, यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संगोष्ठी तिमाही रूप में आयोजित करने का अधिकार राजभाषा विभाग के पास होनी चाहिए एवं इस कार्यक्रम हेतु नामांकित सदस्य का उपस्थित न होने पर इसे उच्च प्रबंधन द्वारा गंभीर मुद्दों के रूप में लेना चाहिए। हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण सदस्यों द्वारा हिन्दी में कार्य न करने वाले स्टाफ सदस्यों के लिए कठिन प्रावधान होने चाहिए। जबतक हम हिन्दी के लिए सख्त रवैया नहीं अपनाएंगे, तब तक हिन्दी का कल्याण संभव नहीं है।

सिर्फ द्विभाषिक या त्रिभाषिक बोर्ड बनाकर, रबड़ स्टाम्प बनाकर और कुछ फाइलों के शीर्षक द्विभाषिक लिख भर देने से हिन्दी का कार्य खत्म नहीं हो जाता है। हिन्दी का प्रयोग पत्राचार में करना, स्टाफ सदस्यों द्वारा सभी आवश्यक आवेदन द्विभाषिक रूप में प्रस्तुत करने से हिन्दी का लागू सरकारी कार्यालयों में होगा। जब तक शीर्ष पर विराजमान लोग हिन्दी को सम्मान नहीं देंगे, उसे कार्यालयी कामकाज में उपयोग नहीं करेंगे, तब तक उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी हिन्दी को नहीं अपनाएंगे। आइ.ए.एस और आइ.पी.एस अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वे अपना कार्यालयी कामकाज हिन्दी में कर सकें और उनसे प्रेरित होकर, उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी हिन्दी में कार्य कर सकें। लेकिन ऐसे कितने अधिकारी हैं जो प्रशासन के हिस्सा बनने के बाद हिन्दी में कार्य कर रहे हैं।

इस प्रशिक्षण की मूल को हमारे शीर्ष पर विराजमान अधिकारी शायद समझ नहीं पाते हैं कि इस प्रशिक्षण के पीछे भारत सरकार का उद्देश्य क्या है ? भारत सरकार प्रशासनिक भाषा में एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण सभी अधिकारियों को देती है।

द्विभाषिक प्रारूप तैयार करने की स्थिति जो बनी हुई, उसका समापन करना अति अनिवार्य है। स्टाफ सदस्यों के लिए हम द्विभाषिक फार्म तैयार तो कर देते हैं, पर ऐसे कितने कर्मचारी है जो हिन्दी में फार्म भरते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ स्टाफ सदस्यों के लिए हिन्दी में फार्म तैयार करने होंगे, जिससे कि फार्म भरते वक्त उनके पास हिन्दी के अलावा अन्य कोई विकल्प ही न हो। किंतु ग्राहकों हेतु द्विभाषिक/ त्रिभाषिक फार्म तैयार करना ही उचित है क्योंकि व्यवसाय क्षेत्रीय भाषा में ही सुलभता से की जा सकती है। स्थिति ऐसी उत्पन्न करनी होगी कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के पास हिन्दी में कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग ही न बचें। यदि उन्हें प्रशिक्षण चाहिए, तो उसकी उचित व्यवस्था की जाए। इसके लिए सभी कार्यालयों के जाँच बिन्दु विभागाध्यक्ष को बनाएँ। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग सक्रिय रूप से समय समय पर अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें और निरीक्षण के दौरान पायी जाने वाली कमियों पर सख्त कार्रवाई करें।

कभी – कभी हमें अन्य देशों को देखकर कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। चीन, रूस, फ्रांस आदि ऐसे अनेक देश हैं जो कार्यालयी कामकाज अपनी – अपनी देश की भाषाओं में कर रहे हैं। हमें उन देशों को देखकर क्यों लज्जा का आभास नहीं होता है ? हमारे राजनेता जिन देशों की विकास का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं या हमेशा बाहर के देश ही उनके चर्चा के केन्द्र में रहते हैं, क्यों उनकी दृष्टि उस देश की भाषा पर नहीं जाती है ? क्यों उन्हें यह आभास नहीं होता कि उस देश की विकास में वहां की क्षेत्रीय भाषा की कितनी अहम योगदान है। हमें हिन्दी की विकास के लिए प्रिंट मीडिया एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का भी भरपूर सहारा लेना चाहिए। हिन्दी में राजकाज करने हेतु इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के द्वारा लोगों से अपील करनी चाहिए। विज्ञापन का सहारा लेकर हमें सहज, सरल एवं सुबोध हिन्दी में कार्य करने हेतु लोगों तक अपनी संदेश पहुँचानी चाहिए।

निष्कर्षतः मैं यहीं कहना चाहता हूँ हमारी कथनी और करनी में सामंजस्य होनी चाहिए। हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रबल इच्छाशक्ति सभी कर्मचारियों में होनी चाहिए। आप यह कहकर कत्तई हिंदी से मुँह नहीं मोड़ सकते हैं कि हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं है या हिन्दी का मुझे कार्यसाधक ज्ञान नहीं है। हिन्दी को अपनाना हमारी लाचारी नहीं बल्कि हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। जिस भारतीय संविधान के आगे सारे विश्व नतमस्तक है, हमें उस संविधान के सम्मान हेतु हिन्दी को अपनाना चाहिए। जनता तक पहुँचने के लिए, अपना कारोबार फैलाने के लिए हमें हिन्दी में अपना दैनिक कार्यालयी कामकाज करना चाहिए। हमारी संप्रेषण शक्ति जितनी प्रभावशाली होगी, उतनी ही जल्द वह हमें आम जनता से जोड़ेगी। यह कहने कि आवश्यकता नहीं है कि हिन्दी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा में अपना कारोबार का विस्तार करना, बहुत ही लाभप्रद होगा एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी की ख्याति बढ़ेगी।

हिन्दी पत्रकारिता का आरम्भ भारत के उन क्षेत्रों से हुआ जो हिन्दी–भाषी नहीं थे।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने एवं अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु किए जा सकने वाले उपाय

श्रीमती नीना लाम्बा, उप महाप्रबंधक
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई

महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं हिन्दी के जरिए प्रांतीय भाषाओं को दबाना नहीं चाहता किंतु उनके साथ हिन्दी को भी मिला देना चाहता हूं। भारत में स्वतंत्रता के बाद संसदीय लोकतंत्र लगातार मजबूत हुआ है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे लोकतंत्र है जहां अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के बावजूद सबको बराबरी का हक मिला है। जहां स्त्री और पुरुष के बीच कोई असमानता नहीं है बल्कि भारत में महिलाएं सभी क्षेत्रों में शीर्ष पर पहुंची हुई है।

निज भाषा उन्नति अहै सव उन्नति कौ मूल

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल

गांधीजी ने 1917 में ही भलीभांति यह समझ लिया था कि जिस भाषा (हिंदी) का देश में इतना प्रचार है, उसकी बराबरी करने के लिए अंग्रेजी जिसे एक लाख हिंदुस्तानी भी ठीक ढंग से समझ नहीं सकते, क्यों कर समर्थ हो सकती है। आज तक हमारा देशी काम और व्यवहार हिंदी में नहीं हो रहा है, इसका मुख्य कारण हमारी भीरूता, भाषा अश्रद्धा और हिंदी के गौरव के प्रति अज्ञानता है। यदि हम भीरूता छोड़ दें, श्रद्धावान बने और हिंदी का महत्व समझ लें, तो जिस प्रकार महात्मा गांधी ने बीबीसी के रिपोर्टर से कहा था कि जाओ, दुनिया को बता दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया। क्या यह आत्मविश्वास भरी भाषा हम कभी बोल पाएंगे।

हम अक्सर चारों ओर यह पैरवी होते देखते हैं कि हमें अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए। पर हिंदी क्यों नहीं इसके लिए हम कोई दलील, कोई तर्क देना ही नहीं चाहते।

इतिहास हमें बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है। 1362 में ब्रिटिश संसद में पहली बार फ्रेंच भाषा के स्थान पर अंग्रेजी के प्रयोग का सवाल उठा तो बहुत से अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था। बाद में अंग्रेजी पूरे देश और विश्व में फैला दी गयी और अंग्रेजों का सूर्यास्त नहीं होता यह प्रमाणित ही नहीं हुआ और अब तक हम यह मान ही नहीं पा रहे है यह समझना ही नहीं चाहते हैं कि दुनिया में कई देश है जो फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी भाषा में अपने देश का कामकाज कर रहे है। उन्हें अंग्रेजी की अनिवार्यता महसूस नहीं होती।

आज विश्व में हिंदी पढ़ी लिखी व समझी जा रही है। दक्षिण भारत का विरोध भी अब अतीत की बात हो चुकी है। रुस में हिंदी के अनेक लेखकों की पुस्तकों के अनुवाद हो रहे हैं। मारीशस, सूरीनाम, त्रिनिदाड, फीजी, बर्मा, आयरलैंड में हिंदी भाषियों की संख्या बढ़ रही है। किसी भी भाषा का राजकीय सम्मान का फरमान अलाकमान से ही आता है। इतिहासविज्ञ जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थान में मारवाड़ के शासकों द्वारा 1884 में दो राज्याज्ञाएं जारी की गई थीं जिसमें उन्होंने हिन्दी में काम करने के आदेश दिए थे। मारवाड़ रियासत ने महर्षी दयानंद की प्रेरणा से ऐसे आदेश जारी किए थे। उस समय रियासत में फारसी शब्दों का उपयोग बहुत होता था। मारवाड़ के शासकों ने प्रजा की परेशानी को देखते हुए हिन्दी में काम करने आदेश दिए थे।

इतिहास के पृष्ठों का अवलोकन यह दर्शाता है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने, इसमें पूरे समाज को जगाने वह इसकी आम व खास सभी को समझ में आने की संभावनाओं को देखते हुए इसे सभी के द्वारा अपनाए जाने की आवाज हिन्दी राज्यों से नहीं उठी थी। भाषा मानवीय जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करता है, उन्हें दूसरे व्यक्तियों तक संप्रेषित करता है, इसके साथ ही भाषा समाज में भी विभिन्न मानवीय संबंधों की एकता की कड़ी होती है. विदेशी कंपनियों ने भी भारत में अपने व्यवसाय के प्रसार के लिए हिन्दी के महत्व को समझा है। उनके विज्ञापन हिन्दी में हैं, अनेक देशों में हिन्दी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। कई विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। हिन्दी पूरे विश्व में संपर्क भाषा की भूमिका पर खरी उतर रही है।

हिन्दी भारतीय अस्मिता की द्योतक है और विश्व में हिन्दुस्तान की पहचान है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने 'निज भाषा उन्नति अहै सव उन्नति कौ मूल बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल' लिखकर भारतीय नवजागरण में अपनी भाषा के महत्व का जो शंखनाद किया उससे सभी भलीभांति परिचित है। आर्य समाज के महर्षि दयानंद सरस्वती हों या फिर महात्मा गांधी, तिलक, पटेल या दूर बंगाल की भूमि में जन्मे सुभाष चन्द्र बोस सभी ने भारतीय जनमानस को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किया। जरा सोचिए, 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा', 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' जैसे नारे जब आज भी हमें उद्वेलित करते हैं तो उस जमाने में उनका कितना प्रभाव पड़ा होगा। उसी समय राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद हों या फिर मुंशी प्रेमचंद सभी ने इस भाषा के माध्यम से देशवासियों के बीच राष्ट्रप्रेम का सूत्रपात किया और अब महाकवि प्रसाद की यह पंक्तियां "जिएं तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, न्यौछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष।" जब आजादी मिली तो राजकाज की भाषा के प्रबल दावेदार के रूप में हिन्दी ही उभरी। संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा गया 'देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी संघ की राजभाषा होगी' और 14 सितंबर 'हिंदी दिवस' के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 पारित हुए, पर अंग्रेजी की बैसाखियों को 15 वर्ष के लिए रखते हुए हिन्दी चल तो पड़ी पर 15 वर्ष का पांच गुना होने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। हम उसी पर विचार कर रहे हैं।

हमारे पास बहुत सुंदर अतीत है जिसमें बड़े राजनेताओं के अभिभाषण हैं, उनकी सूक्तियां हैं, उनकी प्रेरणा है, उनके संकल्प हैं और एक सुंदर सी दूसरी तस्वीर भी है जो यह बताती है कि विश्व के 150 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। विश्व बैंक में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति हो रही हैं। कई दिग्गजों की वेबसाइट हिन्दी में भी उपलब्ध हो रही हैं।

हिन्दी कभी राजाश्रय की मुहताज नहीं रही।

शिकागो, कैलीफोर्निया, पेंसिलवेनिया, वॉशिंग्टन आदि 24 विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्ययन की व्यवस्था है। मॉन्ट्रियल, ओटावा, कनाडा, मास्को, लंदन, बर्लिन, बॉन, हैम्बर्ग, ज्यूरिक, ओस्लो, नेपल्स, वेनिस, वॉरसॉ (पोलैन्ड), कोपेनहेगन (डेनमार्क), टोक्यो, बुडापेस्ट (हंगेरी), पेचिंग में 150 विश्वविद्यालयों में पीएचडी स्तर तक हिन्दी पढ़ाई जाती है। विदेशों में अनेक पत्र व पत्रिकाएं निकल रही हैं। बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, जर्मनी के रेडियो कोलोन की हिन्दी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुंशी प्रेमचंद की निर्मला, तुलसीदास का राम चरित मानस, यशपाल का झूठा सच, रेणु का मैला आंचल, रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाएं, गोदान कई विदेशी भाषाओं में अनूदित हो चुकी हैं। जब चीनी, जापानी विद्यार्थी नालंदा पढ़ने आए थे तो उस समय अंग्रेजी कहां थी।

कार्यपालकों की जिम्मेदारी

राजभाषा नियम 12 कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय करता है कि उन्हें कार्यालय में राजभाषा का प्रयोग सुनिश्चित करवाना है। जब तक वरिष्ठ तंत्र हिन्दी के काम को सामान्य कामकाज के अलग मानने का भाव रखेंगे तब तक हिन्दी के प्रयोग की जिम्मेदारी के लिए कार्यालय के समस्त स्टाफ को कहने सुनने के लिए राजभाषा अधिकारी केवल संघर्ष ही करना रहेगा।

वरिष्ठ अधिकारियों को छोटी–छोटी टिप्पणियां लिखने, हिन्दी नोटों पर प्रशंसात्मक टिप्पणी देने, विभिन्न बैठकों में बातचीत हिन्दी में करने, राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने का सुझाव देने, प्रोत्साहन व कार्यान्वयन की निरंतर समीक्षा करने जैसे प्रयासों में गंभीरता बरतनी होगी तभी कार्यान्वयन के प्रति अधीनस्थ स्टाफ कटिबद्ध होगा।

हिन्दी प्रशिक्षण की अनिवार्यता

सरकारी कार्यालयों में भर्ती के समय ही यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के समय ही उन्हें हिन्दी में काम करने के प्रशिक्षण की, उसके महत्व की जानकारी दी जानी चाहिए। प्राज्ञ तक के हिन्दी ज्ञान की अनिवार्यता के साथ–साथ घोषणा के आधार पर हिन्दी ज्ञान है कह कर प्रशिक्षण से छूट नहीं दी जाये। इसके साथ ही हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए संस्थाएं कुछ विशेष पाठ्यक्रमों एवं प्रोत्साहनों पर विचार करें ताकि मूल रूप से हिन्दी में काम करने वाले स्टाफ का प्रतिशत बढ़ सके।

सभी स्टाफ के लिए हिन्दी टंकण का ज्ञान अनिवार्य किया जाये।

सहायक सामग्री

जिस प्रकार अंग्रेजी में कार्यविधि साहित्य, कोड, मैनुअल व नियमावली तैयार की जाती है, उसी प्रकार ऐसी सामग्री द्विभाषिक ही तैयार की जाए।

हिन्दी पत्राचार बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास

- ☐ 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में ही पत्राचार करने के आदेश दिये जाने चाहिए।
- ☐ 'ग' क्षेत्र के साथ 4–5 पंक्तियों तक के पत्र एवं रूटीन प्रकृति के पत्राचार डिग्लाट फार्म में द्विभाषिक तैयार किये जाने चाहिए।
- ☐ हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जाये। उनके अंग्रेजी अनुवाद व मांगे जाए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

तिमाही आधार पर की जाने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बैठक में विचारणीय विस्तृत कार्यबिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की जानी अपेक्षित है ताकि तिमाही आधार पर विभिन्न कार्यमदों की समीक्षा संभव हो सके और उनके सुधार की दिशा में प्रयास किये जा सके। वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए जारी जांच बिंदुओं के अनुसार राजभाषा के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।

भाषा की सरलता

कबीर के शब्दों में भाषा बहता नीर है, इसे सरल और बोधगम्य बनाने के लिए अन्य भाषाओं के शब्दों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने होंगे। यहां तक कि अंग्रेजी शब्दों के सही पर्याय नहीं मिल पाएं तो उन्हें देवनागरी में भी स्वीकार करना होगा। किसी भी भाषा से जो शब्द आ रहे हैं, उन्हें ग्रहण करना ही होगा तभी भाषा समृद्ध होगी। उसमें जीवंतता आएगी और प्रवाह भी बढ़ेगा।

प्रोत्साहन योजनाएं

संस्थाओं/कार्यालयों में कार्यान्वित की जा रही प्रोत्साहन योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाये जाने की आवश्यकता है। सिर्फ प्रोत्साहन योजनाओं को आकर्षक बनाना ही नहीं, उनके अनुप्रवर्तन की भी जरूरत है। अक्सर यह देखा गया है कि हिन्दी प्रतियोगिताओं में बढ़–चढ़ कर शामिल होने वाले व्यक्ति मूल रूप से हिन्दी में कुछ भी काम नहीं करते है। आवश्यकता इस बात की है कि लोग अपना काम स्वयं हिन्दी में करें न कि अनुवाद पर निर्भर हो।

प्रौद्योगिकी और हिन्दी

कोर बैंकिंग सोल्यूशन के कारण बैंकिंग कामकाज में काफी बदलाव आये है। मानव संसाधन विषयक अधिकांश काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तनों को द्विभाषिक रूप से ही जारी किये जाने की अनिवार्यता तय की जानी चाहिए।

परमात्मा

आपने वह चित्र देखा होगा, जिसमें कृष्ण सब में छिपे हैं, गाय में भी, वृक्ष में भी, पत्ते में भी, सखियों में भी। वह किसी कवि की कल्पना नहीं है, और वह किसी चित्रकार की सूझ नहीं है। वह किन्ही अनुभवियों का अनुभव है। एक बार आपको अपनी प्रतीति हो जाए शरीर से अलग, तो आपको पता लगेगा कि यही चैतन्य सभी तरफ बैठा हुआ है। इस चैतन्य की मौजूदगी ही परमात्मा की मौजूदगी का अनुभव है। जिस क्षण आप शरीर से हटते है, यह पहला कदम। दूसरे ही क्षण आप अपने से भी हट जाते हैं, वह दूसरा कदम। शरीर के साथ मैं एक हूं, इससे अहंकार निर्मित होता है। शरीर के साथ मैं एक नहीं हूं, अंहकार टूट जाता है।

"ओशो"

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने एवं अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु किए जा सकने वाले उपाय

सोनी कुमार, राजभाषा अधिकारी,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

भाषा मानव जीवन की वो सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मानव समाज अपनी सभ्यता संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान आदि को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता आया है। आज हमारे पास मानव संस्कृति की जो भी विचारधाराएं, प्रथाएं, रीति–रिवाज, संस्कार या वैज्ञानिक तकनीकें आदि मौजूद हैं या संरक्षित है उन्हें मानव ने भाषा के द्वारा ही अपनी संततियों के माध्यम से आगे हस्तांतरित और संरक्षित किया तथा मानव उनमें अपनी आवश्यकतानुरूप सुधार करता चला गया। भाषा ने ही मानव जीवन को सजीव बनाया अन्यथा यह मानव जीवन अत्यंत नीरस होता। यह भाषा ही है जिसने मानव के मूक जीवन को अभिव्यक्ति की शक्ति दी। फिर चाहे वह अभिव्यक्ति का लिखित रूप हो या मौखिक रूप। जब हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से वयक्त करते हैं तो एक अलग ही संतुष्टी मन को मिलती है और जब यह अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में की जाए तो पूर्ण आत्मसंतुष्टि मिलती है। ऐसा है यह भाषा का जादू।

भारतवर्ष अपनी सभ्यता–संस्कृति व भाषाओं के लिए प्राचीन काल से ही विश्वभर में प्रसिद्ध रहा है। लगभग समग्र विश्वर भारत के प्रत्येक क्षेत्र की अलग संस्कृति व भाषा पृथक विशेषता से परिचित है। इसीलिए भारत को अनेकता में एकता के लिए भी जाना जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति के अनेकों मोतियों को एकता के सूत्र में पिरोने वाली भी भाषा ही है। भारतवासी प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेकों भाषाओं की सरसता का आस्वादन करते रहे हैं। समय–समय पर अलग–अलग भाषाएं भारतवासियों के उद्‌गार व्यक्त करने का माध्यम बनीं। संस्कृत तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा रही ही है। इसके अतिरिक्त अनेकों भाषाओं ने भारत में ख्याति प्राप्त की और भारतवासियों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनीं। कभी पालि, कभी प्राकृत, कभी अरबी, कभी फारसी, कभी अंग्रेजी और अब इस गौरव को हिंदी ने प्राप्त किया है। विदेशी शासनकाल में जिस भारतीय भाषा ने सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोया वह हिंदी भाषा ही थी और इस विशेषता के कारण ही हिंदी को आजादी के बाद राजभाषा का दर्जा दिया गया।

आज हमारी राजभाषा का प्रसार समग्र भारत में तो हो ही चुका है साथ ही यह विदेशों में भी अपना शंखनाद कर चुकी है। इस गौरवमयी विशेषता के बावजूद अभी कुछ भारतीयों विशेषतः युवा वर्ग में से कुछ को हम अपनी राजभाषा हिंदी के प्रति निरुत्साहित देखते हैं। आमतौर पर कई युवाओं को हमने यह भी कहते सुना होगा कि हमने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की है। इसलिए हिंदी हमें नहीं आती। इसका मुख्य कारण हम भारतीयों में अपनी भाषा के प्रति उस प्रेम और उत्साह का अभाव है जो हर नागरिक के मन में अपनी मातृभूमि व देश के प्रति होता है। हमारी हिंदी भाषा के मूल रूप से अधिकांशतः प्रशासनिक कार्यों में उपेक्षित होने का कारण भी यही है। वो बात अलग है कि एक लंबे अरसे तक अंग्रेजी सल्तनत ने हमारे देश पर राज किया जिसका प्रभाव अभी भी हमारे राजकार्यों में दृश्यसमान है परंतु ऐसा नहीं है कि हम अपनी भाषा में काम नहीं कर सकते बल्कि अपनी भाषा में काम करके तो प्रगति के चरम पर पहुँचा जा सकता है। बस इसके लिए तो हमें अपनी मानसिक धारणा को बदलना है और इस बात को समझना है कि हमारी राजभाषा हिंदी का प्रयोग ही हमारे लिए सर्वोपरि व सर्वोपयोगी है। इस बात को जिस दिन भली–भांति जान व समझ लिया जाएगा हिंदी भाषा का प्रयोग स्वएतरू बढ़ने लगेगा और अपनी विकास गति को निश्चित रूप से बढ़ा सकेंगे।

राजभाषा का प्रयोग समग्र भारत में बढ़ाने के लिए या समग्र भारत को हिंदीमय करने के लिए अनेकों भारत सरकार ने अनेकों उपाय किए हैं जिसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है परंतु अभी लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई है। अतः इस दिशा में और ज्यादा कार्य किए जाने की जरूरत हैं। राजभाषा के प्रयोग को द्रुत गति देने के लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं लेकिन ये उपाय तभी कारगर होंगे जब इन पर गंभीर अमल फरमाया जाए तथा इनका प्रभावी कार्यान्वायन भारत सरकार के कार्यालयों के साथ–साथ प्रत्येक भारतीय अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी सुनिश्चित करे। आइए जानें कि अपनी राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में क्या–क्या उपाय किए जा सकते हैं :

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने हेतु उपाय :

- ☐ सभी विद्यालयों, भले ही वे सरकारी हों या निजी, में पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक हिंदी विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए, जिससे बच्चों में भाषिक आधार तैयार हो सके।
- ☐ पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों (विशेष रूप से भाषिक क्षेत्र ख और ग में) को 'विशेष हिंदी पुरस्कारर योजना' के तहत पुरस्कार प्रदान किया जाए, ताकि वे अधिकाधिक हिंदी प्रयोग के प्रति प्रेरित हों।
- ☐ विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्विविद्यालयों में पदस्थो हिंदी अध्यापकों/प्राध्यापकों व अन्य क्षेत्रीय भाषा अध्यापकों/प्राध्यापकों द्वारा तिमाही आधार पर एक 'भाषिक दक्षता कार्यशाला' का आयोजन भी किया जा सकता है जिसमें बच्चों की भाषिक दक्षता को जाँचा जाए। तदनुसार उनकी भाषिक आवश्यकतानुरूप आवश्यक उपाय जैसे– वाचन, लेखन, वाक्य–शुद्धीकरण आदि किए जा सकते हैं।
- ☐ विद्यालयों/महाविद्यालयों में 'विशेष हिंदी भाषा दक्षता अभियान' भी चलाया जा सकता है, जिसमें समयानुसार हिंदी स्वारचित कविता पाठ प्रतियोगिता, हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी व्याकरण शुद्धि प्रतियोगिता, शब्द पर्याय प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर बच्चों की हिंदी भाषा दक्षता परीक्षण किया जा सकता है।
- ☐ भाषिक क्षेत्र 'ख' व 'ग' में स्थित विद्यालयों में हिंदी नाटक/नाटिकाओं का आयोजन किया जाए तथा समयानुसार विद्यालयों में शैक्षिक लघु हिंदी चलचित्रों का भी प्रदर्शन किया जा सकता है।
- ☐ व्यावसायिक शिक्षा विशेष रूप से विधि, चिकित्सा, आई. टी., बैंकिंग

चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है।

जैसे विषयों में हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त किए जाने के विकल्पक उपलब्ध करवाए जाएं।

- भाषिक क्षेत्र 'ख' तथा 'ग' में हिंदी माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले मेघावी विद्यार्थियों को हिंदी प्रयोग के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि एवं हिंदी प्रवीणता प्रमाण–पत्र भी प्रदान किया जा सकता है।

- विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्विद्यालयों में हिंदी दिवस व विश्वी हिंदी सम्मेतलनों के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए तथा बच्चों को तत्संबंधी जानकारी दी जाए। इसमें हिंदी वाचन प्रतियोगिताओं व साहित्यिक सृजन प्रतियोगिताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

- वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आज खरीदारी, व्यापार, बैंकिंग, टिकट बुकिंग आदि सभी कार्य पूर्णतया कंप्यूटर/इंटरनेट से हो रहे हैं। अतः बेहतर होगा कि हिंदी को सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा बनाया जाए। जब भी कोई नई तकनीक आए तो यदि उसे द्विभाषी रूप में डेवल्प किया जाए तो यह हिंदी के बढ़ते प्रयोग को द्रुत गति देने में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है।

- प्राचीन काल में मानव द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति हुआ करता था लेकिन वर्तमान में शिक्षा रोजगारपरक बन चुकी है। अतः यह अति आवश्यक है कि हम जो भी शिक्षा ग्रहण करें उससे हम रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हों। इसलिए हिंदी के विकास के लिए हमें हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले वर्ग के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में विचार करने की जरूरत है।

- बाजार में निजी संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि पत्रिका किसी संस्थान का आईना होती है इसलिए प्रत्येक निजी संस्थान की ओर से भी एक हिंदी गृह–पत्रिका (त्रैमासिक, अधिकतम 20–30 पृष्ठ) का प्रकाशन करवाया जा सकता है। जिसमें उसकी व्यावसायिक गतिविधियों के साथ–साथ उसके उत्पादों की जानकारी भी समाहित हो। इससे उस संस्थान के स्टाफ सदस्यों के साथ आमजन को भी हिंदी के प्रति आकृष्ट किया जा सकता है।

- निजी व्यवसायिक संस्थासनों/प्रतिष्ठानों द्वारा भी दिन–दैन्य प्रयोग की सामग्री पर दिए जाने वाले विवरण अंग्रेजी व हिंदी दोनों ही भाषाओं में दिए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह नुस्खा कई संस्थान अपना व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से अपना भी रहे हैं।

- जिला स्तर पर भी हिंदी माध्यम से क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। जैसे – सामाजिक विषयों पर लोकगीत कार्यक्रम, शैक्षिक नाटकों का आयोजन आदि।

अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु उपाय :

अधिकांशतः यह देखा गया है कि ज्यादातर अधिकारी राजभाषा कार्यों के प्रति उदासीन होते हैं वो राजभाषा कार्यों को करते तो हैं परंतु अनमने मन से। जिससे राजभाषा हिंदी के प्रति उनकी अरुचि बढ़ती रहती है और फिर वे राजभाषा कार्यों को न के बराबर महत्व देते हैं। दूसरी ओर, राजभाषा अधिकारी जो हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ाने का बीड़ा उठाए हुए हैं वे अपने प्रारंभिक काल में तो पूरे उत्साह एवं ऊर्जा से कार्य करते हैं, परंतु अन्य अधिकारियों का स्वयं के प्रति व्यवहार देखकर वे भी धीरे–धीरे हतोत्साहित होने लगते हैं जो कई बार हिंदी अधिकारी की कमजोरी बन जाती है। हिंदी अधिकारी को इसी नकारात्मकता से बचना है क्योंकि उसे न केवल स्वयं कार्य करना है अपितु अन्य अधिकारियों से कार्य करवाना भी है। अतः हिंदी कार्यों के प्रति उसका स्वयं ऊर्जावान होना अति आवश्यक है, क्योंकि एक जगता दीपक ही दूसरों को रोशनी देता है तथा दूसरे दीपक को जगा सकता है।

जहाँ तक अन्य अधिकारियों का सवाल है तो भारत देश में काम करने वाले लगभग सभी लोग भारतीय हैं और ये सभी अपने भारतवर्ष को प्रेम भी करते हैं परंतु सच्चा देशप्रेमी वही होता है जो अपने राष्ट्र की प्रत्येक वस्तु को प्राथमिकता दे, सम्मान दे। एक राष्ट्र की पहचान उसके राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान तथा राजभाषा से होती है। हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, राष्ट्रगान से देश को सम्मानजनक सलामी भी देते हैं लेकिन राजभाषा में काम करने की बात आती है तो हम संकोच क्यों महसूस करते ? जबकि इसका प्रयोग तो हमें प्रसन्नतापूर्वक अधिक से अधिक करना चाहिए। इस दिशा में हिंदी अधिकारी तो अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी तटस्थ एवं कर्मठता से करने में डटे हैं लेकिन उनके लक्ष्यं की पूर्णतया प्राप्ति के लिए अन्य अधिकारियों के मानसिक परिवर्तन की गहन आवश्यकता है। अधिकारियों के इस मानसिक परिवर्तन के लिए कुछ उपाय जो किए जा सकते हैं, निम्नानुसार हैं :–

- विभिन्न सरकारी विभागों/कार्यालयों में पदस्थ उच्चाधिकारियों का गृह–मंत्रालय राजभाषा विभाग के उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में तिमाही/छमाही आधार पर 'हिंदी विचार–विमर्श कार्यक्रम' आयोजित किया जा सकता है, जिसमें हिंदी के प्रचार–प्रसार हेतु लिए गए निर्णयों पर को प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए जाँच बिंदु भी बनाए जा सकते हैं।

- इसी क्रम में वार्षिक आधार पर एक 'राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन' का आयोजन भी किया जा सकता है जिसमें विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ राजभाषा अधिकारी/कर्मचारी, गृह–मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उच्चाधिकारियों तथा हिंदी के प्रख्यात विद्वानों, कवियों, लेखकों के मार्गदर्शन में हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में विभिन्नि नवोन्मेषी उपायों पर विचार–विमर्श करें तथा सकारात्मक निर्णय लें।

भारत और अन्य देशों में ६० करोड़ से अधिक लोग हिन्दी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं।

- ☐ सरकारी कार्यालयों/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में पदस्थ समस्त कार्मिकों (राजभाषा अधिकारियों के अतिरिक्त) के लिए एक 'राष्ट्रीय हिंदी प्रतियोगिता' का आयोजन किया जा सकता है।
- ☐ विभिन्न सरकारी कार्यालयों/संस्थानों/बैंकों/कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं में आयोजित किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सामान्य कार्यक्रमों का संचालन पूर्ण रूप से हिंदी/द्विभाषी करने पर भी बल दिए जाने की आवश्यकता है।
- ☐ कंप्यूटर पर द्विभाषी रूप से कार्य करने में समर्थ अधिकारियों को अन्य अधिकारियों की अपेक्षा पदोन्नतियों में प्राथमिकता एवं वरीयता दी जाए।
- ☐ कंप्यूटर पर कार्य करने वाले अधिकारियों को द्विभाषी/यूनिकोड समर्थित कंप्यूटर ही उपलब्धि करवाए जाएं।
- ☐ नई भर्ती के दौरान नए भर्ती किए जाने वाले अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।

हिंदी के पूर्ण विकास के लिए हमें हिंदी को शिक्षा का माध्याम बनाना होगा। वर्तमान में युवाओं का झुकाव अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की ओर अधिक है जो हमारी हिंदी भाषा के विकास में बाधक है। क्योंकि युवाओं का शैक्षिक आधार अंग्रेजी माध्यम होता है अतः उन्हें हिंदी जानने–समझने में थोड़ी परेशानी होती है। परंतु अंग्रेजी भाषा को सीखने की ओर इतना भी झुकाव ठीक नहीं कि अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए अपनी हिंदी भाषा के राष्ट्रीय महत्व को दरकिनार किया जाए। अंग्रेजों ने अपने मनसूबों को पूरा करने के लिए शिक्षा रूपी हथियार को अपनाया था। अपने इस कार्य में उन्होंने पूरी सफलता हासिल की। परिणाम हम सबके सामने है। आज अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। हमें बस यही बात समझनी है कि शिक्षा किसी राष्ट्र की दशा और दिशा दोनों ही बदल देती है। एक और बात जिस पर ध्यान देने की जरूरत है कि अपने राष्ट्र के इतिहास, सभ्यता–संस्कृति को अपनी ही भाषा में ही जाना व समझा जा सकता है। अतः कहीं ऐसा न हो कि विदेशों को जानने की चाह में हम अपने ही भारतीय समाज को भूल जाएं। इसीलिए शिक्षा ही वह माध्यम/स्रोत है जिससे हिंदी को पूरे भारत में फैलाया जा सकता है और हिंदी को उसका वास्तविक अधिकार दिलाया जा सकता है और जब शिक्षा में हिंदी की नींव मजबूत होगी तो बाकी सब कार्य हिंदी में हिंदी के लिए स्वयं ही होने लगेंगे।

हिंदी के समग्र विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि हम सब भारतीयों को अपना स्वयं का मानसिक पटल या धरातल भी इसके लिए परिवर्तित/तैयार करना होगा कि हिंदी हमारी भाषा है और हम से ही यह जीवित है। इसका जीवनाधार हमारे द्वारा इसका प्रयोग किया जाना है। हम जितना अधिक इसका प्रयोग करेंगे, उतनी ही यह भाषा फलेगी और फूलेगी। जब हमारे द्वारा शिक्षा, व्यवसाय, साहित्य, विज्ञान और चिकित्सा। आदि सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग खुलकर किया जाएगा तो हिंदी स्वयं ही फॉर्मूला वन कार की भांति विकास के ट्रैक पर तीव्र गति से दौड़ती नजर आएगी।

विचार– मंथन :

इस चित्र में आप देख रहे हैं कि हिंदी को कुछ मानव रूप स्तभों ने ऊपर

की ओर उठाया हुआ है। यदि आपसे इस चित्र के बारे में पूछा जाए तो इस विषय में आप सभी की अलग राय/विचार होगा, परंतु मुझे यहाँ जो नजर आ रहा है उसे मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। इस चित्र में हिंदी को ऊपर उठाते हुए दिखाया गया है। साफ जाहिर है कि हिंदी को सहारे की जरूरत है लेकिन यह किसी प्रकार का उसके व्याकरण या शब्दकोष का सहारा नहीं है क्योंकि ये दोनों ही हिंदी भाषा में प्रचुर मात्रा में है एवं हिंदी इनमें समृद्ध हैं बल्कि यह तो हम भारतीयों के प्रयोग रूपी सहारे को ताक रही है। साफ है कि हमारी अपनी भाषा हमें पुकार रही है। दूसरी बात, इस चित्र में जिस प्रकार मानव रूपी स्तंभों ने हिंदी को ऊपर उठाया है ऐसे ही मजबूत स्तंभों को आज हिंदी की आवश्यकता है। यहाँ अंग्रेजों का वो तरीका (मानसिक रूप से हिंदी) जो उन्होंने भारत में राज करने के लिए अपनाया था, अपनाना होगा। जिस दिन हम भारतीय इस प्रकार (चित्र में दिखाए अनुसार) सम्मान देते हुए हिंदी को ऊपर उठाने एवं उसके राष्ट्रीय विकास के साथ अंतर्राष्ट्रीय विकास की बात मन में ठान लेंगे तो हिंदी को विश्वव्यापी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और फिर हमें विदेशियों के मुख से भी हिंदी सुनने की इच्छा होगी।

आने वाले समय में विश्वस्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की जो चन्द भाषाएँ होंगी उनमें हिन्दी भी प्रमुख होगी।

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने एवं अधिकारियों को प्रेरित किए जा सकने वाले उपाय

सुभाष चन्द्र साह
प्रबंधक (राजभाषा) यूको बैंक
पटना, बिहार

भाषा देश की गरिमा व अस्मिता की पहचान होती है। अतः यह आवश्यक है कि राष्ट्र की प्रगति एवं उन्नति के लिए एक समृद्ध भाषा हो, जो जन– जन के स्वर को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो ।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने ठीक ही कहा था कि –

"कोई देश सच्चे अर्थों में तब तक स्वतंत्र नहीं है,जब तक कि वह अपनी भाषा में नहीं बोलता।"

हमारे देश में जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरुप यहां के विस्तृत भागों में किसी न किसी रुप में फैली हुई हिंदी को राष्ट्र की वाणी अभिव्यक्त करने का गौरव प्रदान किया गया। सचमुच हिंदी राष्ट्रीय एकता व सद्भावना की संवाहिका है। हिंदी भारत के जन– जन के कंठों में गुंजित समन्वय व सौहार्द की भाषा है। यह क्षेत्र विशेष लोगों की जुबान नहीं, वर्ग विशेष लोगों की पहचान नहीं, अपितु सम्पूर्ण भारतीयता का स्वाभिमान है। राष्ट्र की वाणी को समर्थ अभिव्यक्ति प्रदान करने की शक्ति व अन्य विशिष्टताओं को पहचान कर ही देश के मनीषियों ने व्यापक चिंतन – मनन के पश्चात हिंदी को अपनाया था तथा आजादी के बाद संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा के रुप में अंगीकार किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में कहा गया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी तथा अंको का स्वरुप वह होगा,जो भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरुप है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरुप राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) तथा राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित, 1987) बनाए गए तथा समय– समय पर अन्य दिशानिर्देश जारी किए गए। आजादी के बाद विभिन्न स्तरों पर सरकारी कामकाज की भाषा के रुप में हिंदी को प्रतिष्ठापित करने के लिए हुए प्रयासों के फलस्वरुप केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकिंग व अन्य वित्तीय संस्थानों में हिंदी का प्रयोग निःसंदेह बढ़ा है। कामकाज की भाषा के रुप में हिंदी ने पहचान बनाई है। हिंदी का दायरा भी बढ़ रहा है। हिंदी न केवल दफ्तरों में प्रयुक्त हो रही है, अपितु यह कारोबार व व्यवसाय की भी भाषा बन रही है। कंप्यूटर, इंटरनेट आदि पर भी हिंदी ने दस्तक दी है, किंतु इन तथ्यों के बावजूद आज भी हिंदी वास्तविक रुप में राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी है। हिंदी दिखाई अवश्य पड़ती है, लेकिन अभी इसका परचम नहीं लहर रहा है। बहुत सारे कार्यों में हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को तरजीह दिया जाना जारी है। इस परिप्रेक्ष्य में 'राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने एवं अधिकारियों को प्रेरित किए जा सकने वाले उपाय' विषय पर प्रकाश डालने से पूर्व इस बिंदू पर संक्षिप्त चर्चा करना प्रासंगिक होगा कि राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में बाधक तत्व क्या हैं। इस पर विचार करने के क्रम में ही उपायों पर ही चर्चा की जाएगी।

शिक्षा में हिंदी का स्थान :– वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हिंदी का स्थान नगण्य सा है, पर अपेक्षा यह की जाती है कि कार्यालय में कार्य हिंदी माध्यम से हो। प्रश्न उठता है कि संपूर्ण शिक्षा काल में हिंदी से जिसका वास्ता नहीं हो, वह राजभाषा हिंदी में सहजता से कैसे काम कर सकता है। दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। यही कारण है कि उच्च पदों पर आसीन होने पर भी ऐसे अधिकारियों में राजभाषा अपनाने के प्रति दायित्व– बोध जागृत नहीं हो पाता है। यह कैसी विडम्बना है कि छात्र शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से पाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं (बैंक आदि) में अनिवार्य विषय के रुप में अंग्रेजी के दर्शन करते हैं एवं उन्हें कार्यालय में काम हिंदी में करने के दिशानिर्देश मिलते हैं। 'शिक्षा में हिंदी की उपेक्षा' तथा 'कार्यालय में हिंदी में कार्य करने की अपेक्षा' के विरोधाभास में फंसी राजभाषा का प्रगामी प्रयोग कितना सशक्त हो सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है।

अतः राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रणाली में हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व स्थापित करना होगा। यह कार्य सरकारी स्तर पर प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इसके साथ ही आम जनता में हिंदी के प्रति प्रेम जागृत करके भी यह कार्य किया जाना चाहिए ताकि वे हिंदी के प्रति उन्मुख हों व उन्हें अपने बच्चों को हिंदी की भी शिक्षा दिलाने में झिझक व संकोच नहीं ,अपितु स्वाभिमान हो। आज की युवा पीढ़ी रोजगार के लिए व भविष्य को संवारने की चाहत में अंग्रेजी के प्रति उन्मुख है। युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए हिंदी को रोजी– रोटी से जोड़ कर इस क्षेत्र में भी रोजगार व व्यवसाय बढ़ाने होंगे। युवाओं का यह भी मार्गदर्शन करना होगा कि अभी भी हिंदी के क्षेत्र में सरकारी व अन्य संस्थाओं में रोजगार की संभावनाएं है। उन्हें वास्तविकता का दर्शन कराना होगा।

शिक्षा व्यवस्था में हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए यह जरुरी है कि हिंदी में विविध विधाओं यथा इंजीनियरिंग, मेडिकल ,कंप्यूटर, तकनीकी, प्रबंधन आदि से संबंधित नवीनतम विषयों पर सरल व उपयोगी पुस्तकों के लेखन को हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाए। इस क्षेत्र के लेखकों व विद्वानों को पर्याप्त पद, प्रतिष्ठा व पगार दिए जाएं ताकि इस ओर सृजनशील प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली में हिंदी को समुचित स्थान देकर हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होने पर 'शिक्षा प्रणाली में हिंदी का स्थान,कार्यालय में राजभाषा का सम्मान' चरितार्थ हो सकता है।

वरिष्ठ अधिकारियों व शीर्ष स्तर पर हिंदी का प्रयोगः हर दृष्टि से वरिष्ठ अधिकारियों व शीर्ष स्तर पर हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। इसके बिना सच्चे अर्थों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में बढ़ोतरी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जबकि वर्तमान समय में वरिष्ठ अधिकारियों व शीर्ष स्तर पर हिंदी प्रयोग की स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। आम तौर पर उनमें हिंदी में काम करने की मानसिकता का अभाव देखा जाता है ,किंतु यह भी सच है कि किसी भी संस्था में सभी शीर्ष / वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऐसी बात नहीं होती है। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर किए गए कार्यों व निर्णयों का उनके नियंत्रणाधीन तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।लोग उनका अनुसरण करते हैं। अतः वरिष्ठ स्तरों पर व्याप्त इस मानसिकता को हम राष्ट्र प्रेम व भारतीयता की भावना बलवती कर दूर कर सकते हैं। सामान्यतः इस स्तर पर अन्य कार्यों की तरह राजभाषा संबंधी कार्यों को अहमियत नहीं दी जाती है। जरुरत है कि संस्था के अन्य लक्ष्यों की तरह राजभाषा संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया

जाए। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर भी दृढ़ इच्छाशक्ति में कमी पाई जाती है,जिसके फलस्वरुप हिंदी का प्रगामी प्रयोग बाधित हो जाता है। आज तुर्की के कमालपाशा जैसे दृढ़ इच्छा की आवश्यकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों में यह गलत मानसिकता घर कर गई है कि हिंदी के प्रयोग से लाभप्रदता व उत्पादकता में कमी हो जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन पर होने वाले खर्च को अलाभकारी व अनुत्पादक मानने की धारणा उनके मन में बैठ गई है। आज हर जगह ,हर विज्ञापन में यहां तक कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापन में भी, हिंदी छा रही है। मीडिया, मोबाइल, व्यवसाय आदि की भाषा के रुप में हिंदी जम रही है। व्यवसाय के क्षेत्र में हिंदी का वर्चस्व स्थापित होने पर भी हिंदी को अलाभकारी मानने की धारणा कहॉं तक तर्कसंगत है ? यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि राजभाषा कार्यान्वयन पर होने वाला खर्च ,जो भले ही आरंभ में अनुत्पादक लगता हो ,वह वास्तव में ग्राहक आधार व व्यवसाय संवृद्धि के माध्यम से लाभार्जन का स्त्रोत है। लाभप्रदता के इस पहलू से शीर्ष कार्यपालकों को रु– ब– रु कराकर इस मानसिकता का समाधान किया जा सकता है। खुशी की बात है कि धीरे– धीरे यह बात अब उनकी समझ में आने लगी है। अन्य कर्मियों की तरह वरिष्ठ अधिकारियों में भी राजभाषा नीति की जानकारी का अभाव पाया गया है। ,जिसके कारण भी वे हिंदी से विमुख रहते हैं। नियमित व व्यावहारिक कार्यशाला, भर्ती पूर्व प्रशिक्षण तथा सेवारत प्रशिक्षण, कंप्यूटरों पर हिंदी प्रशिक्षण आदि के माध्यम से इस कमी को दूर किया जा सकता है।

निर्णय लेने तथा वास्तविक धरातल पर उसे कार्यान्वित कराने में उच्चाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के तौर पर हम अपने अनुभव का उल्लेख करना चाहेंगे। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यात्रा भत्ता बिल, छुट्टी आदि के फार्म हिंदी में भरे रहने पर ही प्राथमिकता के तौर पर इस पर विचार किया जाएगा। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग इस पर निगरानी रखेंगे तथा वे अंचल प्रमुख को इससे अवगत कराएंगे। आरंभ में इसका उल्लंघन करने वाले कुछ अधिकारियों को अंचल प्रमुख ने अपने स्तर से निर्णय कार्यान्वित नहीं करने का कारण पूछा ,तदन्तर इसका इतना सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि हिंदीभाषी अधिकारी की बात क्या, हिंदीतर भाषी अधिकारी भी दूसरों के सहयोग से ही सही, हिंदी में ये सारे फार्म भरने लगे । वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से निर्णय कार्यान्वित करने की सजगता के प्रभाव का यह एक छोटा सा उदाहरण है। शीर्ष स्तर/मुख्यालय/नियंत्रक कार्यालय के स्तर पर हिंदी के प्रयोग का एक ओर विशिष्ट पहलू है। ऊपर के स्तर से ही कोई आदेश/ निर्देश जारी किए जाते हैं। यदि इन आदेशों/निर्देशों की भाषा हिंदी हो तो निचले स्तर के कार्यालय में भी हिंदी प्रयोग की संभावना बढ़ जाती है। कंप्यूटर के इस युग में 'कट','पेस्ट' व 'सेट' के आधार पर कार्य निपटान को प्राथमिकता दी जाती है। ऊपर के कार्यालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों को थोड़ा बहुत परिवर्तित कर हम अपने निचले कार्यालयों को अग्रेषित कर देते हैं। जब वरिष्ठ अधिकारी अपना काम हिंदी में करने का आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर अनुकूल वातावरण का सृजन होगा, दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा तथा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन बेहतर हो सकेगा ।

गीता में भी कहा गया है कि –

यद्यदाचरते श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।।

श्रेष्ठ पुरुष जो– जो आचरण करता है ,अन्य पुरुष भी वैसा– वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, संसार उसी के अनुसार बरतने लग जाता है ।

यदि कार्यालय प्रमुख प्रतिदिन पांच मिनट का समय राजभाषा नीति के अनुपालन की समीक्षा पर दें,तो कार्यान्वयन का कायाकल्प हो सकता है। जैसे – परिपत्र या कार्यालय आदेश, नोटिस आदि पर हस्ताक्षर करने से पूर्व वे यह देख लें कि वह द्विभाषी है या नहीं, नियमों का पालन किया गया है या नहीं, आदि ।

शीर्ष तंत्र पर हो जब राजभाषा की जय– जयकार,
कोई क्यों करें काम हिंदी में करने से इंकार ।

भाषा की सरलता पर जोर : हिंदी के प्रगामी प्रयोग के महत्वपूर्ण तत्वों में भाषा की सरलता का प्रमुख स्थान है। भाषा जितनी सरल व सुबोध होगी,संप्रेषण उतना ही अधिक सशक्त व सफल होगा। ऐसी सरल हिंदी का प्रयोग किया जाए ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। पाठक को यह समझ में आ जाए कि लेखक क्या कहना चाह रहा है।

भाषा की सरलता में कठिन व अप्रचलित शब्दों का प्रयोग अवरोधक तत्व है। आज भी कार्यालयों में 'शिकायत' के लिए 'परिवाद' तथा 'फार्म' के लिए 'प्रपत्र' आदि शब्दों के प्रयोग होते हैं। कभी– कभी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है कि हिंदी का सम्यक ज्ञान रखने वालों के लिए भी उसे समझना कठिन हो जाता है। यदि प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश की ही आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसी हिंदी का कोई क्यों प्रयोग करना चाहेगा। इस मौके पर ही यह कहा जाता है कि ऐसी हिंदी से तो अंग्रेजी बेहतर है। वस्तुतः हमने ऐसे शब्द गढ़ लिए हैं कि हमें अपनी ही भाषा से विराग हो गया है। आज न केवल भारतीय भाषाओं ,अपितु अंग्रेजी सहित अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी सहेजना होगा, अपने अंदर समाहित करना होगा ताकि भाषायी सौहार्द व सद्भावना के साथ साथ भाषायी लोच व सामर्थ्य में वृद्धि होती रहे। जो भाषा नए आविष्कारों के फलस्वरुप उत्पन्न देशी– विदेशी भाषाओं को आत्मसात करने की जितनी अधिक क्षमता रखती है, वह उतनी ही व्यापक एवं जन सामान्य में स्वीकार्य होती है। विज्ञान व तकनीक आदि क्षेत्र में नए अनुपयुक्त हिंदी शब्दों को गढ़ने की अपेक्षा उसे उसी रुप में अपनाना अधिक बेहतर होगा। भाषा की सरलता के संदर्भ में यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि सरल व सहज हिंदी के नाम पर खिचड़ी अशिष्ट, अमर्यादित व फूहड़ शब्दों के प्रयोग हो रहे हैं। हिंदी के ऐसे रुप के भी दर्शन होते हैं, जहाँ खिचड़ी वाक्य विन्यास में हिंदी के केवल छींटें दिखाई पड़ते हैं। हमें इस संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित भावनाओं से अनुप्राणित होकर दूसरी भाषाओं के रुप, शैली व पद को आत्मसात करना होगा, साथ ही हिंदी की मौलिकता व प्रकृति को भी जीवंत बनाए रखना होगा।

वस्तुतः आज सहज, सजह, लचीली, गतिशील व परिचित हिंदी की आवश्यकता है, जिसमें पल–पल परिवर्तित हो रहे समय के अनुभवों को अभिव्यक्त किया जा सके।

हिंदी में मौलिक लेखन पर जोर : वस्तुतः जितना जोर हिंदी में मौलिक लेखन पर दिया जाएगा, उतनी अधिक गति से राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ेगा। इस समय कार्यालयों में हिंदी मौलिक लेखन का वर्चस्व नहीं है। हिंदी में मूल कार्य करने से एक ही काम के दोहराव से बचा जा सकता है। इससे जनशक्ति व समय की बचत होगी, फलतः हिंदी में कार्य करने की

हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर अधिकांशतः संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करती है।

गति बढ़ेगी। हिंदी में मूल काम करने से अनुवाद की जटिलता का भी कम से कम सामना करना पड़ेगा। अनुवाद के माध्यम से काम करने पर हिंदी की जीवंत प्रकृति पर भी असर पड़ता है। अतः मौलिक लेखन को प्रश्रय देने के प्रयास किए जाएं। यदि जरुरत पड़े तो शाब्दिक अनुवाद की चिंता नहीं करते हुए हिंदी की प्रकृति के अनुकूल सरल व सहज भाषा में विचारों का अभिव्यक्त करना चाहिए। कभी– कभी जटिल व अस्पष्ट अनुवाद से भाषा की मौलिकता तो नष्ट होती ही है, हिंदी प्रेम को भी आघात पहुँचता है। लोग हिंदी से विमुख होने लगते हैं।

पराधीन व हीन मानसिकता : हिंदी के प्रगामी प्रयोग की वृद्धि के लिए पराधीन व हीन मानसिकता से उबरना होगा। यह सर्वाधिक घातक तत्व है, जो आज हर स्तर पर मौजूद है। हिंदीतर भाषी व हिंदी नहीं जानने वालों द्वारा हिंदी में काम नहीं करने की बात तो समझ में आ सकती है, किंतु हिंदी भाषी लोगों/हिंदी का सम्यक ज्ञान रखने वालों द्वारा हिंदी में काम नहीं करना समझ से परे है। यह इसी मानसिकता का द्योतक है। ' हम हिंदी में काम नहीं कर सकते' यह पराजित मानसिकता की पहचान है। यह भी देखा जाता है कि लोग बोलचाल की भाषा के रुप में हिंदी को गले लगाते हैं, किंतु कार्यालय में काम करने के दौरान इसे गले का फंदा समझ कर इससे अपने को अलग कर लेते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि चकाचौंध से भरे पद, प्रतिष्ठा व शोहरत से प्रभावित परिवेश में जहां लोग अंग्रेजी को अपनाने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, वहीं हिंदी की तिरस्कृत कर स्वयं को प्रगतिशील, आधुनिक व बुद्धिजीवी प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। सच कहा जाए तो यह सांस्कृतिक व राष्ट्रीय चेतना की शून्यता से उत्पन्न पराधीन व हीन मानसिकता की निशानी है तथा पराजित विचार की पहचान,जिसका तुरंत त्याग करना जरुरी है। हमें हिंदी में काम करने पर राष्ट्रीय स्वाभिमान व गौरव का अनुभव होना चाहिए। यह भाव हर स्तर पर लोगों के दिलों में भरे बिना लोगों की मानसिकता को बदलना मुश्किल होगा ।

सबकी जिम्मेदारी व सबकी भागीदारी : 'सबकी भागदारी व सबकी जिम्मेदारी' राजभाषा कार्यान्वयन का सूत्र वाक्य है। इस समय यह भी देखा जाता है कि मंत्रालय/विभाग/संस्थान आदि में राजभाषा कार्यान्वयन का दायित्व राजभाषा कक्ष/अनुभाग/प्रकोष्ठ व इससे सम्बद्ध कार्मिकों पर थोपकर अन्य व्यक्ति अपने को अलग कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में कैसे वृद्धि हो सकती है ? यदि राजभाषा अनुभाग के साथ– साथ सभी लोग अपने स्तर से एकजुट होकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे तो राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग स्वतः कई गुना बढ़ जाएगा। वस्तुतः भाषा थोपने की नहीं, अपितु अपनाने की वस्तु है, जिसके लिए स्वतस्रूस्फूर्त भावना का होना परमावश्यक है। स्वतः स्फूर्त नहीं होने की स्थिति में प्रशासनिक स्तर भी सबकी जिम्मेदारी व सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। वस्तुतः इस मंत्र से चौतन्य होने पर ही राजभाषा का प्रकाश फैल सकेगा।

राजभाषाकर्मियों का दायित्व : यह सही है कि राजभाषा कार्यान्वय में सबकी जिम्मेदारी व सबकी भागीदारी अपेक्षित है व राजभाषा से जुड़े हुए कर्मियों की तो इसमें अत्यन्त ही विशिष्ट भूमिका है। किंतु दुर्भाग्य से आज राजभाषा से जुड़े कर्मी ही दोयम दर्जे का व्यवहार,उपेक्षा भाव, राजभाषा से इतर कार्यों का बोझ, कैरियर पदोन्नति की असमानता आदि समस्याओं से हताश व कुंठाग्रस्त हैं। राजभाषा कर्मियों की इन समस्याओं से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिस पर प्रबंधन व सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। किंतु हताश व निराश व्यक्ति राजभाषा के साथ कितना न्याय कर सकता है। पहले राजभाषा कर्मियों को कुंठा से उबरना होगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सम्मान मिलता नहीं, लिया जाता है। कार्यदक्षता, लेखन क्षमता, वाक्कला, कर्तव्य निष्ठा, सौम्य व्यवहार आदि विभिन्न गुणों से युक्त अपने व्यक्तित्व के बल पर सर्वत्र अपनी उपयोगिता साबित करते हुए राजभाषा अधिकारी न केवल कार्यालय में सम्मान पाते है, अपितु लोगों का दिल भी जीत लेते हैं तथा इसका लाभ वे वरिष्ठ अधिकारियों से राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में करवा लेते हैं।

सामान्यतः नीति निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारियों पर दबाब डालते हैं, किंतु इसके विपरीत राजभाषा के क्षेत्र में राजभाषा कर्मियों को प्रायः अपने समकक्ष व उच्च अधिकारियों से ही निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए उन्हें तैयार कराना पड़ता है। इस दृष्टि से राजभाषा से जुड़े हुए अधिकारियों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः वे समय के अनुरुप सतत अपने ज्ञान व कौशल में वृद्धि करते रहें ताकि उनकी कार्यदक्षता पर किसी को संशय करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो। इसके लिए उन्हें कार्यालयीन कार्यों, तकनीक, व्यक्तित्व विकास, प्रबंधकीय क्षमता व कुशलता आदि के प्रशिक्षण दिए जाएं ताकि वे अपने दायित्व का निर्वाह बेहतर ढंग से कर सकें।

जहां एक ओर राजभाषा कर्मियों द्वारा अपने दायित्व को पेशा के साथ– साथ सेवा भाव से लिया जाना चाहिए, वही दूसरी ओर सरकार व प्रबंधन भी उनके प्रति न्यायोचित व समदर्शी भाव रखे। राजभाषा कर्मियों द्वारा प्रतिदिन राजभाषा के अनुपालनार्थ अपने योगदान के बारे में पांच मिनट का चिंतन ही राजभाषा कार्यान्वयन को एक नई गति प्रदान कर सकता है।

संवैधानिक स्थिति में सुदृढ़ीकरण : राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अन्य विकल्पों के साथ– साथ संवैधानिक स्थिति को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी, लेकिन यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि बाद के अनुच्छेदों व प्रावधानों के चलते हिंदी की स्थिति वैकल्पिक राजभाषा की हो गई है। संवैधानिक स्थिति में सुदृढ़ीकरण के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठकर राजनीतिक व सरकारी प्रतिबद्धता का प्रमाण देना होगा व राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए भाषा नीति पर विचार करना होगा, तभी हिंदी वास्तविक रुप से राजभाषा के पद पर आसीन हो सकती है तथा हर कार्य क्षेत्र हिंदीमय हो सकेगा ।

संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान व प्रभावी कार्यान्वयन : संवैधानिक रुप से राजभाषा हिंदी की स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं है, तथापि जो प्रावधान किए गए हैं, यदि उनका भी प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए तो हिंदी प्रयोग की स्थिति पर गर्व किया जा सकता है। राजभाषा संबंधी निर्देश आदि कागज में ही रह जाते हैं। इसके कार्यान्वयन में अपेक्षित व्यावहारिकता नहीं देखी जाती है। राजभाषा हिंदी से संबंधित निर्देशों के अनुपालन में वरिष्ठ अधिकारियों सहित हम सभी चूकते नजर आते हैं। राजभाषा की उदार नीति –'प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना' की आड़ में हम राजभाषा नीति का दृढ़ता से अनुपालन नहीं करते हैं तथा हिंदी कार्य में ढुल– मुल नीति अख्तियार करते हैं या केवल खाना पूर्ति करते हैं। वर्तमान व्यवस्था में ही हिंदी नहीं जानने वालों के लिए भले ही प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना की नीति अपनायी जाए, किंतु हिंदी जानने वालों तथा जान– बूझ कर निर्देशों की अवहेलना करने वालों के साथ दृढ़ता का परिचय देकर 'शेषण– शैली' अपनाते हुए हम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं ।

इसके लिए सभी आधारभूत आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी। इसी क्रम में अन्य सुविधाओं के साथ– साथ संस्थानों में नेमी प्रकृति के पत्रों व मानक फार्मों की हिंदी में उपलब्धता, हिंदी पदों सहित सभी स्वीकृत पदों को भरना, निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि सुनिश्चित किए जाएं। राजभाषा नीति के संदर्भ में खानापूर्ति को बंद करना होगा। कुछ लोग तो हिंदी दिवस आदि आयोजनों को भी बंद कर देना चाहते हैं, लेकिन यह भी ठीक नहीं होगा। मानव का स्वभाव है कि वह उत्सव में उत्साहित हो जाता है, अनुकूल माहौल में चेतना जागृत हो जाती है। कुछ कर गुजरने की चाहत बढ़ जाती है। हमें चेतना का संचार, अनुकूल वातावरण के सृजन व प्रोत्साहन हेतु निरंतर राजभाषी संबंधी गतिविधियां संचालित करते हुए सभी की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही साल में एक बार हिंदी दिवस, माह आदि के अवसर पर समारोह, सेमिनार, प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर रस्म अदायगी से भी हमें बचना होगा। इस समय हिंदी दिवस व अन्य आयोजनों पर कही गई बातों से ऐसा लगता है कि अब जल्द ही हिंदी का शेष विकास पूरा हो जाएगा,किंतु सितंबर माह के बीतते/आयोजन के समाप्त होते ही अंग्रेजी की ओर 'स्विच ऑन' हो जाता है। हिंदी के प्रति क्षणिक प्रेम घरौंदे की तरह ढ़ह जाता है, ठीक उसी तरह जैसे श्मशान पर पहुँचते ही वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाता है, पर घर लौटते ही हम सांसारिकता में लिप्त हो जाते हैं। हमें हिंदी प्रेम को क्षणिक रुप न देते हुए शाश्वत रुप प्रदान करना होगा तथा इसके लिए निरंतर राजभाषा गतिविधियों के संचालन से अनुकूल माहौल बनाना होगा ।

राजभाषा संबंधी कार्यों को प्रभावी रुप से बढ़ाने के लिए आंतरिक व बाह्य राजभाषायी निरीक्षणों में गति लाई जाए। निरीक्षण के बहाने ही हम कमियों रुपी गंदगी को साफ करने में लग जाते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान राजभाषा संबंधी अपेक्षाओं का भी अवलोकन किया जाए। इस समय आतिथ्य सत्कार के चकाचौंध में निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां दिखाई नहीं पड़ती है। इससे हमें बचना होगा। हर स्तर पर राजभाषा संबंधी कार्यों की वास्तविक समीक्षा करनी होगी। आज राजभाषा के कार्यान्वयन के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। पुरस्कार पाने की होड़, पिछली तिमाही के प्रतिशत में गिरावट नहीं आने देने संबंधी निर्देश आदि के अनुपालन के लिए वास्तविक तथ्य छिपा लिए जाते हैं। राजभाषा के कार्य को आंकड़ों के मकड़ जाल से बाहर निकाल कर इसकी विश्वसनीयता बहाल करने की आवश्यकता है ताकि वास्तविकता का पता चल सके व तदनुकूल नीतियों का निर्माण कर उसका कार्यान्वयन किया जा सके। प्रेरणा व प्रोत्साहन के लिए यदि पुरस्कार आवश्यक है तो यह पुरस्कार वास्तविक आधार पर श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए दिया जाना चाहिए, न कि मात्र प्रस्तुत किए गए फर्जी आंकड़ों के आधार पर। ऐसी नीति कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

प्रौद्योगिकी के साथ सामंजस्य : प्रौद्योगिकी के साथ सामंजस्य स्थापित किए बिना हिंदी का प्रगामी प्रयोग नहीं बढ़ सकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि हिंदी ने समसामयिकता से स्वयं को जोड़ते हुए प्रौद्योगिकी के साथ भी तालमेल स्थापित किया है। आज कंप्यूटर, इंटरनेट, बेवसाइट आदि पर हिंदी का प्रयोग आरंभ हो चुका है। यूनीकोड के प्रचलन से विभिन्न प्रकार के फॉन्टों से मुक्ति मिली है। जिस गति से तकनीक व विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, उसके साथ कदम मिलाने के लिए सतत् प्रयास करने होंगे। हिंदी को ग्लोबल स्तर तक पहुँचाने में व एक दूसरे के साथ जोड़ने में इंटरनेट को साधन के रुप में इस्तेमाल किया जाए। वस्तुतः हिंदी के समक्ष इन चुनोतियों को ही संभावनाओं में तब्दील करने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने एवं अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता है। सुविधा व साधन उपलब्ध कराने के उपाय के साथ– साथ मानसिकता में परिवर्तन के लिए भी उपाय करने होंगे। साधनगत समस्या से बढ़कर मनोगत अवरोध है। हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि संकल्प की साधना की लौ में साधन के अवरोध जल जाते हैं, किंतु दृढ़ संकल्प शक्ति के अभाव में साधन का सान्निध्य भी सफलता दिलाने में समर्थ नहीं हो सकता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा कि –

बाहर की आंधी – पानी से मन के तूफान कहीं बढ़ कर,
बाहर के सब आघातों से मन के अवसान कहीं बढ़कर।

उसी तरह राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने में राजनीतिक प्रतिबद्धता व सरकारी सामर्थ्य की भी बेशक महत्वपूर्ण भूमिका है। किंतु हमें यह स्मरण रहे कि जनता की शक्ति सरकार की शक्ति से अधिक मजबूत होती है। सरकार द्वारा उठाए हुए आशान्वित कदम भी तभी सार्थक होंगे, जब हर भारतीय हिंदी को वास्तिवक राजभाषा के पद पर आसीन कराने के यज्ञ में अपने योगदान के घृत से यज्ञाग्नि को प्रदीप्त करेगा। संघर्ष व स्वाभिमान की भाषा हिंदी ने बिना राजाश्रय के ही तमाम अभावों व अवरोधों को पार कर इतना लंबा सफर तय किया है। हिंदी अपनी संजीवनी शक्ति, समन्वय सामर्थ्य, सद्भाव– संदेश तथा आम जनता के संबल से आगे बढ़ रही है। हम सभी को 'सबकी जिम्मेदारी– सबकी भागीदारी' के मंत्र से चैतन्य होकर राजभाषा हिंदी की प्रवाहमान धारा के अवरोधों को दूर करने के लिए सतत् सजग होकर समर्पण भाव से प्रयास करने होंगे, तभी हिंदी वास्तविक राजभाषा के रुप में प्रतिष्ठित व सुशोभित होगी तथा जन–गण के मन का सशक्त स्वर बन कर भारतीयता का तिरंगा संपूर्ण विश्व पटल पर लहराने में समर्थ होगी ।

वाणप्रस्थ

एक समय जीवन में ऐसा आता है जब मनुष्य का कंट्रोल अपने आप पर से तथा परिवार के ऊपर से छूट जाता है। मैं समझता हूं यह वाणप्रस्थ का सही समय है। आपको चाहिए कि परिवार का कंट्रोल किसी योग्य सदस्य के हाथों सौंप देना चाहिए। प्राचीन युग में वाणप्रस्थ एक आवश्यक प्रक्रिया थी। मैं समझता हूं अब वैसी स्थिति नहीं रही कि वन में जाकर कुटिया बनाकर रहा जाए। बेहतर है हम समय पर चेत जाए और समयानुसार आचरण करें। हमें सही समय पर क्रांतिकारी युवावस्था त्यागकर परिवार के सभी युवाओं के सहायक बन जाना चाहिए। प्रकृति भी यही चाहती है। यह परिवार के संघटन की बेहतर कुंजी है। इस कंट्रोल को अपने युवा पुत्र–पुत्रियों को सौंप दो।

''स्वामी तथागत भारती''

हिंदी सबसे अधिक सरल व लचीली भाषा है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने एवं अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु किए जा सकनेवाले उपाय

विमल प्रकाश दुबे
प्रबंधक (हिंदी)
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय

आज हम एक बाजार व्यवस्था में रह रहे हैं और बाजार व्यवस्था मूलतः मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों से संचालित होती है। ऐसे में, यदि हम सचमुच राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं और अधिकारियों को राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में प्रेरित–प्रोत्साहित करने के इच्छुक हैं, तो यह आवश्यक है कि हम राजभाषा कार्यान्वयन की चुनौतियों का माँग और आपूर्ति के दृष्टिकोण से विश्लेषण करें और उस विश्लेषण के आधार पर यथार्थपरक उपाय विकसित करें। यथार्थपरक उपाय से हमारा आशय क्या है, इसे विलियम आर्थर वार्ड (William Arthur Ward) के इस कथन से भली प्रकार समझा जा सकता है – "निराशावादी हवा के प्रतिकूल होने की शिकायत करता है; आशावादी हवा का रुख अनुकूल होने की उम्मीद करता है; यथार्थवादी पाल समायोजित कर लेता है।" ("The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails".) इस कथन के अनुरूप ही हमें न तो व्यवस्थागत चुनौतियों से निराश होना है और न ही सारी व्यवस्था के हिंदी के अनूकूल हो जाने का इंतजार करना है, बल्कि कुछ ऐसे उपाय विकसित करने हैं, जो राष्ट्र की पहचान, मातृभाषा का गौरव, संस्कृति की रक्षा जैसे परंपरागत और भावनात्मक तर्कों से आगे का रास्ता दिखाते हों तथा तथा सरकारी

निर्देशों की विवशता में येनकेन प्रकारेण आँकड़ों की पूर्ति मात्र को ही राजभाषा कार्यान्वयन का एकमात्र अभीष्ट न मानते हों।

माँग और आपूर्ति के दृष्टिकोण से राजभाषा कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि राजभाषा कार्यान्वयन के लिए हम मूलतः आपूर्ति पक्ष पर ही कार्य करते आ रहे हैं और माँग पक्ष की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। हम निरंतर आपूर्ति किए जा रहे हैं, जैसे – द्विभाषी फॉर्मेट, हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी कार्यशाला, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग टूल, हिंदी पुस्तकें और पत्रिकाएँ आदि। इसके फलस्वरूप आज स्थिति यह है कि स्टाफ–सदस्यों को हिंदी का ज्ञान है, उनके कंप्यूटरों पर हिंदी के प्रयोग की सुविधा है, अनके पत्रों और टिप्पणियों के हिंदी या द्विभाषी प्रारूप उपलब्ध हैं, हिंदी के ज्ञानवर्धन की सामग्री मौजूद है, लेकिन हिंदी में गुणवत्तायुक्त कार्य नहीं हो रहा है और सतही उपायों से आँकड़ेबाजी मात्र हो रही है। आखिर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हम हिंदी की आंतरिक माँग पैदा करने में असमर्थ रहे हैं। यहां आंतरिक से हमारा आशय in-house भी है और intrinsic भी। आज हमारे संगठनों और संस्थाओं में हिंदी की जो मांग है वह मूलतः बाहरी है – संवैधानिक और सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना करनी है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करनी है, संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों या भारत सरकार के निरीक्षणों के समय विषम स्थिति से बचना है, इसलिए हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात संगठन जो राजभाषा कार्यान्वयन कर रहे हैं, वह मूलतः संगठनों के बाहर से आ रही मांग को पूरा करने के लिए है तथा स्वेच्छा के बजाय मजबूरी में किया गया कार्य है। इस प्रकार हिंदी की मांग न in-house है और न intrinsic। यदि हिंदी की कोई आंतरिक मांग दिखाई देती है, तो वह मात्र प्रतियोगिता और पुरस्कारों के जरिए के तौर पर। यह एक यथार्थ स्थिति है, वांछनीय स्थिति नहीं। वांछनीय तो यह होना चाहिए कि संगठनों के प्रमुख और संगठनों के स्टाफ–सदस्यों की ओर से हिंदी की माँग आए। ऐसा होगा, तभी राजभाषा कार्यान्वयन को सही गति मिल सकेगी, क्योंकि जिस प्रकार अर्थव्यवस्था केवल बाहरी माँग के बल पर वृद्धि हासिल नहीं कर सकती, उसी प्रकार हिंदी भी केवल बाहरी माँग के बल पर आगे नहीं बढ़ सकती। अब सवाल यह है कि यह वांछनीय स्थिति अर्थात् हिंदी की आंतरिक माँग कैसे पैदा की जाए।

परंतु इस प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले हमें आपूर्ति पक्ष पर थोड़ा और विचार कर लेना होगा। अब आपूर्ति की कमी तो नहीं है, लेकिन उसे समायोजित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हम द्विभाषी फॉर्मेट तो उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन क्या वे आज की आवश्यकतानुसार सॉफ्ट रूप में उपलब्ध हैं? क्या उन्हें कार्यालय की कॉमन ड्राइव में उपलब्ध कराया गया है और क्या इनके विषय में अधिकारियों और कर्मचारियों को निरंतर सूचित और जागरूक किया जाता है। किन–किन चीजों के लिए मानक द्विभाषी फॉर्मेट बनाए जा सकते हैं, क्या इस चयन प्रक्रिया में हमने अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया है? इन प्रश्नों पर विचार करने तथा इस दिशा में समुचित कदम उठाने से निश्चय ही हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार हम जो अनुवाद उपलब्ध कराएं, उसमें गुणवत्ता, और समयबद्धता को सुनिश्चित करें तो हिंदी के प्रति प्रभारी–अधिकारियों और स्टाफ–सदस्यों के रुख में अधिक अनुकूलता आएगी। कंप्यूटर पर टाइपिंग के जो टूल हैं उनके विषय में जागरूकता फैलाकर और डेस्क प्रशिक्षण देकर आपूर्ति पक्ष को और सुदृढ़ किया जा सकता है। कुल मिलाकर हिंदी के विषय में हम जो आपूर्ति कर रहे हैं, उसे व्यवस्थित करने, उसमें सहभागिता बढ़ाने तथा उसके विषय में निरंतर जागरूकता फैलाने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो

हिंदी एक मात्र ऐसी भाषा है जिसके अधिकतर नियम अपवादविहीन हैं ।

सकेंगे।

अब हम मांग पक्ष पर वापस लौटते हैं। ऊपर हम देख चुके हैं कि वर्तमान स्थिति यह है कि हिंदी की माँग मुख्यतः (सरकार और संसदीय समिति की ओर से उत्पन्न) है या फिर प्रतियोगिताओं और पुरस्कारों के लिए देखी जाती है और वांछनीय स्थिति यह है कि संगठनों के प्रमुख, कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी और स्वयं स्टाफ–सदस्यों की ओर से हिंदी के लिए मांग उत्पन्न हो। इसके लिए हमें हिंदी कामकाज को नीरस से रोचक बनाना होगा और हिंदी

के प्रयोग को इस तरह से आगे बढ़ाना होगा कि वह सरकारी अपेक्षाओं की पूर्ति के साथ–साथ संगठन तथा स्टाफ–सदस्यों के लिए भी लाभप्रद तथा उपयोगी सिद्ध हो। पर यह किया कैसे जाए? इस पर हम सबको शिद्दत से सोचना होगा क्योंकि जब तक आंतरिक मांग नहीं होगी, तब तक चाहे जितनी आपूर्ति होती रहे, केवल बाहरी माँग के बल पर हिंदी गति नहीं पकड़ेगी।

हिंदी को सचमुच आगे बढ़ाना है तो यह आवश्यक है कि हम राजभाषा कार्यान्वयन के उद्देश्यों का पुनर्परिभाषित या समायोजित करें। आज राजभाषा कार्यान्वयन को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हमें राजभाषा कार्यान्वयन के निम्नलिखित 4 उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए :

1. राजभाषायी प्रावधानों का पालन और लक्ष्यों की प्राप्ति – यह आंकड़ों पर और सरकार तथा संसदीय राजभाषा समिति की ओर से उत्पन्न माँग की पूर्ति पर केंद्रित होगा होगा।
2. संस्था में हिंदी का गुणात्मक प्रयोग – यह हिंदी कार्यान्वयन का दायित्व सँभाल रहे लोगों को आत्मसंतोष और मनोबल प्रदान करेगा और संस्था के सामूहिक मनोबल में वृद्धि करेगा।
3. संस्था के कामकाज, छवि और लाभप्रदता में योगदान – इससे संस्था के प्रबंध तंत्र तथा कार्यालय–प्रभारियों की ओर से हिंदी की मांग बढ़ेगी।
4. स्टाफ–सदस्यों के व्यक्तित्व का विकास, उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास तथा कार्यालयीन एकरसता के बीच ताजगी का संचार – इससे स्टाफ–सदस्यों की ओर से हिंदी की माँग बढ़ेगी।

मौजूदा राजभाषा कार्यान्वयन में भी अचेतन रूप से न्यूनाधिक मात्रा में उपर्युक्त उद्देश्यों का समावेश होता रहता है, पर अब आवश्यकता यह है कि हम सचेतन रूप से कार्यनीति (strategy) बनाकर, चारों उद्देश्यों को समुचित महत्व देते हुए राजभाषा कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएं। यों भी उक्त चारो उद्देश्य एक दूसरे से गुँथे हुए हैं। गोस्वामी जी के शब्दों का प्रयोग करें तो "जल बीचि सम" हैं। पहले दो उद्देश्य जल है तो बाद के दो उद्देश्य लहर हैं, जिनसे जल की सुंदरता और माँग और भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए फाइलों के नामों का द्विभाषीकरण एक राजभाषायी अपेक्षा है। इस कार्य को हमने निम्नलिखित रूप में रोचक और आसान बनाकर उक्त चारो उद्देश्यों में योगदान करने का प्रयास किया है:

- फाइलों के नाम द्विभाषी लिखे जाएं।(उद्देश्य सं. 1)
- फाइलों के नाम–विवरण का द्विभाषी फॉर्मेट उपलब्ध है। द्विभाषी रूप में टंकित कर उसका प्रिंट आउट फाइल पर पेस्ट करा दिया जाता है, जिससे स्टाफ–सदस्यों को आसानी होती है। आठ दस शब्द हिंदी में टाइप करने होते हैं, जो सामान्य से हटकर अलग कार्य है, जिसमें उन्हें आनंद आता है।(उद्देश्य सं. 4)
- फाइलें साफसुथरी दिखती हैं, उनके नाम दूर से ही और आसानी से पढ़े जा सकते हैं, जिससे फाइल खोजने में आसानी होती है। इस तरह हाउसकीपिंग में भी योगदान होता है। (उद्देश्य सं. 3)
- किसी बाहरी व्यक्ति को हिंदी की उपस्थिति बड़े सशक्त रूप में दिखाई देगी। (उद्देश्य सं. 2)

उक्त बिंदुओं को समझना और समझाना दोनों आवश्यक हैं। इससे हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में बेहतर सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

अपने उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम दो सूत्री कार्यनीति अपना सकते हैं:

(क) हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए अभिनव प्रयास – राजभाषा कार्यान्वयन के बने बनाए तौर–तरीकों को ही अपनाते रहना पर्याप्त नहीं है। यह आवश्यक है कि इस दिशा में निरंतर अभिनव प्रयास किए जाएं।

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन के परंपरागत घटकों का नए ढंग से उपयोग – हिंदी को लेकर सबसे बड़ी शिकायत यह रहती है कि इससे जुड़े हुए कार्यकलाप बहुत ही घिसे पिटे और नीरस हैं, उनमें रोचकता और आकर्षण नहीं है, फिर वह चाहे हिंदी कार्यशाला हो, चाहे हिंदी पखवाड़ा हो या राजभाषा कार्यान्वनयन समिति की बैठक। यदि हम चाहते हैं कि इन गतिविधियों से लोग स्वेच्छा से और उत्साह के साथ जुड़ें तो हमें इनका पुनर्विन्यास कर इनमें रोचकता, नवीनता और उपादेयता लानी होगी।

उक्त दोनों सूत्रों को हम एक–एक कर आगे विस्तार से स्पष्ट करेंगे

(क) अभिनव प्रयास

1. हिंदी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे राजभाषा से इतर कार्य के जरिए हिंदी

हिंदी अधिकारी राजभाषा के अतिरिक्त जो सामान्य कार्य कर रहे हैं, उसे हिंदी में ही करें (पर अतिवादिता से बचते हुए संतुलन बनाए रखें अर्थात तकनीकी शब्दों को अंग्रेजी में भी लिखते रहें, ताकि अन्य स्टाफ–सदस्यों को समझने में कठिनाई न हो।) हिंदी अधिकारी द्वारा स्वयं हिंदी में कार्य करने से कई लाभ होंगे। एक ओर स्टाफ–सदस्यों से हिंदी में कार्य करने के हिंदी

अधिकारी के अनुरोध में नैतिक बल आएगा और दूसरी ओर हिंदी में सामान्य बैंकिंग का कार्य होने से हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता बेहतर होगी और भाषा सामर्थ्यवान बनेगी। साथ ही, जब वरिष्ठ अधिकारी हिंदी नोट को पढ़ेंगे तो उनके द्वारा जो टिप्पणियां उस पर लिखी जानी होंगी, वे उनके मस्तिष्क में हिंदी में ही उभरेंगी और वे ही हिंदी का सहज ही प्रयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त हिंदी अधिकारी कुछ समय तक जिस डेस्क का कार्य करेंगे उससे संबंधित नोट पत्र आदि कागजात हार्ड और सॉफ्ट रूप में हिंदी में ही उपलब्ध होंगे। बाद में जब भी ऐसी डेस्क को सामान्य संवर्ग के अधिकारी को अंतरित किया जाएगा, तो पिछली सामग्री की हिंदी में सहज उपलब्धता के कारण वे भी ज्यादातर मामलों में हिंदी का प्रयोग करने लगेंगे। प्रयोग और अंतरण (USE & TRANSFER) की यह पद्धति हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने में काफी सहायक हो सकती है।

2. राजभाषा के लिए 360 डिग्री की अवधारणा का प्रयोग

हिंदी का प्रयोग को बढाने के लिए प्रायः कनिष्ठ या सामान्य कामकाज में अधिक रुचि न लेने वाले या अंग्रेजी में कम सिद्धहस्त स्टाफ–सदस्यों को प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये प्रयास कुछ सीमा तक फलदायी भी होते हैं किंतु ये हिंदी की चेन को आगे नहीं बढा पाते। 360 की अवधारणा का आशय यह है कि अब हम हिंदी के लिए (i) प्रयास नीचे से नहीं ऊपर से आरंभ करें और (ii) हिंदी कार्य के लिए उन स्टाफ–सदस्यों को प्रेरित करने का लक्ष्य बनाएं, जो व्यस्त हो, सामान्य कामकाज तथा अंग्रेजी में दक्ष हों। प्रयास नीचे के बजाय ऊपर से आरंभ करना इसलिए बहुत फलदायी होगा क्योंकि हिंदी के लिए वहीं सबसे अधिक संभावना है और वहीं सबसे अधिक शक्ति। सबसे अधिक संभावना इसलिए हैं क्योंकि 2–3 पृष्ठ के नोट पर कार्यालय प्रमुख को 2–3 पंक्तियों की टिप्पणी लिखनी होती है, जो अकसर बहुत तकनीकी प्रकृति की भी नहीं होती। इसी प्रकार मेल के जरिए कार्यालय प्रमुख प्रायः एक–दो पंक्ति के निर्देश देते हैं। पत्रों की मार्किंग में केवल कुछ शब्द ही लिखने होते हैं, अतः उनके लिए अपने सारे काम में हिंदी का प्रयोग करना आसान है। सबसे अधिक शक्ति वहां इसलिए हैं क्योंकि यदि कार्यालय प्रमुख नोटों पर, पत्रों पर अपनी टिप्पणी हिंदी में लिखेंगे और छोटे–छोटे मेल हिंदी में भेजेंगे, तो उसका जो प्रभाव होगा, उसे किसी भी अन्य तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। उनको ऐसा करते देख अन्य अनेक स्टाफ–सदस्य स्वतः ही हिंदी के प्रयोग की दिशा में अग्रसर होंगे। आवश्यकता है कि हम संकोच त्यागें और किसी उपयुक्त अवसर पर कार्यालय प्रमुख से इस विषय पर चर्चा और अनुरोध करें।

- व्यस्त तथा व्यवसाय और अंग्रेजी में दक्ष लोगों को हिंदी प्रयोग के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य बनाने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि कार्यालयीन जीवन का सामान्य अनुभव है कि जो व्यस्त है वह दूसरे काम के लिए भी समय निकाल लेगा और जो एक विषय में दक्ष है वह दूसरे विषय में भी शीघ्रता से दक्षता हासिल कर लेगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ प्रयास करने पर परिणाम बेहतर मिलेंगे तथा उसका प्रेरक प्रभाव भी होगा क्योंकि जब ऐसे लोग हिंदी का प्रयोग करेंगे, तो बाकी लोगों को भी हिदी में हीनता के बजाय गौरव का बोध होने लगेगा और वे स्वतः सहयोग करेंगे।

3. ठोस कार्य और प्रतीकात्मकता (Symbolism) साथ–साथ

व्यवसाय संबंधी बड़े आकार के नोट पूरी तरह हिंदी में बनाने के लिए आरंभ में जोखिममुक्त क्षेत्रों की पहचान करें, जैसे – कार्यशील पूंजी सीमा का विस्तार, स्टॉक ऑडिटर को सूचीबद्ध किया जाना, लेखापरीक्षा अनुपालन और परीक्षण, मूल्यांकक, अधिवक्ता, स्टॉक ऑडिटर आदि को कार्य सौंपना, संस्था छवि निर्माण आदि विषयक नोट जोखिमरहित, पुनरावर्ती प्रकृति के हैं और ये हिंदी में बनाए जा सकते हैं। इनके मानक रूप भी तैयार किए जा सकते हैं। ऐसे अन्य क्षेत्रों की पहचान का क्रम जारी रखें। यहाँ हमें हिंदी की उपस्थिति ठोस रूप में दिखेगी क्योंकि पूरा का पूरा नोट हिंदी में होगा। इसके विपरीत जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रतीकात्मकता से आरंभ करना होगा, जैसे नोटों के शीर्षक उपशीर्षक, नाम पदनाम, डीओपी आदि का उल्लेख हिंदी में हो, जबकि शेष बातें अंग्रेजी में रहें। शीर्ष बैठकों के कार्यवृत्त के वे अंश जो सामान्य तथा आवर्ती प्रकृति के हैं, उन्हें द्विभाषी या हिंदी में कर दिया जाए। यह उल्लेखनीय है कि प्रतीकात्मकता अपनाने का अर्थ यह बिलकुल नहीं है कि हम वहीं पर ठहर जाएं। बल्कि प्रतीकात्मकता हमारा प्रस्थान बिंदु होना चाहिए। हम इन क्षेत्रों में भी हिंदी के प्रयोग में सावधानीपूर्वक क्रमिक वृद्धि करें। इससे न्यूनतम प्रतिरोध के साथ हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढावा दिया जा सकेगा।

4. राजभाषा अभिप्रेरक

हिंदी अधिकारी प्रायः प्रधान कार्यालय या क्षेत्रीय अथवा अंचल कार्यलाय आदि में तैनात रहते हैं। इससे हिंदी के लिए प्रेरित करने और आवश्यक सहयोग प्रदान करने की प्रक्रिया सुचारु रूप से आगे नहीं बढ़ पाती। अतः शाखाओं में राजभाषा अभिप्रेरक नामित किए जा सकते हैं। इससे एक ओर हिंदी–प्रसार की गतिविधि राजभाषा अधिकारियों के दायरे से बाहर आएगी और नए हाथों पर पड़कर नया संस्कार प्राप्त करेगी। दूसरी ओर हर कार्यालय में हिंदी के लिए प्रेरणा तथा सहयोग उपलब्ध रहेगा। राजभाषा अभिप्रेरकों की निम्नलिखित भूमिका हो सकती हैरू

i- राजभाषा के लिए नोडल अधिकारी

ii- स्वंय हिंदी में अधिकाधिक कार्य करें,

iii- अन्य स्टाफ–सदस्यों को प्रेरित करें,

iv. हिंदी विषयक कठिनाइयों का निवारण करें।

अंचल या क्षेत्र के सभी राजभाषा अभिप्रेरकों के लिए वर्ष में एक कार्यशाला रखी जा सकती है, जिसमें राजभाषायी अपेक्षाएं और उनकी भूमिका, रिपोर्ट भरने में सावधानियों आदि पर सत्र रखे जा सकते हैं तथा प्रत्येक अभिप्रेरक को अपने द्वारा किए गए कार्य तथा हिंदी आगे बढ़ाने की योजना पर प्रस्तुतीकरण देने को को कहा जा सकता है।

5. विविध प्रयास

- अच्छा हिंदी कार्य करनेवालों को हर उपलब्ध अवसर पर सराहना, पहचान दिलायी जाए। इसके नए तरीके ईजाद करते रहने होंगे क्योंकि पुराने तरीके अपनी अपील खो देते हैं।
- नराकास आदि मंच पर अपनी संस्था की छवि गत्यात्मक और नई सोचवाली संस्था के तौर में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाए।
- समाचार पत्रों में संस्था की गतिविधियों के कवरेज हेतु सक्रिय

प्रयास कर संस्था छवि अभिवृद्धि में योगदान किया जाए।

- स्टाफ–सदस्यों से निरंतर सुझाव माँगते रहें। अपनी योजनाओं को भी उनके सुझावों के तौर पर सामने ला पाएंगे, तो उनका कार्यान्वयन बेहतर होगा।
- स्टाफ–सदस्यों को हिंदी कामकाज की दिशा में प्रेरित करने के लिए निरंतर नए–नए उपाय सोचे जाएँ और नियमित रूप से मेल के जरिए उन्हें संप्रेषित किया जाए।

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन के परंपरागत घटकों का नए ढंग से उपयोगः राजभाषा कार्यान्वयन के परंपरागत घटक नीरस और उबाऊ होते जा रहे हैं। आवश्यकता है कि हम इन्हें नई ऊर्जा दें और उनमें रोचकता एवं उपयोगिता का समावेश करें। हम यहां हिंदी कार्यशाला, पखवाड़ा, निरीक्षण, द्विभाषीकरण आदि परंपरागत घटकों के पुनरुज्जीवन के लिए कुछ उपायों की चर्चा करेंगे

1. हिंदी कार्यशाला में रोल रिवर्सल

हिंदी कार्यशाला के लिए रोल रिवर्सल की अवधारणा अपनाई जाए। अब हिंदी अधिकारी संकाय के बजाय मात्र मॉडरेटर का काम करें और संकाय की भूमिका का निर्वाह प्रतिभागियों से कराया जाए। उदाहरण के लिए पारिभाषिक शब्दावली के अभ्यास के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को अपनी–अपनी डेस्क से संबंधित 20–20 पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय की जानकारी देने को कहा जाए। विधि अधिकारी तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी को संकाय के रूप में शामिल किया जाए। व्यवसाय विकास पर परिचर्चा रखी जाए, जिसमें अध्यक्षता किसी सामान्य संवर्ग के किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए।

इसके अतिरिक्त, कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग का अभ्यास विषय केंद्रित होना चाहिए, जैसे बढ़ते हुए एनपीए की समस्या, हाउसकीपिंग को बेहतर बनाने के उपाय, सेवा की गुणवत्ता या विपणन में क्या अधिक महत्वपूर्ण है, व्यवसाय संवर्धन के उपाय आदि विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी या पत्र या नोट तैयार कराए जा सकते हैं। प्राप्त सुझावों को प्रतिसूचना के साथ प्रभारी–अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे कार्यशालाएं उपयोगी और रोचक बनेगीं और प्रतिभागी उनमें मजबूरी के बजाय उत्साह से भाग लेंगे।

2. हिंदी पखवाड़े में प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं नवोन्मेष

हिंदी पखवाड़े में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए सभी क्षेत्रीय/अंचल कार्यालय अपनी–अपनी शाखाओं को साथ जोड़े, तो छोटे–छोटे कार्यालयों में भी हिंदी के पक्ष में अनुकूल वातावरण तैयार होगा। हम अपने कार्यालय में यह प्रयोग सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हिंदी पखवाडे के लिए ऐसी नवोन्मेषी प्रतियोगिताएँ विकसित की जाएँ जिनसे स्टाफ–सदस्यों के नेतृत्व के गुण (निर्णयन, संप्रेषण, प्रस्तुतीकरण आदि) विकसित हों और उनका विपणन कौशल बढ़े, संस्था की विभिन्न योजनाओं और कार्यकलापों के विषय में उनकी समझ गहरी हो और कंप्यूटर पर हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, पीपीटी आदि विषयक उनकी दक्षता में वृद्धि हो।

3. निरीक्षण प्लस की अवधारणा

राजभाषायी निरीक्षण में टिपिकल इंस्पैक्टर की भूमिका निभाना या विभिन्न मदों में पाई गई कमियों को इंगित करना पर्याप्त नहीं होना चाहिए। इसके बजाय निरीक्षण प्लस की अवधारणा अपनाई जाए। निरीक्षण के अवसर का उपयोग शाखाओं को सहयोग एवं स्टाफ–सदस्यों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाए। कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग संबंधी समस्याओं को दूर करने, हिंदी प्रयोग की संभावना वाले नए क्षेत्रों का पता लगाने, नए–नए विषयों पर पत्र, नोट अथवा मेल के हिंदी/द्विभाषी मानक प्रारूप तैयार करने में निरीक्षण का बेहतर उपयोग हो सकता है। साथ ही, निरीक्षण के दौरान प्रत्येक स्टाफ–सदस्य से व्यक्तिगत रूप से मिलकर, उनके कामकाज की प्रकृति के अनुरूप हिंदी प्रयोग की दिशा में प्रेरित–प्रोत्साहित करने पर बल दिया जा सकता है।

4. तिमाही बैठको में नवीनता

अकसर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें रस्म अदायगी बनकर रह जाती हैं। समिति के सदस्य अमूमन बैठक में कोई रुचि नहीं लेते। छोटे कार्यालयों की स्थिति और भी खराब होती है। इन बैठकों में जीवंतता लाने के लिए दो सुझाव प्रस्तुत हैं

- तिमाही बैठकों में परंपरागत कार्यसूची पर चर्चा के अतिरिक्त प्रत्येक अनुभाग के प्रतिनिधि को अपने हिंदी कामकाज का ब्यौरा, उसमें आई कठिनाइयां तथा हिंदी प्रयोग में वृद्धि के लिए सुझाव संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने को कहा जाए।
- इस पर विचार किया जाए कि क्या शाखाओं को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से जोड़कर क्षेत्र की एक ही बैठक की जा सकती है और उसे सभी कार्यालयों की बैठक माना जा सकता है। सभी कार्यालय अपना कार्यवृत्त अलग–अलग रिकॉर्ड करें।

5. द्विभाषीकरण के बजाय हिंदीकरण पर बल

राजभाषा कार्यान्वयन में द्विभाषीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। धारा 3(3) के दस्तावेज द्विभाषी किए जाने आवश्यक हैं। परंतु हर मामले में द्विभाषीकरण करने से हिंदी को बढ़ावा नहीं मिलता क्योंकि हिंदी के साथ अंग्रेजी उपलब्ध होने के कारण प्रायः हिंदी पाठ को ज्यादातर लोग पढ़ते ही नहीं। ऐसे में यदि धारा 3(3) को छोड़कर शेष मामलों में द्विभाषीकरण के बजाय हिंदीकरण पर जोर देने से कई लाभ होंगे। एक तो कागज बचेगा और समय बचेगा। हिंदी पर निर्भरता बढ़ेगी। हिंदी पढ़ने और समझने का स्वभाव विकसित होगा। भविष्य में पीछे पलटने पर फाइल में और कंप्यूटर में संबंधित दस्तावेज हिंदी में ही मिलेंगे, जिनका नया व्यक्ति भी आरंभिक हिचक के बाद आसानी से हिंदी का प्रयोग कर सकेगा। इस पद्धति का प्रयोग करते समय यह सावधानी अवश्य बरती जाए कि संप्रेषण मं बाधा न पहुंचे। इसके लिए कठिन हिंदी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय कोष्ठक में रख दिए जाएं। साथ ही, प्राप्तकर्ता कौन है इसे ध्यान में रखते हुए ही इस पद्धति का प्रयोग किया जाए।

समग्रतः ये कुछ सुझाव और उपाय हैं जिनसें हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है और अधिकारियों को प्रेरित किया जा सकता है। आज हम इन उपायों को अपनाएंगे तो कल हमें कुछ नए उपाय भी दीख जाएंगे क्योंकि, जैसा कि जे. पी. मॉर्गन का कथन है, "आप जहाँ तक देख सकते हैं, वहाँ तक जाइए; जब आप वहाँ पहुँचेंगे, तब आप और आगे देख सकेंगे ।"

अंग्रेजी के मूल शब्द लगभग 10,000 हैं, जबकि हिन्दी के मूल शब्दों की संख्या ढाई लाख से भी अधिक है।

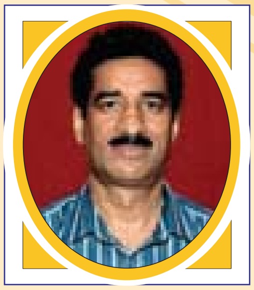

सरकारी कार्यालयों में कार्यालयीन भाषा - राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढावा देने के उपाय

डॉ0 अमर सिंह सचान
राजभाषा अधिकारी, रा.आ.बैंक

मानव के विकास के साथ भाषा का विकास जुड़ा है। मानव ने परसार संपर्क एवं संचार के लिए भाषा का माध्यम अपनाया होगा जो पहले कुछ सीमित शब्दों, हाव–भाव, इशारों या संकेतों तक रहा होगा और बाद में धीरे–धीरे इसका स्वरूप विस्तृत एवं विकसित होता रहा। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि भाषा का स्वरूप ऐतिहासिक होता है, सनातन नहीं। यानि कि भाषा समय की गति और परिवर्तन के माध्यम से विकसित होने वाली संस्था है। यद्यपि भारत में बहुत सारे लोग संस्कृत भाषा को मानव से विकसित न मानकर ''देववाणी'' कहते हैं। उनका मानना है कि यह विकसित स्वरूप में ईश्वर द्वारा प्रदत्त दैवी वरदान है। परंतु इसमें कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं है, क्योंकि बाद में संस्कृत ही समय के साथ बदलते हुए पालि, प्राकृत, अपभ्रंश का रूप लेते हुए हिंदी के रूप में विकसित हुई। यानि कि समय और समाज के साथ भाषा का स्वरूप भी परिवर्तित होता है। यही कारण है कि समय और समाज परिवर्तन के निशान भाषा पर भी देखे जा सकते हैं। यदि ऐसा न होता तो आज संपूर्ण भारत में संस्कृत भाषा बोली जा रही होती।

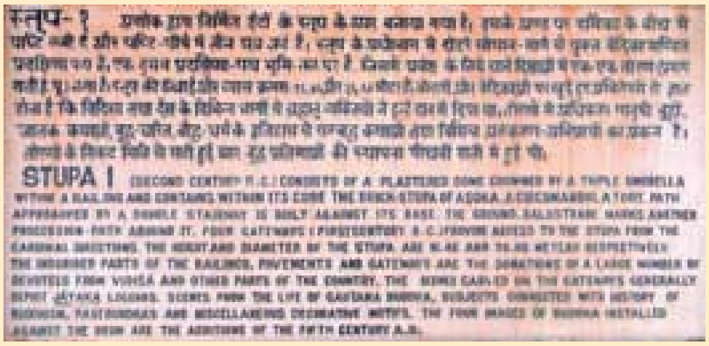

आज जो हिंदी या मानक हिंदी बोली जा रही है, उसका इतिहास कम से कम 5000 वर्ष पुराना है। इसे मोटे तौर पर तीन काल खंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम काल खंड ईशा पूर्व को लगभग 1500–2500 वर्ष पुराना काल खंड है जब संस्कृत प्रमुख भाषा थी। उस दौरान सुशिक्षित वर्ग संस्कृत और साधारण जन या ग्राम जन एवं अशिक्षित वर्ग प्राकृत बोलता था। दूसरा काल खंड ईसवीं सन् के प्रारंभ से 1000ई. तक का मान सकते हैं जब संस्कृत के साथ प्राकृत, पालि आदि भाषाओं का प्रचलन था। ये सभी भाषा संस्कृत से निकली खिचड़ी भाषाएं थी, एक प्रकार से देशज स्वरूप था। तीसरा काल खंड 11वीं शती से अब तक का माना जा सकता है। जब पालि, प्राकृत एवं संस्कृत ने अपभ्रंश का रूप लेते हुए खड़ी/ब्रज/अवधी जैसी तमाम भाषाओं तक की यात्रा तय की और इसी दौरान तुर्क, मुगल, ईरानियों, अफगानियों/मुगलों आदि के शासन माध्यम से तमाम अरबी, फारसी, डच, पुर्तगाली, रोमन व अंग्रेजी आदि तमाम विदेशी भाषाओं के शब्द भी समाहित हुए। इन तमाम भाषाओं और संस्कृतियों एवं समुदायों से आए शब्द भी उत्तर भारत की भाषाओं में समाहित हुए, तब जाकर कहीं कई सौ–दो सौ वर्षों के बाद आधुनिक हिंदी उभर कर आई। जिसमें व्याकरण पद्धति तो खड़ी हिंदी बोली की रही, परंतु शब्दों को दुनिया भर की तमाम भाषाओं से अपनाया गया।

यहां पर ध्यानाकर्षित करना आवश्यक होगा कि हमारा निबंध चूंकि वर्तमान में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने पर आधारित है अतः भाषा के विकास की कहानी को संक्षेप में जानना आवश्यक है। जैसा कि मैने पहले ही कहा है कि भाषा निरंतर परिवर्तनशील विकास का स्वरूप है और इसी कारण इस भाषा की गंगा में तमाम उपभाषाएं एवं बोलियाँ तथा देशी व विदेशी भाषाओं के नदी–नाले उसमें समाहित होते रहते हैं। भाषा का आकार बढ़ता रहता है और नाम गंगा की भांति चलता रहता है। हिंदी के विकास में मुख्यतः अवधी एवं बृज भाषा को गंगा–जमुना कहा जा सकता है जिसमें खड़ी बोल के संगम से आधुनिक हिंदी का स्वरूप निकल कर आया। 15वीं शती के पूवार्ध में ही हिंदी में विभिन्न भाषाओं को अपनाने की प्रवृत्त देखने को मिलती है। मलिक मुहम्मद जायसी ने उदारता पूर्ण नीति अपनाने की हिमायत की थी–

तुरकी, अरबी, हिंदुई, भाषा जेती आहि
जेहि में मारग प्रेम कर सबै सराहै ताहि

यानि जन–जन को प्रेम से जोड़ने वाली भाषा को सभी अपनाते एवं सराहते हैं।

सन् 1800 में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना के साथ हिंदी भाषा को आधुनिक रूप मिला, जहां उसे एक विषय का दर्जा देकर पढ़ाया जाने लगा। इसका मूल उद्देश्य अंग्रेजों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराना था, ताकि वे अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान जनता से संचार कायम कर सकें। यहां पर यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से संस्कृत का सिंधु शब्द हिंद बना और उनकी भाषा सिंधवी से हिंदवी या हिंदी बनी। इसके साथ ही भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ छापाखानों का आना सभी भाषाओं, विशेष रूप से हिंदी के लिए वरदान साबित हुआ। प्रारंभ में इन छापाखानों में धार्मिक पुस्तकें छापी गई; लेकिन इन्हीं के साथ पत्रिका या अखबार निकालने की परंपरा ने जोर पकड़ा, पुस्तकें लिखी गई और इसी दौरान अनेक जाने–माने कवि, लेखक पैदा हुए, जिससे हिंदी के पूरे भारत में विशेष रूप से उत्तर एवं मध्य भारत में विस्तार का सुअवसर मिला। हिंदी के माध्यम से राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक आंदोलन चले, जिसके कारण लोगों ने क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक भाषाओं से निकलकर अखिल भारतीय भाषा अपनाने पर जोर दिया और चूंकि हिंदी बहुत बड़े भू–भाग पर बोली व समझी जाती थी, अतः हिंदी ने इस स्थान को जाने अनजाने शीघ्र ही अपना लिया। हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप देने में जहां ब्रहम समाज, आर्यसमाज, सनातन धर्म सभा थियोसॉफिकल सोसायटी, नागरी प्रचारिणी सभा जैसे

सामाजिक–सांस्कृतिक संस्थानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं कांग्रेस की स्थापना के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

हिंदी की अपनी व्यापकता, बोलने वालों की संख्या एवं विस्तृत स्वरूप एवं पहुंच के साथ–साथ बीसवीं शती में आई वैज्ञानिक प्रगति एवं संचार क्रांति ने हिंदी को नई ऊंचाइयों पर ला कर खड़ा कर दिया। रेडियो और टी.वी. क्षेत्र में आई प्रगति एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते हिंदी न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक अपनी पहुंच बनाने में सफल रही। यही कारण है कि एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत का उदय आधुनिक युग में औपनिवेशिक दौर की महान घटना है। राष्ट्रभाषा उसी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की चेतना का अभिन्न अंग थी। एक देश की राष्ट्र भाषा में उसकी सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एवं राजनीतिक चेतना समाहित होती है। जो किसी भी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। जिस भाषा को समूचा राष्ट्र अपना लेता है वही राष्ट्र का दर्जा पाने योग्य होता है। जैसे जापान की जापानी, रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रेंच, वैसे ही भारत की राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी को यह दर्जा हासिल हुआ। देश की स्वतंत्रता की चाहत के साथ सुभाष चंद्र बोस, बालगंगाधर तिलक, रविन्द्र नाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बंकिम चंद चटर्जी, दयानंद, केशवचंद आदि अनेक विभूतियों ने हिंदी को एक मत से जनांदोलन एवं देश की राष्ट्र भाषा बनाने पर जोर दिया। इन सभी नेताओं के प्रयास से हिंदी राष्ट्र भाषा के पद पर विराजमान हुई। राष्ट्र भाषा हिंदी राष्ट्रीय एकता और अखंडता, राष्ट्रीय आत्म–सम्मान, पहचान एवं बहुलतावादी संस्कृति का प्रतीक बनी। आज सिनेमा, मीडिया जगत विज्ञापन जगत एवं टेलीविजन जगत में हिंदी भाषा सिरमौर है। सभी हिंदी के सहारे लाभ व प्रसिद्धि पाने के लिए इसके साथ खड़े है। आज भारत में हिंदी के अलावा आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य तमाम भाषाएं यथा मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, बंगला, उड़िया, तमिल, तेलगु, कन्नड एवं मलयालम के साथ उर्दू आदि भी राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है।

इस बात में कोई दो मत नहीं है कि सही मायनों में हिंदी राष्ट्र भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी नित नए–नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। टी.वी. की दुनिया में हिंदी ने एक तरह से कब्जा कर लिया है। आज आलम यह है कि अंग्रेजी चैनलों में ही नहीं, बल्कि विदेशी चैनलों में भी हिंदी सीरियल समाचार, विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, यहां तक कि विदेशी फिल्में, सीरियल, विज्ञापन हिंदी में डब कर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। हिंदी का व्यवसायिक रूप खूब निखर रहा है। सभी देशी–विदेशी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए हिंदी को अपना माध्यम बना रही है।

इसे एक विरोधाभास भी कहा जाएगा कि जहां हिंदी जन–जन की भाषा तो बन गई है किंतु अभी तक सही मायनों में सरकारी राज–काज की भाषा नहीं बन सकी है। केन्द्र तथा सभी हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को यद्यपि राजभाषा के रूप में मान्यता दी जा चुकी है किन्तु सरकारी अधिकारियों, विशेष रूप से केन्द्र एवं राज्य के उच्चाधिकारियों के बीच काम–काज में हिंदी का प्रयोग बहुत कम हो रहा है। पिछले पैंसठ सालों से हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर तमाम प्रयास किए गए। समितियां एवं आयोग गठित किए गए। किन्तु सही अर्थों में हिंदी का उपयोग नहीं हो रहा है। आज भी कार्यालयों में हिंदी माध्यम से टिप्पण, प्रारूपण, संक्षेपण, प्रयुक्ति एवं पत्राचार नहीं हो रहा, बल्कि इसकी जगह अंग्रेजी एवं अनुवाद ने ले रखी है। तमाम कोशिशों के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है।

यह बात सर्वविदित है कि हिंदी के प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। 14 सितंबर, 1946 को संविधान सभा की नियम समिति से इस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ 14 जुलाई, 1947 को हिंदुस्तानी के स्थान पर 'हिंदी' नाम दिया गया और 5 अगस्त, 1949 को एक संकल्प लिया गया। यद्यपि 15 अगस्त, 1947 से ही अंग्रेजी की जगह हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तथापि 14 सितंबर, 1949 को यह प्रावधान किया गया जिसके अनुसार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 1950 से हिंदी भारतीय संघ की प्रशासनिक काम–काज की भाषा बन गई। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा तथा देवनागरी को उसकी लिपि घोषित किया गया। अनुच्छेद 343(2) में यह भी प्रावधान किया गया कि शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को प्रयोग में लाया जाए। अनुच्छेद 301(क) में संघ की राजभाषा के संबंध में लिखा गया। अनुच्छेद 301(ख) में राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समिति गठित की गई। अनुच्छेद 301(ग) में राज्य की राजभाषा/राजभाषाओं के बारे में लिखा गया और 301 (घ) में राजकीय प्रयोजनों तथ दो राज्यों के बीच संचार हेतु राजभाषा हिंदी पर बल दिया गया। 301(च) में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा पर विचार हुआ। इसी प्रकार अनुच्छेद 301 के (छ), (ज), एवं (झ) में राजभाषा विकास के कई निर्देश दिए गए।

इसे देश की भाषाई विविधता की मजबूरी माना जाए या देश के जननायकों में इच्छाशक्ति का अभाव या फिर सत्ता की लोलुपता को दोषी माना जाए कि संवैधानिक प्रावधानों और व्यवस्थाओं के बाद भी आजादी के तुरंत बाद ही हिंदी राजभाषा का दर्जा पाकर भी राजभाषा का सार्थक स्वरूप और स्थान नहीं पा सकी। यही वे बातें है जो आज तक हिंदी को अपना यथोचित स्थान दिला पाने में असफल रहीं। संविधान में राजभाषा के संबंध में बाद में कुछ संशोधन किए गए और इनके बहाने अंग्रेजी भाषा को 15 वर्ष की अवधि तक राजभाषा के कामकाज के लिए जारी रखने को कहा गया। हालांकि हिंदी की प्रगति व प्रयोग को ध्यान में रखकर 7 जून, 1955 को राजभाषा आयोग गठित किया गया और 27 अप्रैल, 1960 को राष्ट्रपति के आदेश से संसदीय समिति की सिफारिशें की गई।

कार्यालयीन हिंदी के रूप में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं रखने का प्रावधान किया गया। यानि कि 15 जून अगस्त, 1947 को अंग्रेजी की जगह हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 14 सितंबर, 1949 को यह प्रावधान किया गया कि 26 जनवरी, 1950 से भारतीय संघ का

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का आन्दोलन अहिन्दी भाषियों ने आरम्भ किया।

सारा कामकाज हिंदी में किया जाएगा। हिंदी की राजभाषा एवं देवनागरी लिपि के अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मानक अंकों के प्रयोग का प्रावधान किया गया। कुछ प्रावधान कर अंग्रेजी को 15 वर्ष की अवधि देते हुए 26 जनवरी, 1965 से पूर्णरूपेण हिंदी में सरकारी कामकाज करने का प्रावधान रखा गया। लेकिन देश की भाषा विविधता एवं राजनैतिक विरोध के कारण अनुच्छेद 341 के खंड (3) के अनुसार पुनः यह प्रावधान किया गया कि 1965 के उपरांत भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। यह प्रावधान ही राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यालयीन भाषा बनने की सबसे बड़ी बाधा बना। यही कारण है कि राजभाषा अधिनियम 1963 एवं राजभाषा नियम 1976 आदि के तमाम उपायों एवं प्रावधानों के बावजूद हिंदी अपना उचित स्थान न पा सकी।

उपरोक्त तमाम प्रावधानों एवं बाधाओं के बीच हिंदी को राजभाषा के रूप में सही अर्थों में प्रायोगिकता बढ़ाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। अक्सर गैर हिंदी भाषी ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषी भी यह शिकायत करते पाए जाते हैं कि कार्यालयी पत्राचार एवं नोटों आदि में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा बहुत कठिन होती है। यह साधारण व्यक्तियों को तो छोडिए, पर्याप्त पढ़े लिखों को भी समझ में नही आती। ऐसा होने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। प्रथम तो यह कि दुनिया भर की सभी भाषाओं के दो स्वरूप होते हैं जिसमें एक बोलचाल की भाषा होती है और दूसरी मानक भाषा होती है। इसी तरह हिंदी के भी दो स्वरूप है एक बोलचाल की और दूसरी मानक अर्थात साहित्यिक भाषा, जो व्याकरण आदि के नियमों से आबद्ध होती है। हिंदी के कठिन होने की बात भी पर्याप्त सच है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी एक प्रकृति एवं प्रवाह होता है। आज हमारे

देश में कार्यालयों के पत्राचार एवं टिप्पण लेखन आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा मूलरूप से हिंदी नहीं होती, बल्कि यह अंग्रेजी का अनुदित रूप होता है। जब एक भाषा को किसी अन्य भाषा के अनुवाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो यह अपनी मौलिकता खो देती है। उसकी अपनी प्रकृति एवं प्रवाहशीलता नष्ट हो जाती हे क्योंकि तब प्रयोगकर्ता उस विदेशी भाषा के मूल शब्द का समतुल्य अर्थ वाला शब्द चुनकर लाया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि कार्यालयी हिंदी भाषा दुरूह एवं दुष्कर होती है। यदि कार्यालय के पत्र, टिप्पणी नोट आदि की मौलिक रचना हिंदी में की जाए तो हिंदी के कठिन स्वरूप से तत्काल मुक्ति पाई जा सकती है। हिंदी भाषा के इस गैर प्राकृतिक स्वरूप का प्रयोग पिछले साठ सालों से हो रहा है और इसके बावजूद भी वह कठिन क्यों हैं। इतने दिनों में तो यह अप्राकृतिक भाषा भी सहज लगनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यह है कि हिंदी के उपयोगकर्ता इससे चिरपरिचित नहीं हुए; बल्कि सभी कार्यालयों में स्थापित राजभाषा सेल/विभागों पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई कि वे अनुवाद कर पत्र या टिप्पणी उपलब्ध कराएं। किसी भी भाषा से यदि चिरपरिचित हो जाएं तो हर वह कठिन शब्द, जो प्रथम बार कठिन लगता है स्वतः ही सरल एवं सहज लगने लगता है।

वर्तमान समय पर हिंदी को कार्यालयीन उपयोग में बढ़ावा देने के लिए यह अति आवश्यक है कि सरकारी कार्यालय में नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी की बेसिक शिक्षा अनिवार्य बनाई जाए। उन्हें हिंदी में टिप्पण, प्रयुक्ति, पत्राचार, संक्षेपण, आलेखन आदि का भी अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। टिप्पण लेखन एवं पत्राचार को थोड़े प्रशिक्षण के साथ सीखा जा सकता है। हिंदी भाषी सभी कार्मिकी को हिंदी में काम करने के लिए अनिवार्यता की जाए। यहां पर यह बात भी ध्यान रखी जानी चाहिए कि हिंदी के प्रगामी प्रयोग में अनुवाद या अनुवादकों को एक सुविधा के रूप में उपलब्ध कराया गया था, आज वहीं इसके प्रचार–प्रसार में जाने अनजाने बाधक साबित हो रहे हैं। आज भी कुछ सरकार के कार्यालयों में मौलिक पत्राचार एवं नोट लेखन अंग्रेजी में होता है और कोई भी हिंदी में पत्र या नोट तैयार नहीं करना चाहता है। वे सभी अनुवादकों का सहारा लेकर पत्र या नोट का हिंदी स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। यह भी देखा गया है कि अधिकतर कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ दंडात्मक या निरीक्षण या लक्ष्य प्राप्ति संबंधी प्रावधान रखे जाते है जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंग्रेजी पत्रों का हिंदी करा कर लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है लेकिन इससे हिंदी का काम करने की इच्छा एवं सीखने की चाह खत्म हो जाती है और पत्र/नोट की हिंदी करने का काम केवल हिंदी सेल या विभाग की जिम्मेदारी बनकर रह जाता है।

आज सभी सरकारी विभागों में यह हौवा भी खड़ा कर दिया गया है कि जो अंग्रेजी जानता है वही गुणी है और विद्वान है और जो केवल हिंदी जानता है या अंग्रेजी जानता है पर बोल नहीं सकता, वह मूर्ख है। इस वातावरण ने भी हिंदी के प्रचार–प्रसार में बहुत हानि पहुंचाई है। यही कारण है कि हिंदी भाषी प्रदेशों के लोग भी अंग्रेजी में काम करने की प्राथमिकता देते हैं ताकि कार्यालय के भीतर उन्हें अज्ञानी एवं मूर्ख न समझा जाए। जब तक इस तरह के माहौल को समाप्त नहीं किया जाएगा हिंदी का प्रयोग नहीं बढ़ पाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि यह उच्च अधिकारी वर्ग तय कर ले कि वे हिंदी में आनेवाली फाइलों को प्राथमिकता देंगे, हिंदी माध्यम में वार्तालाप गोष्ठियों, संगोष्ठियां आयोजित करने को प्रोत्साहित करेगें तो हिंदी का प्रयोग तेजी के साथ बढ़ सकता है। हिंदीमय माहौल होने से जो हिंदी आज कठिन लग रही है, कल वही सहज, सरल एवं पहुंच वाली लगेगी।

हिन्दी पत्रकारिता का आरम्भ भारत के उन क्षेत्रों से हुआ जो हिन्दी–भाषी नहीं थे।

ऋण वसूली को बेहतर बनाने के नवोन्मेषी उपाय तथा जोखिम प्रबंधन

मुकेश आनंद मेहरा
मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, कोलकाता

वित्त एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो विभिन्न क्षेत्रों को आपस मे जोड़ने का कार्य करता है तथा देश की आर्थिक वृद्धि मे उत्प्रेरक का कार्य करता है। सभी क्षेत्रों को आवश्यक वित्त उपलब्ध कराने मे बैकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्वस्थ और विकास उन्मुख अर्थव्यवस्था के लिये वित्त की तरलता और मुद्रा का प्रवाह आवश्यक है। यह तभी सम्भव है, जब बैंक परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बनाए रखे जिससे वित्त की तरलता बनी रहे।

आज हमारे सामने यह बहुत बड़ा प्रश्न है की आस्तियों की गुणवत्ता में कैसे वृद्धि की जाए और बेहतर वसूली को किस तरह प्रभावी बनाया जाए ? बैंकों के सामने आस्तियों की गुणवत्ता का प्रबंधन उनके अस्तित्व के लिये जरूरी हो गया है तथा हमने हाल ही मे देखा है कि किन परिस्थितियों मे एक बैंक के उच्चतम अधिकारी को एन.पी.ए. में व्यापक वृद्धि के परिणामस्वरूप अपना पद छोड़ना पड़ा है। एन.पी.ए. मे बढ़ोत्तरी से जहां लाभ पर विपरीत प्रभाव पड़ता है वहीं बैंक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार भारतीय बैंकों का सकल एन.पी.ए. वर्ष 1996–97 मे 15.7% से वर्ष 2010–11 मे 2.35% तक कम हो गया था। लेकिन बैंकों के सकल एन.पी.ए. मे वर्ष 2011–12 से निरंतर

एन.पी.ए. की प्रवृति	
वर्ष	सकल एन.पी.ए. (%)
1996–97	15.7
2010–11	2.35
2011–12	2.94
2012–13	3.42
दिसंबर 2013 (अनुमानित)	4.47
स्रोत : RBI Reports	

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि बैंकों की आस्तियों की गुणवता मे वर्ष 2011–12 से निरंतर गिरावट आ रही है, जो चिंतनीय है। जैसा की हम सब जानते हैं की वर्ष 2013–14 के ऑकड़े इनसे भी बदत्तर हैं। अधिक चिंता की बात यह है की पुनर्गठित खातों की संख्या मे इससे भी ज्यादा वृद्धि देखी गई है, जो नीचे दी गई है :–

नरसिम्हन समिति –I & II के आधार पर भारत सरकार द्वारा वित्तीय सुधारों की शुरूआत की गई तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण निगरानी प्रक्रिया अपनाने के लिए विवेकपूर्ण मानदण्डों की शुरूआत की गई। इसे आगे मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा The Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act] 1993 and the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 को अमल मे लाया गया तथा हाल ही इन्हें ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए 15.01.2013 से

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पुनर्गठित खाते		
वर्ष	राशि (रू लाख करोड़ मे)	% पुनर्गठित अग्रिम / सकल अग्रिम
2009	0.75	2.73
2010	1.36	4.23
2011	1.38	3.45
2012	2.18	4.68
2013	3.58	5.70
स्रोत : Economic Times dated 31.10.12 & Financial Stability Report June`13		

महत्वपूर्ण बदलाव किये गए है।

अतः हमे बैकों की ऋण वसूली को मजबूत करना होगा। एनपीए होने पर वसूली कैसे करें, क्या करें आदि पर विचार करने की आवश्यकता है। बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर चिंता जाहिर करते हुए उद्योग संगठन सीआईआई ने इस समस्या से निपटने के लिए पांच–सूत्री कार्रवाई योजना का सुझाव दिया है।

वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपे गए उपायों में कारपोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) प्रणाली में बदलाव, बुनियादी ढांचे के लिए विशेष समाधान प्रणाली, राष्ट्रीय परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों के लिए पूंजीकरण बढ़ाने के मामले में मानदंडों को उदार बनाना और दिवालिया कंपनियों से जुड़े नियमों की प्रभावशीलता बढ़ाना शामिल हैं।

सीआईआई ने कहा कि भारत में 2013–14 के मध्य में कुल 10 प्रतिशत ऋण की वसूली नहीं हो पा रही थी जिसका अनुपात 2014–15 तक बढ़कर 15 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। उद्योग मंडल ने कहा कि आर्थिक नरमी के साथ उच्च ब्याज दर के कारण बैंकिंग क्षेत्र में परिसंपत्ति की गुणवत्ता बेहद प्रभावित हुई। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ साल में वृद्धि दर नौ प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत पर आ गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त ऋण वसूली को बेहतर बनाने के लिये निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता है:–

1. रोकथाम इलाज से बेहतर है। जोखिम प्रबंधन को प्रभावी बनाया जाए, जिस पर अलग से चर्चा की गई है। इकाई, उद्योग, उद्यमी का वित्तीय हिस्सा, प्रबंधन आदि, के बारे में पूर्ण जानकारी एकत्र किया जाना चाहिए जो अलाभकारी परियोजनाओं का पता लगाने में मदद करता है।
2. ऋण वसूली का मूल मंत्र है – ऋणी के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखे, कभी भी संवाद विच्छेद ना होने दें।
3. ऋण वसूली के लिए बैक द्वारा कम बकाया राशी (रू 10 लाख तक) के लिये विशेष वसूली योजनाएं लाई जाएं जिसमें बैंक के समस्त स्टाफ सदस्यों के योगदान पर जोर होना चाहिए तथा स्टाफ सदस्यों को वसूली पर प्रोत्साहन का प्रावधान होना चाहिए जिससे एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम हो सके।
4. नियमित अंतराल पर वसूली कैम्पस का आयोजन किया जाए, जिसमे स्थानिय सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं, किसान क्लब,

एसएलबीसी, बीएलबीसी आदि का योगदान लेना चाहिए।

5. सरफेसी एक्ट के तहत त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए, जहां आवशयकता हो वसूली एजेंट की नियुक्ति तुरन्त की जाए। समय – समय पर वसूली एजेंटो के कार्य का मूल्यांकन किया जाए तथा त्वरित वसूली पर प्रोत्साहन देने का प्रावधान प्रावधान होना चाहिए।
6. बड़े ऋण खातों मे जहां पर सरकारी लिक्विडेटर नियुक्त हैं वहां पर काफी बड़ी राशि लिक्विडेटर के पास पड़ी हुई है, जिसका समायोजन सदस्य बैंकों को किया जाना है, लेकिन इन खातों मे विभिन्न तकनीकी पहलू होने के कारण वसूल की गई राशि का समायोजन कई वर्षों तक नहीं हो पाता है । अतः इन खातो मे विशिष्ट एजेंसी की नियुक्ति की जानी चाहिए।
7. शाखा स्तर पर या शाखाओं के समूह मे ऋण मुक्ति शिविर लगाने चाहिए जिससे एनपीए खातों में जहां सम्भव हो सके समझौते/ओ. टी.एस. के लिये प्रयास करने चाहिए तथा लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।
8. जिन एनपीए खातों मे पुनरूध्दार की संभावना हो वहां पर पुर्नसंरचना की जानी चाहिए।
9. खाता एनपीए होने के साथ ही अन्य वसूली प्रयासो के साथ–साथ सूट फाइल, डीआरटी तथा सरफेसी के तहत कार्यवाही मे विलम्ब नहीं करना चाहिए।
10. जानबूझ कर चूककर्ता के नाम डिफाल्टर सूची मे शामिल करवाने चाहिए।
11. संघीय/मल्टीपल खातों में जोइंट लैण्डर फोरम के स्थापना करनी चाहिये जिससे वसूली त्वरीत की जा सके तथा सभी प्रकार की जानकारियों का आदान प्रदान करना चाहिए।
12. गत वर्षों में अधिक्तर खाते प्रोजक्ट समय पर पूरे नहीं होने के कारण एनपीए मे वर्गीकृत हुए हैं, जिनमें से अधिकांश में समय पर अनुमोदन नही मिलना है। इस समस्या के स्थाई हल के लिये बैंक को आरबीआई तथा सरकार के साथ मिल कर विस्तृत कार्ययोजना बनाने की आवशयकता है।

जोखिम प्रबंधन

भारत में उदारीकृत अर्थव्यवस्था के साथ ही बैंक तथा नियामक जोखिम में हुई वृद्धि को मापने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्लोबल बनने के साथ, बैंक जोखिमों के विभिन्न प्रकार का महत्व समझ रहे हैं। जोखिम के कुछ प्रकार हैं क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम, साख जोखिम और कानूनी जोखिम। रिजर्व बैंक ने सर्वप्रथम बैंकों को 20 अक्टूबर, 1999 को जोखिम प्रबंधन पर दिशा निर्देश जारी किए।

जोखिम प्रबंधन का अर्थ है जोखिम की पहचान, मूल्यांकन एवं निगरानी के साथ–साथ संसाधनों का समन्वित तथा आर्थिक प्रयोग कर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संभाव्यता अथवा प्रभाव को न्यूनतम करना, परखना और नियंत्रित करना है। किसी भी व्यवसाय का मूल उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है तथा लाभ की मात्रा मे बढ़ोतरी के साथ जोखिम भी बढ़ता जाता है। बैंक भी इसका अपवाद नही है, अपितु बैकों के व्यवसाय तथा लेन–देन मे सामान्य व्यवसाय की तुलना मे अधिक जोखिम होता है क्योंकि बैंक अपना व्यवसाय जनता की जमाओं से करते हैं तथा इसके साथ–साथ विविध प्रकार की आर्थिक सेवाएं देने का प्रयास करते हैं।

बैक द्वारा अपने व्यवसाय से व्यापक प्रतिफल तथा जोखिम के मध्य संतुलन बनाए रखने को ही जोखिम प्रबंधन कहते है।

बैंकिग व्यवसाय मे प्रायः निम्नलिखित प्रकार के जोखिम पाये जाते हैः–

1. ऋण जोखिम :– डिफॉल्ट जोखिम, वसूली जोखिम, आस्ति के मूल्य मे कमी जोखिम, पूर्व भुगतान जोखिम, देश जोखिम, कंसट्रेशन जोखिम, सहसंबंध जोखिम
2. मार्केट जोखिम
3. परिचालनात्मक जोखिम
4. ब्याज दर जोखिम
5. तरलता जोखिम
6. विदेशी मुद्रा जोखिम
7. नियामक जोखिम
8. प्रौद्योगिकी जोखिम
9. व्यापार और रणनीतिक जोखिम
10. प्रतिष्ठा जोखिम

बैक द्वारा उपरोक्त वर्णित जोखिमों को पहचान कर नियंत्रित करने के लिए आरबीआई, बेसल आदि के दिशानिर्देशों के तहत विभिन्न प्रकार के दिशानिर्देश तथा नीतियाँ अपनाते है। वैसे तो सभी प्रकार के जोखिम मत्वपूर्ण है लेकिन ऋण जोखिम, मार्केट जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिम प्राथमिक जोखिम है जो बैकों के प्रदर्शन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। यहां पर हम कुछ जोखिमों के बारे में तथा बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले उपायो के बारे मे चर्चा करेंगे :–

ऋण जोखिम :–

अ) ऋण नीति – क्रेडिट अप्रुवल
आ) विवेकपूर्ण सीमाएँ
इ) क्रेडिट रेटिंग के द्वारा जोखिम का आकलन करना तथा 5 या अधिक वर्षों के पोर्टफोलियो व्यवहार से अपेक्षित ऋण हानि – अप्रत्याशित ऋण हानि का आकलन करना
ई) मूल्य निर्धारण का जोखिम वैज्ञानिक आधार पर (क्रेडिट रेटिंग आधारित)
उ) प्रभावी ऋण समीक्षा तंत्र और पोर्टफोलियो प्रबंधन
ऊ) ऋण खातो की समीक्षा
ऋ) आफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जोखिम नीति
ए) अंतर बैंक एक्सपोजर – देश जोखिम नीति
ऐ) क्रेडिट आडिट
ओ) स्टाक आडिट
औ) शाखाओं का कंकरन्ट आडिट
अं) विभिन्न सेवाओ जैसे दृ सीबील, एमसीए 21, आरबीआई चूककर्ता सूची, टीईवी स्टडी आदि

मार्केट जोखिम :–

पूर्व मे केवल ऋण जोखिम पर ही ध्यान दिया जाता था लेकिन उदारीकृत अर्थव्यवस्था के साथ ही बाजार के मानकों में बदलाव से मार्केट जोखिम का महत्व समझ में आने लगा। मार्केट जोखिम – तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, कमोडिटी मूल्य – इक्विटी मूल्य जोखिम के रूप मे पहचानी जा सकती है। बैंक आस्ति–देयता प्रबंधन समिति तथा ट्रेजरी के माध्यम से मार्केट जोखिम को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं।

तरलता जोखिम :–

बैंकों में तरलता जोखिम निम्न प्रकार के हो सकते हैं :–

- **वित्त पोषण जोखिम :–** जमाओं की अप्रत्याशित निकासी तथा उनका रिनिवल नहीं होने पर नई जमा राशि की व्यवस्था करना
- **समय आधारित जोखिम :–** ऋण राशि के समय पर वसूली नहीं होना तथा उनका एनपीए हो जाना
- **कॉल जोखिम :–** गैर निधि सुविधाओं का क्रिसटलाईज होना

तरलता जोखिम को मापने के लिए बैंकों द्वारा विभिन्न अनुपात काम मे लिये जाते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं :–

i) ऋण / कुल संपत्ति

ii) ऋण / कोर जमा

iii) बड़े दायित्वों (घटाएं) अस्थायी निवेश / अर्जित संपत्ति (घटाएं) अस्थायी निवेश जहां बड़े दायित्वों = थोक जमा जो बाजार संवेदनशील है

अस्थायी निवेश = निवेश जो ट्रेडिंग किताब में है तथा एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो रहे हैं और आसानी से बाजार में बिक रहे हैं

iv) खरीदे हुए फंड / कुल आस्तिया

जहां

खरीदे हुए फंड = जमा के प्रमाण पत्र और संस्थागत जमा सहित पूरे अंतर बैंक और अन्य मुद्रा बाजार उधारी

अ) ऋण घाटा / नेट ऋण

प्रौद्योगिकी जोखिम :–

प्रौद्योगिकी वह साधन है जिसका हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है। आपके समक्ष कोई विकल्प नहीं है। आपको लगातार आगे बढ़ना होगा और अपनी प्रौद्योगिकी में लगातार सुधार लाना होगा अन्यथा आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। लेकिन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से न केवल कारोबार, प्रदर्शन और कामकाज में गति बढ़ती है बल्कि इसमें कुछ जोखिम भी आता है।

बैंकिंग में एक और आईटी जोखिम है जिसे इन दिनों महत्व प्राप्त हो रहा है जो प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित है और यह संक्रामक बीमारी की तरह फैल रही है। आजकल बैंक फिशिंग, डेटाबेस और सर्वर हैकिंग, सेवा परित्याग से संबंधित घातक आक्रमण जैसी जोखिमों से जूझ रहे है और इसके परिणामस्वरूप बैंकों के ग्राहकों को नुकसान भी उठाना पड़ा है। कई ग्राहकों ने अपने खाते बंद किए है और बैंकों को कानूनी और प्रतिष्ठा जोखिम के अलावा वित्तीय हानि भी हुई है।

आउटसोर्सिंग जोखिम :– धोखाधड़ी और तीसरे पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा डेटा उल्लंघनों के कारण भी बैंकों की प्रतिष्ठा जोखिम पर परिणाम हुआ है.

साइबर धोखाधड़ी :– बैंकिंग में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग ने साइबर धोखाधड़ी, ग्राहकों की पहचान संबंधी धोखाधड़ी और सूचनाओं का दुरूपयोग आदि ने बैंकों में जोखिम को प्रभावित किया है।

प्रौद्योगिकी सॉल्यूशन के कार्यान्वयन में विशाल पूंजी व्यय शामिल है। भारी निवेश लागत के अलावा, प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के अप्रचलन की विशाल जोखिम भी शामिल होती है। इन जोखिमों को कम करने के लिए बैंकों को नियमित रूप से अपनी टेक्नोलॉजी का उन्नयन करना चाहिए और अपने कर्मचारियों को नए आईटी पैकेजों में प्रशिक्षित करना चाहिए। प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग के परिणामस्वरूप बैंकों को कई सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ा है। इन जोखिमों को सुरक्षा नियंत्रण द्वारा कम किया जा सकता है जैसे मेकर–चेकर संकल्पना द्वारा लेनदेनों को सत्यापन, एन्क्रिप्शन, डिजिटल हस्ताक्षर, दो अधिकारियों द्वारा प्रमाणिकरण आदि। बैंक आर्थिक जगत तथा देश की अर्थ–व्यवस्था से सीधे जुड़े हुए हैं तथा बैंकिंग क्षेत्र मे कोई भी समस्या बैक से जुड़े हुए क्षेत्र को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। इसी प्रकार बैंक रिपोर्टिंग, निगरानी और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए मजबूत एमआईएस का उपयोग करते है तथा विभिन्न प्रकार के जोखिम को पहचान कर नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तथा संभावित हानि को कम करने का प्रयास करते हैं।

जोखिम प्रबंधन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक के पास प्रयाप्त मात्रा मे पूंजी तथा रिजर्व है, जिससे विपरीत परिस्थितियों में उनके अस्तित्व पर किसी तरह की आँच नहीं आए। बेसल – I & II जो क्रमशः 1998 – 2006 में जारी किये गए, में ऋण जोखिम, मार्केट जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिये आवश्यक पूंजी को पूंजी प्रयाप्ता अनुपात के माध्यम से बैंकों के लिये अनिवार्य किया गया। इसे आगे बढ़ाते हुए बेसल –III मे ज्यादा प्रभावी कर दिया गया है तथा पूंजी बफर एवं व्यवस्थित जोखिम के नए प्रावधान लागू किए गए हैं जिससे बैंकों में जोखिम प्रबंधन को सुदृढ किया जा सके।

ऋण वसूली को बेहतर बनाने के न्वोन्मेषी उपाय तथा जोखिम प्रबंधन

2008 वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोपियन संघ में मंदी का प्रभाव देखने को मिला, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर काफी दूरगामी प्रभाव पड़ा। लेहमेन ब्रदर्स जैसी 200 वर्ष पुरानी बैंक की स्थिति चरमरा गई व बैंक डूब गई। उस समय हमने विपरीत परिस्थिति में अपने आपको सुरक्षित संभाल कर रखा व सारे विश्व को यह दिखला पाने में कामयाब हो सके कि भारत अब कितना सबल, सुदृढ़ व आत्मनिर्भर हो गया है। हम अपने आप को बाहरी विशाल व भयावह तूफान से अलग रख पाने कामयाब हो सके। अब हमें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं हैं। नीतियाँ व प्रबंधन की क्षमता में हमने कुशलता हासिल कर ली है। समय की गति अबाध चलती रहती हैं व उसमें उतार – चढ़ाव का क्रम भी चलते रहता हैं। वास्तव में तो किसी के प्रबंधन की क्षमता का आंकलन तो प्रतिकूल समय आने पर ही मापा जा सकता हैं। शायद हम उसी दौर से गुजर रहें हैं। वर्तमान में हमारे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) क्रमशः 10 प्रतिशत से घटते – घटते 5 प्रतिशत से भी कम पर आ गया हैं। सरकारी बैंको (PSBs) का औसत सकल गैर निस्पादित अस्तियाँ (average gross NPA) साल 2008 में 2% से बढ़कर 4% से ज्यादा हो गया है। पुनर्गठित अस्तियाँ (restructured assets) 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। फिच के अनुसार बैंको की वर्तमान में दबाववाली अस्तियाँ (stressed assets) 10% से भी ज्यादा हो चुकी है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मार्च 2015 तक यह 15% के आसपास पहुँच जायेगी।

दिसम्बर 2013 तक घोषित बैंकों के रिजल्ट्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ बैंकों के दबाववाली अस्तियाँ (stressed assets) तो 16 से 20 प्रतिशत के आसपास पहुँच चुके है। एक बैंक का सकल गैर निस्पादित अस्तियाँ (Gross NPA) 10% से भी ज्यादा हो चुका है व कुछ बैंको का 5–8% के दायरे में हैं। विश्व तथा हमारी अर्थव्यवस्था का प्रभाव हमारे कर्जदारों के कर्ज भुगतान पर दिखाई पड़ता है और उसका प्रभाव परोक्ष या

चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है।

अपरोक्ष रूप से बैंकिंग पर भी दिखाई पड़ रहा है। मंदी के इस समय उद्योग व व्यापार की स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। बहुत से उधोग व व्यापार जगत द्वारा किस्त व व्याज का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा हैं। ऋण खातो का पुनर्गठन (restructuring) सीडीआर व नॉन–सीडीआर (CDR or Non CDR) के तहत किया जा रहा हैं। एक तरफ दबाववाली अस्तियों की वसूली पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा व दूसरे तरफ नए स्लिपेज का विकराल रूप भी सामने तैयार खड़ा हैं। बैंको के द्वारा ऋण राशि का एक मुश्त समाधान व बट्टा खाता (write off) में डालने की प्रक्रिया भी काफी तीव्र गति से चल रही हैं। बैंक ऋण राशि के वसूली के लिए कोर्ट में मुकदमे दायर कर रहे हैं, ऋण वसूली अधिकरण में आवेदन कर रहे हैं व SARFAESI एक्ट 2002 के तहत बैंक के पास रखी गई आस्तियों (प्रतिभूर्ति) का कब्जा लेकर नीलामी द्वारा बिक्री करने के पश्चात प्राप्त राशि को ऋण खातो में जमा की जाती हैं।

ऋण खातो में अचानक धोखाधड़ी के मामलो में काफी तेजी आ गई हैं। वर्ष 2012–2013 में 1 करोड़ या उससे अधिक राशि के ऋण खातो में 6210 करोड़ की राशि की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंको द्वारा किया गया हैं, जो कि पिछले वर्ष 3182 करोड़ थी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की वित्तीय स्थिति व मंदी जैसी अवस्था व बैंकिंग क्षेत्र में तेज गति से बढ़ रहे गैर निस्पादित अस्तियाँ व दबाववाली अस्तियाँ को ध्यान में रख कर आरबीआई (RBI) ने चर्चा पत्र (discussion paper) 17 दिसम्बर 2013 को वैबसाइट पर 01 जनवरी 2014 तक समालोचना/विचार जानने हेतु अपलोड किया गया था व उस पर मिले विचारो को ध्यान में रखते हुये 30 जनवरी 2014 को "अर्लि रेकोग्निजेसन ऑफ फिनेंसियल डिस्ट्रेस्स, प्रोम्प्ट्स स्टेप्स फॉर रेजोलुसीओन एंड फैयर रिकवरी फॉर लेण्डेर्स: फ्रेमवर्क फॉर रिविटालाइजिंग डिसट्रेससेड़ अससेट्स इन थे इकॉनमी (एफ आर डी ए) (Early Recognisation of Financial Distress, Prompt Steps for Resolution and Fair Recovery for Lenders : Framework for Revitalising Distressed Assets in the Economy (FRDA))" के रूप में लागू किया गया। इस दिशा–निर्देश के तहत भारतीय बैंको में गैर निस्पादित अस्तियाँ व पुनर्गठन (restructured) खातों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुये यह महसूस किया गया कि यह समय का तकाजा हैं कि बैंकिंग सिस्टम जल्दी से वित्तीय कठिनाईया (financial distress) को पहचान करके शीघ्रता से सुलझाने की प्रक्रिया पर कार्य किया जाय जिससे ऋणदाताओ तथा निवेशको द्वारा यथासंभव समय रहते उचित राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके।

प्राप्त विचारो को मदेनजर रखते हुए, एक फ्रेमवर्क (framework) विकसित किया गया हैं, जिसमें सुधारात्मक कार्यवाही करने पर प्रोत्साहित करने हेतु दिशा निर्देश दिये गए हैं :–

(अ) दिक्कत/दबाव वाले खातों को जल्द पहचानना

(आ) सक्षम हो सकने वाले (viable) खातों का शीघ्र पुनर्गठन करना

(इ) सक्षम न हो सकने वाले (नदअपंइसम) खातों पर शीघ्र वसूली की कार्यवाही करना या उन खातों को ए आर सी (ARC) को विक्रय करना

यह दिशा निर्देश 5 करोड़ या उससे अधिक कर्ज वाले खातों के लिए 01.04. 2014 से लागू किया गया हैं। केंद्रीकृत डाटा के रख रखाव के लिए आरबीआई (RBI) द्वारा सेंट्रल रेपोजिटोरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट {(Central Repository of Information on Large Credit (CRILC)} का गठन किया गया है, जो कि इन खातों कि जानकारी बैंकों से एकत्रित कर, (collect), अपने पास रख रखाव (store) करेगी व इस अपडेट डाटा को उधार देने वाले संस्थाओ को मुहैया करवाएगी।

इस फ्रेमवर्क का मुख्य उद्धेश्य :–

(अ) बड़े कर्ज खातों की केंद्रीकृत सूचना अधिकृत संस्था "CRILC" को देना/अपडेट करना व प्राप्त डाटा को सब संस्थाओं के बीच साझा करना (share)।

(आ) शीघ्र कर्जदाताओ की समिति का गठन करना व उसका समाधान निकालने हेतु सबको तैयार करना

(इ) ऋणदाताओ को समूह के रूप में कार्य करना व तेज कार्यवाही की योजना को प्रोत्साहित करना। सहमति न बन पाने पर त्वरित प्रावधान (accelerated provisioning) करने की निर्देश का पालन।

(ई) वर्तमान पुनर्गठन (restructured) करने के तरीके में गति लाना

(उ) असहयोग करनेवाले कर्जदारों को भविष्य में महंगे कर्ज उपलब्ध करवाना

बैंको को शीघ्र व त्वरित कार्यवाही का निर्णय लेने पर अस्ति बिक्री पर उदार नियामक (स्पइमतंस त्महनसंजवतल) का निम्न प्रावधान किया गया हैं :–

(अ) ऐसी आस्तियों के विक्रय पर होने वाले नुकसान को अब अगले दो सालों में लाभ – हानि खाते में नामे करने की अनुमति (spread)।

(आ) फाइनेंस/रिफाइनेंस लंबे समय के लिए संभव होगा व इसे पुनर्गठन (restructured) नहीं माना जायेगा।

(इ) दबाववाली अस्तियों को लेने वाली विशेष कंपनी को लीवरेजड़ बाईआउट्स (leveraged buyouts) की मंजूरी दी जायेगी।

(ई) अससेट्स रीकन्सट्रक्शन कंपनीज के बेहतर काम करने के विषय निर्देश जारी किए जाएंगे

(उ) क्षेत्र विशेष कंपनीज/प्राइवेट इक्विटी फर्म्स (sector specific companies/ private equity firms) को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे दबाव वाली अस्तियों में फुर्तीले तरीके से यथासंभव त्वरित कार्यवाही की जा सकें।

दबाववाली अस्तियाँ के खातों को गैर निस्पादित अस्तियां होने से पहले ही, अब बैंकों को उस खाते में शुरुआत में रुग्णता के लक्षण, दिक्कते व कठिनाइयों को विशेष रूप से निगरानी में रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब नए उप अस्तियों (sub&assets) कैटेगरी "स्पेशल मेनसन अकाउंट" (special mention account) का प्रावधान किया गया है। अब बैंको को इन आरंभिक लक्षणो को निम्न रूप से चिन्हित करना पड़ेगा :–

एसएमए – उप श्रेणी	वर्गीकरण का आधार
SMA 0	मूलधन या व्याज 30 दिनो तक अतिदेय व प्रारम्भिक रुग्णता के लक्षण दिखाई देना
SMA 1	मूलधन या व्याज 31 – 60 दिनो के बीच अतिदेय
SMA 2	मूलधन या व्याज 61 – 90 दिनो के बीच अतिदेय

सभी बैंकों व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) को उधार से संबन्धित सभी जानकारियां सभी कर्जदारों द्वारा, 5 करोड़ या उससे अधिक (फंड तथा नन–फंड आधारित) ऋण दिया हैं, अनिवार्यत: इसकी सूचना तथा भविष्य में प्रारम्भिक रुग्णता के लक्षण दृष्टिगोचर होने पर समय–समय पर "CRILC" के

पास डाटा को अपडेट करना। इसके साथ ही चालू खाते में 1 करोड़ या उससे अधिक धनराशि की सूचना भी "CRILC" को जरूर से देने का प्रावधान किया गया है। इस फ्रेमवर्क से जुड़ी सभी संस्थाओ को बाहरी वाणिज्यिक उधार (external commercial borrowing) उन बैंकों की विदेशी शाखा या कार्यालय द्वारा भारतीय कर्जदार को ऋण राशि मुहैया कराये जाने की सूचना भी "CRILC" को भेजी जानी हैं।

समयानुसार बैंकों द्वारा ऋण खाते से संबन्धित जानकारियां नामित एजेंसी को मुहैया करवानी पड़ेंगी तथा इसके साथ प्रारम्भिक रुग्णता के लक्षण को भी समय–समय पर अपडेट करना नितांत आवश्यक होगा। खाते में कमजोरी या रुग्णता के लक्षण SMA–0 या SMA–1 की सूचना "CRILC" को तय समय सीमा के अंदर मुहैया करवानी आवश्यक होगी। प्रारम्भिक कमजोरी या रुग्णता के लक्षण कर्जदार को भी बताने होंगे व इन कमियों को शीघ्र से शीघ्र निवारण करने की कोशिश करनी होगी। एक या एक से अधिक ऋणदाताओ के खाते की पहचान SMA–2 के रूप में किसी भी बैंक के द्वारा सूचित किए जाने पर , उस कर्जदार के खाते से संबन्धित सारे बैंकर्स को संयुक्त ऋणदाता फोरम (Joint Lenders Fourm (JLF)) का गठन करना आवश्यक होगा व उस खाते में सुधार के लिए कार्ययोजना (corrective action plan (CAP)) भी तैयार करनी होगी। संबन्धित बैंक द्वारा SMA–2 की जानकारी 61वे दिन ही "CRILC" को बिना किसी गलती या चूक या भूल के सूचित करनी होगी।

अगर किसी खाते को एक साल में तीन बार SMA–0 या एक साल में दो तिमाही में SMA–1 के रूप में "CRILC" के पास सूचित करने पर संयुक्त ऋणदाता फोरम का गठन करना आवश्यक होगा।

100 करोड़ या उससे अधिक (फंड तथा नन–फंड आधारित) का ऋण जोखिम (exposure) तथा SMA–0 या SMA–1 या SMA–2 की सूचना करने पर संयुक्त ऋणदाता फोरम का गठन करना आवश्यक होगा।

अगर किसी ऋणी द्वारा संयुक्त ऋणदाता फोरम के गठन के लिए आवेदन करने पर, बैंक को सर्वप्रथम उस खाते को SMA–0 के रूप में "CRILC" के डाटाबेस को अपडेट करना होगा।

सभी कर्जदाताओ द्वारा संयुक्त ऋणदाता फोरम का गठन व आपस में मिलकर कार्य करने के विषय में अनुबंध (agreement) पर हस्ताक्षर करना होगा।

संयुक्त ऋणदाता फोरम द्वारा कमजोरी या रुग्णता के लक्षण को दूर करने हेतु विभिन्न प्रकार के तरीके सुझाए जा सकते हैं व सुसंगत हल (feasible resolution) को अतिशीघ्र लागू किया जा सकने की व्यवस्था करनी होगी, जो कि अस्तियों की मूलभूत कीमत व कर्जदार के ऋण को सुरक्षित रखने में सक्षम होने पर लागू किया सकेगा।

(अ) संशोधन (Rectification) :– ऋणकर्ता से उसके निश्चित प्रतिबद्धता (commitments) तथा साथ में तय समय सीमा के अंतर्गत पहचान योग्य कैश फ्लो (cash flow) की जानकारी प्राप्त करनी होगी। जिससे कि तय समय सीमा के अंदर खाता नियमित किया जा सके यानि SMA की स्थिति से बाहर या गैर निस्पादित अस्तियां कैटेगरी में न जाने पाये (slip) व संयुक्त ऋणदाता फोरम को भी स्वीकार्य हो तथा कर्जदाताओ की किसी भी तरह का नुकसान या हानि उठाने की आवश्यकता न पड़े। अगर वर्तमान प्रोमोटर के अतिरिक्त धन राशि या खाते को नियमित करने हेतु कोई ठोस कदम उठाने में उत्सुक न होने पर, अन्य दूसरे इक्विटि ।सामरिक निवेशक को कर्जदार की सहमति से लाने के प्रस्ताव की संभावना पर विचार किया जा सकता हैं। आवश्यकता होने पर, अतिरिक्त फायनेंस के बारे में भी विचार किया जा सकता हैं।

(आ) पुनर्गठन (restructuring) :– अगर इकाई सक्षम हो सकने वाले (viable) और कर्जदार जानबूझकर चूक करने वाला (wilful defaulter) कैटेगरी का न हो तो इस स्थिति में प्रोमोटर की व्यक्तिगत जमानत तथा उसकी नेटवर्थ (networth) स्टेटमेंट का मिलान उसकी जमीन के कागजातों के आधार पर करनी चाहिए। उसे शपथ लेनी होगी कि संयुक्त ऋणदाता फोरम की सहमति के बिना अस्तियों से संबंधित एसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा जिससे कि उन अस्तियों पर उसका अधिकार न रहे या परिवर्तन हो। अगर वह अपने वायदे से मुकर जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कानून कार्यवाही की जा सकती हैं। इस हेतु उधारकर्ताओ के मध्य अनुबंध (inter creditor agreement) सभी संस्थाओ द्वारा भी हस्ताक्षरित हो व ऋणी व ऋणदाता के बीच अनुबंध ऋणी द्वारा भी हस्ताक्षरित होना चाहिए, जिससे पुनर्गठन के प्रस्ताव को कानून के दायरे में सही तरीके से लागू किया जा सके। "स्टैंड स्टील (stand still)" शर्त, जो कि ऋणी व ऋणदाता के बीच अनुबंध का अभिन्न अंग हो की मदद से पुनर्गठन के प्रस्ताव को आसानी से लागू करने में सहायता मिल सकेगी।

(इ) वसूली (Recovery) :– संयुक्त ऋणदाता फोरम के कुल सदस्य में से 75% ऋणदाता ऋण राशि के अनुसार व 60% संख्या के हिसाब से सहमति के आधार पर पुनर्गठन या वसूली की यथोचित कार्यवाही की जा सकती है तथा यह कार्यवाही सभी कर्जदाताओ पर उधारकर्ता के मध्य अनुबंध की शर्त के अनुसार लागू व बाध्य होगी।

पुनर्गठन की शर्त व अन्य मुद्दे (condition of restructuring & other issue)

1) प्रोमोटर्स द्वारा कंपनी में अपने हिस्से की इक्विटि का वह भाग जो कि ऋणदाताओ द्वारा दिये गए छूट की राशि की (sacrifice) क्षतिपूर्ति कर सके, ऋणदाताओ के नाम में ट्रान्सफर की संभावना पर विचार करना चाहिए।

2) प्रोमोटर्स द्वारा कंपनी मे नयी पूंजी का निवेश इक्विटि के रूप में किया जाना चाहिए।

3) कंपनी के टर्नराउंड (turnaround) होने तक प्रोमोटर्स के इक्विटि हिस्से को प्रतिभूति ट्रस्टी (security trustee) या निलम्ब संपत्ति प्रबंध (escrow arrangement) के पक्ष में ट्रांस्फर किया जाना चाहिए, जिससे कि कर्जदाताओ के चाहने पर प्रबंधन को बदलने का आधिकार उनके नियंत्रण में होगा।

<u>नियमों का पालन न करने पर बैंको पर दंडात्मक उपाय</u>

बैंकर्स द्वारा आरबीआई के नियमों का सही ढंग से पालन न करने या चूक करना या इसे छुपाने की कोशिश करने पर आरबीआई इस तरह के खातों पर त्वरित प्रावधान (accelerated provisioning) करनी होगी और या अन्य दंडात्मक कार्यवाही जो कि आरबीआई के अनुसार लागू की जा सकती हो (जैसे खाते की SMA की स्थिति को "CRILC" को यथा समय सही सूचना या सूचना न देना)

ऋण वसूली को बेहतर बनाने के नवोन्मेषी उपाय

श्री आर.पी. शर्मा
सहायक महाप्रबंधक
यूको बैंक, अंचल कार्यालय, जालंधर

प्रस्तावना

ऋण वसूली बैंकों के सामने बहुत बड़ी ही चुनौती है यहां तक कि कई बैंकों के तो आस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह खडे हो गये हैं ?

अभी हाल ही में यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया (राष्ट्रीयकृत बैंक) को दिसंबर 2013 में समाप्त तिमाही में 1238 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और इस दौरान बैंक का सकल एनपीए 8,546 करोड़ रुपये तक बढ़ गया। इससे पहले पिछले साल मार्च समाप्ति पर बैंक का एनपीए 2964 करोड़ रुपये पर था। यह सब उनके ऋणों की अच्छी वसूली नहीं होने से हुआ है ।

बढ़ता एनपीए द्धगैर निष्पादित आस्तियांऋ है बैंकों की अहम चुनौती

बैंकों की गैर–निष्पादित आस्तियों में बढ़ोतरी से चिंतित वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/अन्य बैंकों के समक्ष इसे बड़ी चुनौती बताया और इससे प्रभावी ढंग से निपटने को कहा। बड़े उद्योगों में एनपीए (गैर–निष्पादित आस्ति) काफी ऊंचा है, इसके साथ ही छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों में भी एनपीए बढ़ा है।

सरकारी बैंकों के एनपीए आंकड़े दिए बिना ही चिदंबरम ने कहा कि 'यह वर्ष 2012–13 के मुकाबले इस वर्ष कुछ अधिक हो सकता है।' पिछले वित्त वर्ष में इन बैंकों का शुद्ध एनपीए 3.84 फीसदी रहा था।

ऋण प्रणाली को बेहतर बनाने के नवोन्मेषी उपायों से पहले यह जानना भी जरुरी है कि ऋण वसूली नही होने के मुख्य कारण क्या हैं –

1) किसी भी वजह से ऋणियों का सही चुनाव नही होना।
2) ऋण वितरण से पूर्व ऋणियों के घर/खेत/प्रतिष्ठान का निरीक्षण नही करना।
3) ऋण देने का पारदर्शी तरीका नही होना।
4) बैंकों के दिशा–निर्देशों की अनुपालना नही करना।
5) समय–समय पर अधिकारियों द्वारा आस्तियों का निरीक्षण नही करना एवं ऋण की किश्तों की चूक होने पर समस्याओं का उचित समाधान नही करना।
6) ऋणी द्वारा किश्तों का भुगतान समय पर नही करने पर वसूली नोटिस जारी नहीं करना।
7) उदारीकरण तथा प्रतिस्पर्धा के इस वातावरण में बैंकों द्वारा बाजार में अपना हिस्सा बनाए रखने या बढ़ाने के उदेश्य से ऋण नीतियों या दिशा निर्देशों में ढील होना ।
8) ऋण राशियों का ऋणियों द्वारा दुरुपयोग ।
9) ऋण देने के पश्चात बैंकों द्वारा पर्याप्त निगरानी न रख पाना।
10) औद्योगिक जगत मे वित्तीय कुप्रबंधन ।
11) पिछले 10 वर्षों मे 5 लाख से अधिक लघु औद्योगिक इकाइयों का तथा कुछ बड़ी इकाइयों का बंद होना ।
12) धीमी कानूनी प्रक्रिया ।
13) ऋण मूल्यांकन का अभाव ।
14) लक्ष्य प्राप्ति हेतु ज्यादा ऋण देना एवं ऋणों की गुणवत्ता में ढील देना ।

बैंकों की लेखा पद्धति मे पारदर्शिता लाने के उद्देश्यों से 1992–93 में नरसिंहम्म समिति ने आय निर्धारण, अस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबन्धित मानदंड अपनाने के सुझाव दिये थे। परिणामस्वरुप बैंकों की जो, अनर्जक आस्तियां प्रकाश में आई, उन्होंने बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर डाला। मार्च 1993 में सार्वजनिक क्षेत्र के 8 बैंकों ने हानि दर्शायी। तब से अनर्जक आस्तियां को कम करने के लिए बैंक इनसे निपटने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। समय–समय पर इन मानदंड़ों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और कड़ा भी किया गया है । जिससे एनपीए बढ़ने की संभावना को नकारा नही जी सकता ।

अभी ज्वलंत उदाहरण यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बैंकों का है जिसमें अधिक एनपीए होने से उन्हे दिसंबर 2013 में उनकी लाभप्रदत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

बैंक अधिकारी/कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में ऋणियों का सही चुनाव नहीं होना या राजनैतिक दवाब द्वारा ऋण दिलवाना।

– राजनैतिक लोग/नेता कभी–कभी उनके कार्यकर्ताओं को यह भी कहते हैं कि बैंको से ऋण लो और वापस मत करो।
– कई लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए एवं अपनी जीवन शैली बहुत भव्य दिखाने के लिए भी ऋण लेते हैं, और वो चारवाक की थ्योरी में विश्वास रखते हैं कि "खाओ पियो और ऐश करो चाहे उधार ऋण लेकर खाओ और उधार लेकर घी पियो "।
– ऋण माफी योजनाओं से वसूली पर विपरीत असर पड़ा है उदाहरण के लिए वर्ष 1989–1990 में कृषि ऋण माफी योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) एवं वर्ष 2008 में ऋण माफी योजना लाई गई, इसमें अच्छे ऋणी भी डिफाल्टर बनने की कोशिश करते हैं और ऋण अदायगी में आनाकानी करने लगते हैं। जबकि ऐसी योजनाएं राजनैतिक लाभ के लिए एवं वोट बटोरने के हथकंडे के रुप में होता है।

हालांकि बैंकों के प्रयासों के कुछ परिणाम सामने आए हैं और उन्होंने (इस वर्ष 2013–2014) दिसंबर तक के नौ महीनों के दौरान 18,933 करोड़ रुपये के फंसे कर्ज की वसूली की है। इन बैंकों का एनपीए मार्च 2013 के 1.83 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर 2013 तक 2.36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

आज के उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण के माहौल में बैंकों की कार्यविधि को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले तत्व अनर्जक आस्तियां (एन. पी. ए) हैं। यह न केवल बैंकों की लाभ प्रदत्ता पर प्रतिकूल असर डालते हैं बल्कि पूंजी पर्याप्तता, अस्तिदेयता प्रबंधन विधियों के पुनर्निवेश तथा आय सृजन के क्षेत्र पर भी इनका प्रतिकूल असर पड़ता है। आज बैंकों की अनर्जक आस्तियां 2 लाख 36 हजार करोड़ पार कर चुकी है जो बैंकों के लिए एक चुनौती है।

ऋण के दो विशेष पहलू होते हैं – बैंक और ऋणी

ऋण देने की प्रक्रिया से लेकर ऋण की अदायगी तक दोनों पहलुओं का महत्वपूर्ण दायित्व यह रहता है कि ऋण राशि का सदुपयोग हो तथा ऋण राशि ब्याज सहित समय से बैंक को वापस मिल जाए लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बैंक कि अनर्जक आस्तियां बढ़ती ही जा रही हैं। यह भी नहीं कि बैंक ऋण ही ना दे, क्योंकि बिना ऋण दिये बैंकों का आस्तित्व एवं लाभप्रदत्ता संभव नहीं है।

आधुनिक बैंकिंग में अनर्जक आस्तियां का प्रबंधन बैंकों के लिए एक बड़ी समस्या है। बढ़ते हुए एनपीए को कम करने के लिए बैंक कई प्रकार के उपायों का सहारा लेते हैं जिनमें नवोन्मेषी उपाय इस प्रकार हैं।

नीचे दी गई तालिका में बैंकों की शुद्ध एन पी ए की स्थिति एवं उनकी रैंक इस प्रकार हैं :

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैंक वार एनपीए स्थिति (मार्च–2013 के अनुसार)

स्रोत : फाइनेशियल एक्सप्रेस

क्रम संख्या	बैंक का नाम	एनपीए प्रतिशतता	बैंकों का एनपीए रेंक
1	विजया बैंक	2.17	4
2	देना बैंक	2.19	5
3	सिंडिकेट बैंक	1.99	3
4	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1.49	1
5	युनियन बैंक ऑफ इंडिया	2.98	10
6	कारपोरेशन बैंक	1.72	2
7	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	2.56	7
8	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3.25	14
9	बैंक ऑफ बड़ौदा	2.4	6
10	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	3.62	17
11	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3.46	16
12	बैंक ऑफ इंडिया	2.99	11
13	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3.21	12
14	इंडियन बैंक	3.33	15
15	आईडीबीआई बैंक	3.22	13
16	कैनरा बैंक	2.57	8
17	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	4.8	25
18	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	4.52	23
19	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	4.25	21
20	यूको बैंक	5.4	26
21	पंजाब एंड सिंध बैंक	2.96	9
22	आन्ध्रा बैंक	3.71	18
23	इंडियन ऑवरसीज बैंक	4.02	20
24	इलाहाबाद बैंक	3.92	19
25	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4.75	24
26	पंजाब नेशनल बैंक	4.27	22
औसत		3.30	

नए निजी क्षेत्र के बैंकों की एनपीए स्थिति (2013 के अनुसार)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	एनपीए प्रतिशतता	एनपीए रेंक
1	यस बैंक	0.20	1
2	एचडीएफसी बैंक	0.97	2
3	इण्डसइंड बैंक	1.03	3
4	कोटक महिन्द्रा बैंक	1.55	5
5	एक्सिस बैंक	1.20	4
6	आईसीआईसीआई 3.23	6	
औसत		1.36	

पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों की एनपीए स्थिति (मार्च–2013 के अनुसार)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	एनपीए प्रतिशतता	एनपीए रेंक
1	रत्नाकर बैंक	0.4	2
2	आइएनजी वैश्य बैंक	0.38	1
3	करुर वैश्य बैंक	0.96	3
4	तमिलनाड मर्कनटाईल बैंक	1.31	5
5	सिटी यूनियन बैंक	1.13	4
6	कैथोलिक सिरियन बैंक	2.35	8
7	डेवलेपमेंट क्रेडिट बैंक	3.18	10
8	कर्नाटका बैंक	2.51	9
9	जम्मू एवं कश्मीर बैंक	1.62	7
10	साउथ इंडियन बैंक	1.36	6
11	लक्ष्मी विलास बैंक	3.87	12
12	फैडरल बैंक	3.44	11
13	धनलक्ष्मी बैंक	4.82	13
औसत		2.10	

विदेशी बैंकों की एनपीए स्थिति (मार्च–2013 के अनुसार)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	एनपीए प्रतिशतता	एनपीए रेंक
1	बी एन पी परिबास	0.21	1
2	रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड	2.19	4
3	एचएसबीसी	1.77	3
4	डच बैंक	0.69	2
5	डीएसबी बैंक	4.12	6
6	सिटी बैंक	2.58	5
7	बार्कलेज बैंक	6.24	8
8	स्टेण्डर्ड चार्टड बैंक	5.98	7
औसत		2.97	

उपरोक्त चार्ट से यह प्रतीत हुआ है कि फाइनेशियल एक्सप्रेस अखबार

हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर अधिकांशतः संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करती है।

ताजा बुलेटिन मार्च (2014) के इंडियाज बेस्ट बैंक रेकिंग के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे कम एनपीए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (1.49%) का रहा ,जबकि सबसे ज्यादा एनपीए यूको बैंक (5.24%) का रहा, जिसकी स्थिति 26वें स्थान पर है।

नए निजी बैंकों में यस बैंक का एनपीए सबसे कम रहा, जो कि 0.20 प्रतिशत पर रहा, जबकि सबसे अधिक एनपीए आईसीआईसीआई बैंक (3.23%) का रहा जो कि छठें स्थान पर है।

पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों में सबसे कम एनपीए आईएनजी वैश्य बैंक का रहा, जिसका प्रतिशत 0.38 था जबकि सबसे अधिक एनपीए धनलक्ष्मी बैंक का रहा, जिसका प्रतिशत 4.82 पर था।

विदेशी बैंकों में सबसे कम एनपीए बीएनपी परिबास का रहा जिसका प्रतिशत 0.21 था जबकि सबसे अधिक एनपीए बार्कलेज बैंक का रहा जिसका प्रतिशत 5.98 पर था।

यहां यह भी निष्कर्ष निकलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का औसत एनपीए (3.30%) अन्य की अपेक्षा सबसे अधिक रहा है, इसके उपरांत विदेशी बैंकों (2.97%) का इसके उपरांत पुराने निजी बैंकों (2.10%) का, तथा सबसे कम नए निजी क्षेत्र (1.38%) के बैंकों का रहा है।

ऋण वसूली के नवोन्मेषी उपाय

1) प्रतिभूतिकरण अधिनियम – (सिक्युरिटाइजेशन एक्ट)

इस अधिनियम में बैंकों को प्रतिभूतियों को कब्जे में लेने तथा उनकी बिक्री करने का त्वरित साधन प्रदान किया गया है। यह अधिनियम 2002 में लागू किया गया और समय–समय पर इसमें आवश्यक संशोधन भी किए जाते रहे हैं। अतः अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए प्रतिभूतिकरण अधिनियम को विवेकपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ आवश्यक बिन्दुओं पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है–

– खाते के प्रतिभूति प्रोफाइल की जांच करनी चाहिए और इस बात का अनुमान लगाना चाहिए कि क्या प्रतिभूति को अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है तथा क्या प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने से मजबूर होकर ऋणी बातचीत के लिए आगे आएगा।

– जब एक बार कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए तो उसको शीध्रतापूर्वक उसके समुचित परिणाम तक पहुंचाना चाहिए।

– यदि बैंक का अंतिम उद्देश्य आस्ति विशेष की बिक्री हो तो प्रतीकात्मक कब्जा परिणाम पर्याप्त नही है। उस कब्जे को अविलंब वास्तविक या भौतिक कब्जे में बदल देना चाहिए तथा आगे के कदम उठाये जा सकते हैं।

– प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

2) ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)

जब बैंक अपने अथक प्रयासों के बावजूद वसूली करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके लिए मुकदमा दायर करना ही एक मात्र विकल्प रह जाता है। 10 लाख रुपये या उससे अधिक राशि के ऋणों की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना 1993 में ही कर दी गई थी। आज देश भर में डी.आर.टी. की संख्या 23 है। इसमें विचाराधीन मुकदमों की संख्या 2011 तक 67000 थी जिसमें वसूल की गई राशि काफी कम है। यह फंसी हुई राशि का मात्र 10 प्रतिशत ही है। सरकार ने धीमी कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर ही बैंकों को प्रतिभूतिकरण अधिनियम (सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट, 2002) के रुप में नया हथियार दिया है।

3) लोक अदालत

लोक अदालतों में 20 लाख रुपये तक के ऋणों की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है। इसमें विचाराधीन मुकदमों की संख्या 6.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। इन मुकदमों में फंसी हुई राशि में से लगभग 15 प्रतिशत राशि ही वसूली की जा सकी है। कुछ राज्यों में लोक अदालत में दायर मुकदमों तथा उनके द्वारा वसूल की गई राशि के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। लोक अदालतों का लाभ छोटे ऋणों अधिक–से–अधिक उठाएं इसके लिए उन्हे जागरुक बनाना होगा। इसका लाभ बैंकों को भी होगा, उन्हे धीमी कानूनी प्रक्रिया में लगने वाले लम्बे समय से छुटकारा मिलेगा। वर्ष 2013–2014 में इस बाबत जगह–जगह राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गई तथा इससे ऋणों की वसूली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

4) एकमुश्त समझौते

बैंक एकमुश्त समझौते द्वारा भी ऋण वसूली के लिए आगे आ रहे हैं। इसमें ऋणों को समझौते के समय संबंधित बैंक से कुछ छूट भी मिल जाती है तथा बैंक को भी धीमी कानूनी प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाता है। एकमुश्त समझौते के समय निम्न विषयों का ध्यान रखना अति आवश्यक है–

– एकमुश्त समझौता करते समय सतर्क रहना चाहिए कि कहीं जानबूझकर प्रतिभूति की कीमत कम न लगा ली जाए।

– हमेशा यह कोशिश करना चाहिए कि अनुउत्पादक निष्क्रिय आस्तियों को पुनजीवित करके उन्हे लागू किया जाए और अपनी लाभप्रदता बढ़ाई जाए।

– यह नही भूलना चाहिए कि शीध्र व सुविचारित निर्णय ही महत्वपूर्ण होते हैं।

– इच्छुक चूककर्ताओं को इस हेतु ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

अनर्जक आस्तियों की अविचार रचना की ओर भी ध्यान देना चाहिए। वैसे तो सभी अवधि की अनर्जक आस्तियों को कम करना समान रुप से महत्वपूर्ण है, फिर भी यदि 3 वर्ष और उससे कम पुरानी अनर्जक आस्तियों पर ध्यान दिया जाए तो अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है।

आज कल सभी बैंक एकमुश्त समझौते हेतु नई–नई योजनाएं 10 लाख की राशि तक ले कर आ रहे हैं ताकि छोटे ऋणों में उनकी अच्छी वसूली हो और बैंक राशि की आवर्तन कर सकें।

सरकारी एजेसिंयों और आउटसार्सिंग द्वारा वसूली

बैंक जहां एक और अनर्जक आस्तियों को कम करने के लिए सरकारी एजेंसियों की मदद ले रहे हैं वहां आउटसोर्सिंग के जरिए भी प्रभावी वसूली के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बैंक इन एजेंसियों को वसूल की गई राशि पर 5 प्रतिशत से अधिक 7.5 प्रतिशत तक कमीशन या अधिकार के रुप में दे रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक सरकारी बैंक ने पंचायतों को यह अधिकार दिया है कि वे उनके बैंक की ऋण वसूली करवाएँ। पंचायतें अपने दवाब द्वारा ऋण की वसूली करवाने में सफल होंगी और उन्हें वसूल की गई राशि की कुछ प्रतिशत रकम का भुगतान संबंधित बैंक द्वारा मिलेगा। इससे पंचायतों की आय तो बढ़ेगी ही, बैंकों पर ऋण वसूली का दबाव भी कम होगा।

संसार की उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक व्यवस्थित भाषा है।

बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले अन्य नवोन्मेषी उपाय

रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉरपोरेट जगत में विधि दुरुपयोग के 1000 से भी अधिक मामले प्रकाश में आए हैं। अतः बैंकों को कॉरपोरेट ऋणों या बहुत बड़े ऋणों के लिए संघीय ऋण पर जोर देना चाहिए। इसमें जहाँ दो–तीन बैंकों के विशेषज्ञ पूरी छानबीन करके ऋण देते हैं वहीं दूसरी ओर ऋण जोखिम भी बंट जाता है। ऐसे ऋण प्रदान करने से पहले तथा बाद में भी रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ।

अनर्जक आस्तियों में कॉरपोरेट ऋणों का हिस्सा सबसे ज्यादा है। इन ऋणों कि वसूली भी बैंकों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अतः बैंकों ने जोखिमपूर्ण बड़े ऋणों पर रोक लगाने के हर संभव प्रयास करने के साथ छोटे ऋणों (खुदरा ऋणों) को अधिक–से–अधिक लोगों में बाँटने पर जोर दिया। जोखिम बंटा हुआ होने के कारण ये ऋण ज्यादा सुरक्षित रहते हैं तथा इनमें ब्याज का फैलाव (स्प्रेड) लगभग 4% रहता है जबकि कॉरपोरेट ऋणों में औसत प्रतिलाभ मात्र 0.5% से 1.5% होता है। अतः आधुनिक बैंकिंग में बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने, ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने तथा अनर्जक आस्तियों को कम करने में खुदरा बैंकिंग एक क्रान्तिकारी परिवर्तन है। इसलिए बैंकों को सीमित ग्राहक, सीमित क्षेत्र तथा सीमित सेवाओं की अवधारणा से बाहर आना होगा और विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत ग्राहक तथा विस्तृत सेवाओं के आधार पर आगे बढ़ना होगा तभी बैंकिंग कारोबार, लाभप्रदता तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी।

अन्य उपाय

1. बैंक नए शाखा स्तर पर यह ध्यान रखें कि एनपीए का फ्रेश जेनेरेशन कम से कम हो, या बिलकुल नहीं होने दें तो अच्छा है।
2. 1 करोड़ रुपये से ऊपर के एनपीए खाते, अंचल प्रबन्धक स्वयं समीक्षा करें तथा 5 करोड़ के ऊपर के खाते महा प्रबन्धक सर्किल ऑफिस समीक्षा करें।
3. एम एल खाते की वसूली का भी भरपूर प्रयास करें।
4. जिन खातों में डिक्री हो चुकी है उनका निष्पादन शीघ्र कराएं।
5. डी आर टी अधिकारियों से संपर्क लगातार बनाए रखें।
6. रिकवरी टीम की साप्ताहिक आधार पर कार्यनिष्पादन की समीक्षा करते रहें।
7. शाखा स्तर पर प्रत्येक माह लगातार वसूली केंप्स करते रहें।
8. डी आर टी मामलों मे ऋणी एवं गारंटर का पासपोर्ट जब्त कराएं।
9. 25 लाख से ऊपर के इच्छुक चूककर्ता के नाम आर बी आई/सीबील की सूची मे डलवाएँ। ताकि भय रहे, और ऋण की चुकौती समय पर करें।
10. ई सी जी सी में दावा दायर करें।
11. पोस्टडेटेड चेक का क्लियरेंस नहीं होने पर नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन (138) के तहत न्यायालय में वाद दायर करें।
12. बैंक कोर्ट केस हेतु वकीलों से लगातार संपर्क में रहें तथा कोर्ट की सुनवाई की दिनांक पर अधिकारी स्वयं उपस्थित हों।

शाखा स्तर पर ऋण वसूली के लिए किए जाने वाले उपाय

अनर्जक आस्तियों के प्रबन्धन में सजकता व सतर्कता अत्यंत आवश्यक होती है। शाखा स्तर पर ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे भविष्य में अनर्जक आस्तियों को बढ़ाने से रोका जा सके। ये उपाय निम्नलिखित हैं –

- बैंक द्वारा सही ऋणी का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही, समुचित ऋण तथा सही समय पर संवितरण भी बहुत आवश्यक है।
- उच्च रेटिंगवाले लाभार्थियों (ऋणियों) को आवश्यकता आधारित ऋण तुरंत प्रदान करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
- ऋण देने के पश्चात अनुवर्ती कार्यवाई को भी स्तरों (शाखा, आंचलिक तथा प्रधान कार्यालय) पर पूरा किया जाना चाहिए। निर्धारित समय सीमा में वार्षिक पुनरीक्षण, मासिक सूचनाएँ तथा मासिक स्टॉक रिपोर्ट का सही ढंग से विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- बड़े ऋणों, जो कि मानक आस्तियों में आते हैं, का तिमाही आधार पर पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और यदि प्रतिकूल चिन्ह दिखाई दें तो उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए जिससे खाता अवमानक श्रेणी में न बदल सके ।
- शाखा स्तर पर 'वसूली दल' बनाए जाने चाहिए जिसमें स्थानीय कर्मचारियों कि सहभागिता काफी महत्व रखती है। ऐसा करने से ऋण वसूली अभियान में तेजी आएगी ।
- ऋण दस्तावेजो को सदैव सजीवध्जीवित रखा जाना चाहिए। इसके लिए पुनः प्रवर्तन पत्र तथा शेष पुष्टि पत्र यथासमय ऋणियों से प्राप्त करना चाहिए।
- समय से ऋण लौटने वाले ऋणी को सार्वजनिक रूप से सम्मानित या पुरस्कृत करना चाहिए जिससे अन्य ऋणी भी प्रेरित होकर समय से ऋण लौटने के लिए आगे आयें ।
- उन बैंक कर्मचरियों/अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिन्होंने ऋण वसूली अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो ।
- कई बैंकों ने ऋण वसूली हेतु स्टाफ इन्सेंटिव योजना भी चलाई है ताकि ऋण कि ज्यादा वसूली हो ।
- कई बैंक माओ (एम ए ओ) मेनी अगेन्स्ट वन संकल्पना भी चला रहें हैं। इसमे ऋणी के पास बैंक के 3–4 सदस्य वसूली के लिए जाते हैं ।
- नाबार्ड ने (वी वी वी) विकास वालेंटरी वाहनी की योजना चलायी थी जिसमे समय पर ऋण चुकाने वाले ऋणियों को साथ लेकर डिफाल्टर ऋणियों को अभिप्रेरणा देते हैं कि इन्होने ऋण चुकाया है आप भी चुकाइए ।
- किसान क्लब भी ऋणों कि चुकौती में अच्छी भूमिका निभाते हैं।
- प्रभावशाली लोग, सरपंच, पंच, लोकल लीडर का साथ भी ऋणों की वसूली में अच्छा प्रभाव डालते हैं ।
- आज के सूचना प्रोद्योगिकी के युग में डिफाल्टर (चूककर्ताओं) को

मोबाइल फोन करना, एस एम एस करना, एस एम एस अलर्ट करना तथा समय समय पर ई–मेल करना ताकि ऋणों की वसूली समय पर हो।

नए क्षेत्रों की ओर पदार्पण

बैंकों को प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्रों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा नए क्षेत्रों की ओर अपना रुख करना होगा तथा भविष्य की चुनौतियों को गंभीरता से लेना होगा। भविष्य में आयात–निर्यात कारोबार में तेजी से वृद्धि होगी। 'कृषि निर्यात जोन', 'विशेष आर्थिक जोन' तथा 'निर्यात हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क' की स्थापना इस बात का संकेत है। इसके लिए बैंकों को अपने मानव संसाधन को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना होगा जिससे बैंक इस क्षेत्र में ऐसे ऋण वितरित करें जिनकी गुणवत्ता उच्चस्तरीय हो तथा उनकी वसूली सुनिश्चित की जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों के भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, फल और सब्जी आदि अनेक क्षेत्र हैं, जिनमें बैंक पर्याप्त अवसर पाएंगे। इसके अलावा, ग्रामीण वित्त क्षेत्र का आकार भी बढ़ेगा।

बैंकों को भविष्य में आधारभूत संरचनाओं के लिए भी ऋण सुविधाएं प्रदान करनी होंगी जैसे – सड़क, परिवहन, दूर संचार, ऊर्जा, अस्पताल, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी वित्त सुविधाओं के लिए बैंकों को आगे आना होगा। अतः यह सत्य है की भविष्य में बैंकों को अपने सशक्त व निपुण मानव संसाधन के बल पर कुछ नए तथा अनछुए क्षेत्रों में भी सहभागिता करनी होगी।

बैंक अब दूसरे बैंकों के एनपीए भी खरीद सकते हैं। भविष्य में बैंकों के लिए यह एक चुनौती होगी तथा लाभ कमाने का अवसर भी। यह लाभ वे ही बैंक उठा सकेंगे जिनकी अनर्जक आस्तियों का प्रबन्धन बेहतर होगा। यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आधुनिक बैंकिंग में बेहतर एनपीए प्रबन्धन कि अवश्यकता अब अनिवार्यता बनती जा रही है।

कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनकी ओर ऋण देने से पहले तथा बाद में ध्यान देना नितांत आवश्यक है, जैसे – ऋण दस्तावेजों तथा ऋण प्रक्रिया को सरल बनाना, प्रलेखीकरण के समय ऋण प्रलेखों को उचित ढंग से भरना, ऋण प्रलेखों को ऋण वितरण से पूर्व उचित रूप से स्टांपित करना तथा पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेजों को समय से पंजीकृत करवाना तथा ऋण वितरण के पश्चात सभी कानूनी कार्यवाही ऋण के कालातीत होने से पहले करना।

भविष्य में बैंकों को कुछ नए क्षेत्रों में प्रवेश तथा उन क्षेत्रों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाएगा, अतः बैंकों को अभी से मानव संसाधन विकास तथा बैंकिंग शिक्षा पर जोर देना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कर्मचारियों कि मौजूदा कार्यकुशलता को बढ़ाकर उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियाँ संभालने तथा कुशल ढंग से अपना कार्य करने में सफल बनती है। आज न केवल अधिकारियों को बल्कि लिपिकों को भी विशेष प्रशिक्षण द्वारा ऋणों कि गुणवत्ता, समय पर प्रभावी वसूली का महत्व व कानूनी कारवाई के संबंध में विशेष प्रशिक्षण देने का समय आ गया है। बड़ी शाखाओं में बैंकिंग–सह–विधि अधिकारियों कि नियुक्ति भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बदलते परिवेश में प्रबन्धकों को भी चाहिए कि वे बाजार का रुख पहचानें तथा उद्दयेशयों से प्रेरित प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपनाएं। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और आनेवाले समय में बैंक अपनी अनर्जक आस्तियां कम करने तथा लाभप्रदत्ता बढ़ाने में सफल हो सकेंगे।

उपसंहार

ऊपर वर्णित नवोन्मेंषी उपायों को अपनाकर हम ऋणों की अच्छी वसूली कर सकते हैं । बैंकों को यह भी देखना है कि ऋणी द्वारा ली गई राशि का उसी कार्य/उद्देश्य में विनियोग हो रहा है, या नहीं, जिस उद्देश्य से संबन्धित ऋण सहायता दी गई थी, यह प्राथमिकता के आधार पर संबंधित शाखा प्रबन्धक या आउटसोर्सिंग के आधार पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य विशेषज्ञों द्वारा देखी जानी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर बैंकों द्वारा ऋणी को उचित सलाह भी दी जानी चाहिए । कहीं यह तो नहीं की ऋणों को एन पी ए बनाने में बैंकों की गलती है अन्यथा स्टाफ अकोण्टेबिलिटी का सहारा लेना चाहिए और गलती पाये जाने पर अधिकारियों को दंडित करना चाहिए ।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा कृषि आधारित अन्य आनुषांगिक क्रिया–कलापों के लिए दी जाने वाली छोटी छोटी ऋणों (खुदरा ऋण) में जोखिम बंटा होता है तथा ये ऋण ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। इतना ही नहीं, इन खुदरा ऋणों में ब्याज का फैलाव भी लगभग 3–4 प्रतिशत होता है जबकि कॉर्पोरेट ऋणों में औसत प्रतिलाभ मात्र 0.5% से 1.5% होता है ।

अतः बड़े–बड़े उद्योगों को एवं कॉर्पोरेट घरानों को ऋण देते समय बड़े ही सोच समझ कर ऋण देना चाहिए ताकि एक साथ खाता एन पी ए होने पर बैंक को झटका नहीं लगे इसलिए बैंकों को बड़े ऋणों पर निर्भरता भी कम करनी चाहिए ।

आज दिनांक 14.05.2014 को पंजाब केसरी दैनिक समाचार में प्रकाशित हुआ है कि "बैंकों को लगा 29910 करोड़ का चूनाः सी.बी.आई" "1.69 लाख मामले दर्ज, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एन पी ए 1,64,662 करोड़ रुपए (31.03.2013)को हुआ"। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र कि कंपनियों को 22,743 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है । इसके अलावा बैंकों कि गैर निष्पादित परिसंपतियों (एन पी ए) में भी भरी बढ़ोतरी दर्ज कि गई है । ऋणों कि वसूली अच्छी नहीं होने से एवं एन पी ए खातों के बढ़ने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 31.03.2014 को समाप्त वर्ष में उनका शुद्ध मुनाफा भी कम हुआ है उदाहरण के लिए 14.05.2014 को घोषित परिणाम जो कि पंजाब केसरी दैनिक समाचार में प्रकाशित हुआ है इसके अनुसार बैंक ऑफ बरोदा का शुद्ध लाभ सिर्फ 12.5% बढ़कर 1028 करोड़ से 1157 करोड़ हुआ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लाभ 78% कम रहा, पी एन बी का औसत लाभ 29% कम हुआ जो कि इसके एन पी ए के बढ़ने के कारण हुआ इंडियन बैंक का शुद्ध लाभ मार्च 2013 में 1581 करोड़ था जबकि मार्च 2014 में सिर्फ 1158 करोड़ रुपए रहा। इससे यह प्रतीत होता है ज्यादा एन पी ए से बैंकों की लाभप्रदत्ता पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए ऋणों की वसूली अत्यंत आवश्यक है ।

वर्तमान समय में एन पी ए की वसूली एक बहुत ज्वलंत समस्या है और इसका उपाय यही है कि फ्रेश एन पी ए सृजित नहीं होने दिये जाए या कम से कम होने दें एवं ऋण वसूली के जो भी पारंपरिक उपाय या उपरलिखित नवोन्मेंषी उपाय हैं उनका सहारा लें ।

अतः ऋणों कि अच्छी वसूली से बैंकों की लाभप्रदत्ता में प्रशंसनीय बढ़ोतरी क साथ साथ भारत के सर्वांगीण आर्थिक, सामाजिक विकास की गति, स्थिति तथा अवस्था क्रमशः काफी बढ़ जाएगी एवं समुन्नत हो जाएगी और यही वर्तमान समय की महत्वपूर्ण मांग भी है ।

ऋण वसूली को बेहतर बनाने के नवोन्मेषी उपाय

अरविंद जोशी, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक,
बैंक ऑफ बड़ौदा, छत्तीसगढ़

ऋण वसूली एवं भारतीय परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था मे मंदी का असर अगर कहीं सर्वाधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है तो वह है बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता। गत दो वर्षों में बैंकों की विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों का शुद्ध एनपीए कुल अग्रिम का 0.68% था तो 2012–13 मे यह बढ कर 2.00% पर पहुंच गया था, अर्थात चार वर्ष में शुद्ध एनपीए दो गुने से भी अधिक हो गया, जबकि समान अवधि मे कुल अग्रिम भी लगभग इसी दर से बढा है। स्पष्ट है कि सभी बैंक अपने वित्तीय विवरणों में बढ़ती गैर निष्पादक आस्तियों (एन पी ए) से जूझ रहे हैं और गैर निष्पादक आस्तियों मे कमी लाना सभी बैंको के लिये एक कठिन चुनौती बनी हुई है। इस विषय की गम्भीरता और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके विपरीत प्रभाव को इस बात से समझा जा सकता है कि न केवल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बल्कि हमारे वित्त मंत्री भी इस विषय पर एकाधिक बार टिप्पणी कर चुके हैं।

ऋण वसूली–वर्तमान स्थिति

परम्परागत रूप से आस्ति पहचान एवं परिसम्पत्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होने के बाद प्रारम्भिक दिनों अर्थात वर्ष 1991 से 1995 तक के समय में प्रायरू सभी बैंक आस्ति के गैर निष्पादक आस्तियों मे वर्गीकृत होने के बाद ही ऋण वसूली के लिये गम्भीर प्रयास प्रारम्भ करते थे। शाखा स्तर पर तो चुंकि तब बैंक कम्प्यूटरीकृत नहीं हुए थे तत्समय लागू मानदंडो के आधार पर आंकड़े निकालना अपने आप मे चुनौती होता था। बैंको के कम्प्यूटरीकरण के पश्चात, बल्कि यह कहना उचित होगा कि बैंको मे सीबीएस आने के पश्चात ही तकनीक का लाभ मिलना सम्भव हुआ और शाखा प्रबंधकों को आसानी से अपनी शाखा की आस्ति गुणवत्ता सम्बंधित आंकड़े सही एवं यथा समय उपलब्ध होने लगे। वर्तमान दौर में बैंक, ऋण वसूली के प्रति पूर्ण सजग हैं और किसी भी खाते मे प्रारम्भिक संकेतों के प्राप्त होते ही स्थिति को सुधारने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये जाते हैं, इस सब के बावजूद बढ़ती गैर निष्पादक आस्ति निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसके मूल रूप से दो कारण है, पहला कारण विपरीत आर्थिक परिस्थितियां हैं, जिनके कारण ऋण पुनर्भुगतान पर विपरीत असर पड़ा है। दूसरा कारण है बैंको ने तकनीक की सहायता से बैंकिग के अन्य क्षेत्र जैसे परिचालन, ऋण मूल्यांकन आदि के साथ–साथ ऋण निगरानी के क्षेत्र मे भले नवोन्मेषी प्रयोग किये हों किंतु ऋण वसूली के उपायों मे आज भी नए प्रयोग नगण्य ही हैं और बैंक ऋण वसूली के लिये अभी भी परम्परागत उपायों पर ही निर्भर है जबकि बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता होने के कारण यह आवश्यक है कि इसमे निरंतर नवोन्मेषी उपाय किये जाएं और एक प्रभावी वसूली तंत्र का निर्माण हो।

ऋण वसूली के लिये कोई भी उपाय अपनाने के पूर्व हम सामान्यतः ऋणी की सारी जानकारी एकत्रित करते ही हैं। साथ ही समय पर ऋण न चुकाने के कारणों का विश्लेषण भी करते है। कार्पोरेट ऋणी, व्यापारी, नौकरीपेशा आदि अलग–अलग ऋणियों के लिये अलग–अलग योजना भी बनाते हैं किंतु हमे संसाधन प्रबंधन के उस सिद्धांत पर भी गौर करना चाहिये कि ""सभी संसाधनों मे सबसे कठिन और पेचीदा संसाधन मानव है क्योंकि यह प्रतिक्रिया देता है" ।" इसीलिये ऋण खातों मे वसूली के लिये हर ऋणी पर एक जैसा तरीका नही अपनाया जा सकता। वसूली की प्रक्रिया मे पूर्व आयोजना अति आवश्यक है। ऋणी का हर दृष्टिकोण से विश्लेषण करने के पश्चात ही प्रभावी वसूली की जा सकती है

ऋण वसूली– नवोन्मेषी उपाय

1. बैंको मे आपसी समन्वयः ऋणियो के संबंध मे जानकारी लेने के लिये आजकल सभी बैंक सिबिल की सहायता लेने लगे है, जो कि चूककर्ता ऋणी का पता लगाने के लिये एक प्रभावी माध्यम बन गया है पर फिर भी कई ऋणियों के बारे मे भिन्न भिन्न कारणों से पता नहीं चल पाता है। यह सभी जानते है कि बैंकर्स समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही मे आयोजित की जाती है, क्यों न ऋणियों की जानकारी साझा करने के का एक स्थाई एजेंडा इस बैठक हेतु रखा जाए ताकि यह बैठक भी अधिक प्रासंगिकता ले सके और निसंदेह ऋणियों पर भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया जा सके।

2. विशेषी त इकाईयों की स्थापना : वर्तमान समय मे लगभग गत पांच वर्षों से बैंको मे विशेषीकृत इकाइयों का चलन बढ़ा है। प्रायः सभी बैंक एक व्यावसायिक रणनीति के अन्तर्गत बैंकिग के विभिन्न कार्यों के लिये विशेषीकृत ईकाइयों की स्थापना कर रहे हैं। जैसे रिटेल ऋण के लिये विशेषीकृत इकाई, लघु एवं मध्यम इकाई को ऋण हेतु विशेषीकृत ईकाइ, कार्पोरेट ग्राहको को ऋण के विपणन एवं प्रोसेसिंग हेतु समर्पित कार्पोरेट बैंकिग शाखा आदि कार्यों के लिये लगभग सभी बैंको ने विभीन्न शहरों/क्षेत्रों मे विशेषीकृत इकाइयों की स्थापना की है जो कि सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और इनके परिणाम भी उत्साहजनक है। एसे समय में ऋण वसूली के लिये भी विशेषीकृत इकाई की स्थापना का प्रयोग होना चाहिये। ऐसी इकाई शहर आधारित हो सकती हैं, या एक क्षेत्र विशेष के लिये एक इकाई निर्धारित की जा सकती है। इसके मुख्य रूप से निम्न फायदे हैं–

ऐसी इकाई मे एसे स्टाफ नियुक्त किये जा सकते हैं जिनकी रुचि वसूली के क्षेत्र मे हो। उन्हे प्रशिक्षण देकर उन्हे इस क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाया जा सकता है ठीक वैसे ही जैसे हम बैंक मे ऋण अधिकारी, कृषि अधिकारी, मार्केटिंग अधिकारी, आईटी अधिकारी के रूप मे अपने स्टाफ को दक्ष बनाते आए हैं। शाखाओं मे प्रायरू वसूली का कार्य अग्रिम विभाग के जिम्मे ही रहता है अर्थात किसी भी शाखा मे वसूली को एक अतिरिक्त कार्य के रूप मे ही स्वीकार किया जाता है। हमे यह विचार करना ही होगा कि क्या अग्रिम विभाग या कोई भी अन्य विभाग मे कार्य करने वाला स्टाफ वसूली हेतु पर्याप्त समय दे पाता है, अधिकांश लोग इसका जवाब ना मे देंगें। इसीलिये शाखा स्तर पर वसूली का कार्य कभी प्राथमिकता बन ही नही पाता। विशेषीकृत ईकाइ के माध्यम से वसूली करने पर प्रत्येक प्रकरण पर फोकस किया जा सकता है, योजना बनाई जा सकती है और दृढ़ता के साथ उस पर अमल किया जा सकता है। एक क्षेत्र विशेष मे स्थापित वसूली इकाई अपने कार्यक्षेत्र मे आने वाली सभी शाखाओं के लिये कार्य करेगी तो निसंदेह इससे लगातार अनुवर्ती कार्यवाही (फालो अप) अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा एवं समय की भी बचत होगी। सामान्यतः यह देखा गया है कि शाखा मे कार्यरत स्टाफ के ग्राहकों से व्यक्तिगत संबंध बन जाते है, ऐसी स्थिति मे शाखा स्तर पर ऋण वसूली के लिये आवश्यकता होने पर भी स्टाफ कडे कदम, जैसे सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही, से हिचकिचाते हैं और इसे टालते रहते है, परिणामस्वरूप सम्भावित वसूली में अनावश्यक विलंब होता है। विशेषीकृत इकाई ऐसे मामलों में बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य कर बेहतर परिणाम दे सकती है।

आजकल बैंको मे वसूली कार्य के लिये बाहरी वसूली एजेंट नियुक्त किये जा रहे है जो कि शाखाओं को वसूली कार्य मे मदद करते है। ऐसे शहरों मे जहां शाखाओं की संख्या अधिक है वहां वसूली प्रतिनिधि (एजेंट) को सभी शाखा प्रबंधकों से सामंजस्य बनाना होता है, नियमित अंतराल पर उनसे मिलना होता है, यही कारण है कि वसूली एजेंट राष्ट्रीयकृत बैंकों मे उतने प्रभावी नही सिद्ध हुए है।

विशेषीकृत शाखा होने से इन प्रतिनिधियों को केवल एक ही स्थान पर सम्पर्क करना होगा, बैंक का एक ही अधिकारी उसका सम्पर्क सूत्र होगा ताकि जिससे निश्चित रुप से बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

3. अभिप्रेरणात्मक कार्यक्रम

ऋण वसूली के कार्य मे संलग्न लोग इस बात से सहमत होंगे कि कुछ मामलों में बहुत कम परिश्रम एवं समय मे अपेक्षित परिणाम सामने आ जाते है जबकि कुछ मामलों मे बहुत अधिक समय भी लग जाता है, प्रायरू यह देखा गया है कि विशेषकर कम राशि के ऋणों मे प्रयास के बावजूद यदि वसूली नही होती है तो यह समझ लिया जाता है कि इस ऋण की वसूली सम्भव ही नही है, फलस्वरूप प्रयास बंद कर दिये जाते हैं और वसूली नही हो पाती है। यहां अभिप्रेरणा का महत्व बढ जाता है, यद्यपि बैंको ने अपने पुराने ऋण की वसूली के लिये अलग अलग मौद्रिक अभिप्रेरणा के कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं किंतु क्या वे पर्याप्त है और वास्तव मे प्रभावी है, निश्चित रूप से इसकी समीक्षा की जानी चाहिये इसके अतिरिक्त सम्भाव्य गैर निष्पादित ऋणो एवं नए गैर निष्पादित ऋणो की वसूली के लिये भी अभिप्रेरणात्मक कार्यक्रम चलाये जाने चाहिये । यह कतई आवश्यक नही है कि कार्यक्रम मौद्रिक अभिप्रेरणा का ही हो। गैर मौद्रिक अभिप्रेरणात्मक कार्यक्रम भी चमत्कारी परिणाम दे सकते हैं। इसमे क्षेत्रीय/अंचल स्तर पर वसूली हेतु सतत अभियान प्रतियोगिता के रुप मे चलाया जा सकता है, जिसमे पुरुस्कार स्वरुप क्षेत्रीय/अंचल प्रमुख द्वारा प्रशस्ति पत्र ध् सम्मान द्वारा स्टाफ को अभिप्रेरित किया सकता है। प्रतियोगिता का स्वरूप बैंक की प्राथमिकता के अनुसार जो भी हो पर प्रतियोगिता को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक है कि छोटे–छोटे समय की हो, उसके परिणाम भी त्वरित आएं और प्रत्येक कार्यक्रम मे कुछ नयापन हो ताकि स्टाफ का उत्साह कम न होने पाए क्योंकि गैर मौद्रिक अभिप्रेरणा मे मनोविज्ञान यह कहता है कि व्यक्ति को एक ही प्रकार से अधिक समय तक अभिप्रेरित नही रखा जा सकता।

4. तकनीक का उपयोग

ऋण वसूली मे तकनीक का अधिकतम प्रयोग आज समय की मांग है। आजकल बैंको द्वारा ग्राहकों के मोबाईल फोन पर किश्त की देय दिनांक के लिये एस एम एस के जरिये पूर्व सूचना भेजी जाती है, इसका दायरा बढाया जाना चाहिये, एन पी ए खाते के खाताधारक को नियमित अंतराल पर अनुस्मारक भेजना अत्यंत प्रभावी हो सकता है बल्कि एन पी ए खातों मे तो आस्ति वर्गीकरण के आधार पर अंतराल को कम किया जाना चाहिये। समग्र रूप से देखे तो चूककर्ता ऋणी को इतने एस एम एस जाने चाहिये कि वह ऋण न चुकाने के तनाव से मुक्त न हो पाए।

5. अन्य उपाय

उपरोक्त उपाय नियंत्रक कार्यालय द्वारा अपनाए जाने वाले है जिसमे शाखा की भूमिका नही है। शाखाओं मे तो सामान्यतरू अभी भी परम्परागत तरीकों जैसे नोटिस जारी करना, व्यक्तिगत सम्पर्क, फोन पर सम्पर्क आदि से ही वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। इसमे कोई संदेह नही है कि निरंतर अनुवर्ती कार्यवाही (फॉलो–अप) और ऋणी से संवाद बनाए रखना ही शाखा स्तर पर ऋण वसूली के लिये सर्वोत्त्म उपाय है। आवयकता है कि नवोन्मेषी उपायों से उन्हे अधिक प्रभावी बनाया जाए।

शाखा स्तर पर शाखा प्रबंधक की प्राथमिकताएं निरंतर बदलती रहती है और अक्सर उसकी प्राथमिकताएं उसके नियंत्रण से बाहर होती हैं, ऐसे मे वह वसूली के लिये पूर्वनियोजित कार्य भूल ही जाता है शाखा मे शाखा प्रबंधक को चाहिये कि वह अपने कम्प्यूटर पर आउटलुक इत्यादि के माध्यम से ऐसा डाटाबेस बनाए ताकि रोज सुबह जब वह कम्प्यूटर ऑन करे तो उस दिन के पूर्व नियोजित कार्यों के साथ ही साथ जिन ऋणकर्ताओं को उसा दिन सम्पर्क किया जाना है एसे ऋणकर्ताओं की सूची सामने आ जाए और वह इसे भूल न पाए।

शाखा द्वारा जब चूककर्ता ऋणी से लगातार फोन पर सम्पर्क किया जाता है तो प्रायरू कुछ समय बाद वह ऋणी शाखा के नम्बर से आए फोन पर जवाब देना बंद कर देता है, फलस्वरूप शाखा द्वारा भी कुछ समय बाद ऐसे ऋणी को फोन करना बंद कर दिया जाता है और वसूली हेतु अन्य उपायों किये जाते हैं। इस सम्बंध मे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का मत है कि "आप अपनी बात कहो और नियमित रूप से कहो, मत चिंता करो कि सामने वाला उस पर ध्यान नही दे रहा क्योंकि वास्तव मे वह ध्यान न देने का नाटक करा रहा है" अतः फॉलो–अप में आवश्यक है कि उसे लगातार फोन लगाया जाता रहे, क्योंकि भले ही वह फोन पर जवाब न दे रहा हो पर उसे इतना तो पता है कि यह फोन कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। इतना ही उसे उद्वेलित करने के लिये पर्याप्त है, बल्कि इसके विपरीत उसका फोन का जवाब न देना इस बात का सूचक है कि वह चूककर्ता अवश्य है पर बेशर्म नही है। यह भी सम्प्रेषण का नवोन्मेषी माध्यम है इसे अन्य उपायों के साथ सतत प्रयोग मे लाया जाना चाहिये। शाखा स्टाफ को चाहिये कि वह ऐसे ऋणी की व्यक्तिगत जानकारी जैसे उसका जन्मदिन, उसके परिवार के सदस्यों विशेषकर उसके बच्चों का जन्मदिन, उसकी शादी की वर्षगांठ आदि एकत्रित करे और ऐसी किसी निकटतम तिथि पर उसे पुष्पगुच्छ, ग्रीटिंग कार्ड आदि स्वयं जाकर भेंट करे। यह गांधीवादी कार्य उसे शर्मिंदा करने में अत्यंत ही कारगर साबित हो सकता है, विशेषकर बच्चों के मामले मे तो व्यक्ति अत्यंत ही भावुक होता है। इस प्रकार शांति पूर्वक वसूली की अधिकतम सम्भावना है।

लम्बे समय से यदि कोई ऋणी बार–बार सम्पर्क करने पर भी अतिदेय राशि जमा नही कर रहा हो तो परिवर्तन के लिये किसी भी रविवार अथवा अन्य अवकाश के दिन शाखा का सम्पूर्ण स्टाफ उसके घर पर सुबह के समय वसूली के लिये जाए। बडी शाखाएं, जिनमे स्टाफ अधिक होता है वहां यदि किसी के भी घर सुबह सुबह 10–15 लोग आएंगे जिनमे महिलाकर्मी भी शामिल हों तो उस व्यक्ति के लिये इससे अधिक शर्म की बात क्या होगी। रिटेल ऋणों के मामले मे जहां ऋणी मध्य/उच्च मध्यम वर्ग का परिवार वाला हो, यह उपाय आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है। ऐसा नहीं है कि बैंकों मे वसूली के लिये अच्छे उपाय नहीं किये जाते। गत दिनों मे अखबार मे एक अत्यंत रोचक खबर पढने को मिली, एक बैंक ने ऋण वसूली के लिये बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। बैंक के स्टाफ ने ऋण वसूली से सबंधित बैनर छपवाए और ऋणी के कम्पनी कार्यालय और उसके प्रवर्तकों के घर के बाहर, बैनर के साथ लगभग तीन घंटे तक शातिपूर्ण प्रदर्शन किया। स्थानीय अखबारो ने भी इस रोचक खबर को फोटो के साथ प्रमुखता से छापा। परिणामस्वरूप खाते मे अतिदेय राशि जमा कर दी गई। यद्यपि उपरोक्त मामले मे सकारात्मक परिणाम मिले तथापि ऐसे उपाय जिनमें ऋणी की जानकारी सार्वजनिक की जाती है उन्हें अपनाने के पूर्व बैंक के विधि अधिकारी से सम्पर्क कर किसी भी प्रकार की कानूनी पेचिदगियों के सम्बंध मे सलाह लेने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिये।

ग्रामीण क्षेत्रों मे समझौते आदि के द्वारा वसूली के लिये शिविर आदि आयोजित किये जाते है ऐसे शिविर के बारे मे जागरुकता फैलाने के लिये पूरे क्षेत्र मे स्थानीय भाषा मे मुनादी करवाई जा सकती है। यह ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार के लिये बहुत ही सस्ता एवं प्रभावी तरीका है। इससे पूरे क्षेत्र मे सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। जिन शाखाओं मे यह तरीका अपनाया गया है वहां अच्छे परिणाम सामने आए हैं। शाखाओं के स्तर पर वसूली के लिये सुझाए गए उपरोक्त सभी उपाय या इन सभी से भिन्न कोई अन्य उपाय या प्रयास तभी सफल हो सकता है जब उसे पूर्ण आयोजना एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाया जाए। इस हेतु शाखा स्तर पर शाखा प्रबंधक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शाखा प्रबंधक यदि अपने प्रबंधकीय कौशल से अपने पूरे स्टाफ को सम्मिलित करते हुए कार्य करता है तो निश्चित रूप से परिणाम भी बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों मे, जब सभी सम्भव प्रयास करने के बाद भी जब गैर निष्पादक आस्तियों मे वृद्धि हो रही है, यह जरुरी है कि वसूली के लिये समग्र प्रयास हों, नए प्रभावी उपायों को अपनाया जाए, स्टाफ को प्रशिक्षित कर उन्हे पूर्ण समर्पण के साथ इस कार्य मे लगाया जाए ताकि बैंक अपने वित्तीय विवरणों को और अधिक सुदृढ बना सके और अंततरू मजबूत बैंक मे उसके सभी हितधारकों, विशेषकर कर्मचारियों का हित सुरक्षित रह सके।

हिन्दी लिखने के लिये प्रयुक्त देवनागरी लिपि अत्यन्त वैज्ञानिक है।

ऋण वसूली प्रक्रिया को तेज करने में वकीलों की भूमिका

डॉ.जी.एन.सोमदेवे, पी.एचडी (विधि)
सहा. महाप्रबंधक
राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

साल की पहली तिमाही के निष्पादन पर माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने अपने एक बयान में यह कहा था कि बैंकों द्वारा उनके डूबंत ऋणों की वसूली के लिए अपनाए जाने वाले सामरिक विधियां ही डूबंत ऋणों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण हैं। वह इस बात पर भी सहमत थे कि बैंकों के द्वारा अलग से वसूली विभाग की स्थापना की गई है। भारतीय स्टेट बैंक की अध्येक्ष, अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा कि ऋणों की वसूली जो गैर–निष्पादक हैं, हेतु किए जाने वाले प्रयास में बैंकों ने आक्रामकता दर्शाई है, हालांकि, यह आम बात है कि वसूली में विलंब होता है लेकिन कोई भी चीज बहुत जल्दी नहीं आती है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि डूबंत कर्ज इसलिए बढ़ रहे हैं कि बैंकों की वसूली प्रणाली नरम हैं। माननीय वित्तमंत्री महोदय ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 20वीं जयंती पर कहा कि "बैंकर्स वसूलियों पर सुस्त और नरम हैं। हमें इन ऋणों की वसूली करनी है"। वित्त मंत्री महोदय ने आगे बताया कि 2004 के लगभग में एनपीए की संख्या को रोका गया था चूंकि ये मैन्यूअल रूप से चिह्नित किए गए थे। पिछले कुछ वर्षों में, सिस्टाम उत्पन्न आंकड़े 'सच्ची तस्वीर' देते हैं और इसी कारण दोनों संख्या ओं की तुलना नहीं की जा सकती है।

भारतीय बैंक डूबंत ऋणों को कम करने और अपने ऋण वसूली प्रक्रिया में सुधार हेतु संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि आस्ति गुणवत्ता में तनाव के बढ़ने से यह बैंकिंग प्रणाली के लिए मुख्य चुनौती पैदा करेगा। आरबीआई के वार्षिक प्रकाशन, "भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति' में उल्लेखित किया गया है कि समग्र रूप पर बैंकिंग उद्योग का सकल गैर–निष्पादक आस्ति अनुपात एक साल पहले के 3.1 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 2013 की समाप्ति पर 3.6 प्रतिशत रहा है। आस्ति गुणवत्ता में ह्रास देश के सबसे बड़े ऋणदाता, भारतीय स्टेरट बैंक और उसके पाँच सहायक बैंकों में सबसे अधिक देखा गया है। मार्च के अंत तक समूह का एनपीए अनुपात 5 प्रतिशत पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2012–13 में भारतीय बैंकिंग उद्योग के कुल आस्ति का 23–45 प्रतिशत एसबीआई और उसके पाँच सहायकों के पास हैं। रिपोर्ट बताती है कि अल्पावधि में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर दबाव अब भी एक मुख्यं चुनौती बनी हुई है।

धीमी आर्थिक वृद्धि, पिछले मार्च से इस वर्ष तक 5 प्रतिशत रही जो एक दशक में सबसे कम थी, उच्चा ब्याछज दर और रुकी हुई परियोजनाएं कंपनियों के नकद प्रवाह को चोट पहुंचा रही है और कर्ज की चुकौती में उनकी क्षमता को बिगाड़ रही है। आर्थिक वृद्धि में वसूली का परिप्रेक्ष्य मंद हो रहा है, वर्तमान वर्ष का अनुमान उत्तरोतर नीचे की ओर जा रहा है। आरबीआई ने कहा है कि इस क्षेत्र में संदिग्धव ऋण आस्ति बढ़ने के कारण आस्ति गुणवत्ता में ह्रास के चिन्हा दिखे हैं। संदिग्ध श्रेणी की ओर ऋण आस्तियों के बढ़ते बदलाव एसबीआई समूह और राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे अधिक महत्व पूर्ण हैं, इसी के साथ जोड़ा गया है कि वर्ष के प्रारंभ में मानक अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान एनपीए के जोड़ के रूप में परिभाषित बदलाव अनुपात वर्ष 2012–13 के दौरान वृद्धि देखी गई है।

रिपोर्ट में 2012–13 में कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्संरचना प्रणाली के तहत पुनगर्ठित कर्ज की वृद्धि में भारी बढ़ोतरी के बारे में चिंता व्यक्त किया गया है। यह प्रणाली केवल उन मल्टीपल बैंकिंग एकाउंट को कवर करती है जहां सामूहिक एक्सपोजर 10 करोड़ रु. और उससे अधिक है। वर्ष 2012–13 में इस प्रणाली के अंतर्गत पुनर्संरचना हेतु अनुमोदित मामलों की कुल संख्या लगभग 37 प्रतिशत बढ़ी है। अतः पुनर्संरचित कर्ज 52 प्रतिशत बढ़ा है। रिपोर्ट बताती है कि लौह और स्टील और अवसंरचना क्षेत्र में आस्ति गुणवत्ता में सबसे अधिक तनाव देखा गया है। बैंकों को अपने वसूली प्रक्रियाओं को मजबूत करने की जरूरत है और जहां संभव हो आधारभूत आस्तियों और कार्यों यहां तक कि नए प्रयोगों और कर्मचारियों को ईमानदारीपूर्वक क्षतिपूर्ति करने हेतु दक्षता और सुस्पष्टता पर केंद्रित किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, कर्ज वसूली प्राधिकरणों और आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों के कार्य में तेजी लाने की तत्कातल जरूरत है।

रिपोर्ट बताती है कि यदि आर्थिक वृद्धि बढ़ती है तो हो सकता है कि कर्ज की स्थिति सुधरेगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कम से कम इस वर्ष के लिए यह मामला नहीं हो सकता है। कृषि संबंधी गतिविधियों जैसे चक्रीय कारकों को सुधारा जा सकता है लेकिन हमारी समस्या काफी गहरी है। हालांकि इन पर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन सकारात्मक प्रभाव आने के लिए कम से कम सात से आठ महीने का समय लगेगा। अधिकतर सुधार प्रक्रिया पिछले वित्त वर्ष के अंत में शुरु की गई है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री रूपा रेगे नित्सहर बताती हैं कि कुलमिलाकर, पिछला वित्त वर्ष सबसे अधिक ऊँचा नीचा कारोबारी वर्ष रहा।

विभिन्न साधनों के माध्यम से वसूली (करोड़ रु. में)			
	शामिल राशि	वसूली गई राशि	प्रतिशत
लोक अदालत	6,600	400	6.1
डीआरटीएस	31,000	4,400	14.0
सरफेसी अधिनियम	68,100	18,500	27.1

स्रोतः भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट, 2012–13

नये अनर्जक ऋणों के बीच, दोषयुक्त ऋणों की वसूली के लिए बैंक के हाथों में सबसे शक्तिशाली उपकरण प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति अधिनियम (सरफेसी एक्ट) का प्रवर्तन था। सरफेसी एक्ट बैंकों एवं वित्तीय संस्थालनों को कोर्ट के हस्तक्षेप किए बिना उनकी अनर्जक आस्तियों की वसूली का अधिकार देता है। यह अधिनियम अनर्जक आस्तियों की वसूली के तीन वैकल्पिक तरीके उपलब्ध कराता है : प्रतिभूतिकरण, आस्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति का प्रवर्तन – कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना। इस प्रवृत्ति पर आरबीआई की रिपोर्ट और 2012–13 में भारत में बैंकिंग की प्रगति के अनुसार, बैंकों ने 18,500 करोड़ रुपये सरफेसी मार्ग के माध्यम से पुनः प्राप्त किए थे। कार्यक्षमता के हिसाब से भी, यह अधिनियम ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटीज) अथवा लोक अदालतों के चिंतन से ज्यादा असरदार साबित हुआ है। एआईबीईए द्वारा मिलाए गए एवं निर्मोचित आंकड़े बैंकिंग विनियामक एवं वित्त मंत्रालय का भयावह अभ्यारोपण है। जहां सरकार भारत के वैश्विक वित्तीय संकट से बच निकलने की डींगें मार रही है, वहीं 2008 में 39,000 करोड़ रुपये से आज के 164,000 करोड़ रुपये में हुई। गत सात वर्षों में पीएसयू बैंकों द्वारा दोषयुक्त 3 ऋणों के बट्टे खाते डलने से 140,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि हो गई है। यदि हम निजी बैंकों एवं विदेशी बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाडनों के दोषयुक्त ऋणों को शामिल करें, तो कुल दोषयुक्त ऋण 2,50,000 करोड़ रुपये से अधिक हैं।

अनर्जक आस्तियों को जन्म देने वाले कारक कई कारकों के कारण उत्पन्न

होते हैं जो निम्नलिखित हैं, अर्थव्यवस्था का समग्र कार्य–निष्पादनरू अर्थव्यवस्था कैसे चलती है यह एक बड़ा महत्वतपूर्ण कारक है जो बैंकों की अनर्जक आस्तियों के स्ततर को प्रभावित करता है। जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है और मंदी के चरण में होती है, तब उधारकर्ताओं, विशेषकर वाणिज्यिक उधारकर्ताओं के लिए ऋणों का पुर्नभुगतान करना कठिन होता है। कारोबारों का आवर्तन (साईकलिकेलिटि): कारोबार का आवर्तन प्रत्योक्ष रुप से बैंकों की पुर्नभुगतान क्षमता को प्रभावित करता है। इस प्रकार, इसका बैंकों की अनर्जक आस्तियों की राशि पर प्रभाव है। तकनीकी अप्रचलन, तकनीकी अप्रचलन एक ऐसा कारक है जो निर्माण फर्मों की पुर्नभुगतान क्षमताओं को प्रभावित करता है। धन जुटाने में निर्माण इकाई की क्षमता फर्म की पुर्नभुगतान क्षमताओं को प्रभावित करती है। प्रबंधकीय कमियों को परिवर्तित कारोबार वातावरण के साथ चलना होता है, उधारकर्ता की पुर्नभुगतान क्षमताओं को निर्धारित करने में यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक होता है। वित्तीय अनुशासनहीनता एवं साभिप्राय चूकें सबसे बड़ा कारण होता है कि ऋणों का गैर–पुर्नभुगतान क्यों होता है। बहुत से चूककर्ता ऋणों के पुर्नभुगतान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं।

वकील कौन ?

तर्क द्वारा समर्थन और बचाव के लिए सार्वजनिक तौर पर अनुशंसा के लिए एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के मुकदमें को प्रस्तुत करता है या उसके लिए विवाद करता है; ऐसा व्यक्ति जो कानूनी सलाह देता है एवं किसी कोर्ट अथवा न्यायालय के समक्ष दलील प्रस्तुत करता है; काउंसलर वह व्यक्ति जो विधि–व्यवसाय में निपुण हो जो मुवक्किलों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देता हो और न्यायालय में उनके मुकदमों के लिए विवाद करता हो। एक वकील न्याय के मंदिर में सबसे बड़ा पुजारी होता है और हमेशा होना चाहिए। वकीलों को ''न्याय के कोर्ट में सच्चाई, प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा का चोला पहने हुए'' मंत्रियों के रुप में। लौकिक संदर्भ में भी, इस कथन में, बैंकों की ऋण वसूली व्यवस्था में, एक अधिवक्ता की भूमिका का सार आ जाता है। अधिवक्ता को वित्तीय संस्थानों की मॉडल वसूली नीति को समझना चाहिए जो आमतौर पर आदर्श नियमों और विनियमों पर आधारित होती है। उसे ऋण वसूली के लिए अपेक्षित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

आरंभ में, समाज में एक अधिवक्ता की भूमिका की सराहना करना आवश्यक है। प्रोफेशनल के वर्ग के रुप में वकीलों के विकास की जिम्मेदारी ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों को दी जा सकती है जो जन–साधारण और न्यायतंत्र के मध्य अंतःक्रिया को सुविधाजनक करने में सक्षम इंटरफेस बना सके। इसमें अधिकार, स्वातंत्रता के मामले में दी जाने वाली कानूनी सलाह अथवा वैधानिक तंत्र में मुवक्किल की संपत्ति एवं कानूनी अधिकार एक अधिनिर्णायक निकाय के समक्ष किसी विवाद की स्थिति में मुवक्किल को पेश करना आता है। वास्तव में, यदि कानून को 'जनहित' के रुप में देखा जाता है जो कि ज्यादातर टेकनीकल एवं स्वयं क्रियान्वित रहित, कानून के लिए सार्थक पहुंच के लिए एक वकील की सहायता की अपेक्षित होती है। विशेषकर, कई न्यायालयों में कानूनी व्यवसाय के सदस्यों को समुदाय के विशेषाधिकृत सदस्यों की संज्ञा दी जाती है और वकालत करने के विशेषाधिकार के साथ एक विशिष्ट डोमेन देता है और प्रार्थी की ओर से केवल सूचीबद्ध अधिवक्ताओं और अटॉर्नी तक प्रतिबंधित है। कानूनी व्यवसाय के एकाधिकार चरित्र में वे प्रवृतियां आती हैं जिनकी इनके सदस्यों ने रखने और बचाने की आशा की थी। इसीलिए, वकील कानूनी व्यवस्था में एक अपरिहार्य भूमिका अदा करता है। परंतु, वकील को एक अलग दुर्वह एवं बहु–पहलू की भूमिका निभानी होती है। जैसा कि मैथ्यू ने बताया है, ''एक काउंसलर का त्रिपक्षीय संबंध होता हैरू एक जनता के साथ, दूसरा कोर्ट के साथ, और तीसरा मुवक्किल के साथ। यह एक खास विशेषता है।

अन्य पेशा अथवा आजीविकाओं में ये एक अथवा दो संबंध शामिल हो सकते हैं लेकिन इसमें अन्य त्रिपक्षीय शुल्क (ड्यूटी) शामिल नहीं हो सकती है। इन तीन संबंधों में से उभरे दायित्वों एवं अपेक्षाओं की संतुष्टि में अक्सर सामंजस्य करना कठिन है। इन तीन अपेक्षाओं में अधिवक्ता की भूमिका, गहराई से पड़ताल करने की होती है। पेशेवर के रूप में वकील कुछ हद तक मुवक्किल की ओर से कार्य करता है एवं मुवक्किल का प्रतिनिधि होता है। यह मुख्य तौर पर, न्याय निर्णय की एक प्रतिकूलात्मक प्रणाली एवं तत्पश्चात आम कानून देशों में प्रासंगिक है जो एक तटस्थ निर्णय देने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाता है जो इसे तर्को एवं साक्ष्यों के आधार पर सामने रखते हैं एवं उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसलिए एक प्रतिकूलात्मक प्रणाली में एक अधिवक्ता की भूमिका, निर्णय देने वाले प्राधिकारी के समक्ष मुवक्किल के मामले का प्रतिनिधित्व करने की होती है। संक्षेप में, एक पेशेवर के रूप में एक अधिवक्ता की कार्यात्मक भूमिका, एक कानूनी तकनीशियन के बराबर है। एक अधिवक्ता विशेष तौर पर 'कानून' के तकनीकी पेशे में प्रशिक्षित होता है एवं विषय पर अपनी समझ के साथ ग्राहकों के लिए बड़े पैमाने पर परामर्श प्रदान करना इनके पेशेवर कार्य में शामिल है कि कानूनी दायित्वों से कैसे बचा जाय या कैसे कम किया जाए, कानून की कमियों एवं अस्पष्ट ताओं का लाभ कैसे उठाया जाय। एक अधिवक्ता वास्तव में, अपने मुवक्किल का एक सलाहकार होता है। संविदात्मक व्यवस्था, कानूनी सेवा पेश करने में अधिवक्ता के रूप में दायित्व तैयार करती है एवं सब कुछ अदालत के सामने रखती है कि वे अपने मुवक्किल की ओर से न्यायपूर्वक एवं युक्तिपूर्वक सेवा प्रस्तुत कर सकें। रोनडेल बनाम वॉर्ली के मशहूर मामले में लॉर्ड रीड की अक्सर उद्धृत टिप्पणी, एक अधिवक्ता का अपने मुवक्किल ओर कर्तव्य का संक्षेप में सार बताती है। प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह अपने ग्राहक के लिए निडर होकर हर मुद्दे उठाये, हर तर्क आगे करे एवं हर प्रश्न पूछे जो अप्रिय भी हों जिसे वह समझता है कि इससे उसके मुवक्किल के मामले में मदद मिलेगी। और महत्वपूर्ण बात, उसे अपनी निजी राय अथवा अप्रिय परिणामों अथवा प्रतिक्रियाओं की टिप्पणी नहीं देनी चाहिए जिससे उसकी अपने मुवक्किल को प्रदान की जाने सेवा की गुणवत्ता प्रभावित हो एवं उसके कर्तव्य के निवर्हन में उनका सामना करना पड़े। साथ ही एक अधिवक्ता को महज एक पेशेवर के रूप में देखना गलत होगा जो संक्षिप्त व्यापारिक वस्तुओं में लगे पेशेवरों के साथ आजीविका एवं धन संचय के लिए व्यापार एवं महज घिघौने धंध करने में कानूनी पेशे में गिरावट के जोखिम को बढ़ावा देंगे। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि एक अधिवक्ता निष्पक्ष एवं सम्मानजनक सभी तरीके से अपने ग्राहक के हितों की रक्षा करने और कायम रखने का कार्य करने के लिए बाध्य है। चूंकि उसे लगातार महत्व दिया गया है वह अदालत में एक अधिकारी की हैसियत से भी कार्य करता है। अदालत के अधिकारी के रूप में अधिवक्ता की भूमिका, न्याय व्यवस्था में अदालत की सहायता करने की है। अधिवक्ता मामले से संबंधित सामग्री एकत्रित करता है एवं उसके बाद दोष रहित निर्णय का लक्ष्यं प्राप्त करने में अदालत की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, अदालत का एक जिम्मेदार अधिकारी एवं न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण सहायक होने के कारण अधिवक्ता, अदालत के अतिरिक्त प्रतिपक्ष का भी आभारी होता है। इसमें दो पक्ष शामिल है पहला न्यायालय की गरिमा बनी रहे एवं अदालत के प्रति एक सम्मानजनक रवैया बना रहे दूसरा किसी भी परिस्थिति में यह सुनिश्चित हो कि कोई भी अवैध या अनुचित युक्ति अदालत को गुमराह करने में प्रयोग न हो।

अधिवक्ता का प्राथमिक कर्तव्य अदालत को कानून एवं मामले के तथ्यों से अवगत कराना है एवं निष्पक्ष निर्णय लेने में अदालत का सहायता करना है। चूंकि अदालत इस आधार पर कार्य करता है कि अधिवक्ताओं द्वारा अदालत में क्या प्रस्तुति किया गया है, अधिवक्ता अदालत में पूरी तरह से निष्पक्ष होने के लिए बाध्य नहीं हैं। सभी बयान सटीक होने चाहिए एवं अधिवक्ता यह सुनिश्चित करने के पावन कर्तव्य के अधीन है कि वह कोई कार्य अथवा चूक न करे जिससे गलत बयानी की संभावना हो अथवा अदालत गुमराह हो अथवा किसी भी तरीके से मामला अंधेरे में रहे। इस प्रकार अधिवक्ता द्वारा अच्छी एवं मजबूत वकालत

हिन्दी का साहित्य सभी दृष्टियों से समृद्ध है।

अच्छी न्याय व्यवस्था के लिए आवश्यक है। यह मस्तिष्क में बैठाना अत्यावश्यक है कि कानूनी पेशे को, किसी अन्य पेशे अथवा व्यापार अथवा व्यवसाय की तरह नहीं माना जा सकता है। यह एक कुलीन पेशा है जो न्याय का उद्देश्य पूर्ण करने का इरादा रखता है। कानूनी पेशे एवं अन्य पेशे के बीच अंतर इस तथ्य। में निहित है कि अधिवक्ता क्या प्रभावित करते हैं न केवल व्यक्ति को अपितु न्याय व्यवस्था को भी जो समाज की बुनियाद है। जैसा कि देखा गया कि अधिवक्ता पेशेवर की हैसियत से अपने मुवक्किल एवं एक अधिकारी की हैसियत से अदालत एवं अदालत के दोस्ती के कार्य का निर्वहन करता है। हालांकि यह टकराव को भी बढ़ावा देता है। टकराव की स्थिति में जहां तक संभव हो अधिवक्ता अपनी प्रतिस्पर्धा दायित्वों में संतुलन की कोशिश करता है। हालांकि जहां टकराव असंगत है न्याय व्यवस्था में अदालत से संबधित अधिकारी के रूप में उसकी अपने पेशे के मानकों एवं जनता के लिए अदालत में एक अधिभावी कर्तव्य है। लॉर्ड डेनिंग का कथन, सार को समझने की बहुधा उद्धृत की गई टिप्पणी है। "यह कहना गलत न होगा कि वह अपने मुवक्किल का चेहरा है जो वह चाहता है अथवा वह वैसा की साधन है जो वह निर्देश देता है। वह इन बातों में से कोई भी नहीं है। वह एक बड़े मकसद के लिए निष्ठावान है। यह सच्चाई एवं न्याय के कारण है।" उसका अदालत के सामने अपने मुवक्किल की अच्छी छवि प्रस्तुत करने का कर्तव्य है ताकि अदालत विवाद के निर्णय तक पहुंच सके। इसमें सभी प्रासंगिक प्राधिकारियों की उपस्थिति शामिल है यहां तक कि वे भी जो उसके खिलाफ हैं। उसे सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में नहीं शरमाना चाहिए चाहे वे उसके मामले में घातक सिद्ध हों। उसके मुवक्किल के विशेष निर्देशों के बीच टकराव एवं अदालत के प्रति कर्तव्यं के मामले में बाद में वरीयता दी जाती है। इससे न केवल कानूनी भावना के प्रति मूल शब्द है अपितु इससे उच्च सम्मान की भावना पैदा होती है जिसकी यदि अवहेलना की गई तो न केवल पेशे के नियमों का नुकसान पहुंचेगा अपितु न्याय प्रणाली से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जैसा कि यह धनंजय शर्मा बनाम हरियाणा राज्य के मामले में देखा गया, 'इस तरह के आचरण में लोगों की न्यायिक संस्थान से विश्वास हिला कर रख देने की प्रवृति है क्योंकि एक आदेश की मूल संरचना जीवन को दावं पर लगा देती है।' यदि लोग पेशे में अपने कुछ सदस्यों के गलत रास्ते में जाने कारण भरोसा खोते हैं तो इससे न केवल पेशा प्रभावित होती है बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था भी प्रभावित होती है। यह केवल इस प्रयोजन के लिए है कि एक पेशेवर के रूप में एक अधिवक्ता की भूमिका की जांच, अदालत के एक अधिकारी के रूप में एक अधिवक्ता की भूमिका एवं अदालत के एक अधिकारी के रूप में एक वकील का दायित्व सर्वोपरि है, के परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए।

कानूनी पेशे का लोक प्रभाव, भारत संघ बनाम अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लगाया जा सकता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि न्याय व्यवस्था एवं न्याय प्रणाली में अधिवक्ताओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को लोक याचिकाकर्ता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए एवं उन्हें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी एवं संविधान के अनुच्छेद 39 अ के तहत परिकल्पित कानूनी सहायता देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। एक लोक सेवक के रूप में अधिवक्ता पक्ष बारीकी से वास्तविकता की महत्वपूर्ण भूमिका से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अखबारों से सूचना मिली है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन ने बैड लोन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नया प्लान बनाया है। इसके लिए वह एसेट्स के लीवरेज्ड बायआउट (उसी एसेट पर लोन लेकर उसे खरीदने), 500 करोड़ रुपये और इससे ज्यादा की लोन रीस्ट्रक्चरिंग के इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन, कर्ज को बैड लोन में बदलने से रोकने के लिए बैंकों का ज्वाइंट फोरम बनाने और नॉन–बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का रोल बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं।

बैंकों की हालत सुधारने के लिए लोन चुकाने में असहयोग करने वाली कंपनियों के डायरेक्टर, ऑडिटर और वकीलों को ब्लैकलिस्ट करने की भी आरबीआई की योजना है। उसका कहना है कि इससे बैंकों की बैलेंस शीट सुधरेगी और वे इकनॉमिक रिकवरी के लिए लोन दे पाएंगे। जो कंपनियां जान–बूझकर डिफॉल्ट करती हैं उनसे प्रमोटर को निकालने, रीस्ट्रक्चरिंग से पहले कंपनी को जिस एसेट से नुकसान हो रहा है उसे बेचने, फाउंडर की ओर से इक्विटी इनवेस्टमेंट अनिवार्य करने और कंपनी के वापस पटरी पर आने तक प्रमोटर की होल्डिंग, सिक्योरिटी ट्रस्टी को ट्रांसफर करने जैसे उपायों पर भी विचार हो रहा है। ये बातें आरबीआई के डिस्कशन पेपर में दी गई हैं। इस बारे में आखिरी राय डिस्कशन पेपर पर रिस्पॉन्स देखकर बनाई जाएगी। इस बारे में कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग सेल के चेयरमैन आर.के. बंसल ने कहा, 'बैड लोन मामले के निपटारे के लिए बैंकों को इसे इनसेंटिव की तरह लेना चाहिए। इन उपायों से बैंकों को एसेट की वैल्यू बरकरार रखने में मदद मिलेगी और बैड लोन नहीं बढ़ेंगे।' प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सहयोगी प्रमोटर को लोन चुकाने के बाद बैंक से शेयर वापस खरीदने का ऑप्शन मिलेगा। डिस्कशन पेपर में कहा गया है कि प्रस्ताव का मकसद रीस्ट्रक्चरिंग को बढ़ावा देना नहीं है। इससे बैंकों का लोन और कंपनियों की एसेट्स की वैल्यू बचाने में मदद मिलेगी। लोन रीस्ट्रक्चरिंग का बुनियादी सिद्धांत यह है कि पहले इक्विटी होल्डर को नुकसान उठाना चाहिए। उसके बाद लोन देने वालों का नंबर आता है। इसमें यह भी कहा गया है कि रीस्ट्रक्चरिंग में प्रमोटरों का स्टेक बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे। राजन की अगुवाई में आरबीआई सिस्टम से बैड लोन का बोझ घटाने की कोशिश कर रहा है। बैंक, कंपनियों और नेताओं की मिली भगत के चलते बैंकिंग सिस्टम इस मर्ज का शिकार हुआ है।

ऋण वसूली की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वकीलों को संसाधन उपलब्ध कराने होंगे जैसे कि पूर्ण त्रुटि रहित दस्तोवेज, विधि प्रक्रिया की जानकारी सहित उचित मानधन। इसके साथ–साथ वकीलों को ऋण वसूली प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण भी नियमित रूप से दिया जाना चाहिए। वित्तीय संस्थानों को केवल ऐसे विद्वान वकीलों को कार्य सौंपना चाहिए जो व्यवहार कुशल एवं पर्याप्त अनुभव रखते हों, नियमित रूप से कोर्ट जाते हों और जिनकी अच्छी लाइजनिंग क्षमता हो। यदि उचित पारिश्रमिक मिले एवं निश्चित अवधि तक कार्य देने की गारंटी मिले तो वकीलों की कार्य करने की क्षमता एवं विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। इन्ही सब कारणों को ध्यनि में रखने से ऋण वसूली प्रक्रिया को तेज करने में सहायता मिल सकती है। अधिकतर वकील प्रकरणों को पढ़कर कोर्ट नहीं जाते हैं जोकि गलत है इसलिए वित्तीय संस्थानों को अपने वकील के साथ ऋण वसूली अधिकारियों को परस्पर सहयोग करने की छुट देनी चाहिए जिससे बैंक और वकील की अच्छी सामंजस्यता निर्मित हो और प्रकरण में अच्छी पकड़ बनी रहें। न्यायालय कर्मियों के साथ लाइजनिंग भी बहुत जरूरी है जिससे कि प्रकरण का प्रवाह शीघ्रगति से दौड़ सके। चूंकि डबल रकम की वसूली की बात है इसलिए डूबंत रकम की लगभग 10 प्रतिशत राशि यदि लाइजनिंग और व्यवहार पर खर्च हो तो कुछ भी गलत नहीं है। हां बड़े धन राशि की वसूली पर यह प्रतिशत कम भी हो सकता है। इसके साथ–साथ वित्तीय संस्थानों को चाहिए कि वे अपने अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण दें कि वे ऋण संबंधित विधि कागज पत्र त्रुटि रहित रखें और किसी भी तरह की उसमें खोट शेष न रहे ताकि न्यायालय में उन्हें पूर्णरूप से स्वीकार किया जा सके। वित्तीय संस्थानों को चाहिए कि वे अपने अधिकारियों एवं विधि अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी सुनिश्चित करें।

किफायती, उर्जादक्ष एवं हरित आवास की आवश्यकता एवं तत्संबंधी उपाय

प्रवीण भारद्वाज, प्रबन्धक (हिन्दी)
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद,

मानव अपने अस्तित्व के बाद से ही भोजन – रोटी, पहिरन–ओढ़न – कपड़ा और आवास – मकान के लिए संघर्ष करता रहा है। आदिम सभ्यता की बात करें तो हम पाते हैं कि भोजन उसे प्रकृति से सामिष और निरामिष दोनों ही प्रकार से मिल जाया करती थी। इसके लिए उसे शिकारी की भूमिका में आना पड़ता था। शाक–सब्जी हो या जानवरों को मारकर उनके गोश्त प्राप्त करना हो, उसके लिए हथियारों का विकास किया गया और आग के आविष्कार व उपयोग से जंगलों में भोजन की व्यवस्था की गई। आदिम जमाने में वस्त्र की भूमिका बहुत सीमित थी – केवल तन ढंकने के लिए। इसके लिए पेड़ के पत्ते–छाल और शिकार किए गए जानवरों की खाल का प्रचूरता से उपयोग किया जाने लगा। अभी तक आवास के लिए वे गुफा या प्रकृति पर ही निर्भर रहे। जब वे थोड़े विकसित और स्थिर हुए, तब उन्हें आवास की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए उन्होंने पेड़ की टहनियों, घास–फूस, बांस और बड़े–बड़े पत्तों से छारकर झोपड़ियों का निर्माण करना शुरू किया। जिन्दगी पटरी पर चलने लगी और लोगों ने मिट्टी–फूस और बांस के घरों में पालतू जानवरों को पालना शुरू किया जैसेकि गाय, मुर्गी, बत्तख, बकरी, भैंसें आदि। इसपर जंगली जानवरों का उत्पात बढ़ गया और गड़बड़ी होने के कारण समूह में सुदृढ़ मकान बनाने की बात सोची जाने लगी। फिर नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ। भारत में सिंधु नदी के किनारे सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता का विकास हुआ। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पक्के मकानों के लिए मिट्टी के पके हुए इंटों का आविष्कार हुआ दृ भांति दृ भांति के पतले–छोटे, बड़े–मोटे इंटों के बने पक्के मकान मिले हैं उन जगहों की खुदाई में।

आवासों के लिए तथ्यात्मक संदर्भ – विश्व एवं भारत

जैसाकि हम अपने व्यापक अनुभवों से जानते हैं कि देश के भूभाग का अधिकांश भाग ग्रामीण अंचल में निवास करता है और कम ही शहरी इलाके में। आबादी के लिहाज से भी देखें तो हम पाते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात् तथा पिछले 50 सालों के पलायन के बाद अभी भी भारत में 68–69 प्रतिशत जनता गावों में रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना (सेन्सस) के मुताबिक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है, जबकि यह 2001 की जनगणना में 103 करोड़ थी। हमारे पास विश्व के जमीनी भाग का मात्र 2.8 प्रतिशत है और हमारी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.60 प्रतिशत है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान में 1.41 प्रतिशत है और इस दर से बढ़ते हुए हम 2025 में चीन की जनसंख्या को पार कर जाएंगे और 2050 में हमारी आबादी 160 करोड़ हो जा सकती है। वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक, 72.20 प्रतिशत लोग 6,38,000 गावों में और 27.80 प्रतिशत लोग 5100 शहरों या 380 उपनगरीय जगहों पर निवास करते थे। जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक शहरों की जनसंख्या 2011 में जाकर 31.16 प्रतिशत हो गई और शहरीकरण में विस्तार के कारण प्रतिवर्ष इसमें बढ़ोत्तरी होती जा रही है। यहीं पर किफायती, उर्जादक्ष एवं हरित आवासों की जरूरतों का बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इसे किस प्रकार हासिल किया जा सकता है।

आवासों का किफायती स्वरूप :– पिछले वर्ष एक समाचार–पत्र में छपी खबर के मुताबिक भारत में बेघर परिवारों की संख्या 6.50 करोड़ थी और इसके बरक्स देश भर में 10.50 करोड़ घर खाली पड़े हैं, जिनमें कोई नहीं रहता है या जिसके मालिकों ने उसे बंद करके छोड़ रखा है। इस प्रकार, कायदे से देखें तो देश में बेघरों को बसाने के बाद भी चार करोड़ घर बसने के लिए शेष रह जाते हैं। इसलिए घर इफरात में खाली पड़े हैं और उनके उपयोग के बाद भी कई सालों तक मकानों की जरूरत हमें है नहीं। फिर भी भविष्य के सवाल से दो–चार होते हुए हम बात कर रहे हैं किफायती, उर्जादक्ष एवं हरित आवास की आवश्यकता एवं उसके उपायों पर। अब हम बारी–बारी से भारत के जनजीवन पर असर डालने वाले रोटी, कपडा और मकान के तीसरे पाए मकान या आवास के संदर्भ में इन तीन शब्दों किफायती, उर्जादक्ष एवं हरित के व्यापक संदर्भ पर नजर डालेंगे।

ऐतिहासिक तथ्य :– इतना तो तय है कि जब हड़प्पा सभ्यता के दौरान इंटे–गारे के मकान बनने शुरू हो गए थे, उनके बाद से आवासों के मानक पक्के इंटों के घर हो गए न कि मिट्टी या फूस के घर। स्वाभाविक रूप से उनकी लागत में वृद्धि होने लगी। मध्यकाल में कई–कई मंजिलों के पक्के मकान या आधा पक्के–आधा कच्चे मकान बनने की शुरूआत हुई। आधुनिक समय में आकर मकानों में सीमेंट–बालू–गिट्टी–लोहे के छड़ आदि कई नए आवश्यक तत्व जुड़ गए हैं। सुरक्षा कारणों से लोहे की रेलिंग, ग्रिल आदि के जुड़ने और सौन्दर्य के नाम पर पेंटिंग, बाथरूम फिटिंग्स, नल–बिजली आदि के अलग से फिटिंग्स आदि कराने से मकानों की लागत में पूर्व की अपेक्षा कई गुना बढ़ोत्तरी हो गई। फर्श जो पहले साधारण सीमेंट से बनती थी अब मोजाइक, संगमरमर या इटालियन टाइल्स की बनने लगी है। इन प्रक्रियाओं की शुरूआत शहरों में हालांकि पहले शुरू हुई, लेकिन धीरे–धीरे इनका विकास गांवों में भी होने लगा है। अब जाकर गांवों में जिनके पास संसाधन हैं उनमें पक्के मकान बनाने की होड़–सी लगी है और परंपरागत या कच्ची मकानें कम बन रही हैं। ऐसे में किफायती मकानों की ओर लोगों को मोड़ना एक चुनौती भरा कदम होगा।

किफायती आवासों की जरूरत किसे है और क्यों – गावों में और शहरों–उपनगरों में गरीबों को, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, उन्हें किफायती आवास मिले तो उनकी आवास की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। गरीबी रेखा के अंदर रहने वाले गरीबों और बीपीएल कार्डधारी गरीबों के लिए भारत सरकार ने इन्दिरा आवास योजना चलाया हुआ है। इस योजना के अंतर्गत, मैदानी भागों में एक घर बनाने के लिए 70 हजार रूपये तथा पहाड़ी हिस्से में घर बनाने के लिए गरीबों को 75 हजार रूपये देने का प्रावधान है। मैदानी राज्यों के लिए केन्द्र सरकार 75 प्रतिशत रकम देती है और शेष 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को देनी होती है। पहाड़ी हिस्से के लिए केन्द्र सरकार कहीं 90 तो कहीं 100 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराती है। इसमें एक आवश्यक तत्व है कि जमीन उस बीपीएल धारक को स्वयं की देनी होगी या फिर जमीन जिनके पास नहीं है उन्हें राज्य सरकार जमीन भी मुहैया करा सकती है। साथ ही, चूंकि सरकार कितनी भी सहायता दे दे 70

हिन्दी पत्रकारिता का आरम्भ भारत के उन क्षेत्रों से हुआ जो हिन्दी–भाषी नहीं थे।

हजार रुपये में दो कमरे और बरामदे का पक्का ढ़लाई मकान नहीं बन सकता है, इसलिए उस मकान के बनाने में उस मकान मालिक को अपना तथा अपने परिवार का श्रमदान भी देना होता है और जरूरत पड़ने पर अपनी ओर से कुछ विविध खर्चा भी उठाना पड़ता है।

शहरों में किफायती आवास की समस्या :– सवाल है कि क्या शहरी गरीबों को इन्दिरा आवास नहीं मिल सकता। शहरों में खर्चे की अधिकता के कारण इन्दिरा आवास योजना इस रूप में नहीं दूसरे रूप में लागू की जा सकती है और सरकार गरीबों को किफायती और उर्जादक्ष मकान उपलब्ध करवा सकती है। जमीन के पट्टे के सवाल पर शहरी गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। गरीबों को जमीन न उपलब्ध होने की स्थिति में उन्हें फ्लैटनुमा मकान भी मिल सकते हैं। इस बीच विभिन्न राज्यों के विकास प्राधिकारों ने बड़े–बड़े कॉरपोरेट बिल्डरों को अपने स्काई–स्क्रैपरों वाली योजना में से कुछ जमीन निकाल कर गरीबों के लिए जनता फ्लैट बनाकर उन्हें गरीब लोगों में आवंटित करने को मजबूर किया है। ऐसे ही एक योजना को हमने हरियाणा अर्बन विकास प्राधिकरण दृ हुडा के फरीदाबाद शहर के नहरपार हिस्से में देखा तो पाया उन मकानों में रोशनी की थोड़ी कमी थी और उनमें हवा आने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए थे। अर्थात् उनमें मानवीय स्थितियों का निर्माण पूर्णतः नहीं किया गया था और उर्जादक्ष मकान की कसौटी पर वे पूर्णतः खरे नहीं उतरते थे।

किफायती मकान बनाने के उपाय – ऐसा नहीं कि लोग किफायती मकान बनाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें किफायती मकान के साथ–साथ सुरक्षित आवास भी चाहिए और मकान किफायती के साथ–साथ टिकाऊ भी हो। कई बार तकनीक का रोना रोया जाता है और कई बार संसाधनों या मूलतः धन का। इसके लिए उपाय के रूप में हम इंटों पर निर्भरता को कम या खत्म कर सकते हैं। अब इंटों की बात करें तो केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान(सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट – सीबीआरई) रूड़की ने इंटों की लागत एवं मजबूती के पक्ष को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के विकल्पों को सुझाया है, जिनको उपयोग में लाने पर मकान बनाने की लागत कई गुना कम हो सकती है। हम इंटों की लागत कम करके आवास को किफायती बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ सकते हैं।

नींव मजबूत और किफायती कैसे हो :– जिन जगहों पर मिट्टी की मजबूत परतें होती हैं, वहां पर ड्रिल पाइलिंग फाउन्डेशन न देकर ब्रिक आर्क फाउन्डेशन दिया जा सकता है, जोकि भारत में पुरातन या मध्यकालीन पद्धति है। इससे लोहा सरिया, गिट्टी आदि का खर्च बच जाएगा। सीमेंट–गिट्टी–सरिया आदि के बदले लोहा–ईंट के मिश्रण से भी मकान का मजबूत नींव बनाया जा सकता है और दो–तीन महल के लिए उपर्युक्त दो तकनीक बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं।

दीवार के निर्माण में – इसी प्रकार, दीवारों के निर्माण में मिट्टी के ब्लॉक, जिसमें 5 प्रतिशत सीमेंट या लाइम (चूना) मिश्रित मिट्टी की इंटें होती है, बनाकर उनका उपयोग किया जा सकता है। ये इंटें सामान्य पके हुए इंटों की ही भांति मजबूत होते हैं। इंटों को बनाने की कई विधियों का आविष्कार सीबीआरई, रूड़की ने किया है। इनमें से एक है – फ्लाइएस–लाइम–जिपसम इंट का निर्माण। इसे फाल–जी इंट भी कहते हैं। इसमें जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि फ्लाइएस–लाइम(चूना) और जिपसम का मिश्रण होता है। कई प्रकार के ढ़ाले गए इंटों में एक है प्री–कास्ट हॉलो कंक्रीट ब्लॉक। इसमें सीमेंट, कंकड़–बालू के योग से एक ऐसा इंट बनाया जाता है जिसके बीच वाला हिस्सा खोखला होता है और यह दो दीवारों से घिरा हुआ होता है। कई लोग तो इसकी दीवाल खड़ी कर इसकी रंगाई पुताई भी नहीं करते हैं और यह अच्छा भी दिखता है। दीवार बनाने के लिए बांस–लकड़ी के मैट ब्लॉक बनाकर उसे बांस के या लकड़ी के सीधे और खड़े फ्रेम में नीचे सीमेंट–इंटा के बेस देकर बनाएं जैसाकि असम में घर बनाए जाते हैं, तो इसे एक मजबूत और किफायती दीवार का रूप दिया जा सकता है।

छतों के निर्माण में – यदि इंटों–सीमेंट–बालू–छड़–कंकड़–गिट्टी के चक्कर में न पड़ें तो छत के लिए हम फूस और बांस से कई प्रकार के किफायती छत का निर्माण कर सकते हैं। फूस के छत या थैचेट रूफिंग आम जनजीवन में काफी बहुतायत से उपयोग में लाया जाता है। इसे और मजबूती प्रदान करने के लिए इसके उपर कॉपर सल्फेट का घोल डाल देंगे, तो यह जल्दी सड़ने से बच सकेगा और इसका जीवन लंबा चलेगा। आदिवासी समाज में ताड़, नारियल आदि के बड़े व लंबे पत्तों का इस्तेमाल छत डालने के लिए किया जाता है। इसमें यदि वैज्ञानिक तकनीकी पक्ष जोड़कर इसे मजबूती प्रदान किया जाए तो यह बहुत ही किफायती छत में बदल सकता है। ताड़ या नारियल आधारित कॉरुगेटेड शीट आदि का निर्माण भी किया जा सकता है, जैसे कि देश के कई हिस्से में बांस के कॉरुगेटेड शीट का निर्माण किया जाता है। ये बांस के कॉरूगेटेड शीट काफी किफायती और हरित आवास की परिकल्पना के नजदीक हमें ले जाते हैं। बांस बोर्ड का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। बांस बोर्ड देखने में काफी मजबूत और काम में टिकाऊ, वजन में हल्के, इको दृफ्रेन्डली और फूस की अपेक्षा आग लगने से काफी राहत प्रदान करता है। इन शीटों का उपयोग कोरूगेटेड रूप में छत के लिए उपयोग होता है, लेकिन सामान्य बोर्ड का उपयोग दीवार, खिड़की, दरवाजों और फर्श(फ्लोर) के लिए बहुतायत से होता है। एक और किफायती छत निर्माण सामग्री है – नारियल के रेशे, नारियल की खोपड़ी, लकड़ी के उन(छीलन) आदि से सीमेंट के योग से कोरुगेटेड या सामान्य शीट। यह काफी मजबूत, टिकाऊ, वाटर–फायर रेसिस्टेंट और सामान्य सीमेंट कोरुगेटेड रुफ से 50 प्रतिशत किफायती होता है। लेकिन एक सवाल यहां यह उठता है कि चलिए यदि हम किफायती मकान की समस्या हल भी कर लें तो क्या आवास को उर्जादक्ष और हरित आवास की परिकल्पना में ढ़ालने के लिए उनकी लागत बढ़ जाएगी। क्या ऐसी आशंकाएं निर्मूल हैं। इसका

कारण, वैज्ञानिक एवं तकनीकि स्वरूप में ढूंढ़ने की कोशिश करते हैं। अतएव, इस पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं।

किफायती, हरित एवं उर्जादक्ष आवास एक साथ हो तो –

हरित आवास किसे कहेंगे। हरित आवास की एक सर्वमान्य परिभाषा है –

A building which can function using an optimum amount of energy, consume less water, conserve natural resources, generate less waste and create spaces for healthy and comfortable living, as compared to conventional buildings] is a green building.

इस प्रकार, यदि हम किसी भी मकान का निर्माण करते हैं, तो कई बार यह पाया जाता है कि किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक संपदा का दोहन किया गया है। जंगल या पेड़ काटकर मकान बनाए जाते हैं। तालाब या पोखरे को मिट्टी से भरकर मकान या बिल्डिगें बनाई जाती हैं। यदि मकान उबड़–खाबड़ क्षेत्र में बनाए जाते हैं तो किसी और जगह से मिट्टी लाकर उस जगह भराव किया जाता है। तो यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि प्रकृति का कुछ न कुछ नुकसान करके ही हम मकान का निर्माण कर पाते हैं। हरित आवास के निर्माण में एक है बहुत हद तक उर्जा का उपयोग करना। यदि हम वर्गाकार या आयताकार घर न बनवाकर षटकोणीय या अष्टकोणीय. या गोलाकार घर बनाते हैं तो जाड़े के महीने में सूरज की रोशनी तीन – चार या सभी ओर से और गर्मी के दिनों में भी सूरज की रोशनी तीन–चार या सभी ओर से मिल सकती है। इस प्रकार, रोशनी एवं उर्जा का समुचित उपयोग किया जा सकता है। फ्लोरिंग से लेकर शिड़कियों और किवाड़ों में बांस के बने मोटे एवं मजबूत शीट का उपयोग किया जा सकता है। इससे ये मकान किफायती होने के साथ दृसाथ हरित की कसौटी पर भी खरे उतरेंगे। मकान बनाते समय यह भी किया जा सकता है कि पहला महल इंटों और कंक्रीट से बनाकर दूसरा तल बांस–लकड़ी के पैनल तथा बांस के प्लाई शीट आदि के सम्मिश्रण से बनाए जा सकते हैं। यदि मकान बड़े हों और कंक्रीट के या खपड़े के या कॉररूगेटेड सीट से बनाए जाते हों तो उनसे निकलने वाले पानी को एक जगह जमा करके उनसे वाटरशेड हारवेस्टिंग की जा सकती है। इस प्रकार, हम छत पर इकट्ठे हुए बरसात के पानी को वापस जमीन के अंदर भेजकर जमीन के नीचे के जलस्तर को उपर उठाने में अपना योगदान दे सकते हैं और प्रकृति में पानीय जल या पीने के पानी की कमी को काफी हद तक दूर कर सकते हैं।

मकानों में उर्जादक्षता की वृद्धि के उपाय :– मकानों में ऊर्जादक्षता को बढ़ाने के लिए हम कुछ और प्रयास कर सकते हैं। जैसे – हम खिड़कियों की चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि लकड़ियों की खिड़कियों का उपयोग किया जाए। इसके लिए हम अल्यूमिनियम और शीशे के संयोग से स्लाइडिंग खिड़कियां बनवाकर दीवार में लगवा सकते हैं। बाथरूमों में भी अल्यूमिनियम की बड़ी खिड़कियां लगवा सकते हैं, जिनके साथ अपारदर्शी श्वेत शीशे लगाए जा सकें। मकानों में आंगन की अवधारणा को पुष्ट करते हुए बीच में आंगन बनाकर चारों ओर से बरामदे और कमरे बनाकर मकानों में उर्जादक्षता बढ़ाई जा सकती है। इसके आधार हमें गांवों के मकानों में मिल जाता है। साथ ही, पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, कमला नगर जैसे शहरी इलाकों के घर देखने से भी हमें यही पता चलता है। बरामदे उर्जादक्षता के बढ़ाने में सहायक मानदंड एवं आवश्यक उपकरण हैं। ऐसे मकान जिनमें बरामदे होते हैं वे हरित और उर्जादक्ष मकानों के अत्युत्तम उदाहरण हैं। गावों में बने मकान जिनके छतों के प्रकार से उनके नामकरण होते रहे हैं, उर्जादक्षता के और हरित आवास के उत्तम उदाहरण हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि दोचारी यानि बचपन से जिस घर का निर्माण ड्राइंग की कॉपी पर हम करते रहे हैं। एक मकान के ऊपरी या छत वाले जगह पर दो हिस्से आकर एक जगह मिल जाते हैं और उन्हें मिलाकर बांध दिया जाता है, इन्हें दोचारी या दोहरे छत वाला घर कहते हैं। इन्हीं जैसा एक घर होता है, जिसे चौचारी या चार छतों वाला और चार जोड़ चार कुल आठ छतों वाला या अठचारी घर भी कहते हैं। यह घर थोड़ा उंचा होता है और थोड़ा खर्चीला भी। लेकिन, इस अठचारी घर में उर्जादक्षता अपेक्षाकृत अधिक होती है।

मकान बनाते समय घरों की दीवारों में खिड़कियों के अलावा रोशनदान बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इससे आवासीय क्षेत्र में रोशनी और अपेक्षित हवा की आपूर्ति अबाध गति से होती रहती है। रोशनी की अंतिम किरण तक हमें सूरज से मिलती रहे, इसी बात को ध्यान में रखकर रोशनदान मकानों में बनाए जाते रहे हैं। हालांकि इन छोटी किस्म की खिड़कियों से हवा भी छनकर आती रहती है, लेकिन इन्हें हवादान नहीं कहते, बल्कि रोशनदान कहा जाता रहा है। इनका उपयोग विदेशों में भी मकान बनाने में किया जाता है। मकानों को हरित और उर्जादक्ष बनाने के लिए मकानों के चारों ओर या मकान के आगे पीछे जहां भी जगह उपलब्ध हो इमारती लकड़ी के या छायादार–फलदार पेड़ लगाना चाहिए। खासकर मकान के पश्चिमी भाग में पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं, एक – मकान को गर्मी के दिनों में राहत और छाया मिलती रहती है। दूसरे, एक–दो दशक बाद मकान बनाते समय पेड़ बड़े होने के कारण उससे इमारती लकड़ी मिलने के आसार होते हैं। बड़े पैमाने पर मकानों में उर्जादक्षता बढ़ाने के लिए खासकर कस्बाई या सेमी अरबन माहौल में सौर उर्जा, जोकि उर्जा का अपेक्षाकृत महंगा स्रोत है, के मुकाबले हम सामूहिक तौर पर या सहयोगी(को–ऑपरेटिव तौर पर) पवनचक्की दृ विंड इनर्जी का उपयोग या हस्क पावर अर्थात् भूसे से बिजली बनाने की तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। बिहार के पश्चिमी हिस्से तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के ग्रामीण अंचल में बिजली की कमी को दूर करने के लिए भूसा पॉवर – हस्क पॉवर दृ हस्क इनर्जी का उपयोग एक क्रांति में बदल चुकी है। पवन या हवा हमें प्रकृति देती है और भूसा हमें प्रकृति से किसानों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे में उर्जा की कमी को हम सूर्य या पवन या भूसा से पूरी कर सकते हैं।

साथ ही, यदि हम मकान के छत पर सोलर पैनल लगवा लें, तो सौर उर्जा से रात में रोशनी की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है और साथ ही लकड़ी या गैस से खाना न बनाकर सोलर कूकर में खाना बनाया जा सकता है, जिससे लकड़ी, कोयला या गैस जैसे फॉसिल इंधन की खपत से बचा जा सकता है। हालांकि सोलर पैनल लगवाने और इसके अन्य उपकरणों पर व्यय थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन यहीं पर यह भी उल्लेखनीय है कि सौर उर्जा के उपयोग के लिए सरकार की ओर से बढ़ावा दिया जाता है और सब्सिडी भी दी जाती है। हम सरकारी बिजली की खपत कैसे करते हैं। इसकी बचत कैसे करते हैं। इसलिए जैसाकि उपर बताया गया है कि बिजली के अन्य स्रोत जैसे, सौर उर्जा से संचालित उपकरणों जैसे सोलर कूकर, सोलर लालटेन–लाइट, सोलर गीजर आदि के प्रयोग को बढ़ावा देने से घरों में उर्जा के हरित विकल्पों पर आश्रितता बढ़ेगी और सरकारी बिजली पर घटेगी। किफायती, उर्जादक्ष और हरित आवास की परिकल्पना को, देश के चारों हिस्से में मौजूदा घरों के डिजायन से लेकर अवधारणाओं को समेटते हुए आधुनिक विज्ञान तथा अन्य देशों में हुए प्रयोगों के साथ सामंजस्य बिठाकर, हम अपने देश में साकार कर सकते हैं। जरूरत है तालमेल एवं सामंजस्य की। इसके लिए हम सभी को कमर कसना होगा। लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाएं तो मार्ग या साधन कई मिल जाएंगे। फिर भी, महात्मा गांधी की बात से हम सहमत हैं – साधन की शुचिता, साध्य प्राप्त करने से ज्यादा जरूरी है।

भारत में रिहायशी आवासो की स्थिति

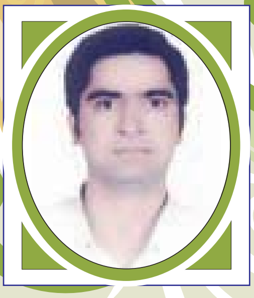

अमित कुमार
सहायक प्रबंधक (रा.भा)
इंडियन बैंक
अंचल कार्यालय, पुदुच्चेरी

भूमिका : सर्वप्रथम हमे यह ज्ञात होना चाहिए कि एक मनुष्य को सुविधाजनक जीवन हेतु तीन मूलभुत पुरको की आवश्यकता होती हैः रोटी, कपडा और मकान, इनकी अनुपस्थिति में संतुलित दिनचर्या की अभिलाषा नही की जा सकती। प्राचीन समय में मानव आदिम अवस्था में जीवन व्यतीत करता था। वह आहार के रूप में फल, पत्तियां व मांस आदि ग्रहण करता था एवं अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों की त्वचा व पेड़ की पत्तियों आदि का उपयोग करता था। अंत में वह आवास के लिए गुफा व पेड़ की टहनियों पर रहने लगा साथ में वह प्राकृतिक आपदाओं जैसे वर्षा, आंधी–तूफान, जंगली जानवरों आदि से बचाव के लिए उसने पर्वतों की कंदराओ व गुफाओं में अपना आवास स्थल बना लिया जिसके प्रमाण हमें खुदाई के समय सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले है, जहाँ यह अवशेष मिले है, किस प्रकार मानव ने अपने आहार व आवास में परिवर्तन करते हुए उन्नति रुपी उपलब्धि प्राप्त की। गुफाओं की दीवारों पर बने भित्ती चित्रों को इस विषय के साक्य के रुप लिया जा सकता है क्योंकि प्राचीन समय में मानव अपनी उपलब्धियों के संदर्भ में प्राकृतिक रंगों की सहायता से गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी करता था।

समय अंतराल पर मानव ने उन्नति के मार्ग पर अपने कदम रखे तत्पश्चात उसकी मनोप्रवृति में भी परिवर्तन आ गया जिसके परिणम स्वरुप वह एक स्थान पर ज्यादा लंबे समय तक न रहके भ्रमण करने वाला खानाबदोश बन गया। फलस्वरूप उसने गुफाओं में अपने आवास स्थल को त्याग कर सुरक्षित स्थान पर टहनियों,पत्तियों से झोपड़ियां निर्मित की एवं जोखिम वाले स्थान पर छोटे पत्थरों से लघु आवास का निर्माण किया जिनका वर्तमान में पक्के मकान, इमारतें, व बंगलों आदि ने स्थान ले लिया है। यही मानव के आवास विकास की लघु कथा है तथा समयानुसार नित परिवर्तन व विकास होता रहा है जिसे निम्न प्रकार से भलीभांति समझा जा सकता हैः

आवास = पेड़ – गुफा – झोपड़ी – मकान – इमारत – बंगला – होटल

यह सर्वविदित है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है जहाँ भाषाए (लगभग 1635), मौसम (सर्दी,गर्मी,वर्षा,बसंत,पतझड़ आदि), धर्म संस्कृति (हिंदु,मुस्लिम,सिक्ख,इसाई), खान–पान व सामाजिक स्तर (सम्पन्न,निर्धन,मध्यम) आदि विध्यमान है। जिनमें से सम्भवत चार घटक रिहायशी आवासों की स्थिति को काफी सीमा तक प्रभावित करते है, जो इस प्रकार है :– मौसम, धर्म व संस्कृति, सामाजिक स्तर व भूमि। जिनकी भूमिका को क्रमानुसार अधोलिखित विवरण की सहायता से सरलता से समझा जा सकता है :

अ. मौसम : भारत में रिहायशी आवासों की संरचना में मौसम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि जन समुदाय अपने आवास का निर्माण करते समय मौसम को बहुत अधिक प्राथमिकता देते हैं और उसी के अनुसार आवास निर्माण करते है जिसे निम्नलिखित उदाहरणो से परिचित से हुआ जा सकता हैः

(i) **बर्फीले व वर्षा क्षेत्र :** ऐसे क्षेत्रों में मकान ढ़ालू छतों वाले होते हैं जिससे बर्फ व पानी का छत पर ठहराव नही होता और क्योंकि छते ढालू होने के कारण दोनों पदार्थों का नीचे पतन हो जाता है जिससे मकान को कोई भौतिक हानि नही पहुंचती।

(ii) **सर्द व शुष्क क्षेत्र :** सर्द क्षेत्रों में मकान मोटी दीवारों वाले व शुष्क क्षेत्रों में मध्यम दीवारों व अपेक्षाकृत अधिक खिड़कियों वाले होते हैं जिनसे वायु अधिक मात्रा में स्थानांतरित हो सके।

ब. धर्म व संस्कृति : भारत में विभिन्न धर्म व संस्कृतियों की बहुलता है जिसकी आवास निर्माण की पृष्ठभूमि में बहुत बड़ी भूमिका है।

स. सामाजिक स्तर : भारत मे रिहायशी आवासों की स्थिति के पीछे सबसे प्रभावी व महत्वपूर्ण कारक जन समुदाय का सामाजिक स्तर है क्योंकि यदि वे सम्पन्न है तो उनका आवास भी स्मृद्ध होगा जिसके प्रतिलोम में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय का रिहायशी आवास भी जर्जर अवस्था मे होगा।

द. भूमि की उर्वरता : प्रायः लोग भूमि की अधिक उर्वर क्षमता वाले स्थानों पर अधिक संख्या में आवास निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब व हरियाणा तथा उतर प्रदेश में राजस्थान की तुलना मे भूमि की उर्वर क्षमता अधिक है जिसके परिणामस्वरूप वहाँ जनसंख्या अधिक होते हुए आवास स्थल की ज्यादा मांग है ।

उपरोक्त वर्णित कारक भारतवर्ष में रिहायशी आवास की स्थिति को बहुत प्रभावित करते हैं, भारत एक विकासशील देश है तथा विकसित श्रेणी में शामिल होने की दिशा मे द्रुततगामी है, परंतु अब भी वर्तमान में भारत में उचित आवास की स्थिति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है जिसे एक जीवंत उदाहरण की सहायता से बहुत असानी से समझा जा सकता है : फिल्म अभिनेता सलमान खान पर न्यायालय में चल रहा मुकदमा क्योंकि उन्होंने रात को फुटपाथ पर सो रहे कुछ गरीब लोगों को अपनी कार से कुचल दिया था, यह दुर्घटना तब नहीं होती अगर उन लोगों के पास खुद का आवास होता। अतः यह कहा जा सकता है कि अधोलिखित कारक हैं भारत में आवास समस्या के

1. **बढती हुई जनसंख्या :** भारत की जनसंख्या एक विकराल दानव/दीमक का रुप धारण करके जो 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है तथा सिर्फ आवास की समस्या ही नहीं अपितु बेरोजगारी, स्वास्थय, शिक्षा की समस्या भी उत्पन्न कर रही है जिसके परिणामस्वरुप देश में एक आम आदमी अस्वस्थ रहते हुए बेरोजगार होकर सड़क पर जीवन व्यतीत करता है क्योंकि यदि किसी स्थान पर एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो वहाँ 100 व्यक्ति पहुंच जाते हैं, इसी प्रकार आसरो, रैन बसेरा आदि में 1 कमरे में 1 व्यक्ति की जगह 10 व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं। अतः आवास की समस्या

चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है।

का निपटान करने के लिए जनसंख्या रुपी दानव का अंत करना होगा।

2. **गरीबी :** जनसंख्या के पश्चात दूसरा विनाशक कारक गरीबी है जिसके कारण भारत में रिहायशी आवास उतने अनुकूल, मजबूत व सुसज्जित नहीं हैं क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या अभी भी अधिक है, उदाहरण के तौर पर राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्य देखे जा सकते हैं, यही नहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी इधर–उधर सड़क के किनारे झुग्गियों में दुबके हुए व्यक्ति भी उचित आवास की समस्या का जीवंत उदाहरण है।

3. **शिक्षा :** इस पक्ष में भी भारत सम्पूर्ण नहीं है और आवास की समस्या के पीछे अंशतः ही नही अधिकांशतः शिक्षा भी उत्तरदायी है क्योंकि एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति सरकार द्वारा चलाई जा रही राजीव गांधी आवास योजना आदि व बैंको की ऋण योजनाओं के विषय में पूर्णतः जानकारी हासिल नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं।

4. **भ्रष्टाचार :** वर्तमान में सिर्फ आवास का क्षेत्र ही नहीं अपितु सभी विभाग–अनुभाग इससे पीड़ित हैं क्योंकि सरकार गरीबी, बेरोजगारी आदि का निदान करने के लिए कोई योजना बनाती है तो उसका बहुत बड़े भाग पर भ्रष्टाचारी नेता, अधिकारी व मंत्री कब्जा कर लेते हैं और लाभार्थी को उस योजना का लाभ उठाने से वंचित कर देते हैं जैसे किसी गरीब व्यक्ति को मकान बनाने के लिए जमीन मिली है तो सरकार उस जमीन को आसानी से प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करती जिसका परिणाम यह होता है कि एक आम आदमी इतना भयभीत हो जाता है कि उसे उस जमीन पर अपनी जमा पूंजी लगाकर मकान बनाने से डर लगने लगता है और वह जमीन खाली पड़ी रहती है और भू माफिया उस पर कब्जा कर लेता हैं।

उपरोक्त वर्णित चौमुखी कारक चारों दिशाओं से भारत में रिहायशी आवास की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। हमे इस समस्या से निपटने के लिए तुरंत ही प्रयत्न करना होगा क्योंकि एक तरफ देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए आकर्षक योजनाओं का निर्माण करके विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है अपने देश में पर्यटन करने के लिए परंतु विदेशी पर्यटक पर्यटन स्थलों के छायाचित्र लेने के साथ–साथ सड़को पर लेटे हुए व भीख मांगते हुए लोगों का भी छायाचित्र लेते हैं अपने देश में जाने के पश्चात प्रदर्शित करने के लिए कि भारत की क्या अवस्था है। हमें अपने देश को प्राचीन समय जैसी सोने की चिड़ियां बनाने के लिए व पुनः विश्व के समक्ष इसका मस्तष्क उंचा करने के लिए सामूहिक रूप से हर सम्भव प्रयत्न करना होगा क्योंकि हमे इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय

भारत में आवास की समस्या से उत्थान के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना संसदीय अधिनियम के अंतर्गत जुलाई, 1988 में हुई। यह बैंक पुर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित है। वर्तमान में रा. आ. बैंक की राशि 350 करोड़ है। यह बैंक उन्नत व संकेंद्रित होते हुए आवास के क्षेत्र में कार्य करने वाला शीर्ष संस्थान है। इस संस्थान की आवश्यकता इस तथ्य के साथ प्रतिपादित हुई कि आवास क्षेत्र को वह अवधान नहीं मिला जो इसे सिर्फ व्यक्तिगत ऋण हेतु वित्तीय निबंधन मे ही नहीं भूमि पर निर्माण, मरम्त व भवन निर्माण सामग्री और कम लागत की तकनीक के भी निबंधन में मिलना चाहिए था।

राष्ट्रीय आवास बैंक के उद्देश्य

- जनता के सभी खंडों के लिए एक विश्वस्त, स्वस्थ, व्यवहार्य व प्रभावी आवास वित्त व्यवस्था जुटाने की व्यवस्था करना।
- विभिन्न क्षेत्रो में विभिन्न आय समूहों को समुचित आवास वित्त व्यवस्था उप्लब्ध कराने के लिए पर्याप्त नेटवर्क की स्थापना करना।
- आवास योजनाओ के द्वारा बचत को उन्नत करना।
- आवास को अधिक सक्षमार्थ बनाना।
- आवास के लिए उपयुक्त तकनीकों को प्रोत्साहन देना।
- स्थानीय एजेंसियों को उभरने का अवसर प्रदान करना।
- आवास निर्माण के लिए भूमि व भवन निर्माण सामग्री की पूर्ति को बढ़ाना।
- इस क्षेत्र के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना।
- देश में आवास भंडार को बढ़ाकर अध्यतित करना।
- संसाधनों के लिए पूंजी बाजार में अभिगमन करने के लिए आवस वित्त व्यवस्था को योग्य बनाना।
- आम आदमी को वित्त पोषण योजनाओ के निकटतम लाना।

राष्ट्रीय आवास बैंक का योगदान

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना उस समय हुई जब स्थानीय व क्षेत्र स्तरीय आवास वित्त संस्थान सम्भवतः अनुपस्थित थे और बैंकिंग क्षेत्र की भी प्राथमिक महत्वपूर्ण स्तर पर आवास वित्त व्यवस्था के लिए कोई विशेष रुझान नहीं दिखा रहा था। परिणामतः यह क्षेत्र पूंजी विहिन हो गया व देश में आवास समस्या भयानक रुप से उत्पन्न हो गई अधिक से अधिक स्थानीय व क्षेत्रीय स्तर पर विशिष्ट संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य था आवास वित्त व्यवस्था की पूर्ति करने हेतू समर्पित आउटलेटों को गठीत करना। राष्ट्रीय आवास बैंक का यह मत था कि विभिन्न आय वर्ग समूहों की आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न उपागमों के द्वारा संस्थानिक आधार पर हस्तक्षेप अधिक प्रभावी होगा। अतः 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना के साथ इस संदर्भ में नए विशिष्ट संस्थान को स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए जो आवास वित्त व्यवस्था हेतू समर्पित केंद्र की भूमिका का निर्वाह करे। इस तथ्य में राष्ट्रीय आवास बैंक की भूमिका को इस प्रकार मापा जा सकता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के अस्तित्त्व में आने के बाद काफी मात्रा में कम्पनियां समर्पित आवास वित्त व्यवस्था संस्थान की भूमिका का निर्वाह करने लगी, जो अब 345 से अधिक विशिष्ट संस्थान बहुत कम समय में देश में विस्तारित हो गए है। 2 आवास वित्त व्यवस्था कम्पनियों को 1989 में मान्यता प्रदान की गई पुनः वित्त व्यवस्था में सहायता करने के लिए जब राष्ट्रीय आवास बैंक अस्तित्त्व में आया ही था जो अब वर्तमान में बढ़कर आवास वित्त व्यवस्था कम्पनियो की संख्या 28 हो गई है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1998–1999 के दौरान लगभग 7400/– करोड़ आवास ऋण की प्रतिपूर्ति की थी। राष्ट्रीय आवास बैंक का द्वितीय क्रियात्मक पक्ष यह है कि इसकी नियामक की भूमिका जो इसे प्रदान की गई है। यह उत्तरदायित्व और अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब आवास वित्त व्यवस्था ऋण व पूंजी बाजार के साथ एकीकरण के विकास के दूसरे चरण में प्रवेश करती है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने "अनुक्रियाशील नियमन" की प्रभावी व्यवस्था को उचित स्थान पर लाने की कोशिश की है बिना बाजार के विरुद्ध कार्य प्रकार से जाकर। देश में अभी भी

आवास वित्त व्यवस्था उत्सर्जन कर रही है और इस प्रसंग में यह अतिआवश्यक बन गया है कि यह संसाधनों के विकास, नीति विकास व संस्थान के निर्माण में अधिक स्थायित्व का प्रदर्शन करे। राष्ट्रीय आवास बैंक ने काफी समयावधि तक इसे कार्यांवित करने के लिए दिशा निर्देश व मार्गदर्शन का कार्य प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने वित्त व्यवस्था कम्पनियों को वित्त व्यवस्था में सहायक व अपनी ईक्विटी में सहभागी मान्यता प्रदान करने के साथ यह निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने वित्त व्यवस्था कम्पनियों को आय अभिज्ञान, आस्तियों के वर्गीकरण आदि हेतु विवेकपूर्ण मानदंड हेतु भी निर्देश व संकेत निर्गत किए है। इन दिशानिर्देशों का निर्माण इस दृष्टिकोण से किया गया है कि देश में विश्वस्त व सम्पन्न आवास वित्त व्यवस्था स्थापित करने का राष्ट्रीय आवास बैंक आदेशपत्र है। इस दिशानिर्देशो के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा सन्निकट अनुश्रवन और आफ व ओनसाइट पर्यवेक्षण अस्तित्व में आया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक की तृतीय महत्वपूर्ण भूमिका है विभिन्न बैंकों व आवास वित्त संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की है व उधार देने वाले विभिन्न प्राथमिक संस्थानों के साथ अधिकाधिक सहभागिता करते हुए आवास क्षेत्र में समर्पित आउटलेटों के माध्यम से आवास वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराने की। इन संस्थानो में अधिसूचित बैंक (व्यवसायिक व सहकारी बैंक), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विशिष्ट आवास वित्त संस्थान, राज्य स्तरीय कृषी व ग्रामीण विकास बैंक और राज्य एपेक्स सहकारी वित्त व्यवस्था समितियां शामिल हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक ने इन सभी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए व दीर्घ स्तर पर समाज की आवास आवश्यकता के प्रबंध हेतु सहायता प्रदान करने के लिए योजनाए बनाई है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित खंड/संस्थान को सिर्फ परियोजना के लिए प्रत्यक्ष रुप से वित्त व्यवस्था प्रदान करने का उत्तरदायित्व लेता है ।

अपने कार्यप्रचालन के 11वें वर्ष के दौरान उधार प्रचालन में 45% से अधिक वृद्धि दर्ज कराई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक ने वर्ष 1998–1999 के दौरान एकीकृत वित्तीय सहायता के लिए 774.25/– करोड रु. की प्रतिपूर्ति की थी वर्ष 1996–97 व 1997–98 में क्रमशः 457.18/– करोड़ तथा 532.98/– करोड़ की तुलना में बैंक की संचयी वित्तीय सहायता जून'1999 तक बढ़कर 4421.91/– करोड़ हो गई जिसका 77.70 % वित्त व्यवस्था कम्पनियों, 16.90 % सहकारी संस्थानीय क्षेत्र को व 5.40 % बैंकों के हिस्से में आया। वित्त व्यवस्था कम्पनियों द्वारा अपना कार्यप्रचालन क्षेत्र बढ़ाकर जनता के एक बहुत बड़े खंड को आवरित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनः वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित आवास वित्त व्यवस्था कम्पनियों के आवास ऋण पत्राधान व अक्षिप्त जमा ने वित्त व्यवस्था कम्पनियों की अतिमहत्वपूर्ण वृद्धि को प्रमाणित किया है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित आवास वित्त व्यवस्था कम्पनियों में पब्लिक जमाए 31 मार्च, 1997 पर 5196.03/– करोड़ से 31 मार्च, 1999 को बढ़कर 6631.00/– करोड़ हो गई तथा 31 मार्च, 1999 को 7326.70/– करोड़ हो गई। इसी प्रकार इन कम्पनियों के द्वारा वितरित किया गया आवास ऋण भी वर्ष 1996–97 में 4327.74/– करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1997–98 में 57336/– करोड़ हो गया, इसी भांति वर्ष 1998–99 में वृद्धि करके 7413.44/– करोड़ रु. हो गया। अतः आवास वित्त व्यवस्था कम्पनियों ने अपने द्वारा वितरित की गई आवास वित्त व्यवस्था में 28.19% वृद्धि अंकित कराई वर्ष 1998–99 में जो वर्ष 1997–98 में 24.97% थी इन कम्पनियों की प्रक्षिप्त आवास ऋण स्थिति में भी विशिष्ट वृद्धि अंकित हुई 31 मार्च, 1997 को 15489.32/– करोड़ रु. से बढ़कर 31 मार्च, 1998 को 18048.32/– करोड़ रु. तथा 31 मार्च, 1999 को 21765.33/– करोड़ रुपये में। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त व्यवस्था कम्पनियों की इस विशिष्ट उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इनका आवास क्षेत्र में योगदान 5000/– करोड़ से बढ़कर नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9000/– करोड़ हो गया।

ग्रामीण क्षेत्रो में आवास हेतु संस्थानीय ऋण प्रवाह को सरल बनाने की आवश्यकता के विषय में पहले भी विचार किया गया था। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु पृथक– पृथक योजनाओं की घोषणा हुई। इस दिशा में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्वर्ण ग्रामीण आवास वित्त व्यवस्था योजना का सूत्रपात हुआ जो अगस्त'1997 में प्रवर्तित हुई। जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन निवास इकाई का निर्माण व अधिग्रहण करने तथा वर्तमान में विद्यमान इकाई की मरम्मत व विस्तार करने के इच्छुक व्यक्ति को संस्थानीय ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है। जनता की विभिन्न आवास आवश्यकताओं के अनुकूलन हेतू लचीली उपागम व्यवस्था बनाई गई है तथा योजना के अंतर्गत ऋण के नियम व शर्तो को अनुकूल बनाया गया है जिनका संचालन बैंक, सहकारी क्षेत्र व आवास वित्त व्यवस्था संस्थानों द्वारा किया जाता है जिन्हें वास्तविक रुप से भौतिक क्षेत्र, कार्यात्मक पहुंच व प्रभावी कार्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सांचे पर आधिपत्य प्राप्त है। इस प्रसंग में आवास ऋण की दीर्घावधि हेतु व पर्याप्त बैकअप को क्षेत्र आवास बैंक की सभी पात्र संस्थानों को पुनःवित्त व्यवस्था के द्वारा बनाया गया है। योजना के प्रथम दो वर्षो के दौरान 50000 व 100000 निवास इकाइयों की वित्त व्यवस्था करने के लक्ष्य को अनुपालन करने वाले विभिन्न संस्थानों द्वारा सफलता से प्राप्त कर लिया गया।

राष्ट्रीय आवास बैंक उन व्यक्तियों के लिए गैर सरकारी संगठन व सामाजिक आधार वाले वित्त व्यवस्था संस्थानों द्वारा आवास वित्त व्यवस्था को गतिशील बनाने के विषय में विचार कर रहा है जो औपचारिक ऋण क्षेत्र का अभिगमन नही करते। राष्ट्रीय आवास बैंक इस दृष्टि से विचार करता है कि नीतियों व योजनाओं को और अधिक सुग्राही बनाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र को भी अधिक सरल बनाया जाए। आवास क्षेत्र के लिए अधिक मात्रा में संसाधनों के निर्माण हेतु बंधक प्रतिभूतिकरण के प्रयोजन व प्रभावकारिता के व्यवहार्य तथा अविच्छिन्न अर्थ में अभिज्ञान दिया जाना है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने आस्ति प्रतिभूतिकरण की दिशा में विभिन्न उपक्रमणों से पहल कर चुका है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक बंधक प्रतिभूतिकरण के परिचय और अंततोगत्वा द्वितीय बंधक बाजार, विधि की विभिन्न बाधाओं से सम्बंधित, अकाउंटिंग व कर प्रक्रिया के संदर्भ में काफी कार्य किया जा चुका है। परिवहन पर भारी स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण के लिये अधिक समय उपभोग करने वाली प्रक्रिया, विधान को कार्यांवित करने और मोचन निषेध की अनुपस्थिति, बीमा अधिनियम में पर्याप्त अनुबंधो की कमी, सेबी के दिशानिर्देश आदि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें तत्काल रुप से निदान किया जाना चाहिए। इन पक्षों का निपटान करने के लिए इन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बड़ी गम्भीरता से लिया गया है। लचीले व अनुक्रियाशील नीति मापदंडों के द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय आवास वित्त व्यवस्था की वृद्धि हेतु वचनबद्ध, समर्पित व संकल्पित है। भारत की आवास समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय

आने वाले समय में विश्वस्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की जो चन्द भाषाएँ होंगी उनमें हिन्दी भी प्रमुख होगी।

आवास बैंक एक प्रकार से मेरुदंड की भूमिका का निर्वाह कर रहा है जिसके यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इस समस्या का समाधान सरल व सहज है। उपरोक्त विवरण के आधार पर यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि भारत उपस्थित आवास की ज्वलंत समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रगतिशील है।

भारत में आवास की स्थिति बहुत चिंता का विषय है जिसके निदान के लिए तत्काल रुप से आवश्यक कदम उठाने होंगे। यह सम्पूर्ण सरलता से शीघ्र हल नहीं होगी क्योंकि भारत एक विकासशील देश है इस समस्या को हल करने के मार्ग में काफी बाधाएं आएंगी। राष्ट्रीय आवास बैंक व अन्य सहायक वित्त पोषण संस्थानों के संयुक्त प्रयत्नों से इस विकराल समस्या पर विजय जरुर हासिल होगी जिसके लिए निम्नलिखित सुझाव काफी सहायक होंगे : –

शिक्षा के प्रसार द्वारा : देश के हर नगर व गांव में प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करके इस जीवंत विकार पर अधिकांश सीमा तक नियंत्रण किया जा सकता है क्योंकि शिक्षा के प्रसार से नागरिक सरकार, बैंक, वित्त पोषण संस्थानों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न नीतियों व योजनाओं से पूर्णतः परिचित हो सकेंगे।

जनसंख्या पर नियंत्रण करके : जनसंख्या पर नियंत्रण करके भी प्रत्येक नागरिक को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा सकता है जिससे एक लघु परिवार एक आवास परिसर में सहजता से निवास कर सकता है।

भ्रष्टाचार के समापन से : देश के आर्थिक व प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में उपस्थित भ्रष्टाचार को समाप्त करके भी आवास की समस्या का अंत किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरुप सभी नागरीक विभिन्न नीतियों व योजनाओं से पुर्णतः लाभांवित हो पाएंगे।

वित्त पोषण संस्थानों से प्रत्येक नागरिक की पहुंच से : प्राय यह दृष्टिगोचर होता है बैंक व वित्त पोषण संस्थान आम नागरिक की पहुंच से क्योंकि मुख्यतः उनका कार्यालय उनके अस्थाई आवास से काफी दूरी पर स्थापित होता है जिसके कारण वह उस कार्यालय में जाने के लिए संकोच करता है, अतः यह आवश्यक है कि वित्त पोषण संस्थानों की स्थापना जनता के रिहायशी परिसर के निकटतम होनी चाहिए।

वित्त पोषण संस्थानों की सहज व सहनीय ब्याज दरों द्वारा : यह सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि एक मध्यम व निम्न वर्ग से सम्बंधित व्यक्ति के लिए बैंक व वित्त पोषण संस्थान द्वारा दिए जा रहे आवास ऋण की ब्याज दरें सहज व सहनीय हों और जिससे वो भयभीत हुए बिना उसका पुनः भूगतान कर सके, अपने परिवार के लिए एक निवास स्थल का निर्माण कर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करे।

मकान किराये पर देने के लिए प्रोत्साहित करके : सम्भवतः हमारे देश में यह देखा गया है किसी उन्नत व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान होते हैं जो प्राय बंद रहते हैं। यदि उन्हें जरुरतमंद व्यक्ति को उचित किराये पर उपलब्ध करा दिया जाए तो कुछ सीमा तक आवास समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है।

रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करके : लोगो के कार्यक्षेत्र को मजबूत करने के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न करके भी इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है क्योंकि रोजगार से उन्हें आय अर्जन होगा जिसे वह अपनी अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति के साथ एक उपयुक्त आवास स्थल का भी निर्माण कर सकेंगे।

सरकार की नीति व योजनाओ को पूर्णत : कार्यांवित करके : सरकार द्वारा काफी योजनाओं की घोषणा की जाती है परंतु उन सभी को अनुकूल मार्ग व सही दिशा नहीं मिलने के कारण सही व पूर्ण रुप से लागू नहीं हो पाती और आरम्भ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाती है। इस विषय में भी उचित उपाय करने की जरुरत है जिससे योजनाएं घोषित होकर कार्यान्वित भी हो जाए।

रैन बसेरों व आश्रय स्थलों का निर्माण कर: एक साधारण आवास स्थल प्राप्त करने में सभी दृष्टि से वंचित जनता के लिए सरकार व संबंधित विभाग द्वारा रैन बसेरों व आश्रय स्थलों का निर्माण करना चाहिए जिसमें वो लोग आश्रय पा सके जो प्रायः सड़क, फुटपाथ व झुग्गी–झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं।

नीति व योजनाओ को क्षेत्रीय भाषा में प्रचारित करके : वस्तुतः यह दृष्टिगोचर होता है कि बैंक व वित्त पोषण संस्थान अपनी अधिकांशतः योजनाओं का प्रचार व प्रसार अंग्रेजी भाषा में सिर्फ शिक्षित लोगों के लिए करते हैं जिनके सम्पर्क में आने से अशिक्षित वर्ग के व्यक्ति वंचित हो जाते हैं। अतः इन सभी संस्थानों को अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार अंग्रेजी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा में किया जाना चाहिए जिससे अधिकाधिक लोग लाभांवित हो सकें।

रिक्त इमारतों में अस्थाई आवास योजना : वर्तमान में सम्पन्न व्यक्ति के साथ साथ सरकार व्यवसाय आदि उद्देश्यों हेतु इमारतों का निर्माण करते हैं परंतु किन्ही कारणों से उसे चालू करने में असमर्थ होते हैं और वह निर्मित इमारत रिक्त पड़ी रहती है और भविष्य में एक दिन खण्डर में रुपांतरित हो जाती, यदि सरकार व उक्त व्यवसायी आवासहीन लोगों को वह रिक्त इमारत किराए पर आवास हेतु देने के लिए सहमत हो तो देश में उपस्थित आवास समस्या के निदान में कुछ सहायता मिल सकती है।

अतः उपरोक्त उपाय करके भारत में विद्यमान आवास की समस्यारुपी स्थिति का सामना किया जा सकता है एव ऐसे उपाय भी किए जा सकते हैं जिससे कि यह समस्या निकट भविष्य में पुनः उत्पन्न न हो और भारत के प्रगति मार्ग पर बाधा उत्पन्न ना करे।

निष्कर्ष : उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में आजादी के 67 वर्ष बाद भी लोग खुले स्थानों पर जीवन व्यतीत करते हैं और आवास की समस्या से पीड़ित है जिसका पूर्ण रुप से समाधान नहीं हो सका है परंतु इसके निदान में राष्ट्रीय आवास बैंक ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए भारत देश को आवास की समस्या से उभारने में बहुमूल्य योगदान दिया है जो दूसरे वित्त पोषण संस्थानों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक भविष्य के लिए भी योजनाएं बना रहा है जिससे ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न ना हो। एक तरफ हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी गति से विकासोन्मुख है परंतु तदोपरांत भी आवास की समस्या के साथ देश में और भी विकृतियां मौजूद हैं जो चिंता का विषय बनी हुई है। इसका एक उपाय यह भी हो सकता है कि हम लोग चुनाव के समय लोकहित व जनकल्याण के मार्ग पर चलने वाली सरकार का चयन करें जो लोकहित में रणनीतियों का सृजन करते हुए उन्हें साकार रुप में कार्यांवित करके जनता को अधिकाधिक लाभांवित करे।

हिन्दी शब्द का सम्बन्ध संस्कृत शब्द सिन्धु से माना जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व

डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल
सहायक महा प्रबंधक
कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूर

प्रस्तावना :

आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आज इस चराचर जगत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी ने अपनी पहुँच न बनाई हो। कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ यह माना जाता था कि इन क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी अपनी पैठ नहीं बना पाएगी, परन्तु देखते ही देखते उन क्षेत्रों में भी सूचना प्रौद्योगिकी ने न सिर्फ अपनी पहुँच दर्ज की बल्कि अपनी अनिवार्यता भी सिद्ध कर दी है। ऐसे कुछ क्षेत्र थे, भाषा, साहित्य, कला, ज्योतिष, आध्यात्म, योग आदि। आज इन सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व दिन–ब– दिन बढ़ता ही जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा :

सूचना प्रौद्योगिकी का भारत में आगमन अंग्रेजी के माध्यम से हुआ। अतः सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होनेवाली प्रथम भाषा का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। इस प्रकार सामान्य जन मानस ही नहीं बल्कि अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी यही मान रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी सिर्फ अंग्रेजी के माध्यम से ही सीखी, सिखाई व प्रयुक्त की जा सकती है, परन्तु सच यह नहीं है।

सूचना प्रौद्योगिकी में भाषा–असली सच :

सूचना प्रौद्योगिकी में भाषा के पहलू पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्व हम भारत के संदर्भ में यह बताना चाहेंगे कि भारत में लगभग 4% आबादी अंग्रेजी जानती है। यह अद्यतन आँकड़े हैं। पिछली जन गणना के हिसाब से तो भारत में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या सिर्फ 2% थी। भारत का यह दुर्भाग्य है कि ये 2% अंग्रेजीदाँ ही भारत के भाग्य विधाता बने हुए हैं तथा भाषा के मामले में भी ये आज तक अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए हैं। आज भी इनकी मानसिकता में अंग्रेजी घुसी हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य राष्ट्र :

जब सूचना प्रौद्योगिकी का पदार्पण हो रहा था उस समय विश्व के अन्य देशों ने यह शर्त लगा दी थी कि कम्प्यूटर या साफ्टवेयर अथवा कोई भी पैकेज यदि उनके देश में बेचना होगा तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसी देश की भाषा में होना चाहिए अर्थात फ्रांस में फ्रैंच, जर्मनी में जर्मन भाषा में, जापान में जापानी भाषा में, अरब देशों में अरबी भाषा में, चीन में चीनी भाषा में इत्यादि। इस प्रकार इन देशों में शुरु से कम्प्यूटर प्रणालियाँ व सूचना प्रौद्योगिकी उनकी भाषा में प्रचलित हो गईं ; लेकिन भारत ने सम्पूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी को अपने यहाँ अंग्रेजी में आने दिया ।

राजभाषा का महत्व और सूचना प्रौद्योगिकी :

विश्व की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी बड़ी–बड़ी कंपनियों ने जब अपने कम्प्यूटरों और साफ्टवेयरों की आपूर्ति अंग्रेजी भाषा के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कर दी तब भारत सरकार को राजभाषा नीति का ध्यान आया, क्योंकि भारत में सिर्फ अंग्रेजी से काम नहीं चल सकता है। भारत में हिन्दी और भारतीय भाषाओं के बिना आप जनता से जुड़ ही नहीं सकते। इस तथ्य को ध्यान में रख कर राजभाषा विभाग ने 15–06–1987 तथा 31–08–1987 को कम्प्यूटर प्रणालियों व साफ्टवेयरों के द्विभाषीकरण से संबंधित आदेश जारी किए। इन आदेशों के परिणाम स्वरूप सरकारी कार्यालयों में कम्प्यूटरों व साफ्टवेयरों तथा पैकेजों के द्विभाषीकरण का कार्य शुरु हुआ, लेकिन सरकारी तंत्र की धीमी गति ने कम्प्यूटरों के द्विभाषीकरण की गति को सरकारी ढंग से धीरे–धीरे आगे बढ़ाया .... अर्थात धीरे ....धीरे ....द्विभाषीकरण की प्रक्रिया चलती रही।

राजभाषा (हिन्दी) में सूचना प्रौद्योगिकी :

यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी राजभाषा हिन्दी में सरकारी कार्यालयों, बैंकों व सार्वजनिक उपक्रमों में धीरे–धीरे अपना स्थान बना रही थी लेकिन निजी क्षेत्र में भाषिक प्रौद्योगिकी ने हिन्दी के क्षेत्र में तेजी से विकास किया। अनेक समाचार पत्र, विज्ञापन जगत एवं पत्रिकाएँ सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से बाजार में आने लगी। प्रकाशन व अभिन्यास की दृष्टि से उत्तम गुणवत्ता सहित कम प्रयास से ही अधिक काम समय पर होने लगा। अतः सूचना प्रौद्योगिकी ने भाषा के क्षेत्र में अपनी ऐसी जगह बनाई कि छोटी से छोटी पत्रिकाएँ भी डीटीपी मुद्रण द्वारा प्रकाशित होने लगी। ''फोटो शॉप'' जैसी सुविधा ने तो विज्ञापन एवं पत्रकारिता के क्षेत्र क्रांति सी ला दी है ।

सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा तथा वेब :

सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण देन यह है कि इसने कम से कम समय में सूचनाओं के विश्व भर में संचार को सुगम बना दिया है। आज हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अनेक वेबसाइटें और ब्लाग बने हैं। गूगल सहित अनेक ''सर्च''उपकरणों में हिन्दी से खोज हो सकती है। ''हिंदीखोज ''और शब्दावलियों की भरमार ने आज भाषा के अवरोध तोड़ दिए हैं। यह सब कुछ राजभाषा हिन्दी के महत्व के कारण ही हो रहा है। हिन्दी चूँकि सम्पूर्ण भारत में लोकप्रिय है इसलिए 78% आबादी की भाषा ने सूचना प्रौद्योगिकी को भाषिक प्रगति के लिए उत्प्रेरित किया।

तमिलनाडु में राजभाषा हिन्दी और सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रचार :

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु जैसे शहर में जहाँ कुछ दशक पूर्व हिन्दी विरोध ही राजनीति का मुद्दा हुआ करता था वहाँ सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विज्ञापन हिन्दी में जारी होते हैं। सन् 2014 के लोक सभा चुनाव के अवसर पर दयानिधि मारन के मत याचना के पोस्टर और बैनर हिन्दी में थे। इसमें लिखा था ''दयानिधि मारन को लोक सभा चुनावों में भारी बहुमत से विजयी बनाएँ ''। इस तरह के पोस्टर चौन्नई शहर के कोने–कोने में चिपकाए गए थे। उल्लेखनीय है कि चैन्नई में 7 लाख से अधिक हिन्दी भाषी हैं व अन्य राज्यों के निवासी भी अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी को महत्व देते हैं ।

सोशल मीडिया और हिन्दी :

आज युवा वर्ग में सबसे तेजी से लोकप्रिय होने वाला क्षेत्र सोशियल मीडिया की सूचना प्रौद्योगिक है। आज की नई पीढ़ी सोशियल मीडिया के माध्यम से भी हिन्दी भाषा का प्रयोग काफी मात्रा में कर रही है। विशेष रूप में शायरी, क्षणिकाएँ, सूक्तियाँ और चुटकुले (जोक्स), हास्य व्यंग्य आदि हिन्दी में प्रचुर मात्रा में देवनागरी लिपि में प्रचलित हैं। कुछ व्यक्ति रोमन लिपि में हिन्दी वार्तालाप भी कर रहे हैं। अतः यह सूचना प्रौद्योगिकी में राजभाषा के सामाजिक सरोकार को दर्शाता है।

ऑन लाइन संकल्पना और राजभाषा :

सूचना प्रौद्योगिकी की एक देन यह भी है कि अधिकांश कार्य ऑन लाइन होने लगे हैं। यहाँ तक कि प्रतियोगिताएँ आदि भी ऑन लाइन हो रही हैं। अनेक सरकारी संगठन, बैंक व सार्वजनिक उपक्रम ऑन लाइन प्रतियोगिताएँ हिन्दी में भी आयोजित करते हैं। परीक्षा आदि का भी ऑन लाइन विकल्प हिन्दी में उपलब्ध है। अतः सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से इसका महत्व और भी बढ गया है। प्रकारांतर से हम कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व और भी अधिक बढ़ा है।

सूचना प्रौद्योगिकी से राजभाषा कार्यान्वयन :

सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से राजभाषा कार्यान्वयन में नवोन्मेषी कार्य हो रहे हैं। इतना ही नहीं राजभाषा कार्यान्वयन की मात्रा और गुणवत्ता में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी ने राजभाषा कार्यान्वयन को सुगम बना दिया है। उदाहरण के लिए मानक मसौदों व मेल मर्ज जैसी सुविधाओं ने हिन्दी पत्राचार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी इसका उपयोग होता रहेगा, यह सहज रूप में कहा जा सकता है।

इलैक्ट्रोनिक सामग्री एवं अन्य उपकरण तथा राजभाषा का प्रयोग :

राजभाषा के प्रयोग की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव से इलैक्ट्रोनिक उपकरणों/कम्प्यूटरों/लैपटॉप/टैब्लेट/आइ पैड आदि के माध्यम से राजभाषा के प्रयोग में बहुत तेजी आई है। यूनिकोड फांट की सहायता से ई–मेल व पी डी एफ फाइलों के माध्यम से हिन्दी का टैक्स्ट बड़ी आसानी से संप्रेषित किया जा रहा है। ''एक शब्द प्रति दिन'' नामक बोर्ड अब डिजिटल स्वरूप में आ गये हैं। हिन्दी शिक्षण योजना के लिए '' ई–लर्न '' बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। प्रत्येक सरकारी विभाग अपने वेबसाइट/पोर्टल पर अपने–अपने विभाग की शब्दावलियाँ, टिप्पणियाँ अपलोड करके रखते हैं। ये सभी सुविधाएँ उपयोगकर्ताओं को आसानी से हिन्दी में उपलब्ध हैं। इन से हिन्दी में काम करने में सभी को अत्यधिक सुविधा हो रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के नए आयाम और राजभाषा :

आज सूचना प्रौद्योगिकी से ''ई–गवर्नेंस'' संकल्पना प्रशासन के सभी क्षेत्रों में लोक प्रिय हो गई है। इस दिशा में टैम्प्लैट व स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टों एवं फार्मेटों के माध्यम से हिन्दी में या द्विभाषी रूप में काम करना सरल व सुलभ हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने ''ध्वनि मुद्रण '' जैसी संकल्पना से डिक्टेशन देना, इंटरनैट पर सिर्फ बोलकर सर्च करना जैसे कार्य सुगम बना दिए हैं। इन नए आयामों ने राजभाषा कार्यान्वयन में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। अतः इससे सूचना प्रौद्योगिकी व राजभाषा दोनों का महत्व बढ़ा है व आज ये एक दूसरे के '' पूरक '' माने जा रहे हैं ।

ई–अनुवाद और राजभाषा :

सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से मशीनीकृत अनुवाद के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। आज भारत सरकार के प्रयासों से तथा सी–डैक की शोध से व निजी साफ्टवेयर निर्माताओं के सद्प्रयासों में ''ई–अनुवाद'' सुलभ हो पाया है। गूगल जैसी विश्व स्तरीय बहुराष्ट्रीय कंपनी भी निःशुल्क हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध करा रही है। इससे राजभाषा का महत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। इतना ही नहीं भारत सरकार की टीडीआईएल (TDIL) संस्था भाषा के क्षेत्र में अत्यधिक उल्लेखनीय कार्य कर रही है।

इन्टरफेस और कोर तथा राजभाषा :

अभी हाल ही तक कोर तथा क्लस्टर कार्यों जैसे कोर बैंकिंग आदि में राजभाषा कार्यान्वयन को थोड़ा झटका लगा था क्योंकि आरंभ में ये सारे कार्य सिर्फ अंग्रेजी में ही शुरु हुए थे, परन्तु आज इन्टरफेस तथा इन्टेग्रेशन साफ्टवेयरों ने इस समस्या को काफी हद तक सुगम बना दिया है। आज कोर जैसी संकल्पना भी हिन्दी माध्यम से सम्पन्न हो रही है।

भविष्य की प्रौद्योगिकी और राजभाषा :

अब हम सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिनसे '' बिग डाटा '' या क्लाउड कम्प्यूटिंग जैसी संकल्पनाओं द्वारा जाना जाता है। आज इन अति आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हिन्दी में कार्य करने हेतु शोध आरंभ हो गए हैं। मंगलूर स्थित द्विभाषी प्रौद्योगिकी शोध संस्थान इस दिशा में गंभीर अध्ययन एवं शोध कर रहा है। उनके शोध के परिणाम शीघ्र ही आने लगेंगे। यह शोध संस्थान कार्पोरेशन बैंक के संयोजन में कार्य कर रहा है तथा टॉलिक मंगलूर एवं दक्षिण स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सहयोग/परामर्श उपलब्ध कराता है। इस संस्थान द्वारा शीघ्र ही प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है जिसमें भविष्य की प्रौद्योगिकी व राजभाषा पर महत्वपूर्ण सूचनाएँ दी जाएँगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी में भी राजभाषा का महत्व उल्लेखनीय है।

सूचना भण्डारण और पुनर्प्राप्ति :

सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से सूचना भण्डारण व उसकी पुनर्प्राप्ति बहुत ही सुगम हो गई है। सभी लेखन सामग्रियाँ, परिपत्र, सूचनाएँ आदि द्विभाषी रूप में रखना और उन्हें पुनः प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। इतना ही नहीं, इन सूचनाओं का संसाधन, परिष्करण और सम्प्रेषण भी तीव्र गति से किया जा रहा है। इससे मानव श्रम में कमी आई है व कार्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष :

उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हो ही गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व यथावत बना हुआ है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से राजभाषा कार्यान्वयन को विस्तार मिला है तथा राजभाषा कार्यान्वयन अधिक सुगम व सुलभ हो गया है।

आज जरूरत इस बात की है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करते हुए राजभाषा संबंधी सभी लक्ष्यों को प्राप्त करके इसे बुलंदियों तक पहुँचाएँ व भारत की कोटि–कोटि जनता को उसकी भाषा में ही जानकारी उपलब्ध कराएँ।

रजनीश कुमार यादव
प्रबंधक राजभाषा
स्टेंट बैंक अश्वफ बीकानेर एंड
जयपुर कोटा अंचल, कोटा

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व

'आज हिंदी कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में विस्फोट के लिए तैयार है। इसके लिए न उपकरणों की कमी है न साधनों की। जरूरत है तो सिर्फ इस बात की हिंदी समाज और इसका प्रबुद्ध वर्ग खासकर सरकारी विभागों के लोग और विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों के लोग इसके प्रति जागरूक और संवेदनशील हों।' ' – वेद प्रकाश, 'हिंदी कंप्यूटरी' पृ– 24

प्रस्तावना :

वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, सूचना प्रौद्योगिकी ने जीवन में एक क्रांति सी ला दी है। किसी भी देश की प्रगति केवल इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी शीघ्रता से एवं कुशलता से परिवर्तन के साथ समायोजन स्थापपित कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले कई दशकों में बहुत तेजी से परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। आज शायद ही कोई ऐसा संगठन है, चाहे वह कोई सरकारी अथवा निजी कार्यालय या शैक्षिक संस्थान हो अथवा फैक्टरी या फिर बैंकिंग आदि जैसी सेवाएँ, जो कम्प्यूटर के प्रयोग से अछूता रह गया है। आज कम्प्यूटर प्रणालियों का विनिर्माण भी भारी मात्रा में हो रहा है। समूचे विश्व में इस क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान के फलस्वरूप विशेष रूप से वैयक्तिक कम्प्यूटर के क्षेत्र में जहाँ इसका आकार छोटे से छोटा होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके संसाधन की क्षमता में वृद्धि हो रही है। अब तो लैपटॉप (नोट बुक) तथा मेसेज पैड जैसे छोटे आकार के कम्प्यूटर भी बन गए हैं और सरकार द्वारा इसके प्रसार की दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप इनकी कीमतों में भी पहले की तुलना में भारी गिरावट आई है जिसने सूचना क्रांति की व्यापकता को बल दिया है।

सूचना क्रांति की व्यापकता एवं सार्वभौमिकता में सबसे बड़ी बाधा भाषायी बाधा ही मानी जा रही थी क्योंकि जहां एक ओर सूचना क्रांति के क्षेत्र में नित–नूतन अनुसंधान एवं विकास कार्य जारी थे लेकिन वह भी केवल एक विशेष भाषा तक केंद्रित थी और इसलिए दुनिया डिजिटल विभाजन की ओर अग्रसर हो रही थी। एक सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि लैटिन अल्फाबेट पर आधारित प्रयोगकर्ता जो कि विश्व की कुल जनसंख्या के केवल 39 प्रतिशत है लगभग 84 प्रतिशत लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं किंतु ब्राह्मी लिपि पर आधारित प्रयोगकर्ता जो कि दक्षिणपूर्व एशिया में तथा सार्क के देशों में रहते हैं और विश्व की कुल जनसंख्या का 22 प्रतिशत हैं केवल 0–3 प्रतिशत ही इंटरनेट का प्रयोग करते हैं क्योंकि 65 प्रतिशत से ज्यादा की सामग्री अंग्रेजी में विद्यमान है। इस समस्या के समाधान तथा इंटरनेट के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु यूनेस्को ने सार्वभौमिक प्रयास करते हुए बहुभाषी इंटरनेट प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया एवं इस क्षेत्र में भारतीय संविधान के आठवीं अनूसूची में विनिर्दष्ट प्रमुख भाषाओं के प्रयोगकर्ताओं हेतु तकनीकी उन्नतयन करते हुए सूचना प्रौद्यागिकी में प्रयोग को बढ़ावा देने का जो प्रयास पिछले दशकों में देखा गया है वह प्रशंसनीय है। भारतीय भाषाओं के तकनीकी विकास को समर्पित संस्थानों के प्रयासों के माध्यम से भारतीय भाषाओं में ओपन फांट्स, बेसिक इंनफोरमेशन प्रोसेसिंग टूल्स, टेक्स ट एडिटर, स्पेकल चेकर, कोश निर्माण, ओ सी आर सिस्टपम , मशीन आधारित अनुवाद प्रणाली, भारतीय भाषाओं को लिनक्सक, ओ एस, टेक्टेस –टू– स्पीच आदि क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से बहुत ज्यादा सफलता मिली है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी का महत्व –

(क) हिंदी की व्यापकता –

भारत एक बहुभाषी तथा बहुलिपि जो 22 राजभाषा एवं 10 विभिन्न लिपियों का देश है। यहां लगभग 1650 से ज्यादा बोलियां है जो कि देश के विभिन्नप भागों में बोली जाती है। भारत के अधिकांश जनसंख्या के लिए हिंदी सर्वाधिक बोली, समझी, प्रयोग में लायी जाने वाली भाषा है। इसके अतिरिक्त हिंदी आज वैश्विक मंच पर भी अपना परचम लहरा रही है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी में लिखे जाने वाली हिन्दी को केन्द्रीय सरकार की राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। हिंदी के महत्व पर चर्चा करने के पूर्व हम इसकी वैश्विकता एवं व्यवसाय विकास में भूमिका पर चर्चा कर सकते हैं। हिंदी विश्व के अग्रणी भाषाओं में है और विश्व के कई देशों में हिंदी अध्ययन कार्य चल रहे हैं। भारत के संदर्भ में हिंदी संपर्क भाषा, व्यवसाय विकास की भाषा तथा राष्ट्रपभाषा के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा शासकीय कार्यालयों में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है।

(ख) राजभाषा हिंदी की वैज्ञानिकता :

राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है और विश्वभर के भाषाविदों तथा तकनीकी विशेषज्ञों ने इस लिपि का गहन अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में बहुत ज्याहदा वैज्ञानिक है तथा इसका संस्कृत भाषा जिसे प्रोगामिंग का आधार माना जा रहा है, से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। वस्तुत:' संस्कृत एवं हिंदी की लिपि एक है और गणित विषय की भांति ही दोनों भाषाओं में तार्किक तत्व विद्यमान हैं। कंप्यूटर विशेषज्ञों का कहना है कि " प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में भारतीयों का कोई सानी नहीं और भविष्य में भारत सॉफ्टवेयर निर्माण में आशातीत प्रगति करेगा क्योंकि यहां के प्रोगामरों को अत्यंत वैज्ञानिक एवं तार्किक भाषा हिंदी व संस्कृरत का ज्ञान है।" यह कथन सटीक प्रतीत होता है। गौरतलब है कि अधिकांश भारतीय भाषाओं की लिपि ब्राह्मी लिपि है और इस लिपि से ही देवनागरी लिपि का प्रादुर्भाव हुआ। 'संगच्दिध्यं संवदध्वम्' हमारे देश की परंपरा रही है कि हम साथ–साथ चले और विकास करें और समवेत स्विर में बात करें। एकता और अनेकता की यह भावना हमारे संस्कृति में चिरकालीन विद्यमान है। देवनागरी की विशेषता भी यही है ।

देवनागरी लिपि की विशेषताएं :

यद्यपि भारतीय भाषाएं भिन्न परिवार से जुड़ी हुई हैं तथापि भारतीय लिपियों (फारसी–अरबी को छोड़कर) का मूल स्रोत ब्राह्मी लिपि है और इसलिए इन लिपियों के वर्ण लगभग समान हैं। अक्षर लिखने की पद्धति में साम्यता है। देवनागरी लिपि मूलत: अक्षरात्मक है और मात्रा आदि की व्यवस्थल केवल देवनागरी में ही है जो कि रोमन लिपियों आदि में नहीं है। कंप्यूटर पर अंग्रेजी के फाइल देखने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि यह एक मानक कोडिंग पर आधारित होती है और प्रयोगकर्ता जिस भी प्लेटफार्म पर इसे खोलता है उसे कोई परेशानी नहीं होती है। यूनीकोड एक मानक कोड है जो कि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न सभी भारतीय लिपिओं के लिए मानक है अर्थात 'क' चाहे देवनागरी में लिखा हो या बंग्ला में या तेलगु में उसका सूचकांक एक ही होगा यह लिपि के अनुसार अपरिवर्तनीय है। कंप्यूटर पर देवनागरी का प्रयोग एक क्रांतिकारी कदम है क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि ही है इसके बारे में संक्षिप्ति चर्चा निम्नानुसार है।

1. यह एक ध्वैन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों (रोमन, अरबी, चीनी) में सबसे अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें कुल 52 अक्षर हैं जिसमें 14 स्वर और 38 व्यंजन है। अक्षरों का क्रमविन्यास भी बहुत अधिक वैज्ञानिक है। स्वर–व्यंजन, कोमल कठोर, अल्पप्राण महाप्राण अनुनास्क्यि– अन्तरस्थ –उष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक हैं।

2. समस्त भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी से संबद्ध हैं। अनेकता में एकता का प्रतीक है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास की दृष्टि से भी यह सहज है।

3. इस लिपि में विश्व की समस्त भाषाओं की ध्वनिओं को व्यक्त करने की क्षमता है। यह वह लिपि है जिससे संसार की किसी भी भाषा को रूपांतरित किया जा सकता है।

4. यह लिपि लेखन की दृष्टि से सरल, सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर और वाचन की दृष्टि से सुपाठ्य है।

इसके अन्य गुण इस प्रकार हैं।

- ✓ एक ध्वनिः एक सांकेतिक चिह्न

  एक सांकेतिक चिह्न : एक ध्वनि
- ✓ स्वर और व्यंजन में तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक क्रम विन्यास

  वर्णों की पूर्णता एवं संपन्नता
- ✓ उच्चारण में स्पष्टता
- ✓ लेखन और मुद्रण में एकरूपता (रोमन, अरबी और फारसी में हस्त लिखित और मुद्रित रूप अलग–अलग हैं)
- ✓ देवनागरी लिपि सर्वाधिक ध्वंनि चिह्नों को व्यक्त करती है।
- ✓ अर्धअक्षर के रूप में सुगमता

संक्षिप्तत: कहा जा सकता है कि 'देवनागरी किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित लिपि है।' इसी संबंध में इस लिपि की विशेषता को परिभाषित करते हुए आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि, "हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है।"

भारतीय भाषाओं में तथा राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में सूचना क्रांति की एक झलक : वस्तुतः लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व लिखने की कला विकसित हुई और सभ्यता का विकास हुआ। लगभग 1300 ई.पू. में किताब लिखने की कला रूपी आविष्कार ने समाज में क्रांति का सूत्रपात किया तथा सन् 1450 ईसवी सदी में गुटनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात यह क्रांति व्यापक रूप में देखी गई। वर्ष 1950 में नयी सूचना क्रांति का आविर्भाव हुआ एवं वर्ष 1971 में कंप्यूटर के आविष्कार के पश्चात यह क्रांति और भी ज्यादा व्यापक हो गई। पर्सनल कंप्यूटरों के तेजी से बढ़ते प्रयोग एवं बैंडविथ क्षमता में आयी तेजी ने विश्व को सिमटा कर रख दिया है किंतु प्रयोग में एकरूपता न होने के कारण डिजिटल डिवाइड की समस्या देखी गई और यह बाधा न केवल ज्ञान प्राप्ति के बाधक थी बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधक तत्व के रूप में देखी जा रही थी। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तरण ने समाज में विभाजन रेखा सी खींच दी थी किंतु भारतीय भाषाओं एवं राजभाषा हिंदी की वैज्ञानिकता, सरलता, सहजता तथा सार्वभौमिकता ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी में अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण पैदा हुए डिजिटल विभाजन को तोड़ने में यूनीकोड का बहुत बड़ा योगदान है। मानव–मशीन के बीच सुगमता से कार्य करने में सक्षम हिंदी रू मानव के बीच आपस में कई तरीकों से संपर्क होता है जिनमें दृश्य तथा श्रवण पद्धति प्राथमिक पद्धति हैं। इस संयम, मानव मशीन संपर्क का प्रधान माध्यम मानव की सुविधा की बजाय मशीन की सुविधा पर अधिक निर्भर है। कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं पर कार्य करने की सुविधा पिछले दो दशकों से उपलब्धि कराई जा रही है, जिनमें विभिन्न प्लेट फार्म तथा प्रचालन प्रणालियों पर डेटा संसाधन, शब्द संसाधन, डेस्कटॉप प्रकाशन आदि सहित विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने किसी प्रकार के भाषायी अवरोध के बिना मानव मशीन संपर्क की सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन से सूचना संसाधन साधनों का विकास करने, बहुभाषी ज्ञान स्रातों का निर्माण एवं अभिगम करने तथा अभिनव प्रयोक्ता, उत्पादों एवं सेवाओं के विकास के लिए उनका एकीकरण करने के उद्देश्य से टीडीआईएल (भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास) कार्यक्रम आरंभ किया। कार्पोरा तथा शब्दकोष जैसे भाषा विज्ञान संसाधनों के विकास, तथा फोंट, पाठ संपादक, वर्तनी परीक्षक, ओ सी आर और पाठ से वाणी जैसे मूलभूत सूचना संसाधन साधनों के विकास के लिए धनराशि प्रदान की गई एवं मानक भी तैयार किए गए।

फोन्ट पर तथा शब्द एवं संसाधक पर कार्य : सभी भारतीय भाषाओं में निःशुल्क फोंट (टीटीएफ तथा ओटीएफ) एवं शब्द संसाधक सार्वजनिक डोमेन में निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराए जाने से हिंदी का प्रयोग बढ़ा है तथा अहिंदी भाषी लोगों में भी इसके सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए हैं। हिंदी के क्षेत्र में कार्य को गति पकड़ने का यह प्रथम चरण था।

ओसीआर में हिंदी : सूचना निष्कर्षण, पुनःप्राप्ति एवं अंकीयकरण के लिए सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशिक अक्षर पहचान (ओ सी आर) ओ सी आर स्कैन किए गए प्रतिरूपों (मुद्रित पृष्ठों को स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया जा सकता है) को संपादन योग्य पाठ में परिवर्तित करता है ताकि उसका प्रयोग अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जा सके और तदनुसार संशोधित किया जा सके। प्रकाशन उद्योग इसका एक प्रमुख लाभग्राही है जो पुनः मुद्रण तथा नए प्रकाशन तैयार करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है।

वाणी इंटरफेस में हिंदी : रेलवे सूचना, स्वास्थ्य की देखभाल, कृषि आपदा प्रबंधन तथा सर्वजनिक उपयोगिता की अन्य सेवा जैसी प्रणालियों के लिए वाणी इंटरफेस। इससे सर्वसाधारण को उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। प्रणाली के साथ संपर्क करने के प्रयोजन से मनुष्य की वाणी की पहचान करने तथा सूचना के निष्कर्षण के लिए उसे पाठ में परिवर्तित करने के लिए वाक इंजन का प्रयोग किया जाता है। पाठ से वाणी का प्रयोग इंटरनेट से सूचना प्राप्त करने जैसे अनुप्रयोगों के लिए दृष्टहीन व्यक्तियों को पाठ पढ़कर सुनाने के लिए किया जा सकता है।

सर्च इंजन तथा इंटरनेट ब्राउजर में हिंदी : भारतीय भाषाओं के लिए इंटरनेट अभिगम साधन जैस कि बाउजर, खोज इंजन तथा ई–मेल। इनसे भारतीय भाषाओं मं ईमेल भेजना संभव होगा और खोज इंजन अन्य भारतीय भाषाओं में सूचना खोजने की सहायता उपलब्धा है साथ ही किसी भी एक भारतीय भाषा में पूछताछ किया जा सकता है। भारतीय भाषाओं के बीच तथा अंग्रेजी के बीच ऑनलाइन अनुवाद सेवा साधन 'मंत्र' आदि सॉफ्टवेयर, श्रुतलेखन से संबंधित सॉफ्टवेयर का निर्माण भी इस क्षेत्र में किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के डिजिटल ब्रीज के रूप में हिंदी : वर्ष 1970 के दशक में जब कंप्यूटर का आविर्भाव हुआ। भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय भाषाओं का कंप्यूटर पर प्रयोग की आवश्कयता को महसूस किया। 1980 के वर्षों में इंटरनेट के प्रयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 21वीं सदी के आरंभ में आगामी पीढ़ी के इंटरनेट इंटरस्पेस ने नई ज्ञानाधारित समाज को सामाजिक आर्थिक

हिंदी एक मात्र ऐसी भाषा है जिसके अधिकतर नियम अपवादविहीन हैं ।

अवसर प्रदान किए। प्रौद्योगिकी का विकास बहुत तेजी से हुआ किंतु कई भाषायी समूह इस दौड़ में बहुत पीछे रह गए, जिसने' डिजिटल डिवाइड' को पैदा कर दिया। भारत प्रौद्योगिकी चुनौतियों तथा क्षेत्रीय बाधाओं से अवगत था कि सूचना प्रौद्योगिकी का आम जनता तक प्रसार तब तक संभव नहीं जब जक की यह प्रौद्योगिकी हिंदी और दूसरी भाषाओं में उपलब्ध न हो। हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी में अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण पैदा हुए डिजिटल विभाजन को तोड़ने की एक महत्वपूर्ण कोशिश की जारी रही है। आज हिंदी कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में विस्फोट के लिए तैयार है। इसके लिए न उपकरणों की कमी है, न साधनों की। जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि हिंदी समाज और इसका प्रबुद्ध वर्ग, खासकर सरकारी हिंदी विभागों के लोग और विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों के लोग इसके प्रति जागरूक और संवेदनशील हो।'

विश्व समाज आज उतरोत्तर सूचना तकनीकी की ओर अग्रसर होता जा रहा है। अगर समाज के लोगों को अपनी मातृभाषा में कंप्यूटर से सूचना का आदान–प्रदान करना संभव हो सके तो वे इस सूचना क्रांति में अधिक सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकते हैं। भारत के लिए यह क्रांति केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा समाज बहुभाषी है, बल्कि इसलिए भी कि क्योंकि हमारा समाज विभिन्न आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तरों पर भी बंटा है। इसलिए मानव मशीन के बीच संवाद की स्थिति पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि उपयुक्त सूचना प्रणाली और बहुभाषा प्रौद्योगिकी के उपकरणों का विकास किया जाए और वे लोगों को किफायती कीमतों पर सुलभ हों, इसके साथ ही हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है।'' यूनिकोड में हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं को भी स्थान मिला है। चूंकि यूनीकोड में देवनागरी लिपि भी शामिल है इसलिए सारे यूनिकोड समर्थित सॉफ्टवेयर खुद–ब–खुद हिंदी समर्थक हो गए हैं बशर्ते कि आपने उसमें यूनिकोड बेस्ड हिंदी फॉंट को सक्रिय किया हुआ हो। आज इस क्षेत्र में विस्तार होते होते इंटरफेस भी हिंदी में तैयार हो गए हैं।

भारत में प्रौद्योगिकी के विकास को तीन प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है:

1. **तकनीकी चरण वर्ष (1971–1990)** : इस दौर ने तकनीकी के स्वीकार्यता पर जोर दिया। अनुसंधान एवं विकास संस्थानों ने वांछित प्रौद्योगिकी प्रणालियों को तथा क्षमता निर्माण पर कार्य किया।
2. **तकनीकी चरण वर्ष (1991–2000)** : आधारभूत प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया, जेनेरिक सूचना प्रौद्योगिकी टूल्स, इंटरफेस तकनीक तथा क्रॉस कंपेटिबिलिटी कनवर्जन यूटिलिटी पर केंद्रित किया गया। इस दौरान भारतीय भाषाओं का प्रौद्योगिकी विकास हेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
3. **तकनीकी चरण वर्ष (2001–2010)** : कंप्यूटींग के क्षेत्र में कनवर्जेंस तथा 'नौलेज फॉर ऑल' अर्थात 'सभी के लिए ज्ञान' हेतु सम्यक रूप से प्रौद्योगिकी विकास हेतु ढांचागत कार्यक्रम तैयार करना इसके मुख्य उद्देश्य रहे।

वर्ष 1991–2000 के दशक के दौरान भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल) में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। वर्ष 2001 के दौरान, डिजिटल यूनाइट एवं नॉलेज फॉर ऑल' अर्थात डिजिटल एकीकरण एवं सभी के लिए ज्ञान नामक दस वर्षीय कार्यक्रम प्रारंभ किया ताकि ज्ञान श्रृखंला को भाषायी बाधाओं से उठकर संचारित किया जा सके। सूचना क्रांति के फलस्वरूप प्राप्त लाभों को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए तकनीकी को लागू करने हेतु 'भाषा तकनीक सभा' आयोजित की गई जिसमें तकनीकीविद्, भाषाविद् को आमंत्रित कर एक सार्थक चर्चा को रूप दिया गया।

W3C की स्थापना भारत सरकार सूचना प्रौद्यागिकी विभाग नई दिल्ली में की गई जिसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट के लिए वैश्विक मानदंडों की भूमिका में भारत के विस्तार तथा इंटरनेट के भविष्य में व्यापकता को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से किया गया। यह वेब की दुनिया में भाषायी बाधाओं को दूर करने हेतु संकल्पित है। वेब डिजाइन एवं अनुप्रयोगों, वेब निर्माण, मशीनी अनुवाद तथा भाषा तकनीकी, मोबाइल फोन तकनीकी, 3जी अनुप्रयोग हेतु कटिबद्ध है।

मशीन आधारित अनुवाद प्रणाली : भारत आज बहुभाषी एवं बहु– सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के साथ धीरे–धीरे विश्व अर्थव्यवस्था का एक महान खिलाड़ी बनने जा रहा है। भारतीय भाषाओं में तकनीकी उन्नयन हेतु चलाए जा रहे विभिन्न प्रयासों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग ग्रामीण**,** वं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं को आईसीटी से जोड़े जाने की आवश्यतकता महसूस की जा रही है। मशीन आधारित अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद की प्रणाली ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महती भूमिका निभाई है। संविधान की अष्टम् अनुसूची में विनिर्दिष्ट 22 भाषाओं में ई–गवर्नेंस सेवाओं को प्रदान करने हेतु एक प्लेट फार्म, टीडीआई एल कार्यक्रमों ने प्रदान किया है, अपितु इसके द्वारा स्थापित मानकों ने वैश्विक मानदंड के अनुसार भी अपनी जगह बनाई है। हमारे देश की लगभग 95 प्रतिशत जनता को अंग्रेजी में कार्य करना आसान नहीं लगता है अतएव अंग्रेजी आधारित कंप्यूटिंग को भारतीय भाषाओं में होने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 1960–1970 के दशक के प्रारंभ में व्यक्तिगत रूप से भारतीय भाषाओं का प्रौद्योगिकी विकास (डीडीआईएल) प्रयासरत रहा एवं वर्ष 1980–90 के वर्षों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्य को गति मिली। वर्ष 2000 में इस क्षेत्र में काफी प्रयास किए गए।

भारतीय भाषाओं के तकनीकी विकास हेतु किए गए अन्य विभिन्न प्रयास एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा :

स्प्लैस 04 (SPLASH)– यह कार्यक्रम स्पीच प्रोसेसिंग एवं भाषा तकनीकी पर आधारित थी। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ताओं ने भाग लिया स्पीच सिंथेसिस एवं रिकॉगनिशन तकनीकी, मशीन जनित अनुवाद, बहुतभाषी कॉर्पोरा एवं ओ सी आर आदि पर चर्चा की गई।

सिम्पल 04 (SIMPLE) – सिम्पोसिएम ऑन इंडियन मौरफोलॉजी, फोनोलॉजी, एंड लैंग्वेज इंजीनीयरिंग जो कि आई आई टी खड़गपुर में आयोजित कार्यक्रम में लिप्यांतरण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयासों के साथ–साथ दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिप्यांतरण सिस्टम जो कि दृष्टिहीन है उनके लिए, तथा बोलने की क्षमता में कमजोर विकालांग तथा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित लोगों के लिए उनके लिए टेक्स्टू स्पीच जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के नित–नूतन प्रयोगों को बल मिला है। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम के पहल से 'ग्राम ज्ञान केन्द्र' पूरे भारत में स्थापित किए गए।

सामाजिक मीडिया में हिंदी : सोशल मीडिया में हिंदी की लोकप्रियता में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव में सोशल मीडिया के हर प्रकार में हिंदी छाई रही। संप्रति, सभी के हाथों में मोबाइल है और मोबाइल पर हिंदी टूल्स का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। सामाजिक/सार्वजनिक मंचों पर हिंदी पूरी तरह से छाई हुई है और यह सब सूचना प्रौद्योगिकी के नवीन प्रयोगों से संभव हुआ है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं हिंदी एक दूसरे के पूरक : सूचना प्रौद्योगिकी एवं हिंदी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं क्यों कि जहां हमारे देश में सूचना क्रांति के प्रसार में वृद्धि हुई है वहां हिंदी के योगदान को नकार नहीं जा सकता वहीं दूसरी ओर हिंदी के प्रचार प्रसार में भी सूचना प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व है।

उच्च उत्पादकता तथा गुणवत्तायुक्त सेवाओं के साथ सामाजिक आर्थिक विकास हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने पांव पसारा है। वस्तुत : यह जन

हिन्दी के विकास में पहले साधु–संत एवं धार्मिक नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

साधारण का उनके स्वयं की भाषाओं में मांग, अधिग्रहण तथा ज्ञान अर्जन की विकास की मांग के कारण संभव हो सका। भारतीय भाषाओं की अन्य, भाषाओं में एक ध्वन्यात्मक एकरूपता है। सभी भाषाओं में एक ढांचा है तथा सभी नियमबद्ध व्याकरण से संबद्ध हैं तथा साथ ही अपार साहित्य भंडार से पूर्ण हैं। यूनीकोड के मानकीकरण पश्चात एकरूपता के कारण भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर कार्य करना आसान हो गया है। (INSROT) भारतीय लिपियों से रोमन लिप्यांतरण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

(COIL-TECH) consortium for Innovation and Language technology –भाषा तकनीक और नवाचार के लिए समूह ने देवनागरी गुरूमुखी, गुजराती तथा मलयालम पर कोड बनाए जाने हेतु कार्य कर रही हे जो कि बहुत सफल सिद्ध हो रही है। इससे भी सिद्ध होता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वैश्विक डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में प्रयास जारी है। 'स्पेल चेकर' अर्थात 'वर्तनी शुद्ध' करने संबंधी प्रमुख बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का दबदबा तो विश्व मान ही चुका है लेकिन अब इस क्षेत्र में भारतीयता ने भी अपने कदम बढ़ा दी है। राजभाषा माह के दौरान वर्ष 8 सितंबर 2009 को दिल्ली में छः भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा फांट्स के लोकर्पण के साथ ही समस्त 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इस प्रकार की तकनीक अब आम आदम के उपयोग हेतु उपलब्ध हो गई। भारतीय भाषाें का सूचना प्रौद्योगिकी में खुलकर उपयोग होने से भारतीयता के सभी पक्षों जैसे भाषाएं, मूल्य, पारंपरिक ज्ञान, सहज संपर्क, व्यापार, पत्र व्यवहार आदि के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं और यह सब संभव किया है सूचना प्रौद्योगिकी विकास विभाग के भारतीय भाषाओं के लिए तकनीक कार्यक्रम (टीडीआई एल) एवं उन्नत संगणनक विकास केंद्र (सी डैक) के मिले जुले प्रयत्न ने वैश्विकरण की प्रक्रिया और समग्र विकास जन–जन को जोड़ने वाली सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा ही संभव है। भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के तहत निम्न लिखित उद्येश्यों को ध्यान में रखा गया है।

1. भारतीय भाषाओं में मानव मशीन इंटरेक्श्न टूल्स का विस्तार करना तथा बहुभाषी संसाधनों/सामग्री का सृजन करना।
2. सूचना प्रोसेंसिंग टूल्स के उपयोग का अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु संवर्धित करना ।
3. भारतीय भाषाओं हेतु प्रौद्योगिकी को समेकित करना एवं उत्पादों एवं सेवाओं के प्रयोगकर्ता हेतु नवाचार का विकास करना।

प्रमुख कदम :

ज्ञान संसाधन: '(पैरेलल कॉर्पोरा, बहुभाषी पुस्तकालय/कोश आदि)

ज्ञान टूल्स : (पोर्टल्स, भाषा प्रोसेसिंग टूलस, अनुवाद मेमोरी टूल्स)

अनुवाद समर्थन प्रणाली: (मशीन अनुवाद, बहुभाषी सूचना एक्सेस, क्रॉस लैंगयूएज सूचना रिट्राइवल)

मानव मशीन इंटरफेस सिस्टम : ऑप्टिकल कैरेक्ट्रस रिकॉगनिशन सिस्टम, वॉइस रिकॉगनिशन सिस्टसम, टेक्सट –टू– स्पीच सिस्टम)

स्थानीयकरण : आईटी टूल्स की स्वीकार्यता तथा भारतीय भाषाओं में समाधान

भाषा प्रौद्योगिकी एवं मानव संसाधन विकास : प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग में मानवशक्ति विकास

मानकीकरण : (इस्की, यूनीकोड, एक्सएलएल, टीएमएक्स, आई एस एफ ओ सी आदि)

स्पीच तकनीकी एक नया आयाम : पिछले दो दशकों में अनुसंधान एवं विकास ने स्पीच तकनीकी के क्षेत्र में पूरे विश्व स्तर पर उत्साह पूर्वक भाग लिया और हाल ही में स्पीच तकनीकी ने उत्पादों एवं संसाधनों के मामले में गति प्राप्त की है, विशेष रूप से कॉर्पोरा विकास एवं टेक्सट टू नेचूरल स्पीड सिस्टम के लिए। इसी क्षेत्र में विकास करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी के लिए और एक आयाम तय किया जिसमें वॉइस जो कि एक संक्षिप्ताक्षर है जिसका पूर्ण रूप Voice Oriented Interactive Computing Environment (VOICE) है हिंदी के क्षेत्र में लागू किया गया। यह सिस्टम विजुअल एवं वॉइस फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है ।

हिंदी साफ्टवेयर उपकरण – भारत सरकार का महत्वपूर्ण कदम

कंप्यूटरी हिंदी के इतिहास में 20 जून 2005 का दिन ऐतिहासिक है। इस दिन भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि जिसने हिंदी कंप्यूटरी के रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं और समस्याओं का हल एक ही सीडी में उपलब्ध करा दिया। जिसका नाम था –''हिंदी सॉफ्टवेयर उपकरण''। यह सीडी एकदम मुफ्त है यह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रयास का एक कदम था। कंप्यूटर के बहुत से अनुप्रयोगों के लिए यह साफ्टवेयर उपकरण बहुपयोगी है एवं यह सीडी हिंदी समाज को प्रौद्योगिकी मित्र बनने में सहायता प्रदान करेगा।

उपसंहार :

''प्रमुखता एवं विशिष्टता किसी भी के लिए लाभकारी नहीं हो सकती यहां तक कि बड़े खिलाड़ियों के लिए भी क्योंकि कोई भी संस्तुति विशिष्ट बन कर नहीं जीवित रह सकती।' ' – महात्मा गांधी

महात्मा गांधी की उक्ति यथार्थपरक एवं दूरदृष्टि पूर्ण है। वस्तुतः सूचना क्रांति के तीन महत्वकांक्षी लक्ष्य स्थानीयकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण और सार्वभौमिकीकरण को पूर्ण करने हेतु 'विशिष्टता' की बाधा को पार करना होगा। भारत सरकार, सीडैक, टीडीआईएल, के स्तत प्रयासों से भारतीय भाषाओं पर निरंतर प्रौद्योगिकी विकास एवं उन्नयन कार्यों ने नई दिशा प्रदान की है एवं सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वसुलभ, सर्वसामान्य करने का कार्य किया है। स्थानीयकरण के लिए निम्नलिखित परिदृश्य प्रासंगिक हैं।

1. आधारभूत परिदृश्य (टेलीकॉम, इंटरनेट प्रोटोकॉल)
2. इनपुट आउटपुट परिदृश्य (कीबोर्ड, कैरेक्ट्रो सेट, रेनडिशन, योजना, डाटा, फॉरमैट, सॉर्टिंग आदि।
3. भाषायी परिदृश्य (अनुवाद लेखन शैली) डिजाइन एवं सामग्री परिदृश्य (देखना एवं अनुभव करना, सामग्री स्थानीयकरण)
4. वाणिज्यिक परिदृश्य (विपणन, सेवा, मूल्यांकन)
5. वैधानिक परिदृश्य (स्थानीय विधि, उपभोक्ता संरक्षण, गोपनीयता) स्पष्ट है कि उक्त उद्देश्यों को देखते हुए हिंदी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। हिंदी के प्रचार–प्रसार हेतु न केवल नवीन तकनीकी को हमें सहर्ष रूप से स्वीकार करना पड़ेगा बल्कि उसके सहज प्रचालन हेतु संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षित कर उनमें रूचि और जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करने के लिए वातावरण भी तैयार करना होगा। कंप्यूटर में द्विभाषीकरण तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक कंप्यूटर पर इसके प्रयोग को आसान न किया जाए और इसी आवश्यकता ने यूनीकोड की नई तकनीकी को जन्म दिया जिसने हिंदी के कंप्यूटर पर अनुप्रयोग को बहुत बढ़ावा दिया। सरकारी पहल में से ई गवर्नेंस, ई –रूरल, ई लर्निंग, आदि के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही हिस्सेदारी की आवश्यकता होगी एवं इससे यह क्षेत्र व्यापक रूप से प्रगति कर सकेगा।

साकेत कुमार सहाय
प्रबंधक (राजभाषा)
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
कॉरपोरेट कार्यालय, राजभाषा विभाग, गुड़गांव

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व

प्रस्तावना :

भारतीय साहित्य में भाषा के बारे में कहा गया है – " भाषा के बगैर न सत्य को पहचाना जा सकता है न असत्य को! न अच्छे गुणों को, न बुरे गुणों को, न सुख को पहचान सकते हैं न दुख को! इन सबकी पहचान भाषा से होती है। इसीलिए भाषा पर मनन करो।" इस उक्ति के माध्यम से आसानी से भाषा की महत्ता सिद्ध की जा सकती है। वास्तव में, किसी भी समाज को प्रगति के सूत्र में बाँधने का कार्य भाषा ही करती है। हमारे समाज में भी इसीलिए भाषा को पर्याप्त महत्व दिया गया। जिस युग में भाषा उन्नत होती है, उस युग में कला, संस्कृति और विज्ञान भी समुन्नत हुआ है। हमारे वांङ्मयों में भी कहा गया है " शब्द ब्रह्म के समान है।" इससे हम सभी भाषा यानि भावों की अभिव्यक्ति के महत्व को सहज ही समझ सकते हैं।

वर्तमान युग में भी भाषा और प्रौद्योगिकी के अभिन्न संबंधों की महत्ता है। क्योंकि यह युग सूचना, संचार और विचार का युग है। और, जब बात सूचना, संचार और विचार की आती है तो आम जनमानस के मन में हिंदी की एक सशक्त छवि उभर कर आती है। क्योंकि राजभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा व संपर्क भाषा के रुप में प्रारब्ध से ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हिंदी का व्यापक महत्व है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण कर्म यह होता है कि वह विकास की किरण को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए और इसमें हिंदी की भूमिका स्वतः उभर कर आती है। और इस कार्य में सूचना प्रौद्योगिकी की बड़ी जबरदस्त भूमिका हो सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी की ताकत को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए हिंदी से बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का महत्व एक ऐसे कल्पवृक्ष के समान है जिसके सहयोग से एक साथ इसके कई फायदे देश के निर्धनतम व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकती है। जो आज अंग्रेजी के कारण कोसों दूर है। वर्तमान युग के विकास को अधिकतम उपयोगी एवं प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमताओं को जनसाधारण की प्रगति में इस्तेमाल करने का लक्ष्य सरकार के साथ–साथ इससे जुड़े सभी संस्थाओं का होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी के ज्यादा प्रयोग से क्या फायदे होंगे, इसकी व्याख्या हम अपने आलेख के आगे के उद्धरणों में करेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी

आज की नई पीढ़ी कंप्यूटर, मोबाइल के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। ज्ञान के क्षेत्र में इंसानों की सबसे बड़ी उपलब्धि इंटरनेट की खोज को माना जा सकता है। इस युग में जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करता, वह व्यावहारिक रूप से निरक्षर माना जाता है। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है, भले ही कुछ देशों में यह प्रयोग कम है और कुछ में ज्यादा। भारतवर्ष की 10% से भी कम आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है। यह अनुपात विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत भले ही अमेरिका में हुई हो, लेकिन यह भारत की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकती थी। गूगल के एक वरिष्ठ अधिकारी की ये स्वीकारोक्ति काफी महत्वपूर्ण हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के बड़े कंप्यूटर बाजारों में से एक होगा और इंटरनेट पर दुनिया की जिन तीन भाषाओं का दबदबा कायम होगा उनमें से हिंदी एक है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती हैं कि आज भारत में करीब 10 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। जिस रफ्तार से यह संख्या बढ़ रही है, वह दिन दूर नहीं जब भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता दुनिया भर में सबसे ज्यादा होंगे। इसका अंदाजा हम इंटरनेट पर हिंदी के फैलते प्रभुत्व से लगा सकते हैं। यह हिंदी की शक्ति ही है कि आज इंटरनेट का उपयोग एक कम पढ़ा–लिखा व्यक्ति धड़ल्ले से कर रहा है।

याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी दिग्गज आईटी कंपनियां अपनी व्यावसायिक जरुरतों के लिए हिंदी अपना रही है। आईबीएम, सन–मैक्रो सिस्टम, ओरेकल इत्यादि ने भी हिंदी को अपनाना शुरु कर दिया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्कोप, मोजिला, क्रोम आदि इंटरनेट ब्राउजर खुल कर हिंदी का समर्थन कर रहे है। आज आम कंप्यूटर उपभोक्ताओं के लिए कामकाज से लेकर डाटाबेस तक सभी हिंदी में उपलब्ध है।

ज्ञान के किसी भी क्षेत्र का नाम ले, उससे संबंधित हिंदी वेबसाइट आपके ज्ञानवर्धन के लिये उपलब्ध है। और इसमें सबसे सशक्त भूमिका निभाई यूनीकोड फॉन्ट ने। इससे कंप्यूटर पर अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं पर काम करना बहुत ही आसान हो गया है। यह दिलचस्प संयोग है कि जिस वक्त भारतीय बाजार सशक्तता की दहलीज पर है, उसी वक्त यूनीकोड इनकोडिंग सिस्टम ने कम्प्यूटर पर हिंदी को अंग्रेजी के समान सक्षम बना दिया है। वैश्वीकरण के नाम पर विस्तारित बाजारवाद ने हिंदी की देवनागरी लिपि की प्रयोगपरक वैज्ञानिकता को आधार दिया है तथा संस्कृत एवं हिंदी को कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक सहज भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी का नतीजा है वैश्विक स्तर पर हिंदी का बढ़ता प्रेम। मुक्त बाजार और वैश्वीकरण के दबावों ने हिंदी को जरुरत और मांग के अनुकूल ढालने में भूमिका निभाई है। विश्व में अब उसी भाषा को प्रधानता मिलेगी जिसका

अंग्रेजी के मूल शब्द लगभग 10,000 हैं, जबकि हिन्दी के मूल शब्दों की संख्या ढाई लाख से भी अधिक है।

व्याकरण संगत होगा, जिसकी लिपि कम्प्यूटर के अनुकूल होगी। चूंकि हिंदी भाषा का व्याकरण वैज्ञानिक आधार पर बना है इसलिए देवनागरी लिपि कम्प्यूटर की प्रक्रिया के अनुकूल है। इसमें विश्व की किसी भी भाषा एवं ध्वनि का लिप्यांकन किया जा सकता है। कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग की बढ़ती संभावनाओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार और माइक्रोसॉफ्ट जैसी संस्थाओं ने काफी सक्रिय प्रयास किए है।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए टेक्नोलॉजी विकास नामक परियोजना के अंतर्गत नवोन्मेषी प्रयास किए है। इस प्रयास में आई.आई.टी., कानपुर और सी–डैक की भूमिका प्रमुख है। आज यूनिकोड फॉन्ट के प्लेटफार्म पर विकसित माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्क्रीन का समस्त परिवेश जैसे कमान, संदेश, फाइल नाम आदि भी हिंदी में उपलब्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी के तहत मशीनी अनुवाद एवं लिप्यंतरण सहज एवं सरल हो गया है। सी–डैक, पुणे ने सरकारी कार्यालयों के लिए अंग्रेजी–हिंदी में पारस्परिक कार्यालयीन सामग्री का अनुवाद करने हेतु मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन मंत्रा पैकेज विकसित किया है। हिंदी भाषा में वेबपेज विकसित करने हेतु प्लग इन पैकेज तैयार किया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति, संस्था, अपने वेब पेज हिंदी में प्रकाशित कर सकता है। आज हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश उपलब्ध है। इसी प्रकार से अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध है। कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के सहारे शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से होने की संभावना बढ़ गई है। सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी भाषा का प्रचलन धीरे–धीरे बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट याहू, रेडिफ, गूगल आदि विदेशी कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी भाषा को स्थान दिया है।

भारत सरकार के नेशनल सेंटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंस्टीटयूट ने सभी भारतीय भाषाओं की लिपि को कम्प्यूटर पर स्थापित करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। अमेरिकन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एन.सी.एस.टी. (NCST) के साथ एक संयुक्त योजना के तहत विश्व प्रसिद्ध विंडोज प्रणाली पर भारतीय भाषाओं को विकसित करने का कार्य शुरू किया है। इंटरनेट सेवा के अंतर्गत ई–मेल, चौटिंग, वॉयस मेल, ई–ग्रीटिंग आदि बहुपयोगी क्षेत्र में हिंदी भाषा का विकास एवं संप्रेषण की संभावनाएं अधिक है। कम्प्यूटर पर हिंदी भाषा ध्वनि, चित्र, एनीमेशन के सहारे विकसित की जा रही है। कई इंटरनेट साइट प्रमुख भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त संपर्क सूत्र, ई–मेल, सॉफ्टवेयर, आदि जानकारी उपलब्ध कराते हैं। भारतीय भाषाओं को विकसित करने हेतु सी–डैक मुंबई में इंडियन लैंग्वेज रिर्सोसेस सेंटर के तहत कम्प्यूटर के क्षेत्र में अनुसंधान जारी है। हिंदी शब्दों का विशाल भण्डार हिंदी वर्ड नेट पर विकसित किया जा रहा है और इसे विश्व की प्रमुख भाषाओं के साथ जोड़ने का प्रयास भी जारी है। हिंदी अपने भाषायी गुण, व्याकरणिक गुण, संस्कृत से निकटता, देवनागरी लिपि इत्यादि की वजह से एक संपन्न भाषा है। ये सभी गुण इसे सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा के रुप में सिद्ध करते है। सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा के रुप में हिंदी में पर्याप्त गुण मौजूद है:–

बीते वर्षों में हिंदी का भाषायी प्रयोग जनसंचार और व्यवसाय परक प्रशिक्षण के रूप में ज्यादा हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी की अपेक्षाओं के अनुरुप हिंदी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरुप ज्यादा उभर कर आ रहा है। जिससे हिंदी भाषा का विकास, व्यवहार और शिक्षण प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया है। कंवर्जेंस के बहुलप्रयोग से हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। संचार माध्यमों के क्षेत्र में हिंदी भाषा की प्रौद्योगिकी विशेषता संस्थापित हो चुकी है। हिंदीतर भाषा भाषियों के मध्य हिंदी प्रयोग की अभिवृद्धि होने में प्रौद्योगिकी की भूमिका होने से इंकार नहीं किया जा सकता। बैंक सेवाएं, ब्रॉडबैण्ड, टेली कांफ्रेंसिंग, टेलीटैक्स्ट के स्तर पर हिंदी का प्रयोग आज व्यापक रूप लेता जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकसित होने से हिंदी भी समान रुप से विकसित हो रही है।

उपर्युक्त तथ्यों से हम समझ सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई क्रांतिकारी प्रगति के कारण हिंदी भाषा में एक मौन क्रांति का उद्घोष हुआ है। अभी तक आम जनमानस में हिंदी की भूमिका केवल जनभाषा तक सीमित थी लेकिन समय के साथ यह प्रौद्योगिकी की नित नई भाषाई माँगों को भी पूरा कर रही है। आँकड़ों के मुताबिक आज हिंदी विश्व की दो बड़ी भाषाओं में से

एक है। गत पचास वर्षों में हिंदी की शब्द–संपदा का जितना विस्तार हुआ है उतना विश्व की शायद ही किसी भाषा में हुआ हो। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की अहम् भूमिका है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का महत्व : सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का वर्चस्व जिस प्रकार तेजी से बढ़ रहा है, इससे इसका व्यापक प्रयोग मीडिया माध्यमों की अनिवार्य आवश्यकता बनकर उभरी है। ऐसे में आज तकनीक की भाषा को आम आदमी के नजदीक पहुँचाने की आवश्यकता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। सूचना प्रौद्योगिकी इस शताब्दी का प्रमुख एवं प्रखर स्वर हैं। आज के युग को विज्ञान का युग कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी परन्तु इसके साथ–साथ आज का युग जन साधारण का भी युग है। इस युग को अधिकतम उपादेय एवं प्रभावी बनाने के लिए जन साधारण को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना सरकार के साथ–साथ इससे जुड़े सभी संस्थाओं का परम लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनसाधारण के बीच वैज्ञानिक दृष्टि तथा वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करने की अर्थात वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने की विशेष आवश्यकता है। वैज्ञानिक जागरूकता को विकसित करने हेतु सबसे पहले हमें जनभाषा हिंदी में लेखन, पठन–पाठन, व शोध सामग्री को बढ़ावा देने की जरुरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे पास सूचना प्रौद्योगिकी की अपनी कोई भाषा नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी को आम आदमी से जोड़ने, उसे जनमानस की संवेदना का हिस्सा बनाने हेतु राजभाषा हिंदी को अपनाना होगा।

इस देश की बहुसंख्यक आबादी करीब–करीब 80–90 करोड़ के बीच हिंदी से किसी न किसी रुप में परिचित है। फिर भी हमारे देश में जनता हेतु विकसित सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीक आम आदमी की भाषा से कोसों दूर है। 'भाषा और प्रौद्योगिकी' नामक पुस्तक के प्राक्कथन में पूर्व प्रधानमंत्री

स्वर्गीय श्री पी.वी. नरसिंहराव ने लिखा है ''विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र न तो मौलिक ढंग से विकास कर सकता है न तो अपनी विशिष्ट वैज्ञानिक एंव प्रौद्योगिकीय पहचान बना सकता है। विदेशी भाषा से अनुवाद की बैसाखी का सहारा भी अधिक समय तक नहीं लिया जा सकता है।'' यह तथ्य सूचना प्रौद्योगिकी पर भी लागू होता है। सही चिन्तन की भाषा सदा अपनी ही होती है। हम भले ही दूसरों की समृद्ध से समृद्ध भाषा को व्यवहार में लाए पर उसे मौलिक तथा स्वतंत्र चिन्तन की भाषा में कतई प्रयोग नहीं कर सकते। उधार की भाषा मौलिक चिन्तन और आविष्कार की स्वतंत्रता पर अंकुश ही लगाती है और धीरे–धीरे अपना पालतू बना लेती है। फलतः हम घिसी पिटी लकीरों पर चलते रहते हैं। मनुष्य के विकास एवं समृद्धि में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी का नतीजा है, आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश के गिने–चुने वैज्ञानिकों, विद्वतजनों को ही नोबल पुरस्कार हासिल हो पाया है। क्योंकि विदेशी भाषा के अध्यापन से हमारी सोच में नयापन नहीं रह पाता।

सूचना प्रौद्योगिकी से हिंदी कैसे जुड़े : सूचना प्रौद्योगिकी से हिंदी को जोड़ना समय की मांग है। आज समाज के हर वर्ग तथा हर आयु के लोग सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न पक्षों के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार स्वर्गीय कमलेश्वर ने लिखा है '' विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या भाषा माध्यम की है। उच्च शिक्षा में माध्यम परिवर्तन न हो पाने के कारण अभी भी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की पहुंच बहुसंख्यक समाज तक नहीं हो पाई है। विदेशी वैज्ञानिक उपलब्धियों की सूचनाओं का विशाल भंडार पत्र पत्रिकाओं, बुलेटिन, हैन्डआउट्स, प्रेसनोट, परियोजना रिपोर्ट तथा नेट पर वेबसाइटों के जरिए मुफ्त में उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में विदेशी सूचनाएं तो मिल जाएगी जबकि अपने ही देश की वैज्ञानिक जानकारी के लिए न जाने कितनी ठोकरें खानी पड़ती हैं।'' स्वर्गीय कमलेश्वर की यह बात सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एकदम सटीक बैठती है। विगत एक दशक में सूचना प्रौद्योगिकी में जो प्रगति हुई है वह उल्लेखनीय है। आज हम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी दुनिया के सिरमौर हैं। हम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरे हैं। ऐसी स्थिति में हिंदी के माध्यम से कम्प्यूटर विज्ञान का साहित्य सृजन करने की विशेष आवश्यकता थी; लेकिन इस संबंध में कोई समुचित प्रयास नहीं किया गया। कम्प्यूटर विज्ञान से जुड़ी हजारों शब्दावलियों के हिंदी समतुल्य आज तक पूर्ण रूप से निर्मित नहीं किए जा सके है। इंटरनेट जन संचार के लिए आज एक सशक्त माध्यम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम वेबसाइट और सर्च इंजिन विकसित करें। इंटरनेट पर आज हिंदी में तकनीकी सामग्री बहुत सीमित है। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभुत्व और ज्यादा बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें तथा इलेक्ट्रॉनिक लेखों का जमाना आने वाला है। अधिकांश अखबारों में भी सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर कोई स्तम्भ नहीं होता। आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व अखबारों में प्रौद्योगिकी संबंधी लेखों, सूचनाओं का नितान्त अभाव रहता है। हिंदी से मोटे तौर पर देश में 90 करोड़ लोग परिचित हैं। इसके अलावे हिंदी की पहुंच दुनिया भर के 60 देशों तक हो चुकी है तथा विश्व के करीब 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इन सभी के बावजूद, देश के अधिकांश युवाओं के बीच यह सोच विद्यमान है कि हिंदी का हमारे देश में कोई भविष्य नहीं है।

जब तक सरकार द्वारा उच्च शिक्षा, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी जैसे व्यावसायिक पाठयक्रमों की पढ़ाई हिंदी में नहीं होगी तब तक यह बात करना निरर्थक साबित होगा। हिंदी को जब तक रोजी–रोटी से नहीं जोड़ा जायेगा तब तक इसके प्रौद्योगिकी की भाषा बनने पर प्रश्न चिन्ह उठते रहेंगे। व्यावसायिक पाठयक्रमों से लेकर उच्च शिक्षा तक मेंय हर कदम पर अंग्रेजी से सामना करना पड़ता है। ,सी स्थिति में कई बार लगता है कि हिंदी हाशिये पर जा रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा बनने में हिंदी के समक्ष निम्न समस्यायें है :–

1. भाषा से संबंधित तकनीकी समस्यायें।
2. पढ़े–लिखे या शैक्षिक जगत द्वारा हिंदी की घोर उपेक्षा।
3. समुचित मंचों का अभाव ।
4. हिंदी भाषा का समुचित मानकीकरण न होना।

आज के युग में प्रौद्योगिकी के ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण है। इसे कहने या दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी को सरल भाषा में जन–जन तक पहुंचाना विदेशी भाषा के द्वारा असंभव है। अतः हिंदी में तकनीकी–वैज्ञानिक शिक्षण के लिये सरकार को नए सिरे से सोचने की जरुरत है। हिंदी को शिक्षण–प्रशिक्षण की सार्थक भाषा बनाने हेतु सरकार को नए कदम उठाने होंगे। उसे नई भाषायी परियोजनाओं की शुरुआत करनी होगी। निजी क्षेत्र, तकनीकीविद्, भाषा से जुड़े विद्वानों को जोड़ना होगा। अनुसंधान एवम सर्जन के लिये सरल शब्दों की संरचना द्वारा भाषा को सरल बना, बोलचाल की भाषा से थोड़ा अलग ताकि हर एक आम आदमी इसे समझ सके, ऐसी भाषा को इन क्षेत्रों में लाना होगा। साथ ही, अंग्रेजी के बेहद प्रचलित शब्दों को भी जो विज्ञान, प्रशासन इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उन शब्दों के इस्तेमाल से भी हमें हिचकना नहीं होगा। तभी हम राजभाषा हिंदी का वैज्ञानिक, तकनीकी व प्रशासनिक क्षेत्रों में लाभ उठाते हुए देश को उन्नत कर पायेंगे।

निष्कर्ष : उपर्युक्त तथ्यों से हमारे समक्ष हिंदी की मिश्रित छवि उभर कर आती है। मगर सार यही है कि हिंदी अपने–आप में संपूर्ण भाषा है। इसमें संस्कृति, ज्ञान, तकनीक, विकास, संचार सभी की भाषा बनने के गुण है। इन गुणों के कारण इसके महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता। फिर भी यह तथ्य निर्विवाद रुप से सत्य है कि यदि इसे सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा बनना है तो इसे प्रौद्योगिकी के अनुरूप ढलना होगा। हमें इसके लिए सबसे पहले हिंदी का मानकीकरण करना होगा। हिंदी में साहित्य या समाचार आधारित वेबसाइट के अलावा तकनीक, विज्ञान, वाणिज्य आदि विषयों पर भी वेबसाइट तैयार करने होंगे। हिंदी सॉफ्टवेयर ज्यादा विकसित करने की आवश्यकता है। हिंदी में कम्प्यूटर शब्दावली के निर्माण में हमें बाजार और इसके प्रयोक्ता को ध्यान में रखना होगा। कम्प्यूटर की नई शब्दावली गढ़ने के बजाय उसे प्रचारित करने की अधिक जरूरत है जिससे हिंदी में रचित कम्प्यूटर साहित्य और सॉफ्टवेयर सामान्य प्रयोक्ताओं को बोधगम्य हो सके और बाजार में स्वीकार्य हो सके। यदि इस सूचना युग में हिंदी कम्प्यूटरीकरण में पिछड़ गई, तो विश्व स्तर पर हो रही भाषाई दौड़ में हिंदी बहुत पीछे छूट जाएगी।

अंत में, कहा जा सकता है कि हमारे देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि इंटरनेट की प्रौद्योगिकी से हम अपने को जोड़े रखे और नई तकनीक को हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में विकसित करें। इन सभी के अलावा, हिंदी को अपनी मूल प्रकृति को बरकरार रखते हुए इसमें लचीलापन लाना होगा। आईये, प्रौद्योगिकी के इस युग में हिंदी के उज्ज्वल भविष्य के बीच हम इसके प्रति संवेदनशील बने और खुद को इसकी प्रगति में भागीदार बनाएं। **जय हिंद, जय हिंदी, जय विज्ञान !**

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व

ए.के.गुप्त,
संकाय सदस्य
पंजाब नेशनल बैंक
क्षेत्रीय स्टाफ कालेज, लखनऊ

आज की प्रगति में निश्चित रुप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अत्यन्त महत्व पूर्ण योगदान है । विश्व ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बदौलत कई क्रांतियां जिसमें औद्योगिक क्रांति उल्लेखनीय है, देखी है । इन क्रांतियों ने विकास को एक नई दशा और दिशा प्रादान की है। परंतु पिछले कुछ दशकों में विज्ञान के क्षेत्र में युगान्तरी परिवर्तन देखने को मिले हैं और यह युगान्तकारी परिवर्तन सूचना प्रोद्योगिकी क्रांति के कारण हैं। आज संपूर्ण विश्व में सूचना प्रोद्योगिकी की बयार बह रही है। वास्तविकता तो यह है कि आज के युग को सूचना प्रोद्योगिकी का युग कहना कतिपय गलत नहीं होगा । विश्व द्वारा अर्जित वैज्ञानिक ज्ञान में सर्वाधिक भाग अनुमानतः 90 प्रतिशत से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी का है ।सूचना आज की नई और अति मूल्यवान करेंसी है। जिसके पास जितनी ज्यादा सूचनायें हैं, वह उतना ही ज्ञानवान, संपन्न और उन्नत श्रेणी में खड़ा नजर आता है। चूंकि सूचना प्रोद्योगिकी का जन्म एवं विकास विकसित देशों जैसे अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देशों में सर्वप्रथम हुआ अतः इसकी बदौलत इन राष्ट्रों ने अपना सर्वांगीण विकास सबसे पहले और बहुत पहले कर लिया और अन्य विकसित देशों जैसे जापान, आस्ट्रेलिया देशों ने भी इस प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्राप्त कर अपने को उन्नत और अति विकसित देशों की श्रेणी में स्थापित कर लिया ।

सूचना प्रोद्योगिकी का आशय निर्माण, तकनीकी, व्यवस्थापन, प्रक्रिया, प्रणाली उनमें आपसी सामंजस्य, सुधार एवं उन्नत कौशल से है। सूचना एक अति व्यापक शब्द है। सूचना प्रौद्योगिकी में मुख्यतः हम प्रसारण (ब्राडकास्टिंग), संचार, (कम्यू निकेशन), ट्रांसमीटर, आकाशवाणी, माइक्रोफोन, टेलीफोन, रिसीविंग सेन्टर, विज्ञापन, मीडिया आदि को सम्मिलित करते हैं । प्रौद्योगिकी विकास का एक मात्र लक्ष्य मानव जीवन और सभ्यता को आसान, सरल और सुविधा संपन्न बनाना है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। विश्व की प्रागैतिहासिक खोजों जिनमें तिनके के घर्षण से आग की उत्पत्ति और आज की नवीनतम खोजों टेलीफोन, इंटरनेट, इसी का परिणाम हैं। सामान्य रुप से जब हम सूचना प्रौद्योगिकी की चर्चा करते हैं तो कदाचित सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में कम्प्यूटर की छवि उभरती है । कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हम पूरे विश्व से अपने को हर समय जुड़ा पाते हैं। सूचनाओं का जिस प्रकार वास्तविक समय में प्रेषण एवं प्राप्त किया जाना संभव है, वह सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही हमें हासिल हुआ है। आज हमारी रेल, वायु, जल नेटवर्क सूचना प्रौद्योगिकी से अनवरत रुप से जुड़े हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, इन सब को सुचारु रुप से चलाने के लिए अति महत्वसपूर्ण साबित हो रही हैं। सूचना की प्राप्ति में एक सेकेंड के विलंब से परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं ।

मानव जीवन के सामान्य जीवन में आज हम मोबाईल सेवायें, बैकिंग सेवायें (मोबाईल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि) से दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर, हम अपना व्यापार, बैंकिंग लेनदेन ही नहीं अपितु अन्य सामान्य रोजमर्रा की व्यवस्थाएं एवं कार्य जैसे घरेलू सामान का क्रय एवं घर पर इसकी डिलीवरी, होटल बुकिंग, रेल्वे, वायुयान, बस यात्राओं की बुकिंग, विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान जैसे बिजली, पानी, गृह कर, स्कूल या कॉलेज की फीस आदि आदि कर सकते हैं। हमें संबंधित बाजारों में, कार्यालयों में जाने की जरुरत नहीं है। अपने अमूल्य समय और धन की हम कितनी बचत कर सकते हैं, हम इसे आसानी से महसूस कर सकते हैं। सच ही तो है आज सारा काम कितना आसान हो गया है। कदाचित ठीक ही तो कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हम कह सकते हैं कि "दुनिया मेरी मुटठी में"

भाषा का मूल कार्य है संवाद या संप्रेषण। भाषा लोगों को जोड़ने का काम करती है। लेकिन प्रश्न यह है कि संवाद हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है या जिससे संवाद किया जा रहा है, वह उसे समझता भी है कि नहीं । सफल संवाद का मुख्य प्रयोजन है , सहमति बनाना, अपने विचारों से दूसरों को इस प्रकार अवगत कराना ताकि दूसरा व्यक्ति वही समझे जो कहने वाले की मंशा या प्रयोजन है, जब ऐसा होगा तो सहमति बनना सरल और स्वाभाविक है । लेकिन जब संप्रेषक द्वारा ऐसी भाषा में संप्रेषण किया जाए जो संदेश प्राप्तकर्ता की न हो, उसे समझ में न आती हो तो सफल संवाद स्थापित करना संभव नहीं है और जब सफल संवाद ही स्थापित न हो पाए तो इच्छित परिणामों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः संवाद की भाषा संदेश प्राप्तिकर्ता की अपनी भाषा होनी चाहिए। वैश्वीकरण (भूमंडलीकरण) ने विगत दो दशकों में भारत जैसे महादेश के समक्ष जो नई चुनौतियां खड़ी हैं, उनमें से सूचना विस्फोट से उत्पन्न हुई अफरा–तफरी और उसे संभालने के लिए, जन संचार माध्यमों के प्रतिपल बदलते रुपों को महत्वपूर्ण स्थान है। यह भी सत्य है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमंडलीकरण का व्यापक अर्थों में मायने बाजारीकरण है ।

आज हमारा देश भारत, विश्व भर के अन्य निर्माताओं, उत्पादकों के लिए एक बड़ा उपभोक्ता, बाजार है। भारत ऐसी उभरती अर्थव्यवस्था एवं विस्तृत बाजार का सभी दोहन करना चाहते हैं। बाजार में क्रय विक्रय गतिविधियों के उत्थान और दोहन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी निःसंदेह रुप से बहुत तेज और कारगर उपाय है। संचार के माध्यम, उत्पादों,विचारों को क्रय करने के लिए

हिन्दी पत्रकारिता का आरम्भ भारत के उन क्षेत्रों से हुआ जो हिन्दी–भाषी नहीं थे।

लोगों के मन में ललक पैदा करते हैं लेकिन यह ललक, सूचना प्रौद्योगिकी या संचार तंत्र तब तक पैदा नहीं कर सकते जब तक कि सूचनाओं को ग्राहक की भाषा में ग्राहक तक न पहुंचाया जाए और यहीं राजभाषा यानी देश की जन जन की भाषा का महत्व सार्थक दिखाई पड़ने लगता है। सूचना प्रौद्योगिकी में ग्राहक की भाषा यानि राजभाषा में यदि किया जाए तो सफल संवाद स्थापित कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है अन्यथा नहीं ।

आज विश्व भर के निर्माता, उत्पादक, बाजार के लोग इस तथ्य को आसानी से जानते और समझते हैं। आज ग्राहकों से संपर्क साधने, उनको लुभाने के लिए टीवी के विज्ञापनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं कारणों से हम देखते हैं कि अनेकानेक टीवी चैनल अपने कार्यक्रमों को राजभाषा हिन्दी में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हुए हैं। निर्माता, उत्पादक, विक्रेताओं को अपने विज्ञापनों के प्रचार के लिए राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नजर नहीं आता है। इस तथ्य से भी हम भली भांति अवगत हैं कि इन विज्ञापनों का खर्च लाखों– करोड़ो में है, परंतु विक्रय के लक्ष्य की प्राप्ति को बिना ग्राहक की भाषा के प्रयोग के पाया नहीं जा सकता। अतः कुल टीवी विज्ञापनों के 95 प्रति शत से अधिक राजभाषा हिन्दी में ही हैं।

उपरोक्त तो एक बानगी भर है। हमारा देश भारत 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला देश है जिसकी अधिसंख्य जनसंख्या के पास अभी मूलभूत सुविधायें जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, बैंकिंग एवं भोजन आदि भी पूर्णतया उपलब्ध नहीं है। संपूर्ण भारत के समेकित विकास के लिए आवश्यक है कि इन सुविधाओं को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जाए। देश को उन्नत एवं विकसित बनाने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा का समुचित विकास किया जाए। इन सभी कार्यों तीव्र गति से करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं योगदान की महती आवश्यकता है। परंतु यदि इस प्रौद्योगिकी में प्रयोग की जाने वाली भाषा यदि जन–जन की भाषा यानि कि राजभाषा हिन्दी नहीं हुई तो इसके बारे में अधिकांशतः लोग अनभिज्ञ रह जाएंगे और विकास एवं जीवन को सरल, आसान, एवं सुविधापूर्ण बनाने के लक्ष्यों की पूर्ति कैसे संभव हो पाएगी। भारत में तो यह सर्वविदित तथ्य है कि देश के एक बड़े भूभाग में (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश, हिमांचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छतीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार आदि प्रदेशों की) राजभाषा हिन्दी भली प्रकार बोली, लिखी और समझी जाती है जबकि अन्य प्रदेशों में बोली जाती है या फिर समझी जाती है। तो फिर सर्वमान्य रुप से सूचना प्रौद्योगिकी में इस भाषा का प्रयोग कर हम विकास की गति को तेज तो कर ही सकते हैं ।

सूचना प्रौद्योगिकी की कामयाबी दो बातों पर निर्भर है। प्रथम, इसकी वहनीयता लागत एवं द्वितीय राजभाषा की सक्रिय भागीदारी। आज चूंकि मोबाईल, इंटरनेट आदि के उपकरणों एवं इनके प्रयोग की वहनीयता लागत सामान्य जनता की आर्थिक क्षमता के अंदर धीरे–धीरे आती जा रही है, इसीलिये हम पाते हैं कि भारत में शौचालय से कहीं अधिक संख्या मोबाइल सेटों की है। हर गरीब, अमीर के पास मोबाइल सेट मौजूद हैं, भारतीय जनसंख्या से कहीं अधिक आज मोबाईल सेट लोगों के पास हैं। इंटरनेट, मोबाईल सुविधाओं का प्रयोग इसी कारण से भी बढ़ रहा है कि आज इनमें प्रयोग की जाने वाली अप्लीकेशन एवं सॉफ्टवेयर प्रोंग्राम आज राजभाषा में उपलब्ध हैं। राजभाषा ने सूचना प्रौद्योगिकी में अपनी सक्रिय भागीदारी भी आज सिद्ध कर दिखाई है। वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन के अति उत्साही क्योंकि पूर्ति के लिए भी बैंक सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं और इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी बिना राजभाषा के प्रयोग के ऐसा संभव नजर नहीं आता ।

आज यूनीकोड ने राजभाषा हिन्दी के टाईपिंग को आसान बना दिया है। गूगल एवं अनेक सर्च इंजन आज राजभाषा में उपलब्ध है। विकीपीडिया जैसा ज्ञान का श्रोत आज राजभाषा में उपलब्ध है। अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं के तमाम प्रोग्राम आज डब करके हिन्दी में दिखाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं आज यदि हम अपने इर्द गिर्द झांककर देखें तो हमें सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में राजभाषा की उपयोगिता दिखाई देगी ।

यदि हम चाहते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति केवल बाजार, उपभोक्ता और ग्राहक का हित न साधे बल्कि समाज के सभी वर्गों की उन्नति एवं समृद्धि में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाये तो हमें राजभाषा के माध्यम से लोगों को इससे जोड़ना होगा। यह जुड़ाव कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरों के रुप में तो होगा ही, समाज के सामान्य तबके जिसमें साहित्यकार, पत्रकार, अधिकारी, कर्मचारी, वकील, कलाकार, न्यायाधीश, चायवाला, दूधवाला, रिक्शावाला, मजदूर, किसान यानि हर स्तर, हर पेशे का होना चाहिए। लेकिन यदि जुड़ाव की भाषा राजभाषा नहीं हुई बल्कि अंग्रेजी या अन्य भाषा हुई तो समाज का एक बहुसंख्यक हिस्सा, इसके लाभों से वंचित रह जाएगा और कालांतर में आपसी द्वेष में परिणित हो जाएगा जो हमारे सामाजिक, आर्थिक ताने बाने को छिन्न–भिन्न कर देगा। समाज को बिखरने से बचाने के लिए एवं समाज को शिक्षित, उन्नत, विकसित एवं समृद्ध बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को राजभाषा से जुड़ना ही होगा, इसके अतिरिक्त न तो कोई विकल्प है और न ही कोई समाधान ।

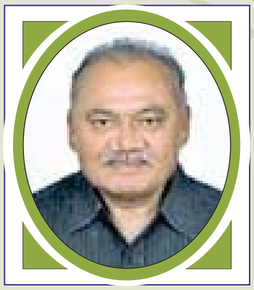

''सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व''

डॉ. मधुकरराव शंकरराव लारोकर
प्रबंधक (परिचलान विभाग)
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय, अमरावती (महाराष्ट्र)

प्रौद्योगिकी के आधुनिक स्वरूप में ग्राहकों की अपेक्षाओं और बहुविध आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में कारोबार प्रक्रियाओं के पुनर्निधारण को अधिक महत्व प्राप्त होता जा रहा है और इसमें राजभाषा हिंदी का व्यापक महत्व है। बैंकिंग उद्योग अपने दक्ष और कुशल मानवश्रम और सूचना प्रौद्योगिकी तथा मशीनीकरण के मिश्रण की सहायता से सफलता के नये आयाम राजभाषा की सहायता से स्थापित करेगा। अब आवश्यकता है कि सैद्धांतिक व व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग जगत व व्यवसाय में भाषा विशेषज्ञ रूप से राजभाषा की उपयोगिता, सार्थकता पर गंभीरता से विचार किया जाए। कहा जाता है कि बैंक देश की प्रगति में सहायक है तथा राजभाषा सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति में। किसी भी व्यवसाय में ग्राहक व व्यवसायी के बीच भाषा ही एक ऐसी कड़ी है जो कि संप्रेषण तथा संपर्क का कार्य करती है। माध्यम होती है। बैंकिंग में बैंक व ग्राहक के बीच भी संप्रेषण व संपर्क के लिए राजभाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग केवल स्थानीय स्तर पर ही होता है जबकि राजभाषा का प्रयोग संपूर्ण भारत में संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है।

हमारे देश में बैंक की शाखाओं का जाल फैल गया है। समाज का हर वर्ग बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहा है। यह प्रसार अंग्रेजी भाषा से नहीं अपितु जनसामान्य की भाषा हिंदी को अपनाने से हुआ है। हमें बैंकिंग सेवाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने और कारोबार को बढ़ाने के लिए जनसामान्य की भाषा हिंदी को ही माध्यम बनाना होगा क्योंकि हिंदी हिंदुस्थान की भाषा है। प्रत्येक उद्योग में अपना – अपना व्यवसाय बढ़ाने में, वृद्धि करने की होड़ लगी है। इसके लिए न चाहते हुए भी उन्हें राजभाषा (हिंदी को) अपनाना पड़ता है। भारत में जो भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं। उन्हें पता है कि भारत के कोने–कोने में अपना उत्पाद पहुंचाने व उसके विपणन के लिए राजभाषा के अलावा अन्य कोई प्रभावी माध्यम नहीं हो सकता। सार्वभौमीकरण तथा उदारी के इस युग में भारत के व्यवसाय हेतु विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए है।

ऐसी स्थिति में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यह भलीभांति ज्ञात है कि भारत जैसे महाद्वीप में अपना व्यवसाय चलाने के लिए संपर्क भाषा के रूप में राजभाषा के अलावा अन्य भाषा से काम नहीं चल पाएगा। बैंकिंग व्यवसाय चलाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए राजभाषा का प्रयोग आवश्यक है। तभी प्रत्येक बैंक अपना प्रचार व सूचनात्मक साहित्य तैयार करते समय तथा ग्राहक से व्यवहार करते समय राजभाषा को नहीं भूलता। आज बैंकों ने अपनी सेवाओं से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी वेबसाईट पर राजभाषा में उपलब्ध कराई है। उन्हें इस बात का स्पष्ट रूप से एहसास है कि केवल अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से संपूर्ण भारत में व्यवसाय नहीं किया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी में राजभाषा का न केवल महत्व है बल्कि विशेष महत्व है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण मीडिया व सूचना प्रौद्योगिकी ने ग्राहक को अत्यन्त सावधान व सचेतक प्रवृत्ति का बना दिया है। ग्राहक जागरूक बनता जा रहा है कि वह क्या चाहता है और बैंक उसे क्या देना चाहता है। यदि ग्राहकों पर कुछ जबरदस्ती थोपी भी जाती है तो दीर्घकाल में ग्राहकों को खोने का भय प्रत्येक समय सिर पर मंडराता रहेगा।

ग्राहकों व क्रेताओं के पास आज के सूचना व प्रौद्योगिकी युग में सूचनाओं का आदान–प्रदान हो रहा है। जिसके कारण ग्राहण व्यावसायिक फर्मों में अपने महत्व को जान गये हैं। अब सेवाओं से संतुष्टि प्राप्त करने के पश्चात ग्राहक प्रसन्न है। आज ग्राहक इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है कि कोई भी बहाना बनाकर उसे कुछ भी खरीदने को मना लिया जाए। ग्राहक अपनी आवश्यकताएं व हिदायतें बैंकों के आगे पेश करने लगा है। वह अब अपने अधिकार का उपयोग करने लगा है। सही भी है कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में ''जो जीता वही सिकंदर'' है। सूचना व प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रशिक्षण में होना चाहिए। भाषा से दुनिया को जीता जा सकता है तो ग्राहक को क्यों नहीं? जहां तक संभव हो, बैंकों में राजभाषा में ही कार्य करने पर हमें जोर देना चाहिए विशेकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। वर्तमान युग में अब ग्राहक बैंक में नहीं आता बल्कि बैंक खुद ग्राहक के पास जा रहा है। 24 घंटे बैंकिंग चलती फिरती बैंकिंग इसके उदाहरण हैं। बैंकर ग्राहकों के लिए नये–नये उत्पाद लेकर बाजार में आ रहा है जैसे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टली बैंकिंग, गृह बैंकिंग, ई–बैंकिंग, ई–रेल, इंटरनेट बैंकिंग, रोकड प्रबंधन उत्पाद, लेकर बीमा एवं म्युचुअल फंड कस्टोडियन सेवायें, डिमेट सेवायें आदि। कभी और कहीं भी बैंकिंग परिकल्पना साकार हो गयी है। बल्कि बैंक अब ग्राहक के द्वार भी जाने लगी है। कहते है ''जहां चाह है, वहां राह है।''

तकनीकी शब्द जिस भाषा में जितने अधिक उपयोग किये जाएंगे, वह भाषा उतनी ही सम्पन्न होती जाती है। जिस भाषा में तकनीक – विशेष विकसित होती है और वह तकनीक जब दूसरी भाषा या देश में प्रवेश पाती है। तब स्वभाविक रूप से देश–विदेश की तकनीक के साथ उसके शब्द भी दूसरी भाषा में प्रवेश करते है। ऐसी स्थिति में शब्दों को तलाश कर लक्ष्य भाषा में शामिल किया जाता है। ऐसे शब्द दैनिक बोलचाल और लोकाचार के करीब न होने या सतत प्रयोग में न होने के कारण सर्व परिचित नहीं रह पाते। अपरिचय को दूर करने के लिए विषय विशेष के तकनीकी पक्ष की पारिभाषिक जानकारी और लक्ष्य भाषा में उपलब्ध शब्द भंडरर से सटीक शब्दों का चयन महत्वपूर्ण हो उठता है।

इसीलिए प्रौद्योगिकी में अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रतिरूप न देकर उन्हें ज्यों का त्यों देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किया जा सकता है। आखिरकार विदेशों में भी सर्वपरिचित राजभाषा का प्रयोग घड़ल्ले से किया जाता है तो हमारे देश में कंप्यूटर से संबंधित शब्दों का प्रयोग राजभाषा में क्यों नहीं किया जा सकता है। सर्वविदित है कि सम्प्रेषण संबंधों में वृद्धि ई–गति से कार्य करने की दक्षता और ग्राहकों की अपेक्षाओं को समझने की पकड़ पर निर्भर करती है। जिसमें राजभाषा का विशेष महत्व है क्योंकि हमारे देश में सर्वाधिक लिखी जाने वाली, समझने वाली तथा बोलचाल की भाषा हिंदी ही है। बिना प्रौद्योगिकी के बैंकिंग अधूरी है। बैंक की प्रत्येक नयी सुविधा व सेवा प्रौद्योगिकी पर टिकी है। आधुनिक तकनीक ने बैंकिंग कार्यप्रणाली को सरल गुणात्मक, ग्राहकोन्मुखी परिकल्पना को साकार किया है। आज बैंक न्यूनतम मूल्य पर विविध प्रकार की उत्कृष्ट सेवायें व सुविधाएं देने में सक्षम है। देश की भाषा हिंदी में ग्राहकों की आत्मा बसती है। ग्राहकों की आधुनिक तकनीक पर आधारित अपेक्षाएं निम्न हो सकती हैं:–

- ग्राहक हेल्पलाइन सेवा स्थापित करना।
- काल सेंटर की स्थापना।
- वेब सुविधा प्रदान करना। ग्राहक हेल्प डेस्क।
- निवेश परामर्श देना।

कुशल प्रौद्योगिकी से सज्जित प्रौद्योगिकी चलित सेवाओं एवं उत्पादों से युक्त बैंकों ने ग्राहकों की अपेक्षाओं को इतना अधिक कर दिया है कि ग्राहक अब बैंकों की

पारम्परिक कार्यप्रणाली एवं सेवाओं से संतुष्ट नहीं होने वाले। निजी एवं विदेशी बैंकों के कई तकनीक एवं प्रोद्योगिकी के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरे होम, बैंकिंग, टेली बैंकिंग, प्लास्टिक मनी, स्वचालित मशीनों, कंप्यूटरीकरण आदि के बढ़ते इस्तेमाल से ग्राहक संबंधों में राजभाषा का प्रयोग करने से उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आज राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होने वाले अधिकांश बैंकों द्वारा ग्राहकों से संबंध स्थायी करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सीआरएम का उपयोग किया जा रहा है। जिसे हिंदी भाषा में तैयार की जा रही है। जिसमें ग्राहकों की सूचनाएं एकत्र रहती है और हिंदी में ही ग्राहकों के जन्मदिन, विवाह, त्यौहार आदि दिनों पर बधाई कार्ड, एसएमएस, ई–मेल इत्यादि का उपयोग किया जाता है। आधुनिक इलेक्ट्रानिक युग ने बैंकों में ग्राहकों की अपेक्षाओं को व्यापक प्रसार दिया है। नई बैंकिंग तकनीक विकसित करने में व्यापक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। अच्छा होगा कि प्रत्येक बैंक नई प्रौद्योगिकी विकसित रूप में ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाने में सफल हो और यह राजभाषा हिंदी के बिना संभाव नहीं है। तभी हम बैंकिंग का सर्वांगीण विकास समझ सकते हैं। भारतीय बैंकिंग में आर्थिक सुधारों के कारण व्यापक परिवर्तन हुए हैं। जिसमें सबसे अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हुए हैं। यह कहना उचित होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी ने राजभाषा के माध्यम से बैंकों के लिए कम लागत पर ग्राहकों के लिए अच्छी सेवाएं सुलभ कराने में अपनी अहम भूमिका अदा की है।

यह कहना युक्तिसंगत होगा कि श्रेष्ठतम ही अपने अस्तित्व की रक्षा करने में सफल होगा। यह प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक डारविन का कथन है ''सरवाइवल ऑफदि फिटेस्ट'' यानि सर्वाधिक उपयुक्त का ही अस्तित्व रहेगा। भाषा केवल मन की अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं होती। वह राष्ट्रीय भाषा की अभिव्यक्ति का भी माध्यम होती है। वह सांस्कृतिक चेतना को भी मुखरित करती है। अतः किसी राष्ट्र के संदर्भ में भाषा का प्रश्न सागर की सतह का ही नहीं, उसकी गहराई का भी है। एक विदेशी भाषा में राष्ट्र की आत्मा की, उसकी संस्कृति की अभिव्यक्ति हो नहीं सकती। इसी का परिणाम है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। आज हिंदी का प्रचार–प्रसार देश तक ही समिति ना रहते हुए, इंटरनेट और सेटलाइट चैनलों के माध्यम से विश्वव्यापी हो चुका है। आज दुनिया के किसी भी कोने में हिंदी वेबसाइट को देखा जा सकता है। किंतु हमारे देश में ही आधुनिक तकनीक में हिंदी का उपयोग व प्रयोग उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है, यह देश के लिए चिंता का विषय है। यह आम धारणा बनती जा रही है कि नई पीढ़ी अंग्रेजी ही जानती है। कुछ हद तक यह बात सही भी है क्योंकि नई पीढ़ी के छात्र तो हिंदी में गिनती तक भी नहीं जानते हैं।

अगर राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि विकसित प्रौद्योगिकी को आत्मसात किया जाए। आगामी कार्यकलाप कंप्यूटर आधारित विकसित प्रौद्योगिकी पर निर्भर होंगे। प्रतिस्पर्धा के माहौल में बहुस्तरीय परस्पर संबद्धता (मल्टी लेयर इंटरकने क्विटी) तथा बहुआयामी सम्प्रेषण (मल्टी डायमेंशनल कंप्युनिकेशन) के आगामी दौर में विकसित प्रौद्योगिकी को आत्मसात करना ही होगा। अतः इसके लिए आवश्यक है कि कंप्यूटर आधारित हर कार्य के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर तथा संबंद्ध उपकरण हिंदी में उपलब्ध हों। आज फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान जैसे विकसित देशों ने अपनी भाषा में उन्नत प्रौद्योगिकी को विकसित किया है और वहां उनका संपूर्ण कार्य स्वभाषा में हो रहा है। प्रश्न इतना ही है कि विकसित प्रौद्योगिकी को राजभाषा के माध्यम से जनसामान्य तक पहुंचाने के संकल्प का है और इसमें प्रत्येक शिक्षित भारतीय को अपना–अपना अंशदान देना होगा। तभी बैंकों में ग्राहक अधिकाधिक संख्या में जुडेंगे अन्यथा विदेशी बैंकों के रास्ते देश के हर बड़े शहरों में तो है ही। आज आवश्यकता है प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों को अपने कार्य के प्रति निष्ठा की कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे भाषा की उपयोगिता में हिंदी को महत्व दें ताकि हम भी अपनी स्वभाषा में अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। सूचना तकनीक के युग में अब राजभाषा हिंदी का महत्व व उपयोग बढ़ने लगा है। कुछ समय पूर्व तक हिंदी कंप्यूटर में पूर्णतः हिंदी भाषा के वातावरण में काम करना कठिन था तथा कंप्यूटर पर काम करने के लिए अंग्रेजी का थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक था। किंतु अब स्थिति संतोषप्रद है। पहले कंप्यूटर में हिंदी भाषा में कार्य करने पर काफी परेशानी आ रही थीं। भाषा की समस्या को हल करने के लिए विश्व की प्रमुख भाषाओं को विश्व मानकीकरण के लिए यूनिकोड मानक का गठन किया गया था। इसी यूनिकोड हिंदी फ्रॉन्ट को आधार बनाकर विश्व में सर्वाधिक प्रचलित दो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक्सपी तथा लिनक्स को हिंदी संस्मरणों में अब सफलतापूर्वक कार्यरत हैं

विश्वप्रसिद्ध सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अब डेस्कटॉप के लिए भी लोकप्रिय हो गया है। लिनक्स हेतु उपलब्ध ग्लोम डेस्कटॉप वातावरण का एसेंशिएल फाइलों को पूर्ण करने में हिंदी में ही अनुवाद हो चुका है तथा कोई केडीई डेस्कटॉप को हिंदी में अनुवादित किया जा चुका है। हिंदी लिनक्स भी हिंदी विंडोज एक्सपी की तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिसमें आप सभी कार्य, जिसमें इंटरनेट पर सर्फिंग, ई–मेल तथा चैट इत्यादि सम्मिलित है। हिंदी भाषा में ही, हिंदी वातावरण में कर सकते हैं तथा इसके लिए अंग्रेजी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। हिंदी की लोकप्रियता तथा संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अत्यंत लोकप्रिय उत्पाद माइक्रोसॉफ्ट आफिस हिंदी में जारी किया है। लिनक्स के लिए मुफ्त उपयोग हेतु माइक्रोसॉफ्ट आफिस जैसा ही उत्पाद ओपन ऑफिस है जिसे सीडेक बैंगलोर की हिंदी टीम ने हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया है। माइक्रोसॉफ्ट आफिस हिंदी का सम्पूर्ण कार्य वातावरण हिंदी में है तथा इसमें खास बात यह है कि आप अपने किसी भी कुंजीपटल या फॉन्ट में कार्य करते हुए यूनिकोड आधारित पृष्ठ तैयार कर सकते हैं। इसमें यह सुविधा भी दी गई कि आप अपने पुराने कार्यों को भी यूनिकोड आधारित पृष्ठों में परिवर्तित कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हिंदी में वर्तनी और जांचक भी है जो कि अभी पूर्ण युवा हो चुका है। हिंदी का स्वरूप संस्कृत से लिया गया है। अतः सामान्यतया शब्द आपस में जुड़ते ही हैं। ऐसे मामलों में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्तनी और व्याकरण जांचक शत प्रतिशत कार्य कर पाता है।

कुछ मामलों में वर्तनी स्वचालित सही भी करता है तथा इसमें दिया गया समानार्थी शब्दों का भंडार स्तुति योग्य है। विलम्ब से ही सही अब सभी का कंप्यूटर हिंदी भाषा में लिखने और पढ़ने लग गया है तथा आम हिंदी भाषी लोगों को सुविधा प्रदान कर रहा है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में बैंकों को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए अद्यतन और समुन्नत प्रौद्योगिकी अपनाना आवश्यक हो गया हे। त्वरित गति से बदल रही तकनीक के कारण कल के उपकरण आज पुराने, अप्रयुक्त एवं अप्रचलित हो जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक संगठन अद्यतन तकनीक की जानकारी हासिल कर लागू करता है। अब सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करना आवश्यक हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र में भी सर्वांगीण विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की संयुक्त तकनीक का पूरा–पूरा लाभ उठाया जाये तथा ऐसे उत्पाद तैयार किए जायें जो प्रतिस्पर्धात्मक हो, कम लागत के हों, सुविधाजनक हों तथा ग्राहकों की भाषा व समझ के अनुरूप हो। जिसका वे उपयोग सहज रूप से कर सके। आज अत्याधुनिक संचार साधनों, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी ने अपना प्रभाव सिद्ध किया है। आज हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयरों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में जितना स्पष्ट कर सकता है, किसी विदेशी भाषा में नही कर सकता है। इस प्रकार हिंदी प्रत्येक भारतवासी की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है।

हिंदी भाषी क्षेत्र इतना विशाल और विस्तृत है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की देशी–विदेशी हस्तियों के लिए उसकी उपेक्षा करना संभव नहीं है। हिंदी के उत्थान के लिए सरकार की सरकारी नीतियों के साथ ही हमारे स्वयं के द्वारा समग्र प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। अंततः वह दिन दूर नहीं जब हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी में अपना वर्चस्व स्थापित करेगी तथा हमारे देश के विकास में अहम भूमिका का निर्वाह करेगी तथा गुरूदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की यह उक्ति सत्य होगी –

''जिस हिंदी भाषा के खेत में ऐसी सुनहरी फसल फली है, वह भाषा कुछ दिन यूं ही पडी थी, परंतु उसकी स्वाभाविक ऊर्जा मर नहीं सकती। वहां फिर खेती के सुदिन आएंगे और पोषमास में नवान्न उत्सव होगा।''

बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में हिंदी सहायक है

जितेन्द्र मोहन शर्मा
राजभाषा अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा

प्रस्तावना – यह एक निर्विवाद सत्य है कि बैंकिग आज दूरगामी परिवर्तन की ओर द्रुतगति से अग्रसर है। आज किसी भी संस्था, समाज और देश के विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए उन समस्त नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी की विधाओं को अंगीकार करना आवश्यक है, जिनको अपनाकर वे प्रगति के पथ पर कुशलता एवं सफलतापूर्वक चल सकें। विश्व स्तर पर भूमंडलीकरण, उदारीकरण, गैर–विनियमन और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए देश की अन्य संस्थाओं, उपक्रमों, सरकारी व गैर–सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ बैंकों ने भी नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लिया है। उन्नत प्रौद्योगिकी आज विकल्प नहीं आवश्यकता बन गयी है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी की भाषा अंग्रेजी है, जिसको जानने वाले केवल दो प्रतिशत हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अधिसंख्य लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही सर्वाधिक सहायक सिद्ध हो सकती है।

सूचना प्रौद्योगिकी युग – बैंक और वित्तीय क्षेत्र में निजी बैंक, विदेशी बैंक जैसे नये खिलाड़ियों के पदार्पण, इनके द्वारा नवीनतम संचार सूचना तकनीक और प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर अपनी ग्राहक सेवा में गुणात्मक सुधार कर निगमित क्षेत्र के बड़े ग्राहकों को अपनी ओर आकृष्ट किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग हैं और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने के प्रति उधत भी परंतु वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा हिंदी न होने के कारण देश की अधिकांश जनसंख्या इसका लाभ प्राप्त करने से वंचित है। जैसा कि सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि देश के आर्थिक ढांचे की रीढ़ बैंकों में यदि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हम वास्तविक अर्थों में विकास की कल्पना करते हैं तो, हिंदी व अन्य भारतीय भाषायें इसमें सर्वाधिक सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के विविध मुख्य आयाम – संचार सूचना क्रांति की ध्वजवाहक सूचना प्रौद्योगिकी चिकित्सा स्वास्थ्य, कृषि बैंकिंग बीमा, शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयुक्त हो रही हैं। संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण आयाम इस प्रकार हैं:–

(क) कंप्यूटर – संगणक या कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रोनिक उपकरण है जो अपनी भाषा में प्राप्त निर्देशों के आधार पर तीव्रगति से त्रुटिरहित काम करता है। बैंक एवं वित्तीय संस्थान इसका प्रयोग कर उच्चतर उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाकर अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं। अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत ओर हिंदी कम्प्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषायें हैं।

(ख) इनफायनेट – वी–सैट प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारतीय रिजर्व बैंक के उपग्रह पर आधारित नेटवर्क से बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों को निधि अंतरण की एक मजबूत प्रणाली इनफायनेट प्रदान की है। इसमें रियल टाइम ग्रास सैटैलमैन्ट (आरटीजीएस) के माध्यम से समाशोधन (उच्च मूल्य) का काम अत्यन्त तीव्रता एवं सरलता से संपन्न होता है। इस प्रणाली को स्वीकार करने वाला हमारा देश विश्व का तेइसवां देश हो गया है। आईबीडीआरटी हैदराबाद ने इसका साफ्टवेयर तैयार किया है।

(ग) स्विफ्ट – इस संस्था का मुख्यालय ब्रूसेल्स में है। विश्व भर में लगभग 100 देशों के लगभग पांच हजार बैंक स्विफ्ट परिवार के सदस्य हैं। सदस्य बैंको के मध्य संदेशों का आदान–प्रदान सांकेतिक कूट के माध्यम से होता है। सूचना प्रौद्योगिकी का यह आयाम वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अत्यन्त कारगर सिद्ध हो रहा है।

(घ) इंटरनेट – नेटवर्किंग – संचार सूचना प्रौद्योगिकी युग में इंटरनेट का आविष्कार एक क्रांतिकारी कदम है। बैंकिंग क्षेत्र में लेन–देन, मैन और गैन का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इंटरनेट पर ई–मेल, ई–कामर्स पेजिंग, सैल्यूलर मोबाइल, मोबाइल सैटेलाइट, फोन, टेलैक्स, ई–फैक्स व मल्टी मीडिया आदि सुविधायें उपलब्ध हैं। आज निजी व विदेशी बैंकों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के प्रायः सभी बैंक इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, परंतु इसका विस्तार अभी शहरी व महा नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। यदि हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाए तो बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार व विकास ग्रामीण अंचलों में भी संभव है।

बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी की प्रासंगिता – सूचना प्रौद्योगिकी के कारण बैंकिंग आसान हो गयी है। बैंक अब कतार बैंकिंग से 'क्लिक बैंकिंग' की ओर अग्रसर हैं। आज हम कंप्यूटर का एक पुश बटन दबाकर विश्व के किसी भी भाग व बैंक से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी की प्रासंगिता निम्न तथ्यों से स्वतः सिद्ध हो जाती है:–

(1) स्टाफ लागत में कमी, मितव्ययिता एवं लाभ–प्रदता में वृद्धि
(2) ग्राहकों से निरंतर संपर्क और कम परिसर की आवश्यकता
(3) प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि, ग्राहक सेवा में गुणात्मक सुधार
(4) बाजार की सूचना अत्यन्त सुलभ, ऑन–लाइन ट्रेड़िग घर बैठे संभव, बैंक सेवाओं का आसान विपणन
(5) एटीएम पिन/पासवर्ड, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट/डेबिट कार्ड तथा वायरस एप्लीकेशन्स प्रोटोकाल का लाभ–प्रद प्रयोग संभव
(7) वेबसाइट पर अधिकाधिक सूचनायें ग्राहकों को उपलब्ध करवाकर उनके लेन–देन को सरल बनाते हुए, बैंक की आय में वृद्धि
(8) निधियों का प्रबंधन कुशलता एवं दक्षतापूर्वक सम्पन्न करना
(9) डाटा बेस से विश्लेषण के कारण निधि–आधारित सेवाओं के साथ–साथ निवेश संविभाग मजबूत होता है।
(10) सीबीएस व इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से त्वरित ग्राहक सेवा का विस्तार

बैंक सूचना प्रौद्योगिकी एवं हिंदी – बैंक देश के आर्थिक ढांचे की रीढ़ है। देश के वित्तीय व्यवसाय का 75 प्रतिशत भाग बैंकों के माध्यम से सम्पन्न होता है। अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन एवं कृषि क्षेत्र में बैंकिंग योगदान की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार हो रहा है। परंतु अधिसंख्य लोगों

द्वारा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा में काम न होने के कारण वे लोग प्रौद्योगिकी के लाभ से वंचित हैं। अतः यदि सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा बन जाती है, तो शहर व महानगरीय क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण अंचल में भी इसके विकास का मार्ग और प्रशस्त हो जाएगा। बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में हिंदी सहायक हैं या नहीं, अलग से यह एक वाद–विवाद का विषय हो सकता है, परंतु जहां तक भारत का प्रश्न है, निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि हिंदी सहायक है। किस प्रकार सहायक है, इसका विवेचन निम्नोक्त शीर्षक के माध्यम से किया जा सकता है:–

अपनी भाषा – मानव मात्र के बीच भावों को आदान–प्रदान करने वाले व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेत व्यवस्थापित होकर भाषा का निर्माण करते हैं। भाषा अपने आपको पहचानने की ही नहीं अपितु अपनी–अपनी संस्कृति की बुनियाद भी होती है। भाषा हमें बोध कराती है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एक हैं। भारत के संदर्भ में यह भाषा हिंदी ही हो सकती है क्योंकि यह हमें बोध का एक आधार देती है। सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन बैंक करते हैं। यदि हिंदी का प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी परंपरागत व नवोन्मेष बैंकिंग सेवाओं में किया जाए, तो जनता व ग्राहकों से बैंक की निकटता बढ़ेगी व ग्रामीण लोग सूचना प्रौद्योगिकी को सहज स्वीकार करेंगे।

हिंदी की विशेषताएं – मानव कितना महान है कि उसे अपनी बात कहने के लिए भाषा का वरदान मिला हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को ऐसी भाषा मिली है, जिसका प्रयोग हम राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं। हिंदी बहुसंख्यक लोगों की भाषा 'राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना की संवाहक', 'आत्म–गौरव का प्रतीक', सरल, समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। बैंको के संदर्भ में यह न केवल अपने उक्त गुणों के कारण सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है, अपितु ग्राहक संतुष्टि की कसौटी भी बन सकती है, क्योंकि यह भारत के हृदय की कुंजी है।

जनसंपर्क भाषाई संवाद – होस्टन टैक्सास में विकास एवं जनसंपर्क के निदेशक 'फ्रोड़े' ने संवाद एवं जनसंपर्क में बाधा उत्पन्न करने वाले बारह कारक बताये हैं, जिनमें मुख्यतः संदेश एवं क्रिया का टकराव, ज्ञान का अभाव, त्रुटिपूर्ण व्यवस्था और गलत चैनल का चयन आदि भाषाई संवाद से ही संबंधित है। जनसंपर्क में उचित एवं समझ में आने वाली भाषा का अधिक महत्व है। संवाद की दृष्टि से भाषा के दो पक्ष होते हैं – वक्ता – व – ग्रहीता वर्तमान चुनौतियों में ग्रहीता का महत्व अधिक है। अपनी भाषा ही वह कड़ी है, जो आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बैंक को ग्राहक से जोड़ती है, संपर्क सूत्र का निर्माण करती है, आत्मीयता विकसित करती है, विश्वास का वातावरण बनाती है तथा पारिवारिक बैंकिंग के प्रति ग्राहक को आश्वस्त करती है। बैंक हिंदी व अन्य भारतीय भाषायें अपनाकर व्यवसाय संवर्धन के साथ–साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं।

कंप्यूटर दुनिया में हिंदी – यदि हम चीन, जापान, स्पेन, रूस और कोरिया जाएं ओर देखें तो वहां पीसी के आपरेटिंग सॉफ्टवेयर से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी के तमाम उपयोग स्थानीय भाषाओं में मिलेंगे। ज्यादातर काम–काज के लिये स्थानीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर मिलेंगे। भारत में ऐसा नहीं है। नतीजन 95% जन–समुदाय कंप्यूटर दुनिया से बेगाना है। आज समाजशास्त्री और चिंतक सूचना समृद्धि और सूचना गरीबी की जो चर्चा कर रहे हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत है।

हिंदी एवं तकनीक – पूंजी की उपलब्धता के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण है बैंक द्वारा शाखाओं में प्रयोग की जा रही तकनीक सबसे पहली शक्ति है। भविष्य का कोई भी कारोबार सूचना का कारोबार होगा। सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग का अर्थ है 95 प्रतिशत लोगों तक पहुंच, इस प्रकार बैंकों में इस प्रौद्योगिकी के विकास को रोका नही जा सकता। यह गौरतलब है कि कंप्यूटरी कामकाज में हिंदी व अन्य भारतीय भाषा का प्रयोग करने में तकनीक कोई बाधा नहीं है। सच्चाई तो यह है कि आज अंग्रेजी जाने बिना सारे काम–काज कंप्यूटर पर किए जा सकते है। सी डौक (सेन्टर फॉर डेवलैपमेंट इन एडवांस कंप्यूटरिंग) और निस्ट (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलौजी) ने ऐसे उत्पाद तैयार किए हैं, जिन्होंने कंप्यूटर पर हिंदी व अन्य भाषाओं में काम को संभव बना दिया है। इससे प्रेरित हो कर कई निजी कंपनियों ने भी भारतीय भाषाओं में सौफ्टवेयर और अनुप्रयोग (एप्लिकेशन) तैयार किए हैं। जाहिर है कि इनका प्रयोग कर बैंक सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में हिंदी सॉफ्टवेयरों की सहायता ले सकते हैं।

कंप्यूटर तकनीक के पहलू – हम जानते हैं कि डेस्कटॉप–कंप्यूटर का सबसे बुनियादी सॉफ्टवेयर है, आपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विन्डोज एक्सजी में नौ भारतीय भाषाओं में काम करने की सुविधा है। रैड हैड कंपनी 'रैड हैट लाइनैक्स–8'' आपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में पेश करने की तैयारी में है। इंडलाइनैक्स ने जीनोम का हिंदी इंटरफेस 'मिलन' वीओ 37 पेश किया है, जो पीसी को हिंदी में चलाने की सुविधा देता है। इसके अतिरिक्त हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के लिए जो अनुप्रयोग सामने आए हैं उनमें सर्वाधिक सटीक है – लीप ऑफिस और भारतीय ओ.ओ. (ओपन–ऑफिस)। चित्रांकन, आईएएम पब्लिशर, वार्तालाप और सी–डैक का मंत्र व निस्ट का स्विफ्ट ज्योति आदि हिंदी सॉफ्टवेयर भी महत्वपूर्ण हैं। रघु भारतीय भाषाओं का ओपन फोंट है। अनुवादक कंप्यूटर का भी अविष्कार होने से बैंकों में इसका प्रयोग संभव है।

सरकारी प्रयास सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी – वर्ष 2004 में हिंदी दिवस के अवसर पर तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सी–डैक, पुणे के सहयोग से राजभाषा विभाग द्वारा विकसित लीला हिंदी प्रबोध, प्राज्ञ व प्रवीण के बेव वर्जन का लोकापर्ण किया। इसके माध्यम से हिंदी का प्रशिक्षण ऑन लाइन प्राप्त किया जा सकता है। कुछ मोबाइल फोन कंपनियां देवनागरी लिपि में 'एसएमएस' की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही हैं। आज हिंदी इंटरनेट के माध्यम से 'ग्लोबल' हो रही है। साहित्य अकादमी के सचिव 'के. सचिदानन्दन' का मानना है कि हिंदी को 'ग्लोबल' होने से पहले 'लोकल' होना चाहिए, यानि देश के भीतर स्थापित होना चाहिए।

वित्तीय बैंकिंग सेवा क्षेत्र के पैकेज – बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा क्षेत्र के पेकैजों पर भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों का ध्यान है। आई फ्लैक्स सोल्यूशन्स ने खास बैंकिंग समाधान प्रस्तुत किए हैं। 'इन्फोसिस टेक्नोलोजी के उत्पादन फिनॉकल' को भी बाजार में पर्याप्त सफलता मिली। इन्फोसिस के बैंक – अवे, पे–अवे व बैंक्स कनेक्ट भी काफी प्रतिष्ठित उत्पादन हैं। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के 'फिननेस' टाटा इंफोटैक के साइन बैक, कस्टमर व्यू आदि उत्पादन बैंकिंग क्षेत्र के लिए बनाए गए हैं। यद्यपि ये उत्पादन अंग्रेजी में हैं, किंतु बैंक इनके उपभोक्ता होने पर अपने राष्ट्रीय दायित्व व स्वाभिमान को मद्देनजर रखते हुए, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में इनकी मांग करें तो संबंधित कंपनियां बाजार और उसकी मांग को देखते हुए हिंदी में ये उत्पाद तैयार कर सकती हैं। इस प्रकार से हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक हो सकती है।

आने वाले समय में विश्वस्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की जो चन्द भाषाएँ होंगी उनमें हिन्दी भी प्रमुख होगी।

हिंदी की वेबसाईटें – विश्व के सबसे कंप्यूटर को अक्सर सूचना महामार्ग भी कहा जाता है। भारत सरकार के आदेश के फलस्वरूप मंत्रालयों ने सरकारी हिंदी वेबसाइट बनाई है। हैयर–सरकारी स्तर पर समाचार पत्रों की हिंदी वेबसाईटें हैं। बैंकों की सूचनाएं हिंदी वेबसाइट पर हैं। इस प्रकार बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी की विकास में हिंदी की प्रमाणिकता सिद्ध होती है।

विज्ञापन–संचार माध्यमों की भाषा – राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों के विपणन के लिए बाजार तलाश रही हैं। वे बोधगम्य हिंदी में विज्ञापन देती है, जैसे कि 'ठंडा मतलब कोका कोला' सिर्फ हिंदी में ही कहा जा सकता है। वोट मांगने कि भाषा भी हिंदी है। हिंदी फिल्मों की मांग पूरे देश में है, सभी पड़ोसी मुल्कों, खाड़ी देशों में हिंदी फिल्में, हिंदी गाने अत्यंत लोकप्रिय हैं। टी.वी. पर 24 घंटे के हिंदी समाचार चैनल हैं। हिंदी समाचार–पत्र/ पत्रिकाओं की मांग व लोकप्रियता बढ़ी है। ऐसी स्थिति में बैंक यदि आज सूचना और प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हैं, तो अपनी योजनाओं ग्राहकों तक ले जाने व उत्पादों के प्रभावी विपणन की एकमात्र भाषा हिंदी ही हो सकती है।

ग्राहक सेवा– सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी – वर्तमान युग में व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। बैंकिंग एक सेवा व्यवसाय है। जिसमें सबसे बड़ी चुनौती ग्राहक को संतुष्ट करना उसका विश्वास बनाये रखना है। ग्राहक पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक है। उसकी अपेक्षाओं का स्तर पहले से अधिक उन्नत है। यही कारण है कि बैंक आज सूचना और प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। आम जनता की भाषा हिंदी इसके विकास में अहम भूमिका का निर्वाह करती है, क्योंकि ग्राहक अपनी भाषा में वार्तालाप व अन्य व्यापारिक क्रियायें करने में सहज अनुभाव करता है। बदलते परिवेश में ग्राहक के पास बहुत से विकल्प हैं, किन्तु बैंक के पास ग्राहक ही एकमात्र विकल्प है।

भाषा प्रौद्योगिकी व मानव संसाधन – प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में मानव संसाधन और ग्रहीता की भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रौद्योगिकी का संचालन, नियंत्रण और प्रबंधन बैंक कर्मियों द्वारा ही किया जाता है। अतः उन्हें ग्राहकों की भाषा के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंगीकरण व क्रियान्वयन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे ई–शासन, ई–कॉमर्स और ई–गवर्नेस के लाभ जन–सामान्य तक पहुंच सके।

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है की यदि हम तथाकथित अभिजात्यता और विशिष्टता बोध से ग्रसित मानसिकता का परित्याग कर अंग्रेजी का वर्चस्व कम करने व हिंदी को बढ़ावा देने का रचनात्मक प्रयास करें तो निश्चित रूप से बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में हिंदी सहायक सिद्ध हो सकती है। अपनी भाषा पर विदेशी भाषा को तरजीह (प्राथमिकता) देना आत्म हेयता का धोतक होता है।

उपसंहार – प्रौद्योगिकी उन्नयन और अंगीकरण के संबंध में एक जापानी कहावत है की यदि आप आज का कारोबार कल (बीते हुए कल) क उपकरणों द्वारा करेंगे तो कल (आने वाला कल) को आपका कोई कारोबार नहीं रहेगा। अतः बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी उन्नयन और हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में तैयार सॉफ्टवेयर व अनुप्रयोगों का उपयोग अनवरत चलते रहना चाहिए। कंप्यूटर व सॉफ्टवेयर बनाने वाले आईटी कर्मियों का भी यही मानना है कि सन् 2015 तक हिंदी व भारतीय भाषाओं के सॉफ्टवेयरों की तुलना में अधिक लोकप्रिय होंगे।

थोपें नहीं, उन्हें जीने का सहारा बनाएं

हमारे देश में यह सम्भव है कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाएं सरकारी कामकाज का हिस्सा बनें। इस दिशा में कुछ मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि किसी भाषा के अस्तित्व को बनाए रखने, उसकी उन्नति और वैभव को कायम करने में सरकारी फाइल्स का योगदान नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर जब तुलसीदास लेखन कार्य कर रहे थे तो उस समय हिंदी भाषा किसी सरकारी काम की भाषा नहीं थी। दूसरी बात, जितने भी सरकारी आदेश निकलते हैं या फाइलों में निर्देश दिए जाते हैं उनमें चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल होता है। इन कुछ शब्दों से भाषा का चेहरा नहीं बदलता है और न ही वह बढ़ती है।

भाषा वही आगे बढ़ती है, जिसे ज्यादा से ज्यादा जनसमुदाय बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। आज दुनिया में 48 करोड़ लोग हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी की यह तरक्की सरकारी फाइलों से नहीं हुई है। अगर अंग्रेजी पर हम सरकारी दफ्तरों में रोक लगा देंगे तो उससे अंग्रेजी का प्रसार न तो रोका जा सकता है और न ही टोका जा सकता है। हमारे देश में काफी भाषाई विविधता है। जितने भी लोगों द्वारा क्षेत्रीय भाषाएं मसलन–बंगाली, तेलगू, मराठी आदि बोली जाती हैं, उनका प्रसार सरकार पर निर्भर नहीं है। जो करोड़ों लोग इन क्षेत्रीय भाषाओं को बोल रहे हैं, इसमें उनका योगदान है।

हाल ही में केन्द्र सरकार के स्तर पर हिंदी के इस्तेमाल को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं, उसके बहुत ज्यादा मायने नहीं है। हमारे संविधान में स्पष्ट फ्रेमवर्क है कि आठवीं अनुसूची के बाहर जाकर कोई भी सरकार संवैधानिक आदेश नहीं दे सकेगी। आठवीं अनुसूची में बहुत स्पष्ट लिखा है कि राज्य 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा चुन सकते हैं। उसमें अंग्रेजी का तो नाम ही नहीं है। न्यायपालिका में भी यदि इन 22 भाषाओं में से कोई दस्तावेज जाएगा तो उसे वह स्वीकार करेगी। लेकिन यह व्यवस्था होते हुए भी बहुत सारे लोग अंतरराज्यीय व्यवहार के लिए ज्यादातर अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि राज्यों के लिए या केन्द्र सरकार के लिए जिस तरीके की हिंदी भाषा का विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। राजभाषा के लिए बने शब्दकोष में जो हिंदी शब्द सुझाए गए, वे हमारे देश में कभी चलन में नहीं आ पाए। वे शब्द लोगों के पास से नहीं आए थे, बल्कि उन्हें कृत्रिम तौर पर इजाद किया गया था। इसके कारण हिंदी के विस्तार में काफी नुकसान हुआ है।

किसी भाषा को थोपना उसकी तरक्की में बाधक है। दुनियाभर में लोगों की इच्छा के विरुद्ध भाषाएं नहीं बढ़ सकती। बुनियादी तौर पर वही भाषा ज्यादा तरक्की करती है, जिसमें व्यवसाय की प्रवृत्ति होती है। जिस भाषा में व्यवसाय मिलता है, वह खुद–ब–खुद बढ़ने लगती है। यानी जिन भाषाओं में जीने का सहारा ज्यादा होता है, उनका खूब विस्तार होता है।

अंग्रेजी वैश्विक भाषा इसीलिए बन पाई, क्योंकि यह दुनिया में व्यापार की भाषा बन गई। जबकि यह बहुत छोटे देशों की भाषा थीं। लेकिन अब ऐसी ही तरक्की हिंदी भी कर रही है। पिछले 50 साल में अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी बोलने वालों की तादाद बढ़ी है। इसी प्रकार हमारे देश में मराठी, तेलगू, कन्नड़, बंगाली जैसी भाषाओं के बोलने वालों में इजाफा हुआ है। जो भारतीय लोग अंग्रेजी को अपनी मातृ भाषा मानते हैं उनकी तादाद तो एक फीसद भी नहीं है। तेलगू, कन्नड़, बंगाली, मराठी भाषाओं को हिंदी से डरना नहीं चाहिए। सरकारों के सर्कुलर किसी भाषा पर संकट खड़ा नहीं कर सकते। सरकार अगर हिंदी का विस्तार चाहती है तो उसे ऐसी हिंदी विकसित करनी होगी, जिसे तमिलनाडु और दिल्ली की सरकारें आपस में समझ सकें। हमें आपसी संवाद के लिए एक जैसी हिंदी बनानी होगी। मौजूदा राजभाषा कोष ऐसा है कि जिसे हिंदी के प्राध्यापक भी न समझ पाएं!

हिन्दी शब्द का सम्बन्ध संस्कृत शब्द सिन्धु से माना जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व

कृष्ण कुमार गुप्ता, प्रबंधक (राजभाषा)
इण्डियन ओवरसीज बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उतरोत्तर विकास और प्रचलन से जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मानव–मशीन की परस्परता और निर्भरता बढ़ रही है। लेकिन मानव और मानव के बीच संबंधों में शिथिलता आ रही है। मानव शक्ति और मानव गणना की क्षमता की अपेक्षा मशीनें कई गुना समर्थ होती जा रही हैं। बढ़ती बेरोजगारी परोक्ष परिणाम है। नई सोच की जरूरत है, जिससे मानव को रचनात्मकता और नवाचार में मशीन की मदद आसानी से मिल सके। प्रौद्योगिकी और संस्कृति का वृहद क्षेत्र प्रशस्त किए जाने की आवश्यकता है। संस्कृति समाज में व्यवहृत ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत, जीवन पद्धतियां, वैचारिकी दर्शन और सामाजिक क्रियाकलापों की समष्टिगत अभिव्यंजना है। संस्कृति के इन पक्षों को प्रबल बनाने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका होगी। प्रौद्योगिकी के अनेक क्षेत्र हैं– उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, बैंक, यातायात, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना इत्यादि। उनमें भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप तदनुसार होगा। विज्ञान कई क्षेत्रों में परिवर्तन लाया है या यूं कहें कि विज्ञान ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किया है जिसने दुनिया को ही बदल दिया तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। आज दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन किसी से हुआ है तो वह सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हुआ है और यही कारण है कि आज के युग को सूचना प्रौद्यगिकी का युग कहा जा रहा है। पिछले चार पांच दशकों में हमने जितना कुछ प्राप्त किया है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी का है। इसके कारण दूरसंचार, उपग्रह और कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से संचार का एक नूतन रूप विश्व में दावानल की तरह फैला। इंटरनेट एक ऐसा नमूना है जिसने मानव सभ्यता को ही बदल के रख दिया है। इंटरनेट एक सुपर हाईवे के रूप में सामने आया है। जो दूरसंचार और उपग्रह प्रौद्योगिकी के मदद से लाखों कम्प्यूटरों का एक ऐसा सूचना तंत्र है जिसमें सम्पूर्ण पुस्तकालय और रेडियो, टेलीविजन चैनल, समाचार पत्र–पत्रिकाओं के अलावा अन्य कई तरह की जानकारियां उपलब्ध है। आज पूरी दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी का डंका बज रहा है। वसुधैव कुटुम्बकं का आदर्श और कहीं चरितार्थ होता हो या नहीं, कम से कम सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में तो चरितार्थ होता ही है। मोबाइल फोन, कम्प्यूटर और इंटरनेट इस क्रांति के वाहक हैं। हालांकि हमारे देश में सामान्यतः सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब कम्प्यूटर समझा जाता है। यह कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि कम्प्यूटर चिप ही सूचना क्रांति का आधार है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारोबार का माध्यम बनने से अनंत सभावनाओं के द्वार पहले ही खुल गए, रही–सही कसर इसके मनोरंजन का साधन बन जाने से पूरी हो गई। इसने छोटे–छोटे बच्चों से लेकर प्रौढ़ों तक को अपने सम्मोहन में जकड़ लिया। इंटरनेट ने तो गृहणियों तक पर अपना रंग चढ़ा दिया।

भारतीय अभिजात्य वर्ग के जातिगत अभिमान और उनकी शारीरिक श्रम के प्रति घृणा का सूचना प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके कारण कम्प्यूटर तंत्र के विकास में हार्डवेयर की घोर उपेक्षा हुई। नतीजतन हार्डवेयर का मूल्य अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में खासा ज्यादा रहा। जिससे मध्यमवर्ग के आदमी के लिए भी कम्प्यूटर खरीदना एक विलासिता ही रही। दूसरी तरफ, हमारे अभिजात वर्ग की जनभाषा से दूराव ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को कम्प्यूटर से दूर रखा। कम्प्यूटरों में हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं के विषय में जो प्रयास किए गए, उनका भी इन्होनें प्रचार नहीं किया और हिन्दी तथा कम्प्यूटरों के संबंध में भ्रमजाल फैलाया गया। जब माइक्रोसॉफ्ट विभिन्न साफ्टवेयरों व फॉण्टों के कम्पैटिबिलिटी के साथ बाजार में उतरा, तो हर देश में वेण्डॉर से यही प्रश्न किया गया कि क्या उनकी भाषा, उससे संबंधित फॉण्ट या सॉफ्टवेयर उसमें मौजूद है या फिर इन्सटाल करने की सुविधा है? तपाक से उन्हें जवाब मिला कि हाँ है। इसी विश्वास के साथ जब माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के बाजार में कदम रखा और यह सोचा कि खरीददार हिन्दी या भारतीय भाषाओं के बारे में पूछेंगे तो उसका सहज उत्तर हाँ में होगा। साथ ही, हिन्दी फॉण्ट की कंप्यूटर में विशिष्टता को भी वह विस्तृत रूप से प्रकाश में लाएगा व इस मुद्दे को प्रसारित करेगा। परंतु वेण्डॉर के आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा, जब किसी भी भारतीय खरीददार ने हिन्दी भाषाओं की कम्पैटिबिलिटी के बारे में जानना तो दूर, यह भी नहीं पूछा कि क्या इसमें हिन्दी भाषा की सुविधा है? ऐसे परिदृश्य की कल्पना एम एस वेण्डॉर्स ने कभी नहीं की थी। हिन्दी के प्रति हमारी हीन मानसिकता को देखकर वे भी दंग रह गए।

उक्त कारणों से कम्प्यूटर संस्कृति की पैठ समाज में व्यापक और तथाकथित निम्न स्तरों तक नहीं हो पाई। फलस्वरूप इसने भारत में डिजिटल विभाजन पैदा किया, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसने एक ओर कुशल और महंगे श्रम का बढ़ता बाजार बनाया तो दूसरी ओर अकुशल रोजगार का लगभग पूरी तरह खात्मा कर दिया। जिससे हमारे यहाँ पहले से ही विद्यमान आर्थिक असमानता की खाई और भी तेजी से चौड़ी होती चली गई। आम हिंदी भाषी में जहाँ कम्प्यूटर के प्रति आकर्षण है, वहीं अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण असहायता भी दिखाई देती है। इस असहायता और हीन भावना को बढ़ाने में अंग्रेजी परस्त लोगों के फैलाए झूठों का भी योगदान है। जिनमें से सबसे ज्यादा प्रचारित झूठों में से कुछ इस तरह है– हिंदी में कम्प्यूटर पर काम करना संभव ही नहीं है, यदि है भी तो केवल निचले स्तर का काम ही संभव है, उच्च स्तर की सारी कम्प्यूटरी केवल अंग्रेजी में होती है, सारे सॉफ्टवेयर अंग्रेजी में बनते हैं और प्रोग्रामिंग तो केवल अंग्रेजी में होती है और यदि आप यह सिद्ध कर दें कि यह संभव है तो दूसरी तरफ यह कि हिंदी में काम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको हिंदी में टाइप करना नहीं आएगा अगर आ भी गया तो हिंदी फांट नहीं मिलेगा, यदि मिल भी गया तो आप इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकोगे, ईमेल नहीं भेज सकोगे। ऑपरेट सिस्टम तो केवल अंग्रेजी में चलता है, यदि आपने हिंदी का ऑपरेट सिस्टम जुगाड़ भी लिया तो दूसरे कम्प्यूटरों से कनेक्ट कैसे करेगें क्यों वे तो अंग्रेजी के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं यदि आप यह भी झेल लें तो उनका ब्रह्मास्त्र तैयार है कि आपको कम्प्यूटर की हिंदी ही समझ में नहीं आएगी। यह हौवा खड़ा कर अंग्रेजीदां लोग झूठ के इस पुलिन्दे को कुछ यूँ प्रचारित करने

हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर अधिकांशतः संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करती है।

में सफल रहे हैं कि यदि तुम हिंदी–हिंदी चिल्लाओगे तो देश पीछे रह जाएगा, आप खुद भी मोटी तनख्वाहों और विदेशी दौरों से वंचित रह जाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अंग्रेजी ही सीख लो और उसी में अपना काम करो। इनमें से कुछ झूठ अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए फैलाए गए तो कुछ अज्ञानतावश। इसने सूचना क्रांति के प्रसार को बुरी तरह महानगरों तक सीमित कर दिया है। आज भारतीय कंपनियों से ज्यादा अमरीकी कंपनियों को हिंदी की चिंता सता रही है क्योंकि वे जानती हैं कि हिंदी के जरिए पूरे दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप के बाजार के दरवाजे बहुत तेजी से खुलते हैं। कारोबार और मनोरंजन की दुनिया आम जनता की दुनिया है। आम जनता की भाषा हिंदी है यही कारण है कि आज लगभग हर अमरीकी और यूरोपीय कंपनी

अपने उत्पादों में हिंदी समर्थन दे रही है और उनके हिंदी संस्करण बाजार में उतार रही है। पिछली सदियों के इंसान को यदि जिंदा करके कम्प्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, आईपोड जैसी न जाने कितनी ही चमत्कारी वस्तुएं दिखा दी जाए तो बेचारा गश खाकर गिर पड़े। आज की पीढ़ी इन चीजों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। ज्ञान के क्षेत्र में इंसानों की सबसे बड़ी उपलब्धि इंटरनेट की खोज है, इस युग में जो इंटरनेट उपयोग नहीं करता तो वह व्यावहारिक रूप से निरक्षर माना जाता है। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है, भले ही कुछ देशों में यह प्रयोग कम हैं और कुछ में ज्यादा। भारत की 8% से भी कम आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है। यह अनुपात विकसित देशों में 90% आबादी की तुलना में काफी कम है। सूचना प्रौद्योगिकी की शुरूआत भले ही अमरीका में हुई हो, तथापि भारत की मदद के बिना यह आगे नहीं बढ़ सकती थी। गूगल के एक वरिष्ठ अधिकारी की यह स्वीकारोक्ति काफी महत्वपूर्ण है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के बड़े कम्प्यूटर बाजारों में से एक होगा और इंटरनेट पर जिन तीन भाषाओं का दबदबा होगा वे हैं– हिंदी, मेंडरिन और अंग्रेजी। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती हैं कि आज भारत में 8 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इस आधार पर हम अमरीका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर हैं। जिस रफ्तार से यह संख्या बढ़ रही है, वह दिन दूर नहीं जब भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता विश्व में सबसे अधिक होंगे। आमतौर पर यह धारणा है कि कम्प्यूटरों का बुनियादी आधार अंग्रेजी है, यह एकदम से गलत है। कम्प्यूटर की भाषा अंको की भाषा है और अंको में भी केवल 0 और 1 हैं। जिसे हम हाई वोल्टेज एवं लो वोल्टेज के रूप में समझ सकते हैं। कोई भी तकनीक और मशीन उपभोक्ता के लिए होती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे कैसे उपभोक्ता के अनुरूप ढला जाए। भारत के संदर्भ में कहें तो आईटी के इस्तेमाल को हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के अनुरूप ढालना ही होगा। यह अपरिहार्य है, क्यों हमारे पास संख्या बल है। इसी के मद्देनजर सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनियां अब नए बाजार की तलाश में सबसे पहले भारत का ही रूख करती हैं। ऐसा किसी उदारतावश नहीं, बल्कि व्यावसायिक बाध्यता के कारण संभव हुआ है। हमने तो अभी बस इंटरनेट और मोबाइल तकनीकों का स्वाद चखा है और सम्पूर्ण विश्व के बाजार में धूम मचा दी। इंटरनेट पर हिंदी के पोर्टल अब व्यावसायिक तौर पर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। कई दिग्गज आईटी कंपनियां चाहे वो याहू हो, गूगल हो या कोई और ही सब हिंदी अपना रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के डेस्कटॉप उत्पाद हिंदी में उपलब्ध हैं। आई बी एम, सन–मैक्रो सिस्टम, ओरक्ल आदि ने भी हिंदी को अपनाना शुरू कर दिया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट्स्केप, मोजिला, क्रोम आदि इंटरनेट ब्राउजर भी खुल कर हिंदी का समर्थन कर रहे हैं। आज यूनिकोड के आने से कम्प्यूटर पर अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं पर काम करना बहुत ही आसान हो गया है।

हिंदी के भविष्य की इस उजली तस्वीर के बीच हमें हिंदी को प्रौद्योगिकी के अनुरूप ढालना है। हिन्दी के कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक डायरी, प्रिंटर, वर्ण पहचान यंत्र आदि उपलब्ध हो रहे हैं। आवश्यकता है इन यंत्रों के प्रयोग संवर्धन की जिससे और बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास संभव हो।

किसी भी स्थान के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में जिस तरह जन सामान्य की अपनी भूमिका होती है, ठीक उसी तरह उस क्षेत्र विशेष में स्थापित उद्योग भी अहम पात्र अदा करते हैं। अर्थ यह है कि किसी भी विकासशील देश के लिए लगातार बढ़ते औद्योगीकरण का जितना महत्व होता है उतना किसी का नहीं। जहां तक विकास पथ पर किसी क्षेत्र विशेष को ले जाने की बात है उसमें जन सामान्य की शिक्षा, आर्थिक स्थिति और उसकी सोच प्रमुख तत्व हैं जो पूरी सक्रियता और सार्थकता के साथ काम करते हैं। भारतीय परिवेश में राजभाषा हिन्दी की महत्ता से, उसकी उपयोगिता से, उसमें सम्पर्क सूत्रों की बहुलता से इंकार नहीं किया जा सकता। हिन्दी की भूमिका उद्योगों के विकास में उस समय से अधिक बढ़ गई जब से सूचना प्रौद्योगिकी में उसका दबदबा बढ़ गया। सूचना प्रोद्योगिकी के नवीन आविष्कारों ने हिन्दी के साहित्यिक स्वरूप से आगे बढ़कर उसके प्रयोजनमूलक स्वरूप को बहुत विस्तार दिया है तथा राजकाज हिन्दी के साथ व्यावसायिक हिन्दी के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है और आगे हो रहा है। रेडियो और टेलीविजन ने अपने कार्यक्रमों में विज्ञापनों के प्रसारण की शुरूआत की। जन सामान्य तक पहुंचने वाले रेडियो और टेलीविजन से अच्छे माध्यम किसी भी उत्पाद के लिए हो ही नहीं सकते और यह बात प्रमाणित है कि टेलीविजन के विज्ञापन जिनमें तेल, साबुन से लेकर विलासिता की वस्तुओं तक को विज्ञापित किया जाता है, अस्सी से नब्बे प्रतिशत हिन्दी में होते हैं अर्थात उद्योगपति, प्रचार संस्थाएं यह बात भलीभांति समझ गई हैं कि बिना हिन्दी में विज्ञापन दिए भारतीय जनमानस तक पहुंचना लगभग असंभव है।

आज सूचना प्रौद्योगिकी जिस प्रकार विकसित हो रही है, हमारे विशेषज्ञ भी इतनी ही श्रमशीलता के साथ हिंदी प्रयोग की व्यापकता को विस्तार देने में लगे हुए हैं। आज सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में राजभाषा अर्थात हिंदी का महत्व पहले से अधिक हो गया है और यह महज राजकाज की संवैधानिक बाध्यता से निकल कर व्यावसायिक बाध्यता बन गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व

पी.एन. बैनर्जी, मुख्य प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता

राजभाषा का प्रयोग

राजभाषा हिंदी 400 अलग अलग भाषाओं/बोलियों को बोलने वाले बहुभाषाभाषी भारत को जोड़ने वाली भाषा भी है। हिंदी देश के बाहर आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेलजियम, भूटान, बोत्सवाना, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, सेंट मार्टिन, गुयाना, केन्या, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, युनाइटेड किंग्डम, न्यूजीलैंड, फिलिपीन्स, संयुक्त राज्य अमरीका, यमन, जांबिया में भी बोली जाती है। दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी अपने इस विस्तार के कारण एक प्रमुख भाषा के रूप में उभरी है। हिंदी का विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में चौथा स्थान है।

हिंदी भारत की राजभाषा इसलिए है, क्योंकि भारत के 125 करोड़ लोगों में से 70 प्रतिशत से अधिक इसे बोलते और समझते हैं। इसकी इसी विशेषता के कारण हमारे देश की संविधान सभा ने वर्ष 1949 में इसे राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय किया था। भारत के 400 अलग अलग भाषाओं/बोलियों को बोलने वाले लोगों को एक संपर्क भाषा की आवश्यकता थी। वर्ष 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को चुनने के प्रश्न पर देश भर में चर्चा हुई थी। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक विकास आदि परस्पर जुड़े हुए क्षेत्र हैं। कोई भी राष्ट्र इनमें से किसी एक क्षेत्र में प्रगति करके विकसित देश नहीं बन सकता। किसी भी देश का सर्वांगीण विकास इसकी सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति के बिना नहीं हो सकता। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रगति के लिए भाषायी उन्नति प्रत्येक राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। हिंदी हमारी समृद्ध और सामासिक संस्कृति की माला में एक मध्य मणि के रूप में है। इसलिए देश के सतत विकास के लिए हिंदी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सूचना प्रौद्योगिकी पर विस्तार से चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्यतया क्या–क्या शामिल होता है। सूचना प्रौद्योगिकी में प्रायः निम्नलिखित विषय सम्मिलित होते हैं :

हम सूचना प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के युग में जी रहे हैं। चाहे गांव हो या शहर लगभग सभी के जीवन को आज सूचना प्रौद्योगिकी की इस बृहद क्रांति ने प्रभावित किया है। इन क्षेत्रों में अधिकांश कामकाज अंग्रेजी भाषा के माध्यम से संपन्न होता था। पर दूसरी ओर यह भी सच है कि आज

कंप्यूटर पर ही आधारित इंटरनेट की सुविधा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। आजादी के 66 वर्षों के बाद भी मानसिक अवरोध के कारण आधुनिकतम वैज्ञानिक अनुसंधान और कंप्यूटर आधारित जानकारी हमारे देश में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में या तो उपलब्ध नहीं हो पाई थी या बहुत देर से उपलब्ध होती थी। यह तो तब था जब विदेशी कंपनियों ने भी यह मान लिया था कि भारतीयों के दिलों तक पहुंचने के लिए भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर विकसित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

आज गूगल को दुनिया भर में जानकारी प्राप्त करने के सबसे बड़े साधन के तौर पर स्वीकृति मिल चुकी है। जानकारी के इस सागर में हिंदी के माध्यम से भी गोता लगाया जा सकता है। गूगल के विकासकर्ताओं ने बेहतर ढंग से जान लिया है कि भारत में अपना कारोबार फैलाने के लिए हिंदी अपनाए बिना काम नहीं चलने वाला। संसार की एक प्रमुख कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर विकसित करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। आईआईटी भी चाहते हैं कि देश के पिछड़े क्षेत्रों के ज्यादा से ज्यादा उदीयमान छात्र प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करें। इन छात्रों के लिए अब अंग्रेजी की कोई समस्या नहीं रही क्योंकि वे हिंदी और भारतीय भाषाओं में पढ़ और समझ सकते हैं। बहुत से छात्र तो अपना अनुसंधान कार्य हिंदी में ही करना पसंद करते हैं।

आईआईटी के अनेक छात्र और अध्यापक यह मानते हैं कि जब चीनी, जापानी आदि भाषाओं में उच्च तकनीकी अध्ययन किया जा सकता है तो हिंदी और भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं किया जा सकता? यह सच है कि वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेजी जानना जरूरी है और इन संस्थानों में जो छात्र आते हैं वे इसकी तैयारी भी करते हैं, पर वे ऐसा क्यों मानते हैं कि हिंदी जानने के कारण उनका कोई नुकसान होगा या हिंदी जानने वालों का इन संस्थानों में दाखिला लेना व्यर्थ है। बारहवीं पास करके अनेक छात्र इन संस्थानों में आते हैं और इनमें अधिकांश की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं होती। हिंदी का प्रयोग बढ़ने से इन छात्रों को निश्चित ही फायदा होगा। वे यदि उच्च तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो वे अपने देशवासियों में उनकी भाषा में इस ज्ञान का प्रसार क्यों नहीं कर सकते?

हालिया वर्षों में हमारे देश ने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं वे एक क्षेत्र में प्राप्त उच्चतर ज्ञान का लाभ दूसरे क्षेत्र को पहुंचाए बिना संभव नहीं थीं अर्थात एक विषय में प्राप्त विशेषज्ञता के कारण ही अन्य क्षेत्रों का विकास हो पाता है। कंप्यूटरों के उपयोग के बिना सूचना प्रौद्योगिकी का इतने बड़े पैमाने पर विस्तार संभव नहीं था। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सरकारी कामकाज में एक ही सिक्के को दो पहलू कहे सकते हैं:

(क) बारंबार किए जाने वाले काम इनकी मदद से ज्यादा शुद्धता और शीघ्रता से किए जा सकते हैं

(ख) इनके जरिये किए गए काम का फिर से उपयोग किया जा सकता है और उसमें अपनी सुविधानुसार संशोधन भी किए जा सकते हैं

(ग) भविष्य में देखने और उपयोग करने के लिए किए गए काम को इनकी सहायता से सुरक्षित भी रखा जा सकता है

सारी दुनिया ने कंप्यूटरों की इस क्षमता को स्वीकार किया है और अनेकानेक क्षेत्रों में यथासंभव इनका उपयोग कर इनसे लाभ उठाया है। अनुसंधान और विकास के लिए अनवरत इसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है।

आज हम इंटरनेट पर वेबसाइट के जरिये दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सूचना का आदान–प्रदान सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के आज के युग में सरकारी संस्थाओं का आम आदमी के साथ संपर्क में रहना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए सभी मंत्रालयों, विभागों, संस्थाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों का अपनी वेबसाइट पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है।

इस संबंध में गठित एक तकनीकी समिति ने यह पाया है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के सॉफ्टवेयर अंग्रेजी में हैं। तेल कंपनियाँ, बैंक, बीमा कंपनियाँ आदि SAP, APS 2000++, I&LEAP, MS Office, MPS, JIST व UNICODE और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयरों का उपयोग कर रही हैं। कंप्यूटरों पर हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है। बहुत से कार्यालयों में फार्म आदि तो द्विभाषी उपलब्ध हैं पर उनमें हिंदी में प्रविष्टियों की मात्रा बढ़ाने से हिंदी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ सकता है।

समिति की सक्रियता का यह परिणाम हुआ कि बहुभाषी सॉफ्टवेयर का विकास करने के लिए विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर अब यूनिकोड का प्रयोग होने लगा है जिससे विभिन्न भाषाभाषियों को बहुत सहूलियत हो गई है। यूनिकोड में हिंदुस्तानी लिपियों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को संकाय सदस्यों के रूप में शामिल की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने यूनिकोड में कुछ परिवर्तनों को अंतिम रूप दिया है और इन्हें शामिल करने के लिए यूनिकोड तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। सुझाए गए परिवर्तन जो यूनिकोड मापदंड नीति के अनुरूप थे, यूनिकोड पैरामीटर वर्जन 4.0 में शामिल कर लिए गए हैं।

हिंदी वेबसाइट से जुड़ी कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिन पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसमें कुछ समय लग सकता है। ये उतने परिष्कृत नहीं हैं क्योंकि अधिकांश संस्थाएँ हिंदी वेबसाइट के विकास पर जरूरत से कम राशि खर्च करती हैं। आज जोरदार मार्केटिंग और ऐसे उत्पादों पर बल दिया जाता है जो सुरुचिपूर्ण, आवश्यकतानुकूल और प्रभावशाली हों। हिंदी वेबसाइटों को आधुनिकीकृत करने की जरूरत है। समिति की राय है कि जैसे भारत सरकार के मुद्रणालय केवल द्विभाषी सामग्री ही मुद्रण के लिए स्वीकार करते हैं उसी तरह एनआईसी को भी वेबसाइटों का विकास करते समय केवल द्विभाषी सामग्री ही स्वीकार करनी चाहिए।

विभिन्न भारतीय भाषाओं के शब्दकोश, वर्तनी–जांच, कुंजी पटल विन्यास, यूनिकोड फोण्ट जैसे अन्य सॉफ्टवेयर सहायक सामग्री भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी विकास (ज्क्प्) से निःशुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं या एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इन सॉफ्टवेयरों के पुराने संस्करण उन कार्यालयों द्वारा डाउनलोड किए जा सकते हैं जो अपने कंप्यूटरों पर ऑपरेटिंग सिस्टम के पुराने संस्करणों का प्रयोग करते हैं।

हिंदी में काम करने के लिए यूनिकोड का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। यूनिकोड का प्रयोग करके कंप्यूटरों पर हिंदी में आसानी से काम किया जा सकता है। यूनिकोड हिंदी टाइपिंग पारंपरिक टाइपराइटरों के साथ–साथ रोमन कुंजी पटलों द्वारा की सकती है। राजभाषा विभाग द्वारा जोर दिया जा रहा है कि नवनियुक्त कर्मचारी इनस्क्रिप्ट कुंजी पटल का प्रयोग करके हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में काम करें जो पूर्णतया वैज्ञानिक पद्धति है जैसे कि रोमन कुंजी पटलों की है।

कंप्यूटर पर यूनिकोड सक्रिय करने के लिए www-rajbhasha-nic-in की सहायता ली जा सकती है और इसमें पहुंचने के बाद 'How to activate Unicode' पर क्लिक करना होता है। यहां से कोई भी यूनिकोड की सुविधा सक्रिय करने के बारे में जान सकता है जिसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड की सुविधा सक्रिय करने के बारे मे विस्तार से बताया गया है। यह जानकारी पूर्णतया निःशुल्क उपलब्ध है। आज कंप्यूटरों पर औसतन कुल कार्य का 43.84 % कार्य हिंदी में किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी की शुरुआत

ग्रामीण विकास में संचार की प्रमुख भूमिका रहती है। विगत वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, मानवीय संवाद और आज सूचना प्रौद्योगिकी (IT) संचार का सबसे सशक्त माध्यम बन चुकी है। सभी प्रकार के संचार माध्यमों का विकास में जबरदस्त योगदान रहा है। इसमें भी देश के लोकतांत्रिक राजनैतिक परिदृश्य में संप्रेषण भारत की लोकतांत्रिक सफलता

में अहम भूमिका का निर्वाह करता रहा है। ग्रामीण विकास में आग्रहपूर्ण संवाद को सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। खास तौर से ग्रामीण गरीबों और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने में प्रभावशाली संवाद पर बहुत बल दिया गया है। शुरू में विकास कार्य में संलग्न लोग जो ज्यादातर शहरों के संपन्न वर्ग से आते थे महिलाओं के प्रति उतनी सहानुभूति नहीं रखते थे पर अब समय बदल चुका है। आज महिला सशक्तीकरण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव भी ग्रामीण विकास में एक बड़ी बाधा रही है। पर प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के चलते ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चहुंमुखी प्रगति देखने को मिली है। सूचना और संचार क्रांति ने इस क्षेत्र में आमूल परिवर्तन ला दिया है। देश के कोने कोने में गांवों में रहने वाले विकास की प्रक्रिया से जुड़ गए हैं और अपना योगदान भी कर रहे हैं। इसी के दम पर देश विकासशील देश की छवि से बाहर निकल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने की दिशा में अग्रसर है। सूचना के प्रसार से भेदभाव समाप्त होता जा रहा है क्योंकि प्रौद्योगिकी किसी जाति, वर्ग को नहीं जानती उसका काम तो केवल सूचना का ज्यादा से ज्यादा प्रसार करना है। इसके चलते प्रबंधन, प्रशासन और प्रसारण में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिल रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते अनधिकृत दावों और गलत हाथों में पैसा पहुंचने के मामलों में भी कमी आ रही है। देश के आर्थिक विकास और वित्तीय समावेश का लाभ जन–जन तक पहुंच रहा है।

भारत की लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। आज, भारत

की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास की सहभागिता अनिवार्य हो गई है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी अब देश के हर कोने में और दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच गई है। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और ग्रामीण बाजारों के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान के महत्व को समझ लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। कई परियोजनाएँ शुरू होने वाली हैं जो शीघ्र ही सरकार द्वारा प्रारंभ कर दी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र में अद्यतन तकनीकी कार्यक्रमों की नींव रखने के लिए नेटवर्कों की स्थापना करने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। भारत के ग्रामीण बाजार में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। यह बदलती जीवन शैली, बेहतर संचार व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों की तेजी से बदल रही अपेक्षाओं के कारण हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विश्व भर में विभिन्न देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से निपटने का एक सशक्त माध्यम बनती जा रही है। दुनिया भर में लोगों के सूचना और ज्ञान के आधार पर सशक्तीकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका दिनोदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। इससे वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। यह बाजार को कारोबार करने के नए नए तरीके सिखा रही है। एक दूसरे के बीच सामाजिक संवाद निरंतर सुदृढ़ होता जा रहा है।

उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति संबंधी विकास सूचना परियोजनाएँ, प्रोग्राम, योजनाएँ व जानकारी प्राप्त करने की योजनाएँ विकसित होने से आर्थिक गतिविधियों में लगातार वृद्धि हो रही है। मनोरंजन और अन्य सामाजिक आवश्यकताओं की जानकारी, सर्टिफिकेट और लाइसेंस जारी करने, स्वास्थ्य और शैक्षणिक सेवाओं संबंधी सूचना, प्रशिक्षण

के कारण रोजगार और आर्थिक प्रगति के अवसर बढ़ाने, ग्रामीण नागरिकों तक बाजार की पहुंच बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होती जा रही है।

प्रौद्योगिकी व हिंदी – हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अभिन्न अंग

यदि आप किसी शहर में रहते हैं तो आपको रोजाना अपने आसपास लटके और मुरझाए हुए चेहरे, अपने आप में गुम, हर दम मोबाइल पर व्यस्त लोग दिखाई देते हैं। ये लोग या तो पढ़ रहे होते हैं या कोई गेम खेल रहे होते हैं, कुछ संदेश लिख रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं या किसी की तस्वीर निकाल रहे होते हैं। हमारे जीवन में ये सभी परिवर्तन स्मार्ट फोन ने लाए हैं।

ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन के बिना जी नहीं पाते हैं, यदि किसी कारण यह उनसे दूर हो जाता है तो उन्हें लगता है जीवन में कुछ शेष नही रहा। मोबाइल प्रौद्योगिकी में हुई इस प्रगति ने दुनिया हमारी मुठ्ठी में तो जरूर ला दी है पर हमें इन उपकरणों का गुलाम भी बना दिया है। ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। लोग स्मार्टफोन लेने पर अपना महीने भर का वेतन खर्च करने के लिए भी तैयार रहते हैं। विगत दो दशकों में मोबाइल टेक्नोलॉजी का बहुत तेजी से विकास हुआ है। दुतरफा पेजर का स्थान सेलफोन ने, और सेलफोन की जगह अब नाजुक स्मार्टफोन ने ले ली है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जाएगी ये फोन नाजुक से नाजुक होते

चले जाएँगे। आज के स्मार्टफोन में दूसरों से बात करने के साथ साथ, संदेश भेजने, कैमरा, जीपीएस नेवीगेटर, कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर, इंटरनेट प्रदाता, शब्दकोश, गेम स्टेशन की सुविधा है, मानो पूरी दुनिया इसमें सिमट गई है।

बैंकों में राजभाषा

बैंक भी सूचना प्रौद्योगिकी में राजभाषा का प्रयोग करने से अछूते नहीं रहे हैं। ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए आज लगभग सभी बैंकों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में राजभाषा का प्रयोग किया जा रहा है।

कोर बैंकिंग समाधान में राजभाषा : जब प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं होता था तब ग्राहकों को लगभग प्रत्येक लेनदेन के लिए शाखा में जाकर लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहना पड़ता था। कोर बैंकिंग समाधानों ने बैंकिंग क्षेत्र का स्वचालन करके क्रांति ला दी है। कोर बैंकिंग लेनदेन जैसे राशि जमा करना, खाते से राशि निकालना और ब्याज की गणना करना, विभिन्न प्रक्रियाओं को जोड़ना, ग्राहकों को उनके सभी खाते एकसाथ एक बार में देखने की सुविधा प्रदान करना प्रौद्योगिकी के दम पर ही संभव हुआ है। गैर–शाखा माध्यमों को भी इस प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इससे वे लेनदेन सेवाएं हों या अन्य सेवाएं हों सभी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ऐसे दौर में हैं जब ग्राहक को लेनदेन इतर सेवाएं प्रदान करना, शाखा में ग्राहकों को न जाने देना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके चलते होम शाखा की अवधारणा बिलकुल बेमानी हो चुकी है। ग्राहक को हिंदी के अलावा कोई अन्य भाषा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है।

वैकल्पिक चैनलों में सूचना प्रौद्योगिकी में राजभाषा का प्रयोग

वैकल्पिक चैनल धीरे धीरे पारंपरिक बैंकिंग का स्थान लेते जा रहा हैं जिसमें उन्हें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सहायता लेनी पड़ रही है। बैंकों के वैकल्पिक चौनल जैसे एटीएम (Automated Teller Machine), सीडीएम (Cash Deposit Machine), एसएसके (Self Service Kiosk) सीवीएम (Coin Vending Machine), इंटरनेट बैंकिंग, टेली–बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस सुविधा, जीआरसी (Green Channel Counter), पोस (Point of Sale), आदि ग्राहक हितैषी स्वयंपूर्ण सेवाएँ हैं जो 24 X 7 X 365 उपलब्ध हैं।

बैंक बैंकिंग को सरल और प्रयत्नरहित बनाने के लिए नई–नई टेक्नोलॉजी आधारित पहल कर रहे हैं। बैंक अपनी शुरुआत के बाद से टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपने ग्राहकों को सरल से सरलतम एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराते रहे हैं। बैंक इन चैनलों के माध्यम से अनेक प्रकार की बेहतर से बेहतर सेवाएँ निरंतर मुहैया कराने में सफल हो रहे हैं जिनमें कई तो ऐसी हैं जो पहली बार बैंकिंग उद्योग में ग्राहकों को मिल रही हैं। ग्राहक और बैंक के संबंध भी इससे दिनोंदिन मजबूत होते जा रहे हैं। ग्राहक को सुविधा भी बहुत हो रही है। बैंकिंग के साथ साथ अपनी जीवन बीमा और साधारण बीमा आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सूचना प्रौद्योगिकी बहुत सहायक हो रही है। ग्राहक को कहीं जाना नहीं पड़ता और बैंकों की वेबसाइट पर ही उन्हें अन्य नए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की जानकारी मिल जाती है। पहले ग्राहक एटीएम का प्रयोग सिर्फ पैसा निकालने के लिए ही करते थे पर आज एटीएम पर वे पैसा ट्रांस्फर करने, मियादी जमा खाता खोलने, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तौरपर कर सकते हैं, मोबाइल रीचार्ज करा सकते हैं, रेल टिकट खरीद सकते हैं।

ग्राहक सेवा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में राजभाषा का प्रयोग

आधुनिक युग में, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग ने कई उद्योगों का कायाकल्प कर दिया है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र भी कोई अपवाद नहीं है। ग्राहकों की निरंतर बढ़ती अपेक्षाओं, बाजार अंश के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों को आनंदित करने के नए से नए तौर–तरीके खोजे जाने के चलते बैंक सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से नई नई तकनीकों का प्रयोग बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत हैं।

दृष्टिबाधित व्यक्तियों का हिंदी के माध्यम से सहायता करना

स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को श्रवण सुविधा प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है। दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित व्यक्तियों को नौकरियों तथा सैर–सपाटे के नए–नए अवसर मुहैया कराने में भी सूचना प्रौद्योगिकी का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए अन्यों के संपर्क में आने का सबसे बड़ा साधन आवाज ही होती है इसलिए राजभाषा हिंदी और अन्य भाषाएँ मानवीय संबंध विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। दृष्टिहीनों और दृष्टिबाधिंतो के लिए विशेष प्रकार के एटीएम का विकास करने में सूचना प्रौद्योगिकी और राजभाषा हिंदी का योगदान सर्वविदित है। इस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ केवल दृष्टिसंपन्नों को ही नहीं दृष्टिहीनों और दृष्टिबाधितों तक पहुंच रहा है।

संचार और हिंदी

सूचना प्रौद्योगिकी दूर–संचार पर ज्यादा आश्रित है। आजकल, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूसरों से संपर्क करना कहीं अधिक शीघ्र और आसान हो गया है। इसके अनेक माध्यम उपलब्ध हैं – ईमेल, सेलुलर फोन और स्मार्टफोन। आज, दूसरों से संपर्क साधना जितना आसान है उतना एक दशक पहले नहीं था। हम नई तकनीकी के जरिये तुरंत संदेश भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसने हमारे जीवन को कई प्रकार से बेहतर बनाया है और हम दुनिया से कहीं तेजी से जुड़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एक दशक पहले लोगों को यदि आपस में संपर्क करना होता था तो या

तो वे आमने–सामने मिलकर बात कर सकते थे या पत्र लिखकर संपर्क कर सकते थे। अलग–अलग देशों में काम करने वाले लोग तो परस्पर मिल भी नहीं पाते थे। पत्र पहुंचने में भी चार–पांच दिन लग जाते थे। पत्र ठीक हाथ में पहुंच भी नहीं पाते थे, कई बार तो गुम भी हो जाते थे। यदि लोग कहीं दूर रहते थे तो यात्रा करके उन तक पहुंचने में या पत्र भेजने में बहुत सा टका खर्च हो जाता था। आज, हम ईमेल, सेलुलर फोन और बीपर जैसी नई तकनीकें ईजाद होने से खुश हैं। लोग मोबाइल फोनों के जरिये एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इंटरनेट पर वार्तालाप कर सकते हैं या ईमेल अथवा बीपर के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। प्रौद्योगिकी ने लोगों को परस्पर संपर्क के लिए वास्तव में एक प्रभावशाली साधन उपलब्ध करा दिया है। इसलिए अब कोई राजभाषा हिंदी के बिना संपर्क की सोच भी नहीं सकता क्योंकि राजभाषा हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी की रीढ़ बन चुकी है। इसके अतिरिक्त, टेलीविजन और इंटरनेट जैसी नवीन प्रौद्योगिकी से सूचना की शीघ्र और सरल प्राप्ति में मदद मिली है। यदि जापान में कोई भूकंप आता है तो फ्रांस के लोगों को यह खबर इसके आने के कुछ घंटों में ही मिल जाती है। इसके अलावा, लोग नेटवर्क के माध्यम से पुस्तकें पढ़ सकते हैं गीत–संगीत, फिल्में, गेम, सॉफ्टवेयर और छवि डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सस्ते में मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ इंटरनेट वेबसाइट निरूशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। आगामी वर्षों में हम आशा कर सकते हैं कि कुछ और नई तरह की प्रौद्योगिकी बड़ी संख्या में विकसित होंगी और हमारे जीवन को और आसान बना देंगी।

उपसंहार

हिंदी आज सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक दशक पहले किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश–विदेश में एक आंधी की तरह घर में घुस आएगी। सूचना प्रौद्योगिकी को सुशिक्षित और संभ्रांत वर्ग के लिए ही माना जाता था। पर आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और यह बदलाव हिंदी भाषा के कारण आया है। हिंदी और सूचना प्रौद्योगिकी दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। हिंदी की सहायता से ही सूचना प्रौद्योगिकी आज देश में दूरदराज के क्षेत्रों में न केवल जा पहुंची है, बल्कि आम आदमी भी इससे जुड़ गया है और इसका खूब प्रयोग भी कर रहा है। यह इन क्षेत्रों के लोगों को देश की मुख्यधारा में लाने में सफल रही है और यहाँ के लोग भी अब राष्ट्र–निर्माण में अपना सक्रिय योगदान कर रहे हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को भलीभांति जान चुका है। जो लोग अब तक यह समझते थे कि सूचना प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी जाने बिना न तो समझा जा सकता है और न ही सीखा जा सकता है। इंटरनेट ने उन लोगों की इस मानसिकता में आमूल परिवर्तन ला दिया है। उन्हें अब इसका लाभ पता चल रहा है। वर्तमान परिदृश्य नितांत परिवर्तित हो चुका है, चाहे शिक्षा, उद्योग, कृषि, भूगोल, विज्ञान, चिकित्सा, सरकारी कार्य हो कुछ भी सूचना प्रौद्योगिकी और राजभाषा के प्रयोग से अछूता नहीं रहा है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राजभाषा जन–जन को शिक्षित करने में एक महती भूमिका का निर्वाह कर रही है। हम कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भी राजभाषा का वर्तमान और भविष्य उज्ज्वल है।

उनकी भावनाओं को समझो

भारत में विभिन्न भाषाओं के चलन को देखते हुए एक निश्चित नीति बनाए जाने की जरूरत महसूस की गई। शुरूआत संविधान सभा से हुई। संविधान सभा की नियम समिति ने नियम 29 बनाया, जिसमें कहा गया कि सभा का कामकाज हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी में किया जाएगा। सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता था। संविधान सभा में केन्द्र की राजभाषा के रूप में हिन्दी के बारे में कोई विवाद नहीं था। मतभेद केवल दो विषयों को लेकर था। एक तो वह अवधि जिसके दौरान अंग्रेजी बनी रहेगी और दूसरे देवनागरी अंकों का प्रयोग। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंको के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। संविधान सभा में इन अंको को स्वीकार किए जाने के संबंध में कुछ मतभेद था। इसे स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद 343 के परंतुक में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारतीय अंको के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप के प्रयोग को अधिकृत कर सकेंगे। अगली बात खण्ड (2) में कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 343 का खण्ड (2) एक अध्यारोही उपबंध है जो खण्ड (1) के हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा के रूप में मान्यता देने की घोषणा को नकारता है। खण्ड (2) में कहा गया है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक की अवधि तक संघ के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनुमति देता है। खण्ड(3) में कहा गया है कि 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा, जिनके लिए संसद कानून बनाकर विनिर्दिष्ट करेगी। संविधान निर्माताओं का मानना था कि 15 वर्षों के बाद हिंदी पूरे भारत में स्वीकार कर ली जाएगी और जिन कुछ छोटे से क्षेत्रों के लिए अंग्रेजी की अनुमति देने की जरूरत पड़ेगी उसके लिए अलग से अनुमति दे दी जाएगी। किंतु ऐसा नहीं हो सका।

दक्षिण में हिंदी का तीखा विरोध शुरू हो गया। सन् 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित किया जिसमें 1967 में संशोधन किया गया। इसकी धारा 3 में प्रकारांतर से सदैव के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को खुली छूट दे दी गई। इसमें अंग्रेजी के प्रयोग को उन सभी प्रयोजनों के लिए अनिश्चित काल के लिए खुली छूट दे दी गई जिनके लिए संविधान के प्रभावी होने के पहले उसका उपयोग होता रहा था। लोकशाही में जिस तरह कानून की भूमिका को नहीं नकारा जा सकता उसी तरह कानून को लागू करने में जनभावनाओं की अनदेखी भी नहीं की जा सकती।

अंग्रेजी के मूल शब्द लगभग 10,000 हैं, जबकि हिन्दी के मूल शब्दों की संख्या ढाई लाख से भी अधिक है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व

संजय कुमार
सहायक प्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर

संविधान सभा ने जब 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, तब सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का सूत्रपात नहीं हुआ था। उस समय भाषा–लेखन में या तो पेन/कलम का प्रयोग होता था अथवा छापाखानों में छपाई। उस समय सॉफ्ट फार्म में सूचना/सामग्री संग्रहीत करने की कोई व्यवस्था न थी। चूँकि परिवर्तन समय की मांग है और किसी भी आविष्कार के लिए आवश्यकता का होना आवश्यक है, अतएव, सूचना/आंकड़ों के बेहतर रखरखाव एवं उनके मूल्यवर्धित उपयोग हेतु एक नई प्रौद्योगिकी की खोज हुई जो आगे चलकर सूचना प्रौद्योगिकी कहलाई। यह एक तर्क का विषय हो सकता है कि बदलाव से कुछ को फायदा तो कुछ को नुकसान होता है। पर हरेक बदलाव के पीछे मंशा यही होती है कि स्थिति को पहले के मुकाबले आसान बनाया जाए। जटिल/श्रमसाध्य कार्यों/प्रक्रियाओं को सरल और सुविधाजनक बनाया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी के आविष्कार के पीछे भी यही मकसद था।

कल्पना करें ; यदि आज सूचना प्रौद्योगिकी का आगाज न हुआ होता तो मनुष्य अभी भी कूप–मंडूक की तरह जी रहा होता। उसका दायरा बहुत सीमित होता और उस सीमित दायरे को वह असीमित मान रहा होता। यह सूचना प्रौद्योगिकी ही है जिसने दुनिया को एक छोटे से गाँव में तब्दील कर दिया है। आज के चहुँमुखी विकास की इबारत सूचना प्रौद्योगिकी की आधारशिला पर लिखी गयी है। चिकित्सा, अंतरिक्ष, पारिस्थितिकी, अर्थ, वित्त, खगोल, पर्यटन, कृषि, विनिर्माण से लेकर जीवन के हरेक क्षेत्र में आज सूचना प्रौद्योगिकी का बखूबी दखल है। ऐसे में भाषा कैसे अछूती रह सकती है ? ज्ञान/सूचना के प्रसार का माध्यम भाषा है। भाषा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से सूचना प्रसार में अभूतपूर्व तेजी आई है। आज पलक झपकते ही कोई संदेश दुनिया के इस कोने से उस कोने तक पहुँचाया जा सकता है। सेकेण्ड से भी कम समय में किसी भी सवाल का जवाब तलाशा जा सकता है। यह सब संभव हो पाया है, सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा।

अब सवाल उठता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का राजभाषा(हिन्दी) प्रयोग पर क्या असर पड़ा? क्या इसके कारण राजभाषा प्रयोग में गिरावट आई या फिर इसके पंखों पर सवार होकर राजभाषा और भी उर्ध्वगामी हुई है? इन प्रश्नों का जवाब तलाशने के पहले हमें उस दौर में झाँकना होगा जब भारत में पहले–पहल कंप्यूटर दाखिल हुए। शुरुआती चरण में कंप्यूटर पर केवल अंग्रेजी में ही काम हो सकता था, लिहाजा अंग्रेजी की उपयोगिता और भी बढ़ गई। उस समय लोगों की यह आशंका कि कंप्यूटर्स के कारण कार्यालयों से हिन्दी नदारद हो जाएगी, कुछ हद तक जायज प्रतीत होती थी। क्योंकि जो लोग अभी तक मैन्युअली हिन्दी में काम कर रहे थे, उनकी उँगलिया भी अंग्रेजी की–बोर्ड पर फर्राटा भरने लगी थीं। परिणामतः पत्राचार में अंग्रेजी पत्रों का बाहुल्य होने लगा और चहुंओर, खासकर सरकारी कार्यालयों में यह हो–हल्ला होने लगा कि कम्प्यूटर के कारण राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन चौपट हो रहा है। कार्यालयों में अंग्रेजीमय होते माहौल से राजभाषा–संरक्षकों के अन्दर बेचैनी पैदा होना लाजिमी था। इसके अतिरिक्त वे कर्मचारी जो कभी हिंदी–ड्राफ्टिंग में पारंगत हुआ करते थे, नई प्रौद्योगिकी से तालमेल न बिठा पाने कारण, उपेक्षित महसूस कर रहे थे।

कम्प्यूटर पर अंग्रेजी के बढ़ते साम्राज्य के बीच, हिंदी–प्रेमियों और राजभाषा संरक्षकों के समक्ष जो सीमित विकल्प सूझ रहे थे, उनमें एक तो था कि राजभाषा का प्रयोग सुनिश्चित करने के खातिर पत्राचार के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल न किया जाए अथवा इन्हें हिन्दी में काम करने के लायक बनाया जाए। चूँकि मुद्दतों बाद मनुष्य के हाथ इतनी उम्दा चीज लगी थी, अतएव, राजभाषा प्रयोग के खातिर कम्प्यूटर्स को तिलांजलि देना बुद्धिमानीपूर्ण नहीं था। लिहाजा, दूसरे विकल्प पर जोर दिया गया और कम्यूटर पर हिंदी में काम करने के तौर–तरीकों पर खोज शुरु हुई। मेहनत रंग लाई और कई अनुसंधानों एवं प्रयोगों के फलस्वरूप कम्प्यूटर्स हिंदी में कार्य करने में सक्षम हो गए। कम्यूटर पर हिंदी में काम करने की सुविधा विकसित करने का मकसद केवल संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करना भर न था, बल्कि यह बाजार की जरूरत भी थी। चूँकि दुनिया का एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग अंग्रेजी नहीं जानता था, अतएव उस तक पहुँचने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को हिंदी/क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाना एक विवशता भी थी। शुरुआती कदम के रूप में सी–डैक ने जहाँ लीप ऑफिस नामक सॉफ्टवेयर बनाया, वहीं आकृति, अक्षर जैसे तमाम पैकेज बाजार में आ गए, जिनकी मदद से कंप्यूटर पर हिंदी में काम होने लगा। यद्यपि प्रारम्भ में ये पैकेज हिंदी–पत्राचार बढ़ाने में पर्याप्त दिखे , पर जब सामग्री को ई–मेल अथवा इंटरनेट पर प्रसारित करने की बारी आई, तो ये शुरुआती प्रयास नाकाफी लगे। चूँकि भाषा के कैरेक्टर–कोडिंग में कोई एकरूपता न थी, अतएव, जिस कम्प्यूटर पर वह विशेष सॉफ्टवेयर/फॉन्ट नहीं होता था, उस पर भेजी गई सामग्री जंक दिखती थी। अतएव, इस समस्या से निजात पाने का भी बीड़ा उठाया गया।

कैरेक्टर्स की यूनिवर्सल कोडिंग में यूनिकोड कॉर्सोर्टियम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनिकोड के तहत प्रत्येक कैरेक्टर के लिए यूनीक नंबर की व्यवस्था है, चाहे कोई भी प्लेटफार्म, कोई भी प्रोग्राम अथवा कोई भी भाषा क्यों न हो। हिन्दी के प्रत्येक कैरेक्टर की यूनीक कोडिंग हो जाने से टेक्स्ट के जंक दिखने की समस्या खत्म हो गई। यूनिकोड में टाइप किये गये पाठ या सामग्री को कहीं भी ले जाने पर उसका स्वतरूप नहीं बदलता और वह पूरी दुनिया में कहीं भी पढ़ी जा सकती थी तथा इसके लिये अब किसी फान्टड विशेष की आवश्यसकता भी न रही। यूनिकोड विश्वी की ज्यादातर भाषाओं में बदला जा सकता है। यूनिकोड स्टैंडर्ड को आज ऐप्ल, एचपी, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सन, साइबेस, यूनिसिस, कोरबा जैसी सभी प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा अपनाया गया है। यूनिकोड के उदय और उसको सपोर्ट करने वाले टूल्स की उपलब्धता सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी की नवोन्मेषी पहल का एक महत्वपूर्ण सोपान था।

अब इस आलेख के मुख्य विषय 'सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व' पर विवेचनात्मक चर्चा कर लेते हैं। यदि आज हिन्दी ने यूनिकोड के

परिवेश तक का सफर तय न किया होता तो निश्चय ही वह अब तक अप्रासंगिक हो चुकी होती। आज कलम से लिखी जाने वाली अथवा टाइपराइटर से टाइप की जाने वाली हिन्दी न तो कार्यालयों में उतनी दिखती है, न ही समाज में। पर यह केवल हिन्दी के साथ है, ऐसा भी नहीं है। अंग्रेजी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी अब कलम अथवा टाइपराइटर्स पर घटा है। अब चिट्ठी–पाती का परंपरागत दौर खत्म हो गया है और उसकी जगह आ गए हैंय एसएमएस, ई–मेल, वॉयस कॉल, वीडियो कॉल । पर यह सब केवल सूचना प्रौद्योगिकी के बूते नहीं हुआ है। संचार क्रांति ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज की आभासी दुनिया दोनों के सम्मिलित प्रयासों की देन है। शायद इसीलिए अब 'सूचना प्रौद्योगिकी (IT) शब्द की जगह एक नया शब्द 'सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ' खूब प्रचलित हुआ है।

यहाँ एक सच्चाई हमें स्वीकारनी होगी कि सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश में हिन्दी ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, जिसके कारण अंग्रेजी के साथ उसका फासला होना लाजिमी है। परंतु जबसे यूनिकोड का प्रचलन हुआ है, तब से हिन्दी भी सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश में अंग्रेजी से पीछे नहीं है। यूनिकोड के कारण अब कोई व्यक्ति हिन्दीथ में टाइप जाने बगैर हिन्दी में टाइप कर सकता हो। वह हिन्दी में ई–मेल भेज सकता है, गूगल पर हिन्दी में सर्च कर सकता है, कम्यूटर में विभिन्नी फाइल और फोल्ड रों के नाम हिन्दी में रख सकता है, हिन्दी में चैट कर सकता है, हिन्दी में वेबसाइट या ब्लॉग बना सकता है, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आसानी से हिन्दी में लिख सकता है, यूनिकोड में लिखी किसी भी सामग्री को आसानी से दूसरी भाषा में परिवर्तित कर सकता है।

आज लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सरकारी विभागों/संस्थानों की बेबसाइटें हिन्दी में है। बैंकों के एटीएम में भी हिन्दी भाषा के चयन का विकल्प है। पासबुक/स्टेटमेंट आदि हिन्दी में मुद्रित हो रहे हैं। कस्टमेयर केयर सेंटर के टोल–फ्री नंबरों अथवा वेबपेज के ग्राहक खण्ड पर अब हिन्दी में शिकायत/फीडबैक दर्ज किए जा सकते हैं। अब जबकि ज्यादातर संस्थान पेपरलेस वातावरण में शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे में यूनिकोड बहुत उपयोगी साबित हुआ है। आज हिन्दी में परिपत्र, पत्र अथवा अन्य जानकारी ई–मेल के जरिए प्रेषित हो रही है। यही नहीं, अब डाटा–प्रोसेसिंग पैकेज भी हिन्दी में उपलब्ध हैं।

कंप्यूटर पर हिन्दी में काम होने से अब लिखावट पढ़ने के झंझट से भी छुटकारा मिल गया है। मुझे याद है कि पहले जब सरकारी कार्यालयों से हिन्दी में हस्तलिखित पत्र आते थे तो उन पत्रों को पढ़ने में पसीने छूट जाते थे क्योंकि अलग–अलग लोगों की लिखावट और घसीट अलग–अलग होती थी। सबसे ज्यादा समस्या बैंकरों को हस्तलिखित डीड पढ़ने में आती थी और जिसे भलीभाँति पढ़े अथवा समझे बगैर उनके लिए ऋण देना काफी जोखिमपूर्ण था। किंतु आज कम्यूटर–जनित हक–विलेखों के चलन से इस तरह की परेशानी से मुक्ति मिली है।

मेरा तो मानना है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से राजभाषा प्रयोग पहले के मुकाबले और भी सुगम एवं व्यापक हुआ है। इसकी ताजातरीन मिसाल हिन्दी के समाचार चैनलों की बढ़ती संख्या है। हिन्दी के लगभग सभी समाचार चैनलों में 'तैरती हुई पट्टी' पर जो खबरें चलती हैं, वे हिन्दी में होती हैं। यहाँ तक कि ब्रेकिंग न्यूज भी अब हिन्दी में फ्लैश होती है। आज आप हिन्दी के लगभग सभी समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का ई–संस्करण इंटरनेट पर देख सकते हैं, जो यह दर्शाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिन्दी कितनी बलवती एवं प्रासंगिक हुई है। आज इंटरनेट पर करोड़ों पेज हिन्दी में हैं, जिन्हें आसानी से ऐक्सेस किया जा सकता है। किसी भी संस्थान के नियम, मैन्युअल, संहिता, वार्षिक रिपोर्ट आदि को खोजने के लिए अब न तो पुस्तकालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और न ही धूलधूसित फाइलों को पेज दर पेज पलटने की जरूरत ही पड़ती है। अब सूर, कबीर, तुलसी, बिहारी, प्रेमचन्द, प्रसाद दिनकर, पंत जैसे सभी मूर्धन्य कवियों एवं साहित्यकारों की रचनाएं आपसे बस एक क्लिक की दूरी पर हैं। अकेले kavitakosh.org पर तकरीबन बहत्तर हजार पेज हैं, जहाँ पर सभी प्रख्यात कवियों, साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ा जा सकता है।

यदि आज सूचना प्रौद्योगिकी का आविर्भाव न हुआ होता और उस पर हिन्दी में काम करने की सुविधा विकसित न होती, तो वे लोग हिन्दी में कतई काम न कर पाते जो अब कर पा रहे हैं। आज Microsoft Indic Language Input tool जैसे तमाम टाइपिंग टूल्स हैं, जिनकी मदद से अहिन्दी भाषी व्यक्ति भी हिन्दी में लिख सकता है। मुझे याद है कि जब मैंने हिन्दी लिखना सीखा था तो लगभग एक बरस तक अध्यापक मुझे अक्षरों को बनाना सिखाते रहे। उसमें भी 'क्ष' 'ह्व' जैसे अक्षर बनाना तो काफी मुश्किल था। पर कंप्यूटर पर इन अक्षरों को लिखने का तरीका सबके लिए एक ही है और वह है, संबंधित 'की' को प्रेस करना। पहले शब्दों के मायने खोजने के लिए मोटे–मोटे शब्दकोशों को रेफर करना पड़ता था। पर आज, google translate, shadkosh.com, dictionary.com जैसे तमाम शब्दकोश ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से अंग्रेजी से हिन्दी, हिन्दी से अंग्रेजी अथवा एक भाषा से अन्य भाषा में मायने खोजे जा सकते हैं। आज इंटरनेट की मदद से अनुवाद किया जा सकता है, जिसके कारण छोटे–छोटे वाक्यों के लिए अनुवादकों पर निर्भरता कम हुई है। आज bhashaindia.com, rajbhasha-gov.in, ildc.in जैसी साइटों से हिन्दी में काम करने वाले टूल्स मुफ्त में डाउनलोड किए जा सकते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के कारण राजभाषा प्रयोग की संभावनाएं एवं उसका दायरा और भी व्यापक हुआ है तथा हिंदी की उपयोगिता पहले के मुकाबले बढ़ी है। सूचना प्रौद्योगिकी ने राजभाषा प्रयोग हेतु उपयोगी आधारभूत ढाँचा उपलब्ध करा दिया है। इसके बावजूद भी यदि किसी कार्यालय/विभाग/संस्था में राजभाषा प्रयोग नहीं बढ़ रहा है तो उसकी वजह सूचना प्रौद्योगिकी नहीं, अपितु हिन्दी प्रयोग बढ़ाने एवं हिन्दी में काम करने की इच्छा शक्ति का अभाव है। सूचना प्रौद्योगिकी राजभाषा प्रयोग में बाधक नहीं, बल्कि साधक है। अतएव, यह बहाना बनाना कि कंप्यूटरीकरण के कारण हिन्दी प्रसार में बाधा पड़ रही है, युक्तिसंगत नहीं है। हाँ यदि कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने की सुविधा शुरू होने के पूर्व कुछ कर्मचारी अंग्रेजी में काम करने के अभ्यस्त हो गए हों, तो उन्हें आसानी से हिन्दी में स्विचओवर कराया जा सकता है, बशर्ते वे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हों। प्रख्यात दार्शनिक इमर्सन के अनुसार 'बिना उत्साह के कभी भी किसी महान ध्येय की प्राप्ति नहीं हुई है'। राजभाषा प्रयोग हेतु भी उसी तरह के उत्साह की जरुरत है। हिन्दी में काम करने के लिए हिन्दी के प्रति आंतरिक समर्पण होना अत्यंत आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी रूपी रथ के माध्यम से राजभाषा को नई उँचाइयों तक पहुँचाया जा सकता है, बस जरूरत है, एक संकल्पित सारथी की।

सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व

सीमा मलहोत्रा
प्रबंधक राजभाषा
सिंडिकेट बैंक प्रशिक्षण केन्द्र
दिल्ली

अब सब जानते हैं कि कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करना कितना आसान है। हिन्दी में काम करने का अर्थ है राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सकता है।बस आपको अपना मन बनाना है।एक निश्चय करना है और बढ़ते चले जाना है। तकनीकी तौर पर यह वैसा ही है कि जैसे अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में काम करना है। आज का युग परिवर्तन का युग है और यह परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह परिवर्तन आ रहा है इंटरनेट से। इंटरनेट कहाँ है किस दिशा में भाग रहा है और आने वाले कुछ सालों में कहाँ पहुँचेगा? हम उसके साथ होंगे या पीछे छुट जायेंगे? यह सभी गंभीरता से विचार किये जाने वाले प्रश्न हैं और उनके सही हल ढूंढ़ने के भी हैं क्योंकि हमें यह भी सोचना है कि हम इंटरनेट की इस दिशा में हो रही प्रगति से क्या और कैसे लाभ ले सकते हैं और नहीं लेंगे तो क्या होगा। इन प्रश्नों का महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम इतिहास पर एक दृष्टि डालते हैं और पाते है कि जो भी सभ्यता, वर्ग या देश नयी तकनीकी को नहीं अपना पाया बस दुनिया की दौड़ में पिछड़ गया, पीछे रह गया। जिसने पाषाण युग में पत्थर के औजार नहीं बनाये और लौह युग में लोहे के, वह वर्ग पिछड़ गया होगा। हम ने देखा है कि जो देश इन्डस्ट्रीयल युग में अपने कारखाने चलाने में पीछे रह गया थे आज भी पीछे हैं और 'कम विकसित(अन्डर डवलप्ड)' या 'विकासशील (डवलपिंग)' देश के नाम से जाने जाते हैं और काफी हद तक उन्हें दूसरे विकसित देशों से सहायता ले कर काम चलाना पड़ता है। इन सब बातों को देखकर हमें कोई भ्रम या संदेह नहीं रहना चाहिये कि यदि आज हम सूचना प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाते या नहीं अपनापाते तो इस युग में हमारा क्या हाल होगा।

पिछले युगों में पीछे रह जाने के लिये हम इस बात को भी दोषी ठहरा सकते हैं कि तब हम स्वतंत्र नहीं थे गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुये थे। यह बात भी सत्य है कि पिछले युगों में उन्नति के लिये हमें जिन चीजों की आवश्यकता थी शायद वे सभी में बराबरी से नहीं बाँटी हुई थीं। पर इस युग में उन्नति के लिये जो मूलतः आवश्यक है वह है हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क और उसकी क्षमता। जिन्हें भगवान ने सभी देशों और मानवों को उदारता पूर्वक और बराबरी से बाँटा है। अतः यदि हम इस युग में भी दौड़ में आगे नहीं निकल पायेंगे तो फिर न तो हमारे पास कोई बहाना होगा और न हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को अपना मुँह दिखाने के काबिल रहेंगे। यह सूचना प्रौद्योगिकी का युग, जिसे हम 'ज्ञान का युग' भी कह सकते है, माँ सरस्वती का युग है। हमें इस युग में हो रही प्रगति और उसकी दिशा पर गिद्ध–दृष्टि जमा कर रखनी है और तन, मन, धन और पूरी लगन से अपना योगदान देना हैं और यह निश्चित करना है कि उस प्रगति का फायदा हमारी आने वाली पीढियों को मिले।

इस युग में आगे निकलने के लिये यह आवश्यक है कि हम इस युग की सभी तकनीकियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उन्हें बरीकी से समझें, उनको अपनायें और उनका लाभ अपनी राजभाषा हिन्दी के द्वारा उठायें। यह तो पूर्णतः तभी संभव होगा जब इस पर हमारी भाषा का बोलबाला होगा और हम एक अरब से ऊपर के भारतीयों को कम्प्यूटर व इंटरनेट का प्रयोग करने व उसका पूरा लाभ लेने के लिये कोई दूसरी विदेशी भाषा नहीं सीखनी पड़ेगी। क्या हम सब इसके लिये एक मत वा वचनबद्ध हैं? शायद हां शायद नहीं – आप सोचें और सही चुनी हुई दिशा में काम करें, उत्तर अपने आप मिला जायेगा।

एक बार तो लगा था कि जब तकनीकी तौर पर हिन्दी में काम करना आसान हो गया है तो बाजी मार ली गयी। पर हम सब यह जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। हमें देखना है कि क्या कारण हैं कि कम्प्यूटर पर राजभाषा का उतना प्रयोग नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिये था। मैं उन लोगों में हूं जो मानते हैं कि समाधान हम सबके सामने है। पर हम में से कुछ लोग उसे देखते नहीं हैं तो कुछ देख कर अनदेखी कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसमें विश्वास करते लगते हैं –कि खायेगे नहीं बस बिखेरेगें। इस लेख के माध्यम से कोशिश रहेगी कि सब को झझकोड़ कर जगाया जाये जिससे हम सब मिलजुल कर काम करें और हमारी राजभाषा कम्प्यूटर पर भी छा जाये।

हम कहां हैं?

आप सब जानते हैं कि पिछले सालों में हमने बहुत तरक्की की है और खास कर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और उससे मिलने वाली सुविधाओं के मामले में। अब आईकैन (आई सी ए एन एन) नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने इतना कर दिया है कि अब आपका डोमेन नाम याने कि इंटर नैट पर आपक नाम हिंदी में होगा। अर्थात डोमेन नाम http://सीमा स्मृति-in की तरह होंगे। आप इसमें हिंदी का भी कोई नाम रख पायेंगे। शायद यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर हमें संतुष्ट हो कर खरगोश की तरह सोना नहीं है हमें अभी बहुत मेहनत करनी है और अभी बहुत से मैदानों में बाजी मारनी है। आपने समक्ष कुछ आंकड़े निम्न हैं.

- हम सब मानते हैं कि हमारे देश में मोबाइल फोन का बहुत प्रयोग होता है। आज घर–घर में यह पहुंच गया है। पर हम विश्व के देशों से तुलना करें तो हमारे देश में 100 लोगों के बीच 29 मोबाइल फोन हैं और हम दुनिया में 158 नम्बर पर आते हैं।
- हमारे देश में फिक्सड लाइन का इंटरनेट शहरों में तो घर घर में है पर देश भर में 2 प्रतिशत (2009) से कम है, हम विश्व के देशों से तुलना करें हम दुनिया में 112 नम्बर पर आते हैं।
- हमारे देश में फिक्सड ब्रोड बैंड का इंटरनेट शहरों में तो घर घर में है पर देश भर में 1 प्रतिशत (2010) से कम है, हम विश्व के देशों से तुलना करें हम दुनिया में 141 नम्बर पर आते हैं।

हम इस तरह के कई आंकड़े पेश कर सकते हैं और अपने आप को गौरान्वित या शर्मिंदा महसूस करा सकते हैं जब जैसा मौसम या समय हो वैसे आंकड़े दे कर। पर सत्य बात तो यह है कि हम अभी दुनिया के देशों से पीछे है और दौड़ में पीछे छुटते जा रहे हैं। इसका कारण है कि हम कम्प्यूटर पर

भारत और अन्य देशों में ६० करोड़ से अधिक लोग हिन्दी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं।

हिंदी अथात् राजभाषा की उतनी तरक्की नहीं हो रही है, जितनी कि आवश्यकता है। आप देखते होंगे कि आज सभी शहरों में अंग्रेजी सीखने व सिखाने के नये नये स्कूल खुल रहे हैं और उस भाषा को सीखने की होड़ लगी हुई है। असल में भाषा तो माध्यम है सच तो यह है कि लोग कम्प्यूटर की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते. इसके लिये यदि अंग्रेजी सीखने में 2–4 साल भी लग जायें तो चलेगा। अगर कम्प्यूटर पर हिंदी जल्दी नहीं आयी तो यह कम्प्यूटर जानने वालों के बीच से यह चली जायेगी.

हमारे देश में ई–व्यापार का विकास भी अब बहुत तेजी से शुरू हो रहा है। आज लगभग ₹ 25,000 करोड़ का व्यापार इस तरह से होता है। इसमें 81 प्रतिशत हिस्सा रेल, हवाई जहाज के टिकट याने ट्रेवल उद्योग का है। अब आप सोचें कि यदि यह राजभाषा में नहीं होगा तो हिंदी बोलने वाला इससे बाहर रहेगा और उसका फायदा नहीं ले पायेगा। दूसरे शब्दों में हिंदी बोलने वाले का नुक्सान होगा और अंग्रेजी बोलने वाले का फायदा होगा।

कहां जा रही है दुनियां ?

आज दुनियां जहां जा रही है। मोबाइल पर तो हिंदी है पर बह बोलचाल की भाषा के रूप में ही है और कुछ हद तक एस एम एस में हिंदी में काम हो जाता है। पर उसके आगे हिंदी नहीं है। राजभाषा के रूप में आज भी इस का प्रयोग सीमित है। आप किसी शहर में बच्चे के साथ भी बैठें तो जान जायेंगे कि मोबाइल फोन का प्रयोग बात करने के अलावा बहुत से और काम के लिये होता है जैसे कि टिकट का आरक्षण जानने के लिये, इंटरनेट पर घूमने (नैट सर्फिंग), फोटो खींचने, कम्प्यूटर खेल खेलने आदि बहुत से काम हैं जिन्हें मोबाइल फोन का प्रयोग ले कर कर सकते हैं। हमें सोचना है कि हम इस दिशा में, क्या काम कर रहे हैं। यानि कि मोबाइल पर सभी काम राजभाषा में भी हो सके। कोई हिंदी जानने वाला इसलिये पीछे नहीं रहे क्योंकि उसे बस हिंदी ही आती है।

जैसा आप सब जानते हैं। अब तो कम्प्यूटर की कहानी भी एकदम नई नहीं लगती है क्योंकि सभी ने इसे देखा है और जाने या अनजाने में लगभग सभी ने इसका प्रयोग भी किया है। जी हां, सभी ने कुछ न कुछ इसका फायदा जरूर लिया होगा। यह कहना भी ठीक होगा कि शायद कोई भी इससे अछूता नहीं बचा होगा। आपने बैंक के ए.टी.एम. से पैसा निकाला हो, रेल में टिकट लेकर यात्रा की हो, किसी बस या कार में किसी नई सड़क के टोल नाके से निकले हों, तो आपने इसकी यानि कम्प्यूटर की सीधी सुविधा देखी है। यदि आपने यह नहीं किया हो तो कोई सामान खरीदा हो जैसे तेल शैम्पू, साबुन, दवाई, कपड़ा, जूते – तो भी आपने इसका फायदा लिया है क्योंकि अधिकांश या सच कहें तो लगभग सभी कंपनियां जो इन वस्तुओं के व्यवसाय में हैं इसका प्रयोग करती हैं। अगर आपने रेडियो या टेलीविजन पर कुछ कार्यक्रम या मौसम सूचना सुनी या देखी है तो जान लें कि वह इसी से होकर आई होंगी क्योंकि सबसे बड़े व शक्तिशाली कम्पयूटर का प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। परोक्षरूप से हम सब इसकी दी हुई सुविधा के लाभार्थी हैं। हम इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं कि राजभाषा हिन्दी जानने वालों के लिये यह सुविधा परोक्ष रूप से ही नहीं अपितु एकदम सीधी तरह प्रयोग में आ सके ?

इंटरनेट पर व्यापार और राजभाषा का महत्व

इंटरनेट क्या है? इसकी शुरूआत कैसे हुई? अब कहाँ पर है और आगे किस दिशा में जा रहा है? आने वाले समय में कहाँ पहुँचेगा? यह सभी गंभीरता से विचार किये जाने वाले प्रश्न हैं। क्योंकि इन बातों का असर हम पर पड़ता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी। साथ ही हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम इंटरनेट की इस दिशा में हो रही प्रगति से क्या और कैसे लाभ ले सकते हैं। यह बहुत बड़ा विषय है यहां हम इसके दो मुख्य क्षेत्रों पर दृष्टि डालेंगे। पहले देखते हैं कि इंटरनेट पर कम्प्यूटरों की संख्या पिछले सालों में कैसे बढी है।

यह कैसा मध्यम है इसका अंदाज आप खुद लगायें। यह जान लें कि जब हमने पिछली सदी में रेडियो की खोज की थी तो उसे 5 करोड़ की आबादी तक पहुंचने में लगभग 38 साल लगे थे। यही दूरी तय करने में टीवी को 13 साल। आपको यह जान कर आश्चर्य नहीं होगा के कम्प्यूटर तो इस आबादी की संख्या तक पहुंचने में केवल 4 साल लगे थे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि परिवर्तन तो हो रहा है पर उसकी गति कई गुनी बढ़ गयी है।

कुछ लोग तो कहेंगे कि अगर इंटरनेट पर कम्प्यूटर की संख्या बढ़ रही है तो हमसे क्या? उन्हें जानना चाहिये कि इसका मतलब है कि दुनिया में व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसके माध्यम से हो रहा है। आज कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी कोई दुकान नहीं है वह इसी के माध्यम से सामान बेचती हैं आपने 'आमेजन डॉट कॉम' का नाम सुना होगा, वह कंम्पनी किताबें बेचती है। सबसे सस्ती बेचती है। उनका खर्च कम है क्योंकि कोई दुकान नहीं है बस अपनी वेबसाइट से आर्डर लेते हैं और किताब बेचते हैं। बहुत सी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो नेट से अपना माल डाउनलोड करने देती हैं और पे–पैनल से पैसे लेकर सॉफ्टवेयर की कुंजी भेज देती हैं। यानि न दुकान न कोई आदमी, न नकद लेना ना गिनना, न चैक लेना न बैंक में जमा करना कुछ नहीं, उन्हें सीधा पैसा बैंक में मिलता है, सभी काम स्वचालित होता है। खर्चा कम, लागत कम तो बेचने की कीमत भी कम। सभी को फायदा बेचने वाले की और खरीदने वाले दोनों का फायदा, बस बीच के दलाल गायब। यह है मार्डन इंटरनेट पर नये तरीके से काम करना। इन्हीं की देखा–देखी आज बहुत सी कंपनियां अपना काम इसी तरह करती हैं। लोग घर बैठे ही कमा खा रहे हैं। कंप्यूटर के द्वारा आज एक नया क्षेत्र शुरू हो गया है। वह है ट्यूशन देने का। आप अपने घर बैठे बैठे ही देश–विदेश के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसी तरह बहुत से नये क्षेत्रों में काम शुरू हो गया है।

आज दुनियां में लोग अरबों–खरबों रुपये का व्यापार इसी के माध्यम से कर रहे हैं। यह सब अभी राजभाषा हिन्दी में नहीं होता। तो हिन्दी जानने वालों को इस व्यापार का लाभ कैसे होगा। आज भारत में लगभग 20,000 करोड़ रू का व्यापार इस तरह होता है। और आशा है कि सन् 2014 तक यह बढ़ कर 40,000 करोड़ का हो जायेगा। समझ लें यदि हिन्दी में यह कार्य संभव नहीं हुआ तो हिन्दी के जानकार, हिन्दी प्रेमी इससे वंचित रह जायेंगे और राजभाषा को बढ़ावा देने का उद्देश्य केवल एक सपना बन कर रह जाएगा।

एक बात और सोचें – यदि इंटरनेट पर टिकट अंग्रजी में ही बिकता रहेगा तो हिन्दी जानने वाला नहीं खरीद पायेगा और वह अगले दिन स्टेशन पर लाईन में खड़ा होगा और अपना समय व आने जाने का खर्च लगायेगा। जबकि अंग्रजी जानने वाला घर बैठे ही जल्दी से टिकट खरीद लेगा और उसका पैसा व समय दोनों ही बचेगा। इस तरह केवल हिन्दी जानने वाला अपना समय और पैसा दोनों ही खर्च करेगा और फिर भी लाइन में लगकर अपने नम्बर का इन्तजार करेगा। इसका मतलब है कि उसे इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी कि वइ हिन्दी ही जानता है अंग्रजी नहीं। हम सबको यह करना होगा कि हिन्दी जानने वाला हिन्दी की वजह से किसी नुकसान में नहीं रहें।

इंटरनेट का ज्ञान कोष और राजभाषा

आज का और आने वाले कल का इंटरनेट केवल व्यापार का माध्यम ही

नहीं है। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानकोश भी है। यहां हजारों वेब पोर्टल हैं जो कि विभिन्न विषयों पर तमाम जानकारी रखते हैं तथा बहुत से पोर्टलों ऐसे हैं जो कि उस जानकारी को सभी में बांटते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ये लोग शायद संस्कृत भाषा नहीं जानते पर ये लोग जानते हैं कि माँ सरस्वती का कोष निराला हैं। यहां लोग अपने खाली समय में जानकारी रखते हैं या यूं कहें कि जानकारी पोस्ट करते हैं जिसे बाकी लोग आराम से अपनी आवश्यकता अनुसार जब उनका जी करे ले सकते हैं। ये लोग बिना संस्कृत पढ़े ही माँ सरस्वती के कोष की महानता जानते है।

अपूर्वः कोअपि कोषायमं विद्यते तव भारती।

व्ययतो वर्धते नित्यम् छयमायाति च संच्यात्।।

इनमें से एक है गुटेनबर्ग जहां दुनिया की लायी पुस्तकें मुफ्त में मिलती हैं आप जिस भी लेखक को चाहें शेक्सपीयर हो या सर आर्थर कॉनन डायल या आर्थर क्लार्क सभी की सभी पुस्तकें मुफ्त में डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। यानि पैसे बचे अलमारी व उसमें की किताबों को झाड़ना–पोंछना सभी कुछ बचा। अफसोस है कि यहां हिन्दी की कोई पुस्तकें ना के बराबर हैं। न प्रेमचन्द है न शरतचन्द्र न मंटो और न ही कोई और। ऐसी और भी बहुत सी साइट्स हैं जहां हजारों किताबें मुफ्त में उपलब्ध हैं।

एक और पोर्टल है विकीपीडिया। यहां लगभग सभी तरह की जानकारी है और वह भी बिलकुल मुफ्त आजकल तो यह प्रथा हो गयी है कि सभी लोग पहले पहल हर सूचना की तलाश यहीं करते हैं। पहले गूगल पर देखा या फिर विकीपीडिया में ढूंढ़ कर पढ़ लिया। इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान का यह भंडार राजभाषा हिन्दी में भी काफी उपलब्ध होना प्रारंभ हो चुका है।

अंग्रेजी विकीपीडिया की शुरुआत जनवरी 2001 में हुई थी और हिंदी विकीपीडिया की शुरुआत जुलाई 2003 में हुई। अंग्रेजी विकीपीडिया में 37,33,081 लेख हैं और हिंदी विकीपीडिया में 1,00,135 लेख है।

समस्या और समाधान

कम्प्यूटर पर राजभाषा कहां तक

अब विचार का विषय यह हैं कि क्या तकनीकि सुविधा उपलब्ध करा देने मात्र से हमारा काम पूरा हो जाता है – जी नहीं असल में तो काम अब शुरू होता है। हमें यह भी तय करना होगा कि हम कम्प्यूटर पर नयी नयी चीजों को क्या कहेंगे, नये नये शब्दों को क्या कहेंगे. हमारी राजभाषा का क्या स्वरूप होगा और हम उसे कहां तक ले जायेंगे।

भाषा का प्रश्न हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण और भावुक रहा है। भाषा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और सभी को अपनी भाषा से बहुत प्रेम होता है। भाषा का यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण बन जाता है जब हम विचार करते हैं कि कम्प्यूटर किस भाषा में हो और कम्प्यूटर पर कैसी भाषा हो। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य कम्प्यूटर से जुड़ा हुआ है। यदि हम कम्प्यूटर को अपना सकेंगे तो जल्दी और ज्यादा प्रगति कर पायेंगे। यदि कम्प्यूटर अंग्रजी में ही होगा, हमारी भाषा में नहीं, तो जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते वे कम्प्यूटर पर काम नहीं कर पायेंगे। हमारे देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या लगभग 5 या 7 प्रतिशत है। हमारे देश में मध्य वर्ग में लगभग 29 करोड़ लोग हैं। इन में से बहुत से सूचना प्रौद्योगिकी का फायदा उठाने में पहले करेंगे और कुछ सालों में फायदा लेना भी शुरू कर देंगे। हमारे देश में 80 करोड़ गरीब लोग भी हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते वो सब हिंदी, तमिल, तेलगू, मराठी, बांग्ला, असमिया आदि भाषा ही जनते हैं। वो क्या करेंगे। क्या इसका मतलब यह होगी कि यदि हमारे देश में कम्प्यूटर अंग्रेजी में ही रहा तो सूचना प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति का फायदा बस केवल अंग्रेजी जानने वालों तक ही सीमित रहेगा।

कम्प्यूटर पर राजभाषा हिन्दी का स्वरूप

कम्प्यूटर पर हम किस हिंदी को ले जायेंगे इस पर अभी मतभेद है। हम सब आपस में चर्चा नहीं कर रहे कि अंग्रेजी के शब्दों को हम हिंदी में क्या कहेंगे। क्या हम 'फाइल' को 'फाइल' कहेंगे या 'पंजिका'। हम ट्रेन यानी 'लोह पथ गामिनी' को क्या कहेंगे – 'रेल गाड़ी' या बस 'ट्रेन'। सरकार ने बहुत कोशिश की कि हम लोग टेलीविजन को दूरदर्शन कहें। बहुत साल के सरकारी प्रयास के बाद भी देश का हर बच्चा टेलीविजन टीवी ही कहता है और हां बस सरकारी टीवी चैनल को दूरदर्शन कहता है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशों में बहुत काम हुआ है। यह सभी काम विदेशी भाषा में है। लगभग सभी अंग्रेजी में है। हमें उसमें से बहुत कुछ का राजभाषा हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। हम अनुवाद करने में किस तरह से शब्द बनायेंगे। हमारे कुछ भाई तो संस्कृत प्रेमी हैं और वो ज्यादा सक्षम पहरेदार भी हैं वो चाहते हैं कि जो शब्द संस्कृत से नहीं आयेगा वह नहीं लिया जायेगा। वो चाहते हैं कि 'टेलीफोन' को 'दूरभाष' ही कहा जाये वो यह बात झुठला देते हैं कि आज देश का बच्चा–बच्चा उसे बस 'फोन' या 'मोबाईल' कहता है। वो तो कम्प्यूटर को भी संगणक ही कहते हैं। उनकी समझ नहीं आता कि जब 'पगड़ी', 'जूती', 'छड़ी', 'धोती', 'कुर्ता' जैसे शब्द अंग्रेजी में जा सकते हैं तो हम 'क्लाउड कम्प्यूटर' को बस 'क्लाउड कम्प्यूटर' क्यों नहीं कहते उसे 'वारिद संगणक' क्यों कहना चाहते हैं जबकि हमें मालूम भी है कि उसमें से कभी पानी नहीं गिरेगा। विकीपीडिया से एक उदाहरण पेश है जिसमें समझाया गया है कि हार्डवेयर क्या है।

"हार्डवेयरः मॉनिटर या डिस्प्ले (जिसे दृश्य प्रदर्शन इकाई, अंग्रेजी मे Visual Display Unit भी कहते है) एक इलेक्ट्रानिक विजुअल डिस्प्ले है। मॉनिटर का उपयोग विडिओ आउटपुट डिवाइस के रूप मे किया जाता है। आधुनिक मॉनिटर एक प्रकार का थिन फिल्म ट्रान्जिटर या क्रिस्टल लिक्विड डिस्प्ले पैनल होता है, जबकि पुराने मॉनिटर केथोड रे ट्यूब का उपयोग किया जाता था जिसके कारण उनका आकार बड़ा होता था।"

इस समस्या के समाधान का एक और चरण है कि कम्प्यूटर ही हिंदी में हो। आज हमें मिल कर यह काम करना है कि हम अपनी भाषा वाला कंप्यूटर कैसे बनवाएं। हिंदी का कम्प्यूटर कैसे बनायें। यह उल्लेखनीय है कि लीनक्स आपरेटिंग सिस्टम निःशुल्क उपलब्ध है तथा इसका मूल कोड सर्वज्ञात (ओपन सोर्स कोड) है, कोई बात छुपी नहीं है, कुछ भी गोपनीय नहीं है। यह पेन्टियम 1 पर भी आराम से चलता है जो आज लगभग 10 या 12 हजार रुपए में मिल जाता है। इसलिये यह हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी के फायदे को आम जनता तक ले जाने का सबसे सरल, उपयुक्त तथा सस्ता तरीका होगा कि हम इस आपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में बना लें। यह संभव है और इस दिशा में काम हो भी रहा है पर शायद केवल औपचारिकता निभाने के लिये क्या यह असंभव है कि हम कोशिश करें और एक साल में हिंदी का कंप्यूटर नहीं ला पायें।

सूचना और प्रौद्योगिकी के इस युग में हम राजभाषा के लिए क्याअ क्या करें?

इस लेख के शुरू में मैंने कहा था कि यह लेख प्रश्न उठाने के लिये है। अब लगता है कुछ तो कहना चाहिये कि आगे क्या करें। इसे निम्न बिंदुओं के रूप में लिख रही हूं आप विचार करें। यह कोई संपूर्ण तालिका नहीं है आप

इसमें और बिंदु जोड़ेगे तो यह किसी काबिल हो पायेगी कि हम सब मिलकर बैठें और राजभाषा प्रगामी प्रयोगों को बढ़ावा देने के क्या क्या कार्य करें और विचार कर हल निकालें और उसे लागू करें।

नयी शब्दावली : नये–नये शब्दों को हिंदी में क्या कहेंगे। जैसा कि ऊपर कहा है कि अब फोंट्स के मानक तो हैं और साथ ही कई साफ्टवेयर हैं जिनकी सहायता से आप एक फांट का टाइप किया दूसरे में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। (https://sites-google-com/site/hindifontconverters/files) अब हमें मानक शब्दावली पर काम करना चाहिये और उसे इंटरनेट पर मुफ्त में सभी को उपलब्ध करा देनी चाहिये। विशेषतौर पर सभी को इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। प्रशासिनक शब्दावली प्रत्येक कार्यालय की बेबसाइट पर उपलब्ध हो।

हिंदी डिक्शनरी : आज इंटरनेट पर अंग्रेजी की कई डिक्शनरी हैं सब मुफ्त में हैं लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हिंदी की भी प्रत्येक कार्यालय की बेबसाइट पर भी उपलब्ध होनी चाहिए।

विकीपीडिया : जैसा कि ऊपर कहा है आज अंग्रेजी विकीपीडिया में 37,33,081 लेख हैं और हिंदी विकीपीडिया में 1,00,135 लेख हैं। हमें चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पर अपना खाता खोलें और दिखायें कि हिंदी के लेख सभी भाषाओं के लेख से ज्यादा हों। हमें चाहिये कि आत्मविश्वास के साथ बिना झिझक लेखों को सुधारें और नए लेख लिखें। लेख लिखने में माहिर होना जरूरी नहीं जरूरी है आपकी लगन और इस नये तरीके का श्रमदान करने का मनतव्य। इस प्रकार सभी व्यवसायों के विषय संबंधी लेख हों। बैंकिंग के क्षेत्र में इस पर और कार्य किया जाए।

हिंदी का आपरेटिंग सिस्टम : जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा है यह बहुत मुश्किल नहीं हैं इसके लिये भी जरूरी है कि मनतव्य बनाया जाये। यह काम तो बरसों पहले हो जाना चाहिये था पर अब करना जरूरी है।

सभी की पहुंच में कम्प्यूटर : हमें याद रखना है कि हमारे बहुत से अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनके पास साधन नहीं हैं कि मंहगा कम्प्यूटर खरीदें। तो सुविधा रहनी चाहिये कि वो अधिक से अधिक कम्प्यूटर का प्रयोग करें।

हिंदी पुस्तकें उपलब्ध कराना : हमें चाहिये कि कम से कम अच्छी साहित्यिक पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध करायें और अगर हम बैंकिंग के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्धं करवायें।

आवाज वाला कम्प्यूटर : हमें यह भी चाहिये कि यह काम करें कि कम्प्यूटर आवाज से चलने वाला हो जिससे कि वहा हमारा काम कहने से ही करा दें और एक हद तक विभिन्न भाषाओं में लिखने लिखाने का काम और उससे कम्प्यूटर पर इसकी परेशानियां समाप्त हो जायें।

हम सबको समय की पुकार की समझ सुननी चाहिये और समझ होनी चाहिये। ताकि हम सभी इस सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा के महत्व को समझें और अधिक से अधिक कार्यो को अपनी राजभाषा में करें। व्यापार और बैंकिंग का संबंध एक अटूट संबंध है अतः इन दोनों में प्रगति हेतु अपनी राजभाषा के साथ अपने देश के आम आदमी से जुड़ कर, देश की प्रगति में विशेष योगदान दे सकते हैं।

हिंदी हमारे माथे की बिंदी

किसी भी देश में जब माध्यम की भाषा एक हो तो जनता के बीच संवाद की स्थिति बेहतर बनती है और समझदारी बढ़ती है। भारत एक ऐसा देश है, जंहा भाषाएं और बोलियां थोड़ी सी दूरी के बाद बदल जाती हैं। पूरे देश में माध्यम की भाषा का एक होना तब और जरूरी हो जाता है जब वह संवाद राष्ट्रीय स्तर का हो। भारत सरीखे देश में यदि अँग्रेजी को बिल्कुल हटाकर एक भाषा रखने का आग्रह कई तरह की व्यावहारिक परेशानियों को सामने लाएगा। अँग्रेजी भाषा का हटना यानी कि विश्वस्तर पर एक संवाद का टूटना होगा।

दूरियां न बढ़ाएं ऐसे फैसले

सबको अपनी मातृभाषा से गहरा लगाव होता है भारत के कुछ प्रांत तो ऐसे हैं जहां केवल स्थानीय भाषा का प्रयोग हर जगह होता है। सम्पर्क स्थापित करने के लिए बड़ी मजबूरी में टूटी–फूटी हिन्दी काम आती है या फिर अँग्रेजी। भावुकता में हम ऐसे फैसले हरगिज न लें जो हमारे दिल में खटास पैदा करें और हमारे बीच में दूरियां बढ़ाएं। एकाएक दबाव डालना तनाव को बढ़ाता है और न चाहते हुए भी हम पक्षपात करने लगते हैं। धीरे–धीरे अपनी गति से हिन्दी भारतीय प्रान्तों में फैल रही है और विदेशों में भी उसे उसी सहजता से आगे बढ़ने दें। कई देशों में व्यापार के चलते विदेशी बहुत अच्छी हिन्दुस्तानी बोलने लगे हैं क्योंकि वह उनकी जरूरत है। कुछ विदेशी तो इस भाषा में सृजनात्मक कार्य भी करने लगे हैं। विदेशों में भारतीय भाषाओं के विभाग भी खुल रहें हैं। विदेशियों की नजर में भारत को देखें तो महसूस होगा कि उसकी अनेकता और विभिन्नता उन्हें कितना प्रभावित करती है और जिज्ञासा एवं खोज के जज़्बे के चलते वह बिना भाषा समझें आंखों व हाथों के इशारे से भारत भ्रमण कर लेते हैं और अक्सर किताबें भी लिख डालते हैं। हिन्दी तो राष्ट्र के माथे की बिंदी है।

आज तीन भाषाओं का ज्ञान जरूरी

भारत सरीखे देश के लिए तीन भाषाओं को जानना जरूरी है। पहली, मातृभाषा ताकि व्यक्ति का रिश्ता अपनी जड़ों से न कटे, दूसरा माध्यम की भाषा ताकि देशवासियों से भली प्रकार सम्पर्क साध सके और तीसरी विश्व की भाषा जो उसको किसी भी तरह से आगे बढ़ने पर रोक न लगा सके। भारतीय समाज की सहजता ही उसका गुण है। जोर, दबाव उसकी बनावट का हिस्सा नहीं है। इस तरह की चीजों को लोगों पर थोपना बेकार की मशक्कत है जिसमें खिन्नता और खटास ही हाथ लगेगी। बेहतर है लोग अपनी चाहत से आगे बढ़े। केंद्र सरकार भाषा से जुड़ा कोई भी फैसला ले भारत के मिज़ाज और मिट्टी के अनुसार ले, उसी में हमारी सुरक्षा, शांति, भाईचारा और एकता है।

हिन्दी: भारतीयता की आत्मा

श्री वेदप्रकाश दूबे
संयुक्त निदेशक
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

भारतीय भाषायें हमारी ही नहीं समूची दुनिया की अमूल्य धरोहर हैं। भाषा का यह विकास संस्कृत से कई रूपों में निकला तथा मनुष्य व समाज को आपस में सुगठित करता चला गया। भाषा प्रकृति से जुड़ी, भाषा संगीत से जुड़ी और भाषा प्रार्थना से जुड़कर अध्यात्म का महासमुद्र बन गई। भारतीय भाषाओं का शब्द–भण्डार अमूल्य मोतियों के समान है। शब्दों की यह यात्रा समूचे देश में होती रही है। यही कारण है कि भारतीयता में एकता की सुदृढ़ भावना हमेशा ही स्थापित रही है।

हमारे देश में प्रमुख पन्द्रह भाषायें संविधान में मान्यता–प्राप्त हैं। हिन्दी भी इन्हीं में से एक है। आज जब हम कहते हैं कि हिन्दी कठिन है, हिन्दी सरल नहीं है तो हम यह भूल जाते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 351 में जिस हिन्दी की बात की गई है, वही हिन्दी आज हमारे देश में व्याप्त है। वही हिन्दी आज समूचे भारतवर्ष की सम्पर्क भाषा है। वही हिन्दी समाचार–पत्रों, दूरदर्शन व रेडियो की भाषा है। सामान्य से लेकर विशिष्ट व्यक्ति, निरक्षर से लेकर साक्षर तक सभी इसी हिन्दी में घुले–मिले हैं जिसकी अपेक्षा हमारा संविधान हमसे करता है। और अफसोस यह है कि हम इसी हिन्दी को नहीं अपनाते हैं जो हमारी समस्त भारतीय भाषाओं की आत्मा–जैसी है।

अनेक प्रदेशों के अलग–अलग मातृभाषा वाले लोग भूल जाते हैं कि यदि वे हिन्दी का विरोध करते हैं या उसे कार्य व्यवहार में नहीं अपनाते हैं तो वे हिन्दी का ही नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा का भी विरोध करते हैं। क्योंकि एक ही धरती की सोंधी–सोंधी महक व हवाओं की भीनी–भीनी सुगन्ध व अनेक स्थानों की जलवायु व भौगोलिकता की छाप लिये प्रत्येक भाषा हिन्दी से जुड़ी है और उन सबकी अभिव्यक्ति को अगर एक शब्द में कहना चाहें तो वह शब्द है हिन्दी व देवनागरी। प्रसिद्ध विद्वान श्री विश्वनाथ नरवणे का इस दिशा में एक सार्थक उद्घोष है 'भारतीय व्यवहार कोश'। इसी पुस्तक की भूमिका में नरवणे जी ने कहा है कि 'किसी भी भाषा, स्थान या व्यक्ति से जैसे–जैसे हमारा परिचय बढ़ता है, हम एक–दूसरे के सान्निध्य में रहते हैं। वैसे–वैसे हमारे दरमियान खड़ी भिन्नता की दीवार टूटती जाती है। परिचय से प्रेम भाव बढ़ता है और वैमनस्य का भाव घटता जाता है। एक–दूसरे के आचार–विचार को जानने पर तो एकात्मकता की भावना ही प्रबल होती है। भले ही भू–भाग, आबोहवा, पोशाक आदि में भिन्नता हो किन्तु भावनाओं की एकात्मकता इस भिन्नता के ऊपर उठती है।'

हिन्दी भाषा इसी एकात्मकता का नाम है। भारत की समस्त भाषाओं से मिलकर बनी चादर का नाम ही हिन्दी है। संत कबीर ने कहा था–

'राम नाम रस बीनी चदरिया / झीनी रे झीनी बीनी चदरिया

जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी ओढ़ के मैली कीन्हीं चदरिया

दास कबीर जतन से ओढ़ीं ज्यों की त्यों धरि दीन्हीं चदरिया

आधुनिक सन्दर्भों में कबीर जी होते और हिन्दी का यह विशाल विराट शब्द रूप देखते तो यह कहते कि:

'शब्द नाम रस बीनी चदरिया / भारतीयता एक कर दीनी

जो चादर अंग्रेजन ओढ़ी / हिन्दी भाषा जतन से ओढ़ी

ज्यों की त्यों धरि दीन्हीं।

हिन्दी प्रेम की चादर है जो देश के विशाल व विराट शरीर को अपनी रंगमयता में ढक लेती है। यही कारण है कि आज तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषाओं में हिन्दी के शब्द व इन भाषाओं में हिन्दी के शब्दों की भरमार है। बल्कि उपसर्ग–प्रत्यय के अन्तर सहित शब्द लिपि एक जैसी है व अर्थ भी एक जैसा ही है। हम अंग्रेजी की वकालत करते समय यह भूल जाते हैं कि हमारी भारतीय भाषायें हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। हमें पहले उन्हें उच्चता के शिखर पर पहुंचाना है। तब किसी भी अन्य विदेशी व अन्तर्राष्ट्रीय भाषा को महत्व देना है। स्वयं अंग्रेजी में ही हिन्दी व भारतीय भाषाओं के कई शब्द हैं। आइये, कुछ उदाहरण देखें जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हिन्दी व भारतीय भाषाओं में कितनी समानता व प्रेम है। पहले हम द्रविण परिवार की भाषाओं के सन्दर्भ में देखते हैं कि किस प्रकार एक शब्द, कई शब्द हिन्दी व चारों दक्षिण भारतीय भाषाओं–तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ में समानता रखते हैं।

(1) जैसे हिन्दी का सिर शब्द लीजिए। इन भाषाओं में उसका रूप निम्न है–

तमिल – तलै / मलयालम–तल / कन्नड़–तले / तेलुगु – तल

संस्कृत – शीर्ष / मस्तक / हिन्दी – सिर

(2) मुष्टि/मुट्ठी शब्द हिन्दी में है। नीचे रूप देखिए–

तमिल – मुष्टि / मलयालम – मुष्टि / कन्नड़ – मुष्टि

संस्कृत – मुष्टि

(3) हिन्दी का 'रोगी' शब्द देखिए–

तमिल – नोयाकि / तेलुगु – रोगी / मलयालम – रोगि

कन्नड़ – रोगि / संस्कृत – रोगिन्

(4) इन्द्रनील शब्द देखिए–

तमिल – नीलम / तेलुगु – इन्द्रनीलमु

मलयालम – इंद्रनीलम् / कन्नड़ – नीलमणि / संस्कृत – इंद्रनील

(5) मणि शब्द देखिए–

तमिल – मणि / तेलुगु – मणि / मलयालम – मणि

कन्नड़ – मणि / संस्कृत – मणि / हिन्दी – मणि

(6) रत्न शब्द देखिए–

तमिल – इरतिनम् / तेलुगु – रत्नमु / मलयालम – रत्नम्

कन्नड़ – रत्न

(7) चाय शब्द देखिए–

तमिल – तेनीर / मलयालम – चाय / टी / कन्नड़ – चा /

तेलुगु – टी / तेनीरु / संस्कृत – चट्टापेय / हिन्दी – चाय

(8) पकौड़ा शब्द देखिए–

तमिल – पकोड़ा / मलायालम – पकोड़ा / तेलुगु – पकोडि

कन्नड़ – पकोड़ा / संस्कृत – स्निग्धपिष्टक / हिन्दी – पकौड़ा

(9) शरबत् शब्द देखिए–

तमिल – शरबत् / मलयालम – सरवत् / कन्नड़ – शरबत

तेलुगु – परबत / संस्कृत – सांद्ररस / हिन्दी – शरबत

इन उदाहरणों से पता लगता है कि हमारी दक्षिण भारतीय भाषाओं के तमाम शब्द संस्कृत से निकले हैं व यही शब्द हिन्दी में भी प्रचलित हैं। इसके बाद वह प्रश्न निरर्थक हो जाता है कि यह मेरी भाषा नहीं है या वह मेरी भाषा है। इससे सिद्ध होता है कि हिन्दी समस्त भारतवर्ष की भाषा है। शब्दों की इस रोचक दुनिया में अगर हम अपनी यात्रा पर निकल पड़ेंगे तो एक लम्बी यात्रा पर चलते रहना पड़ेगा। परन्तु आप लोग अगर शब्दों के इस रोचक व ज्ञानपूर्ण दुनिया में यात्रा करना चाहते ही हैं तो आप श्री विश्वनाथ नरवणे द्वारा संपादित– सोलह भाषाओं का शब्दकोश 'भारतीय व्यवहार कोश' देखें। प्रस्तुत उदाहरण इसी विशाल शाब्दिक समुद्ररूपी पुस्तक की छोटी–छोटी बूंदें हैं।

इस प्रकार यह बात गलत साबित होती है कि हिन्दी व दक्षिण की भाषाओं से कोई विरोध है या इनमें आपसी समानता नहीं है। आवश्यकता है थोड़ा लिपिज्ञान, क्रिया व सर्वनाम एवं उपसर्ग प्रत्यय चिह्न जानने की, बस। फिर भाषा की कहीं कोई समस्या नहीं होगी।

जब हम व्याकरण के तौर पर अवैज्ञानिक भाषा अंग्रेजी पढ़, लिख व बोल सकते हैं तो फिर हम अपनी मधुर, सरस व वैज्ञानिक भारतीय भाषायें क्यों नहीं सीखते। हिन्दी की यह एकता व सरलता ही उसे समस्त भारत में लोकप्रिय बनाए हुए है। कोई लाख षड्यंत्र करे या प्रयास करे परन्तु वह इस एकात्मकता को नहीं मिटा सकता है। यही कारण है कि दूरदर्शन के हिन्दी कार्यक्रम समस्त भारत में लोकप्रिय हैं। हिन्दी फिल्मी गीत व सिनेमा संवाद समस्त भारत में लोकप्रिय है। और यह इसलिए है कि हमारी नसों व रगों में संस्कृत का खून बह रहा है। हमारी मां एक ही है, हममें भेदभाव कैसे? यह कल्पना ही थोथी व निरर्थक है।

दक्षिण भारतीय भाषाओं की हिन्दी से यह समानता व एकता हजारों वर्ष पुरानी है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की नदी में इतनी लहरों के संगम को कोई भी अलग–थलग नहीं कर सकता है। ना ही कर पाएगा। भारतीय शब्दों के दूसरे मोड़ पर आकर हमारी मुलाकात होती है– बंगला, उड़िया, असमिया, गुजराती, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी से हमारे देश के बेहद बड़े भू–भाग पर स्थित इन भाषाओं का स्वर अपने आपमें एक सार्थक गूंज भरी कहानी है व इतिहास है। अगर इसके पृष्ठों को आप पलटेंगे तो आप भी इनकी सरसता, एकता व भाषाई प्रेम के कायल हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ उदाहरण देखिए जो यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि इन भाषाओं व दक्षिण की भाषाओं में कोई भी शाब्दिक विरोध नहीं है। भावना एक ही है जो देश की समस्त नदियों के पवित्र जल–सी कल–कल करती धारा–सी हमारे हृदयों में बहती आ रही है।

(1) शताब्दी शब्द देखिए–

उड़िया – शताब्दी / असमिया – शताब्दी / बांगला – शताब्दी /

गुजराती – सदी / मराठी – शतक / पंजाबी – सदी /

संस्कृत – शताब्दि / हिन्दी – शताब्दी / कश्मीरी – सदी /

सिंधी – सदी

(2) युग शब्द देखिए–

उड़िया – युग, जुगों / असमिया – जुग / बांगला – युग–जुग /

गुजराती – युग् / मराठी–युग / सिंधी – जमानो / पंजाबी – युग / काल

(3) क्षण शब्द देखिए–

उड़िया –क्षण / असमिया –मुहूर्त / बांगला – मुहूर्त / हिन्दी – क्षण

गुजराती – क्षण / मराठी –क्षण / सिंधी – पलु /

पंजाबी – पल / संस्कृत – क्षण

(4) प्रजा शब्द देखिए–

उड़िया – प्रजा / असमिया – प्रजा / बांगला – प्रजा /

गुजराती – प्रजा / मराठी – प्रजा / सिंधी – पिरजा /

कश्मीरी – प्रजू / संस्कृत – प्रजा / हिन्दी – प्रजा

(5) फूलगोभी शब्द देखिए–

उड़िया – फुलकोबि / असमिया – फुलकबि / बांगला – फुलकपि

गुजराती – फुलकोबी / मराठी – फुलावर / सिंधी – गुलगोबी /

पंजाबी – फुलगोबी / कश्मीरी – फूलगूबी / संस्कृत – केम्बुकपुष्प

हिन्दी – फूलगोभी

(6) आशीर्वाद शब्द देखिए–

उड़िया–आशीर्बाद / असमिया – आशीर्बाद / बांगला – आशीर्ब्बाद

गुजराती – आशीर्बाद / मराठी – आशीर्वाद / सिंधी – आशीर्वादु

पंजाबी – आशीर्वाद / कश्मीरी – आ'ही / संस्कृत – आशीर्वाद

हिन्दी – आशीर्वाद

(7) अपील शब्द देखिए–

उड़िया – आपील / असमिया – आपील / बांगला – आपील

गुजराती – अपील / मराठी – अपील / सिंधी – अपीलु

पंजाबी– अपील / कश्मीरी – अपील् / संस्कृत – पुनर्विचार, प्रार्थना

हिन्दी – अपील

शब्दों की इस प्यारी दुनिया में जहां तक भी आप अपनी दृष्टि दौड़ाएंगे तो आपको शब्दों की अद्‌भुत समानता व रोचकता देखने को मिलेगी। शब्दों की दुनिया में यह प्रमाण मिलता है कि वहां पर भाषाई, जाति, धर्म के बंधनों को लेकर कोई विवाद नहीं है। यदि आज कहीं भाषागत विवाद है तो वह केवल हमारा बनाया हुआ है। हम ही उसे समाप्त करने की दिशा में पहल कर सकते हैं। चेतना व विवेकशील मनुष्य होने के नाते यह कार्य सभी को करना होगा कि हमारी शस्य श्यामला धरती पर कहीं भी भाषा को लेकर कोई भी विवाद न हो। विद्वानों द्वारा इतिहास के आधार पर भारतीय भाषाओं के शब्दों को कुल चार वर्गों में विभाजित किया गया है। डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक अनुवाद विज्ञान में इसका वर्णन किया है।

(1) इतिहास के आधार पर

(i) तत्सम– शुद्ध संस्कृत शब्द, जैसे– कृष्ण, गृह, दधि, नृत्य।

(ii) तद्‌भव– तत्सम शब्दों से बिगड़कर या विकसित होकर बने शब्द, जैसे– कान्ह, घर, दही, नाच।

(iii) परवर्ती तद्‌भव या अर्धतत्सम को भी इसी के अंतर्गत मैं रखना चाहूंगा, जैसे चन्दर (चन्द्र), किशन (कृष्ण), सुरेन्दर (सुरेन्द्र), करम (कर्म) आदि।

विदेशी– इसमें तत्सम विदेशी भी आते हैं, जैसे– लॉर्ड, सिगनल, कार्क, स्टेशन, जुल्म, मर्जी, बाग, दारोगा।

तद्‌भव विदेशी, जैसे (लाट, सिंगल, काग, टेसन, जुलुम, मरजी, बाग, दारोगा) भी।

(iv) देशज– इनमें वे शब्द आते हैं जो उपर्युक्त में किसी में नहीं हैं, जैसे– तेंदुआ, थोथा, अटकल, फूस, घूसा, चूहा, अलबेला आदि।

हमारी भारतीय भाषाएं शब्द, अर्थ व भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से अत्यन्त समृद्ध हैं।

आज समूची दुनिया एक जागतिक गांव बन गई है। हिन्दी भाषा का इस विश्व गांव में एक सम्मानित स्थान पाकर अपनी विजय–यात्रा की ओर अग्रसर है। विदेशों भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी ही जानी व समझी जाती है।

ऐसे में हम चाहे कहीं भी हों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक व द्वारका से ब्रह्मपुत्र तक हमें हिन्दी को सम्मान व प्रेम से अपने जन–जीवन के कार्य–व्यवहार में अपनाना है। ऐसा करके हम मात्र हिन्दी का नहीं बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं व समूची भारतीयता का सम्मान सही अर्थों में कर सकेंगे। हमारा देश राजनैतिक स्तर पर लोकतांत्रिक है किन्तु भाषा जैसे आधारभूत सवाल पर देश का रुख इसके विपरीत है। भाषा का सामंतवाद दो प्रतिशत अंग्रेजी के लोग बनाए हुए हैं जो अंग्रेजी के द्वारा 98 प्रतिशत लोगों पर अपनी श्रेष्ठता और वरीयता लिये हुए है। अंग्रेजी इतनी गौरवशाली नहीं हो सकती है जितनी भारतीय भाषाएं। अपनी भाषाओं में एक अनुगूंज है, महाकाव्यों की। अनुगूंज, वे सब बातें जिन्हें आपने अपने बचपन से लोगों को कहते सुना, किताबें जो स्कूल में पढ़ी हैं। भारतीय लोग अंग्रेजी में उन सब संदर्भों और अनुगूंजों का सार्थक प्रयोग नहीं कर सकते जो भाषा की गरिमा हैं और रुचि–सम्पन्नता प्रदान करते हैं तथा भाषाई सुगन्ध भरते हैं। जो भाषा विचार एवं आत्मानुभूति का अंश नहीं हो सकती वह कितनी बेजान होती है। इसका अनुभव वहीं कर सकता है जो भाषा की संवेदना से जुड़ा हो।

इसके बाद कोई संदेह नहीं रह जाता कि हमारी भारतीय भाषाएं एक हैं और उनका संगम हमारी भारतीयता व हिन्दी है। इस धरातल पर आकर यह बात भी झूठी पड़ जाती है कि हिन्दी मात्र हिन्दीभाषी राज्यों की भाषा है या हिन्दी केवल कठिन शब्दों की एकांगी भाषा है। समूचे देश व हमारी भारतीय भाषाओं की एकता यह सिद्ध करती है कि हिन्दी हमारी, हम सबकी अपनी भाषा है, चाहे हम किसी भी प्रान्त, जाति, धर्म से संबंध रखते हों। अतः जो लोग यह कहते हैं कि हिन्दी थोपी जा रही है वह भी बात गलत हो जाती है क्योंकि जो बात, जो भाषा, जो शब्द हमने सदियों से अपने व्यवहार, जीवन व सभ्यता में अपनाए हुए हैं उन्हें भला कौन हमसे अलग कर सकता है या कौन थोप सकता है। यह मात्र कुछ स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा विदेशी ताकतों की स्वार्थपूर्ति हेतु व देश को कमजोर बनाने की दिशा में एक कुटिल चाल है जो कभी सफल नहीं हो पाएगी क्योंकि हम सब अपनी विभिन्नता में भी एक हैं और हमारा संबल, हमारा विश्वास, हमारी संस्कृति की यह सार्थक गूंज है कि–

मातृभाषां परित्यज्य ये अन्यभाषामुपासते,

तत्र यान्ति हिते भाषा यत्र सूर्यो न भासते।

अर्थात– जो अपनी मातृभाषा को त्यागकर अन्य भाषा का आश्रय लेते हैं ऐसे देश या राष्ट्र का जीवन सदा के लिए अंधकारमय हो जाता है और वहां कभी स्वतंत्रता का सूर्य प्रदीप्त नहीं होता। हमें अपनी इसी स्वतंत्रता के सूर्य को और अधिक प्रकाशमान बनाना है तथा देश को, समाज को विकास के उच्च विचारों की ओर ले चलना है। इसी सत्य की ओर संकेत करते हुए किसी विद्वान ने कहा था–

'अंग्रेजी जानने वाले बहुत थोड़े हैं और अंग्रेजी को प्रश्रय देना न व्यावहारिक है न ही देश के लिए हितकर है। देश को भाषा की दृष्टि से जोड़ने की हिन्दी ही एक मजबूत कड़ी है। हिन्दी को किसी पर थोपने की बात निराधार है। सभी भारतीय भाषाएं उन्नति व प्रगति करें और कड़ी के रूप में हिन्दी देश की एकता को मजबूत बनाएं।'

हमें अपनी भारतीय भाषाओं को बढ़ाना है। हम एक विदेशी भाषा को गले लगाए बैठे हैं। उसे पाल–पोसकर बड़ा कर रहे हैं। परन्तु हमारे अपने देश मे, हमारी ही धरती पर हमारी भारतीय भाषाएं जो वैज्ञानिकता के धरातल पर खड़ी हैं जिनकी सभ्यता व संस्कृति का इतिहास अनूठा है, आज एक अजनबी व निःस्सहाय–सी हो गई है। यदि हम लोग अंग्रेजी को सम्मान दे सकते हैं, उसे प्रतिष्ठा का मापदण्ड बना सकते हैं तो हमारे ही संस्कारों, विचारों व खून के रिश्तों की भाषा हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं को क्यों नहीं? क्या ऐसा न कर पाना हमारी कमजोरी नहीं है? आज हमीं ने अंग्रेजी को सिर पर चढ़ाया है। इसे हमें ही उतारना होगा। सरकार को प्रबल जनमत के आगे झुकना ही नहीं बल्कि अपनी नीतियां भी बदलनी होंगी व अधिक

गौरवपूर्ण दर्जा देना होगा। अंग्रेजी भाषा सीखना अच्छा है परंतु भारतीयता को भूलकर अंग्रेजी बनने की निरर्थक कोशिश करना ठीक नहीं है। अफसोस की हम यही भूल कर रहे हैं।

कौन–सा और विश्व का देश है जहां पर हमारी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्र–भाषाएं बोली जाती हैं। जब हर छोटे–बड़े देश को अपनी ही राष्ट्र की जमीन पर पली–पुसी भाषाओं (चाहे वह हमारी भाषाओं की तरह विकसित नहीं) पर गर्व है तो हमें क्यों नहीं। हमें क्यों अपनी ही राष्ट्रभाषा में काम करने में हीनता महसूस होती है। हम विदेशों की हर चीज सीखते हैं मगर उनसे उनकी मातृभाषा व राष्ट्रभाषा के प्रति अटूट प्रेम नहीं सीखते। हमारे भारतवर्ष में अनेक वर्गों की बहुलता होते हुए भी हिन्दी के विकास में सबने बहुमूल्य योगदान दिया है– विशेष रूप से अहिन्दी कर्मचारियों ने फिर हिन्दीभाषियों ने। ऐसे में क्या हमारा सबका कोई दायित्व नहीं है। हमें अगर अपनी पहचान बनाए रखना है तो निश्चित रूप से अपनी सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करना होगा। हमारे देश में ही विविध भाषा–भाषी हैं। हमें सभी भाषाओं का पूर्ण ज्ञान भले ही न हो पर प्रारंभिक ज्ञान तो अवश्य होना ही चाहिए। जितना समय, बुद्धि, शक्ति, विवेक हम अंग्रेजी सीखने, पढ़ने, रटने में खर्च कर देते हैं उसका आधा प्रतिशत भी यदि हम अपनी भारतीय भाषाओं व हिन्दी की ओर सीखने में लगाएंगे तो जहां हमें सफलता मिलेगी वहीं आत्मसंतोष भी प्राप्त होगा तथा अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की गौरवमयी अनुभूति भी होगी। इस विषय में यह कथन बहुत ही सही प्रतीत होता है बल्कि लागू भी होता है कि 'पत्थर से पानी की लहरें टकराती हैं तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि चोट नहीं लगती बल्कि एक दिन उसे रेत बनना पड़ता है। एक दिन अंग्रेजी को धराशायी होना ही पड़ेगा और हिन्दी अपना स्थान पाएगी।'

हमें भी इसी प्रकार का प्रयास करना होगा व अपने विकास के साथ राष्ट्रभाषा का विकास करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर सूरज की तरह चमकना होगा। अफसोस यही है कि हम विदेशी आत्मा नहीं बन पाए वरना वह भी हमें विदेशी ही बना देते। आखिर क्यों हमें इतनी हीनता, इतनी शर्म महसूस होती है अपने कामकाज को हिंदी में करते हुए।

बातचीत के स्तर पर भी आप सोचते हैं हिंदी में। फिर अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में। यह जो पाटों के बीच में हम खुद को स्वयं पीस रहे हैं, पिस नहीं रहे हैं। पिसते होते तो शायद हमने आवाज बुलन्द की होती। मगर घड़ी के पेंडुलम की–सी स्थिति है हमारी। क्यों नहीं आप अंग्रेजी को महान् लेखन बना पाए, हमसे इतिहास पूछता है। शुरूआत तो करनी ही होगी आखिर। तो इस परम्परा की शुरूआत का श्रेय आपको क्यों न मिले? क्यों हम किसी मसीहा की राह देखते रहे हैं कि वह आएगा, कब आएगा जब ऐसा होगा। आप ही का उठा एक सार्थक कदम आपको ही मसीहा बना सकता है। बैंकों में हिन्दी की प्रमुखता है, काफी स्थान है, मैं फिर कहूंगा कि बैंक आर्थिक क्षेत्र का गांधी है, निर्माणदायक। बैंक ग्रामीण विकास की गंगा–यमुना है जहां पर हरेक समाज का एक बूंद आप डाल दें तो वही बूंद सागर बन जाएगी। एक ऐसा सागर जिसकी गरज से पूरी दुनिया ही गुंजित होगी। आज हमारी प्रार्थनाएं पूरित बोल सब अंग्रेजी में बदल गए हैं। एक ऐसा सांस्कृतिक संक्रमण का जहर हमारी नसों में, हमारे सपनों में, हमारे विश्वास में घोला जा रहा है जो हम महसूस नहीं करते मगर एक दिन जब बहुत देर हो चुकेगी तब हमें पता चलेगा। मगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिवाय सिसककर दम तोड़ने के अलावा। हमारी दो जोड़ी आंखें सिर्फ इंतजार ही करती रह जाएंगी। एक खत्म न होने वाला इंतजार हमें इस सांस्कृतिक संक्रमण को रोकना होगा। इसके जहरीले–विषैले पंजों को तोड़ना–मरोड़ना होगा। वरना एक समय आएगा इतिहास हमें भले ही माफ कर दे मगर हमारी पीढ़ियां हमें कभी भी माफ नहीं करेंगी। क्योंकि हमारे बनाए वर्तमान पर ही उनका भविष्य निर्भर है। निश्चित रूप से आज यही कठिन काम प्रतीत होता है मगर जरूरत है हिम्मत की, दृढ़ संकल्प की, विश्वास की।

सत्य की ही हमेशा जीत हुई है। याद रखिए हम सबको, गले लगाना है मगर अपने ही जीने व नैतिक मूल्यों के दांव पर नहीं। खुद ही महान् पहचान की कीमत के आधार पर नहीं। आज के युग में युद्ध के मापदंड भी बदल गए हैं। सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक कामकाज का ऐसा समुद्र है जहां पर समूचे देश के यात्री अपनी–अपनी फाईलों के जहाजों, चिट्ठियों में देश के प्रशासन को चलाते हुए अपना सार्थक योगदान देते रहते हैं। और आज हम भारतीयों को जो युद्ध लड़ना पड़ रहा है वह है अपनी ही सभ्यता, संस्कृति व अस्मिता को बचाने के लिए। जहर में चीनी लगाकर हमें खिलाया जा रहा है और हम सच्चाई जाने बिना ही उसे खाए जा रहे हैं। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग विदेशों में पढ़े या विदेशी धन के आधार पर बने स्कूल–कॉलेज में पढ़े, जिनके दिमाग में जहर इतना भर दिया जाता है कि वह बड़े होने पर जहरीली सांसों का सागर बन जाते हैं। आज अंग्रेजियत का गुणगान करना इसी वर्ग का काम है। जो हमारी नीतियां निर्धारित करते हैं निश्चित रूप से वे हमारे भले का नहीं सोचते हैं। इसलिए वे लोग उगल देते हैं सदा जहर। हम पर, उन पर जो मासूम हैं, भोले–भाले हैं जिसका असर पीढ़ी–दर–पीढ़ी हम भुगत रहे हैं। आखिर क्यों? अपनी सुविधा के लिए यह वर्ग करोड़ों–लाखों लोगों का भविष्य तय करते हैं। क्या हक है उन्हें जो भारतीयता का गला घोंटकर भारतीय बने बैठे हैं। क्या अधिकार है उन्हें जो हमारे ही भाई हैं मगर हमारा ही गला काटकर हमें हलाल कर रहे हैं। सिर्फ चन्द मुट्ठी भर लोग ही भारत नहीं हैं। सिर्फ कुछ विदेशी गुलामों के, जो शक्ल से भारतीय हैं मगर अक्ल से विदेशी नाम पर ही नहीं हैं और हम हमेशा की तरह यह जहर पीते आए हैं– नीलकंठ की तरह। जो सबसे सीधा हो, भोला हो, वही पिएगा। मगर वही नीलकंठ जब तीसरा नेत्र खोलता है तो प्रलय आ जाती है। वही नीलकंठ जब ताण्डव करता है तो दिगदिगन्त, सारी दिशाएं कांपने लगती हैं, हवा ठहर जाती है। दिशाएं स्तब्ध हो जाती है। समय याचक की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। आज वही समय आ गया है कि हम अपने विवेक का तीसरा नेत्र खोलें और दुनिया के सामने यह साबित करें कि– 'हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा।'

मगर उन्हें किनारे पर लाते हुए अपने विशाल कार्यकलाप रूपी लहरों में, जो अभी अंग्रेजी का ही गुणगान कर रही है, हिन्दी की लहरों से सराबोर कर दें तो हिन्दी का महत्व व गुणगान हरेक दिशा में गूंजेगा और आपसी तालमेल बढ़ेगा। हमारा एक देश है, हमारे देश का एक संविधान है। हमारा एक तीन रंगों का झंडा है। उसके बीच में अशोक चक्र बना है। हमारी राजधानी एक है दिल्ली। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त और 26 जनवरी है पर हमारी एक राष्ट्रभाषा क्या है? कोई नहीं जानता। हमें अपने संकल्प व आपसी विश्वास व सहयोग से अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बनानी होगी। राष्ट्रभाषा हिन्दी, जो भारत के सर्वाधिक बहुमत द्वारा देश के प्रत्येक कोने में बोली जाती है, को इस पद पर आसीन कराने का प्रयत्न होगा तभी हमारे राष्ट्र की आत्मा सार्थक रूप में मुखर हो सकेगी।

हिन्दी के विकास में पहले साधु–संत एवं धार्मिक नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

सूचना प्रौद्योगिकी में राजभाषा का महत्व

विजय कुमार सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

पिछली सदियों के इंसान को यदि जिन्दा करके कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, आईपोड जैसी न जाने कितनी ही चमत्कारी वस्तुएँ दिखा दी जाए तो बेचारा गश खाकर गिर पड़े। आज की पीढी इन चीजों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। ज्ञान के क्षेत्र में इन्सानों की सबसे बड़ी उपलब्धि इन्टरनेट की खोज है, इस युग में जो इन्टरनेट उपयोग नहीं करता, तो वह व्यावहारिक रूप से निरक्षर माना जाता हैं।

आज पूरी दुनिया में इन्टरनेट का उपयोग हो रहा हैं, भले ही कुछ देशों में यह प्रयोग कम हैं और कुछ में ज्यादा। भारत की 8 प्रतिशत से भी कम आबादी इन्टरनेट का उपयोग करती हैं। यह अनुपात विकसित देशों में 10 प्रतिशत आबादी की तुलना मे काफी कम हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत भले ही अमेरीका में हुई हो, फिर भी भारत की मदद के बिना यह आगे नहीं बढ़ सकती थी। गूगल के एक वरिष्ठ अधिकारी की ये स्वीकारोक्ति काफी महत्वपूर्ण हैं की आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के बड़े कंप्यूटर बाजारों में से एक होगा और इन्टरनेट पर जिन तीन भाषाओं का दबदबा होगा वे हैं– हिंदी, मेंडरिन और अंग्रेजी। वह दिन दूर नहीं जब भारत में इन्टरनेट उपयोगकर्ता विश्व में सबसे अधिक होंगे। आमतौर पर यह धारणा हैं कि कंप्यूटरों का बुनियादी आधार अंग्रेजी हैं, यह धारणा सिरे से गलत हैं। कंप्यूटर कि भाषा अंको की भाषा है और अंको में भी केवल 0 और 1। कोई भी तकनीक और मशीन उपभोक्ता के लिये होती हैं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती हैं की उससे कैसे उपभोक्ता के अनुरूप ढला जाए। भारत के सन्दर्भ में कहें, तो आईटी के इस्तेमाल को हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के अनुरूप ढलना ही होगा। यह अपरिहार्य हैं, क्योंकि हमारे पास संख्या बल हैं। इसी के मद्देनजर सोफ्टवेयर की बड़ी कम्पनीयां अब नए बाजार के तलाश में सबसे पहले भारत का ही रुख करती हैं। ऐसा किसी उदारतावश नहीं, बल्कि व्यावसायिक बाध्यता के कारण संभव हुआ हैं। हमने तो अभी बस इन्टरनेट और मोबाइल तकनीकों का स्वाद चखा हैं और सम्पूर्ण विश्व के बाजार में हाहाकार मचा दिया।

इन्टरनेट पर हिंदी के पोर्टल अब व्यावसायिक तौर पर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। कई दिग्गज आईटी कंपनियां चाहे वो याहू हो, गूगल हो या कोई और ही सब हिंदी अपना रहीं हैं। माइक्रोसॉफ्ट के डेस्कटॉप उत्पाद हिंदी में उपलब्ध हैं। आई बी.एम , सन–मैक्रो सिस्टम, ओरक्ल आदि ने भी हिंदी को अपनाना शुरू कर दिया हैं। इन्टरनेट एक्सप्लोरर, नेट्स्केप, मोजिला, क्रोम आदि इन्टरनेट ब्राउजर भी खुल कर हिंदी का समर्थन कर रहे हैं। आम कंप्यूटर उपभोक्ताओं के लिये कामकाज से लेकर डाटाबेस तक हिंदी में उपलब्ध हैं। ज्ञान के किसी भी क्षेत्र का नाम ले, उससे संबन्धित हिंदी वेबसाइट आपका ज्ञानवर्धन के लिये उपलब्ध हैं। आज यूनीकोड के आने से कंप्यूटर पर अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं पर काम करना बहुत ही आसान हो गया हैं। यह दिलचस्प संयोग हैं की इधर यूनीकोड इनकोडिंग सिस्टम ने हिंदी को अंग्रेजी के समान सक्षम बना दिया है और इसी समय भारतीय बाजार का जबरदस्त विस्तार हुआ हैं। अब भारत सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर दिखता हैं और डी.ओ.इ. इनस्क्रिप्ट की–बोर्ड ले–आउट को कंप्यूटर के लिये अनिवार्य कर सकता है।

हमें यह गर्व करने का अधिकार तो हैं ही कि हमारे संख्या बल ने हिंदी भाषा को विश्व के मानचित्र पर अंकित कर दिया हैं। यह भी एक सत्य हैं कि किसी भी भाषा का विकास और प्रचार किसी प्रेरणा, प्रोत्साहन या दया का मोहताज नहीं, यह तो स्वत: विकास के राह पर आगे बढ़ता रहता हैं। आज प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्में हो या सीरियल्स, डिस्कवरी, जिओग्राफिक हो या हिस्ट्री या हो कार्टून सभी पर हिंदी कि तूती बोलती हैं। ये सभी तथ्य हमें हिंदी के उज्वल भविष्य के प्रति आश्वस्त करते है।

हिंदी के भविष्य कि इस उजली तस्वीर के बीच हमें हिंदी को प्रौद्योगिकी के अनुरूप ढालना हैं। कंप्यूटर पर केवल यूनीकोड को अपनाकर हम अर्ध मानकीकरण तक ही पहुच पाएंगे, जरुरत हैं यूनीकोड के साथ ही इनस्क्रिप्ट की–बोर्ड ले–आउट को अपनाने कि ताकि पूर्ण मानकीकरण सुनिश्चित किया जा सके। हिंदी साहित्य या समाचार आधारित वेबसाइट के अलावा तकनीक, विज्ञान, वाणिज्य आदि विषयों पर वेबसाइट तैयार करने की। उपयोगी अंग्रेजी साईट को हिंदी में तैयार करने की। इन सबके बीच अपनी भाषा की प्रकृति को बरकार रखते हुए इसमें लचीलापन लाना होगा। आइये, प्रौद्योगिकी के इस युग में हिंदी के उज्ज्वल भविष्य के बीच हम इसके प्रति सवेदनशील बने और खुद को इसकी प्रगति में भागीदार बनाएँ। ज्यादातर भारतवासी कंप्यूटर के बारे में क्यों कुछ नहीं जानते हैं क्यों कि एक हमारा ही देश अनोखा है जहाँ तकनीक की पहुँच आम आदमी तक नहीं है क्यों कि इसे (भारत में अन्य उच्च शिक्षा की तरह) अंग्रेजी के फंदे में बाँध दिया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त दो प्रतिशत भारतीयों में से कुछ ही लोग इसका नियमित प्रयोग कर रहे हैं। बचे हुए लोग कंप्यूटर की शिक्षा के हकदार इसलिए नहीं हैं क्यों कि हिंदी या भारतीय भाषाओं में काम करने वाले कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हैं। कितने दुख की बात है!

चीन, कोरिया, जापान इत्यादि देशों में कंप्यूटर तो आया लेकिन ऐसा कंप्यूटर जो कि अपनी भाषा में काम करने में सक्षम हो। इससे समस्त देशवासियों को समान रूप से लाभ पहुँचा। हमारे देश में उल्टी गंगा चलती है। यहाँ यदि आप कुछ नई चीज सीखना चाहें तो पहले आपको अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी विडंबना है कि हमें हर नई चीज सीखने के लिए अंग्रेजी पर निर्भर करना पड़ता है। भारतीय आदमी पढ़ता लिखता है तो उसकी बात करने की भाषा पहले बदलती है। हम भारतीयों की मानसिकता ऐसी क्यों है? स्वतंत्रता के बाद हमारे नीति निर्णायकों, अभिजात्य एवं पढ़े लिखे वर्ग के लोगों ने अंग्रेजी को हर मुख्य विभाग की कार्यकारी भाषा बना दिया जबकि सच यह है कि हिंदी ज्यादा भारतीय लोगों तक पहुँचती है और समझी जाती है। यदि हमारे देश के आम आदमी को कंप्यूटर में उनकी जरूरत के मुताबिक दक्षता हासिल करनी है तो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार हिंदी और अन्य भाषाओं में होना जरूरी है। इससे एक तो लोगों का अंग्रेजी में दक्ष होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दूसरे यह भारतीय भाषाओं के साहित्यिक एवं रचनात्मक विकास में भी सहायक होगी।

इसका असली फायदा यह होगा कि कंप्यूटर का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाएगा। हर व्यक्ति इंटरनेट के जरिए विभिन्न तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकेगा और वह समस्त विश्व के साथ जुड़ जाएगा। कंप्यूटर अनभिज्ञ वर्ग समाज का एक बहुत बड़ा अंग है और सबको अंग्रेजी सिखाते–सिखाते दसों साल लग जाएँगे। हमारे सामने जीता जागता प्रमाण है कि आजादी के 55 साल बाद भी हम अंग्रेजी के चलते शत प्रतिशत साक्षर नहीं हो पाए हैं। इसलिए

अंग्रेजी के मूल शब्द लगभग 10,000 हैं, जबकि हिन्दी के मूल शब्दों की संख्या ढाई लाख से भी अधिक है।

अंग्रेजी के जरिए भारतवासियों को साक्षर करना असंभव–सा प्रतीत होता है।

सूचना प्रौद्योगिकी का भारतीय भाषाओं में प्रसारण भारतीय जनमानस को साक्षर एवं जाग्रत बनाने के लिये एक बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है। इसका सीधा सा उदाहरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा हिंदी में विज्ञापन प्रसारित करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मकसद इसके पीछे हिंदी का प्रेम नहीं बल्कि आम आदमी तक अपने उत्पादों को पहुँचाना है। एक और उदाहरण बॉलीवुड का है। आज बॉलीवुड का इतना व्यापार इसलिए है क्यों कि वहाँ हिंदी फिल्में बनती हैं न कि अंग्रेजी। पर हमारे लोग यह सब जानकर भी अपनी भाषाओं के प्रति अनजान बने हुए हैं और भारतीय भाषाओं के पूर्ण पतन का रास्ता साफ कर रहे हैं। अगर हमको यह सब कुछ साकार करना है तो हम सबको खासतौर पर पढ़े लिखे एवं बुद्धिजीवी लोग जैसे कि इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, सरकारी एवं राजकीय कार्यकर्मी व उद्योगपतियों को आगे आना होगा। इसमें बहुत सारे परिश्रम, दृढ़ निश्चय, एक दूसरे का साथ देने की व सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, तकनीक एवं पैसे की आवश्यकता है।

यह काम एक रात में नहीं हो सकता है लेकिन यदि निश्चय के साथ किया जाय तो कुछ ही वर्षों में इसके परिणाम साकार हो सकते हैं। हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित व जाग्रत हो। हर छोटी–सी चीज के लिए सरकार पर आश्रित न हो जिसको हमारे भ्रष्ट राजनीतिज्ञ बरगला न सकें और जो अपनी भाषा का सम्मान करे और उसके माध्यम हो सबकुछ पाने में सक्षम हो। सूचना प्रौद्योगिकी के भारतीय भाषाओं में प्रसारण के लिए उचित साधनों (सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, व शिक्षक) का होना बहुत जरूरी है जो कि भारतीय भाषाओं में सुचारु रूप से कार्य कर सकें। यह काम दुनिया के कई देशों में किया जा चुका है जैसे कि जापान, कोरिया, लगभग सारे यूरोपीय देश एवं हमारा पड़ोसी चीन जहाँ सबकुछ मैंडेरिन में सुचारु तरह से चल रहा है। जब यह काम वहाँ हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। इस काम में बिल्कुल भी मुश्किलें नहीं आनी चाहिए यदि हम सचमुच में सूचना प्रौद्योगिकी की महाशक्ति हैं और हमारे सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर इंजीनियर सचमुच में होशियार हैं। इस काम में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों जैसे कि इन्फोसिस एवं विप्रो व भारतीय शिक्षा एवं शोध संस्थानों जैसे कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों व अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों सी डेक इत्यादि को आगे आकर इस चुनौती को स्वीकार करके कार्यरत होना होगा। क्यों हम भारतीय भाषा में काम करने वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावरपाइंट इत्यादि जैसे सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं? क्यों हमारे पास भारतीय भाषाओं में ईमेल वाला सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता? इस समय उपलब्ध अंग्रेजी के सॉफ्टवेयरों पर यह कर पाना संभव है लेकिन यह सब बिना उचित फॉन्ट के करना संभव नहीं है। साथ में दूसरी तरफ के व्यक्ति के पास भी उचित फॉन्ट का होना आवश्यक है। कोरिया जापान इत्यादि देशों में पूरा का पूरा कंप्यूटर तंत्र उनकी भाषाओं में काम कर सकता है लेकिन अभी तक भारतीय भाषाओं में यह करना संभव नहीं है।

इसका कारण हमारी असमर्थता या अज्ञान नहीं है बल्कि हमारी इच्छाशक्ति का कमजोर होना है। हम लोगों ने कभी भी इन सब चीजों को भारतीय भाषाओं में काम करने लायक समझा ही नहीं है क्यों कि हम अपनी भाषाओं को पिछड़ा हुआ समझते हैं। भाषा पिछड़ी हुई नहीं होती बल्कि आदमी की सोच पिछड़ी हुई होती है और ठीक यही हम भारतीयों के साथ है। दुर्भाग्यवश हमने अपने पिछड़ेपन का दोष भाषा के माथे मढ़ दिया। हमने यह नहीं समझा कि भाषा एक समाज का आइना होती है, उसके लोगों की पहचान होती है, संस्कृति का सूचक होती है। जरूरत यह है कि हम अंग्रेजी व अंग्रेजी बोलने वालों को ऊँचा समझना बंद करें व इसे केवल एक विदेशी भाषा की तरह सीखें व उतना ही सम्मान दें। राष्ट्रभाषा न बनाएँ। जरूरत है हिंदुस्तानियों को आपस में हिंदी या किसी और भारतीय भाषा में बात करने की वरना हमें पता भी नहीं लगेगा और हम अपनी मातृभाषा अनजाने में भूल जाएँगे। कहते हैं जिस चीज का अभ्यास जितना करो वो उतनी ही मजबूत होगी और जिसका जितना कम वो चीज उतनी ही कमजोर होगी। ये कहावत भाषा के साथ भी लागू होती है।

सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में आज हमारे पास ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकते हैं। हम भारतीय भाषाओं को उनका यथेष्ट सम्मान दे सकते हैं। कुछ संस्थानों ने आशा की किरण जगाई है उनमें से प्रमुख हैं– बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान जहाँ पर सिंप्यूटर (इसके माध्यम से लोग मौसम, शेयर, फसल इत्यादि की जानकारी भारतीय भाषाओं में प्राप्त कर सकते हैं) का जन्म हुआ, सी डेक, कानपुर एवं चेन्नै स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में भारतीय भाषाओं में काम करने वाले सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के सर्वव्यापी रूप को देखते हुए किसी भी समाज के लिए इसकी उपेक्षा करना संभव नहीं है। लेकिन यह तो हमें ही तय करना होगा कि हम सूचना प्रौद्योगिकी के उत्पादों के बाजार और ग्राहक बनें या उसके इस्तेमाल से अपनी सामाजिक–आर्थिक समस्याओं के समाधान खोजें और समृद्धि के पथ पर अग्रसर हों। यदि हम यह चाहते हैं कि हम सूचना क्रांति के केवल बाजार, उपभोक्ता और ग्राहक ही बनें, उसकी उन्नति में योगदान भी दें, उसकी समृद्धि से लाभ भी उठाएँ तो हमें इससे जुड़ना होगा। यह जुड़ाव कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के रूप में तो होगा ही, एक बैंकर, बीमाकर्ता, साहित्यकार, पत्रकार, अधिकारी, वकील, न्यायाधीश, मनोरंजनकर्ता, संगीतकार, कलाकार, किसान, मजदूर, दूधवाला, रिक्शावाला, चायवाला, कहने का अभिप्राय है कि हर स्तर, हर पेशे के स्तर पर भी होना होगा। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि यह सूचना प्रौद्योगिकी क्या है?

सूचना प्रौद्योगिकी विभिन्न सूचनाओं और जानकारियों को व्यवस्थित रूप से एकत्र, विश्लेषित, स्टोर और शेयर करने का एक तंत्र है। किसी भी समाज को अपने विकास और समृद्धि के लिए सूचनाओं के व्यवस्थित तंत्र की बहुत जरूरत होती है। योजनाओं का आधार यही सूचनाएँ होती हैं। ये सूचना जितनी सटीक और अल्प समय में प्राप्त होंगी, योजनाओं के सफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मान लीजिए, पीने के पानी की समस्या का हल खोजना है। तो हमें कितने स्थानों पर पीने का पानी उपलब्ध है और कितने पर नहीं, यह जानना होगा। ताकि शेष स्थानों पर पीने की पानी की समुचित व्यवस्था करनी होगी। जिन स्थानों पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, वहाँ जल स्तर कितना नीचे हैं, या पानी का अन्य स्रोत, जैसे नदी वहाँ से कितना दूर है, फिर यह जानकारी भी कि वहाँ का पर्यावरण किसी भी परियोजना की पूर्ति के कितना अनुकूल है, इत्यादि किस्म की जानकारियों की जरूरत होगी। और ये भी कि वहाँ किस तरह की कंपनियाँ या संगठन इस मामले में सहयोग दे सकते हैं, उनके नाम, पते, फोन नं। आदि, फिर परियोजना का संभावित खर्च। कहने का मतलब यह कि किसी भी परियोजना को साकार करने के लिए काफी मात्रा में जानकारियों की आवश्यकता होती है। यदि ये जानकारियाँ ठीक से व्यवस्थित नहीं होंगी तो समस्या की विकरालता का विश्लेषण ठीक से नहीं किया जा सकेगा। नतीजतन परियोजना का खाका ही ठीक नहीं बन पाएगा।

इस तरह की सूचनाओं को एकत्र, स्टोर और विश्लेषित करने के काम में ही सूचना प्रौद्योगिकी सहायक साबित होती है और इंटरनेट का प्रयोग बढ़ने के बाद से तो सूचनाओं को विश्व स्तर पर शेयर करना बहुत ही सहज हो गया है। चूंकि जीवन के सभी प्रशासनिक, आर्थिक, वित्तीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में, यानी जीवन के सभी क्षेत्रों में सूचनाओं का महत्व होता है और यह बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। जब से सूचना प्रौद्योगिकी ने मनोरंजन के क्षेत्र में पदार्पण किया है तब से तो मानों इस क्षेत्र में रोजगार का सैलाब ही आ गया है।

इसका एक रूप इंटरनेट लोकतंत्र के नए आयाम खोलता है जहाँ पूरे विश्व का सोच–विचार का मुक्त वातावरण उपलब्ध होता है। इसके लगातार प्रसार से, खासकर निचले और गरीब तबकों तक प्रसार से, एक नई मुक्त संस्कृति पनपेगी

जो राष्ट्र निरपेक्ष होगी, जिसमें नौकरशाहों और अभिजातों की दखलंदाजी बिल्कुल नहीं होगी। एक नए मानव का उदय होगा।

परंतु यह संपूर्ण विकास केवल अंग्रेजी के जरिए हो रहा है। जिससे सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ हिंदी समाज का एक बहुत छोटा सा वर्ग ही उठा पा रहा है। अगर सूचना प्रौद्योगिकी से यह जुड़ाव केवल अंग्रेजी के जरिए होना जारी रहा, जैसा कि अभी तक हो रहा है, तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके लाभों से तो वंचित हो ही जाएगा, कालांतर में इसके प्रति द्वेषभाव भी रखने लगेगा। जो अंततः समाज के तान–बाने को छिन्न–भिन्न कर देगा। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बढ़ते विकराल अंतर को यदि समय रहते नहीं रोका गया तो इस समाज को बहुत समय तक बिखरने से नहीं रोका जा सकेगा। और अब तो आम जनता की भागीदारी न होने से इसका स्वयं का विकास भी अवरुद्ध होने लगा है। इसके आधार के अंग्रेजी जानने वालों तक सीमित होने के बावजूद इसमें रोजगार का विस्फोट यदि अभी भी दिखाई दे रहा है तो इसका श्रेय अधिकांश में विदेशी कंपनियों के भारतोन्मुख होने के कारण है। और देर सबेर इसमें ब्रेक लगेगी ही। तब स्थितियाँ भयावह हो जाएँगी। इसलिए समय रहते इसे नाथना जरूरी है।

इस अंतराल को भरने का काम सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से किया जा सकता है। इसके लिए सस्ते हार्डवेयर और हिंदी कंप्यूटरी की बहुत आवश्यकता है। सूचना प्रौद्योगिकी को एक परिघटना के रूप में देखे जाने की भी आवश्यकता है, जो लगभग हर चीज को, हर संकल्पना को आमूल–चूल बदल रही है। लोकतंत्र को मजबूत करने और उनकी पहुँच को आम जनता तक पहुँचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा, सरकारी कामों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में इसकी बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, पर इसके लिए समाज को सजग होना पड़ेगा। जहाँ तक हार्डवेयर का मामला है, अब इसकी कीमतों में भारी कमी आ गई है। और इसमें अभी भी गिरावट जारी है। लेकिन हिंदी कंप्यूटरी का प्रयोग डीटीपी की दुकानों या सरकार के हिंदी विभागों तक ही सीमित है। डीटीपी में तो इसका काफी ज्यादा प्रसार हुआ है। इससे संबद्ध मीडिया, विज्ञापन और मनोरंजन की दुनिया में भी हिंदी कंप्यूटरी काफी तेजी से फैल रही है। सरकारी विभागों में हिंदी कंप्यूटरी का विकास खासा सीमित है, एक तरह से रस्मनिबाही तक। विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों की स्थिति का तो जिक्र ही न करें तो बेहतर होगा। आम जनता की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है।

कंप्यूटर पर हिंदी के विकास की अवरुद्धता को समझने के लिए एक तरफ अंग्रेजी परस्तों द्वारा फैलाए झूठ से बचने की जरूरत है तो दूसरी तरफ हिंदी सॉफ्टवेयर निर्माताओं द्वारा अपने क्षुद्र लाभ के लिए हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को बाधित करने की कोशिशों का जायजा लेने की भी जरूरत है। अंग्रेजी परस्तों ने एक झूठ यह फैलाया कि कंप्यूटर पर हिंदी में काम संभव ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत चीजें संभव हैं भी उनके चक्कर में पड़कर हम अपने देश को संपन्नता की दौड़ में पिछाड़ देंगे। उनका कहना है कि चूँकि मूल सॉफ्टवेयर अंग्रेजी में बनता है, सारी प्रोग्रामिंग अंग्रेजी में होती है, इसलिए हिंदी में काम करने वाले इस दौड़ में पीछे रह जाएँगे। वे मोटी तनख्वाह वाली नौकरियाँ हासिल नहीं कर पाएँगे। यह ठीक है कि मूल सॉफ्टवेयर अंग्रेजी में बनते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए कंप्यूटर उनके कारोबार या मनोरंजन का एक उपकरण भर है। और इसके लिए लोगों को सॉफ्टवेयर निर्माण या प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक मोटी तनख्वाह वाली नौकरियों का सवाल है तो वे अब इस क्षेत्र में काफी सीमित हो गई हैं तथा वित्त, बीमा, जैव–प्रौद्योगिकी, कारोबार प्रबंधन आदि में भी काफी मोटी तनख्वाह वाली नौकरियाँ आ गई हैं। दूसरे, जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जूता पैर के लिए होता है, पैर जूते के लिए नहीं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में अवरुद्ध होते विकास को फिर से खोलने का एक ही तरीका है। भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण और सुविधाएँ विकसित होना।

विश्व समाज आज उत्तरोत्तर सूचना टेक्नॉलॉजी की ओर अग्रसर होता जा रहा है। अगर समाज के लोगों को अपनी प्राकृतिक भाषा में कंप्यूटर से सूचना का आदान–प्रदान करना संभव हो सके तो वे इस सूचना क्रांति में अधिक सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकते हैं। भारत के लिए यह क्रांति केवल इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि हमारा समाज बहुभाषी है, बल्कि इसलिए भी कि हमारा समाज विभिन्न आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तरों पर भी बँटा है। इसलिए मानव–मशीन के बीच संवाद की स्थिति पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि उपयुक्त सूचना प्रणाली और बहुभाषा प्रौद्योगिकी के उपकरणों का विकास किया जाए और वे लोगों को किफायती कीमतों पर सुलभ हों। इसके साथ ही हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। आज भारत की सवा सौ करोड़ की आबादी का केवल 2 प्रतिशत ही अंग्रेजी बोलता या समझता है। आज इसलिए केवल यही छोटा जनसमुदाय विश्व में घटित सूचना क्रांति की उपलब्धियों का फायदा उठा रहा है। समाज के बाकी संतानवे प्रतिशत लोगों को भी इस सूचना क्रांति तथा इससे होने वाली नव विकसित डिजिटल अर्थ–व्यवस्था में शामिल होने का पूरा अधिकार है। इस कारण से भी भारतीय भाषाओं पर आधारित सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है।

यहाँ यह जानने की भी जरूरत है कि इस विषय में क्या–क्या कदम उठाए जा चुके हैं। यह इसलिए भी कि हिंदी भाषियों में अज्ञानता एक ऐसे मूल्य के रूप में प्रतिष्ठापित हो गई है कि वे इस बारे में उपलब्ध सुविधाओं की न तो जानकारी रखते हैं और न ही जानना चाहते हैं। इस दिशा में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सरकार ने पिछले सालों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये कदम सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर उठाए गए हैं। इस विषय में किए गए प्रयासों पर हम चर्चा करें तो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ फिलहाल इतना ही कि आज भारतीय भाषाओं में विकास का स्तर इतना बढ़ गया है कि अंग्रेजी में उपलब्ध वे सभी अनुप्रयोग जिन पर काम करने के हम आदी हैं, हिंदी और सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। वास्तव में अब न केवल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि भारतीय भाषाओं में विषय सामग्री विकसित करने और उनके प्रयोग को व्यापक बनाने की दिशा में भी कार्य करने की बहुत गुंजाइश है जिससे साधारण से साधारण मनुष्य या उपभोक्ता को भी भारतीय भाषाओं में सूचना प्रणाली सुलभ हो सके। इसके फलस्वरूप बहुभाषा उत्पादों का बाजार, जो गत वर्ष अनुमानतः 30 करोड़ रुपए से ऊपर का था, आने वाले समय में सेवाओं और अनुप्रयोगों के विस्तार के फलस्वरूप कई गुना अधिक हो सकता है।

यह भी हर्ष का विषय है कि आज उद्योग, अनुसंधान और विकास तथा शिक्षण के क्षेत्रों में अनेक संस्थाएँ हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर विकास के कार्यों में संलग्न हैं। वास्तव में अब हमें उपकरणों के बजाय अनुप्रयोगों के विकास पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि अब काफी उपकरण उपलब्ध हैं। सरकारी और निजी क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण की बढ़ती गति को देखते हुए भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के अनुप्रयोगों की बहुत अधिक जरूरत महसूस होती है। वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोगों के संदर्भ में भारतीय भाषाओं के प्रयोग का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि केवल इसी के जरिए भारत के सामान्य लोगों तक सूचना क्रांति के लाभ पहुँचाए जा सकते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में जनसाधारण की महत्वपूर्ण सहभागिता प्राप्त की जा सकती है। अंत में आज हमारी जो भी पहचान है वह भारत व भारतीय भाषाओं के माध्यम से है। हमारा यह धर्म है कि हम भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दें व उनके विकास में यथासंभव प्रयत्न करें।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का आन्दोलन अहिन्दी भाषियों ने आरम्भ किया।

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा

सौरभ शेखर झा
अनुवादक एवं पत्रकार

सूचना प्राद्यौगिकी के बदलते परिवेश में हिंदी भाषा ने अपना स्थान धीरे–धीरे प्राप्त कर लिया है। आज हमारी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। आधुनिकीकरण के दौर में भाषा भी अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। हिंदी की उपादेयता पर कोई भी प्रश्न चिह्न लगा नहीं सकता। लेकिन संकुचित स्वार्थ के कारण भारतीय भाषाओं को नकारना हमारी मानसिक गुलामी की निशानी है। आज भले ही चीन, जापान, रूस, जर्मनी, अरब आदि अंग्रेजीतर देशों ने अपनी भाषा में विकास किया हो, लेकिन भारत में अगर राजभाषा, संपर्क भाषा, लोकभाषा को हम विकसित नहीं कर पाए तो यह हमारी हार होगी। जिस देश के नवयुवकों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणाली को विकसित किया है, उसी देश की जनता को विदेश की ओर मुँह ताकना पड़ता है। इस स्थिति में बदलाव लाने की जरूरत है। भाषा का संबंध जिस तरह मन, बुद्धि से होता है, उसी तरह उसका संबंध हर व्यक्ति के रोजी रोटी तथा पारिवारिक विकास से भी जुड़ा होता है। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी के नए तंत्र को समझ लेना चाहिए। विश्वस्तर के कई सॉफ्टवेयरों में अभी तक हिंदी का समावेश नहीं किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों से शीघ्र गति से विकास हुआ है। यह मनुष्य को सोचने विचारने और संप्रेषण करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ–साथ माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्स और संचार प्रौद्योगिकियाँ भी शामिल है और इसके विकास का नवीनतम रूप हमें इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, उपग्रह प्रसारण, कंप्यूटर के रूप में दिखाई देता है। इन सबके द्वारा आज सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया है। कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम ऐसे देशों में हुआ जिनकी भाषा मुख्यतः अंग्रेजी थी। यही कारण है कि रोमनेतर लिपियों में कंप्यूटर पर कार्य कुछ देरी से आरंभ हुआ। ऐसा कोई तकनीकी कारण नहीं है कि अंग्रेजी कंप्यूटर के लिए आदर्श भाषा समझ ली जाए। कंप्यूटर की दो संकेतों की अपनी एक स्वतंत्र गणितीय भाषा है और उसी में वह हमारी भाषाओं को ग्रहण करके अपने समस्त कार्य करता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्राकृतिक भाषा संसाधन के क्षेत्र में विश्व भर में अनेक विशेषज्ञ प्रणालियों का विकास किया गया है, जिनके माध्यम से कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण, मशीनी अनुवाद और वाक्–संसाधन से संबंधित विभिन्न अनुप्रयोग विकसित किए गए हैं।

हिंदी में कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर ही नहीं बल्कि गैरसरकारी स्तर पर भी अनेक संस्थाओं द्वारा हिंदी सॉफ्टवेयर के निर्माण में सक्रिय रूप से कार्य प्रगति पर है। सरकारी और गैरसरकारी प्रयत्नों के कारण हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ जन सामान्य तक पहुँचा है। हिंदी में अनेक पोर्टल भी प्रारंभ हो गए हैं। पोर्टल के माध्यम से देश–विदेश की खबरें, वर्गीकृत विज्ञापन, कारोबार संबंधी सूचनाएँ, शेयर बाजार, शिक्षा, मौसम, खेलकूद, पर्यटन, साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आज इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही हैं कि उपयोगकर्ता को इनका समुचित प्रशिक्षण दिया जाए।

भारतीय भाषा कंप्यूटिंग या हिंदी भाषा कंप्यूटिंग का अंतिम लक्ष्य यह निश्चित करना है कि सूचना प्रौद्योगिकी जनमानस तक उसकी अपनी भाषा में पहुँचे ताकि वह नई टैकनोलॉजी से काम करने में अधिक आसानी महसूस करे। हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी की विकासात्मक और सामाजिक दोनों ही भूमिका हैं। विकासात्मक भूमिका में इसका संबंध विभिन्न अनुप्रयोग के लिए नई टेक्नॉलॉजी का डिजाइन और विकास करने से है किंतु सामाजिक भूमिका में यह भाषिक अवरोध को तोड़ती है और हिंदी भाषा या अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग करके सूचना की प्राप्ति से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अन्तर को कम करती है। इस दिशा में शोध कार्यों के विकास और प्रसार का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया है, जिसका प्रभाव से पूरे समाज पर व्यापक रूप से पड़ना चाहिए।

लीला सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठयक्रम असमी, बांग्ला, अंग्रेजी, कन्नड़ मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया तमिल, तेलुगू, पंजाबी, गुजराती, नेपाली और कश्मीरी के द्वारा इंटरनेट पर सीखे जा सकते हैं। हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठक्रम के प्रशिक्षण के मूल्यांकन हेतु ऑन लाइन परीक्षा प्रणाली का विकास भी किया गया है। इंटरनेट के माध्यम से ही परीक्षा दी जा सकेगी। द्विभाषी–द्विआयामी अंग्रेजी–हिंदी उच्चारण सहित ई–महाशब्दकोश का विकास किया गया है। ई–महाशब्दकोश में हर शब्द का उच्चारण दिया गया जो कि किसी और शब्दकोश में नहीं मिलता। हिंदी शब्द देकर भी उसका अंग्रेजी में अर्थ खोज सकते हैं। प्रत्येक अंग्रेजी और हिंदी शब्द के प्रयोग भी दिए गए हैं।

आज सूचना प्रौद्योगिकी की विस्तृत भूमिका को देखते हुए विश्व स्तर पर हिंदी भौगोलिक सीमाओं को पार कर सूचना टेक्नोलॉजी के परिवर्तित परिदृश्य में विभिन्न जनसंचार माध्यमो तक पहुँच रही है। हिंदी के नए सॉफ्टवेयर हों या इंटरनेट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अनेक चुनौतियों को स्वीकार

हिन्दी पत्रकारिता का आरम्भ भारत के उन क्षेत्रों से हुआ जो हिन्दी–भाषी नहीं थे।

कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमाध्यमों में अपनी मानक भूमिका के लिए संघर्षरत है। आज के दौर में इंटरनेट पर सभी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ व सूचनाएँ उपलब्ध हैं जैसे परीक्षाओं के परिणाम, समाचार, ई–मेल, विभिन्न प्रकार की पत्र–पत्रिकाएँ, साहित्य, अति महत्त्वपूर्ण जानकारी युक्त डिजिटल पुस्तकालय आदि। परन्तु ये प्रायः सभी अंग्रेजी भाषा में हैं। अतः कई हिंदी भाषी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने में भाषाई कठिनाई महसूस करते हैं और कम्प्यूटर के उपलब्ध होते हुए भी वे कम्प्यूटर व इंटरनेट का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं। यदि इंटरनेट एक्सप्लोरर का संपूर्ण इंटरफेस हिंदी (देवनागरी लिपि) में होने के साथ–साथ इसमें वेबपृष्ठ के अंग्रेजी–पाठ को माउस क्लिक के माध्यम से हिंदी में अनुवाद करने की सुविधा सहित हो तो अंग्रेजी भाषा की बाधा हिंदी भाषी कम्प्यूटर उपयोक्ताओं के काम में बाधा नहीं रहेगी। वेबपृष्ठ पर अनुवाद सुविधा कम्प्यूटर उपयोक्ताओं के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को उनकी अपनी ही भाषा में समझने में सहायक होगी।

किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। कम्प्यूटर साफ्टवेयर की सहायता से एक प्राकृतिक भाषा के पाठ (टेक्स्ट) या कही गयी बात (स्पीच) को दूसरी प्राकृतिक भाषा के पाठ या वाक्य में अनुवाद करने को मशीनी अनुवाद या यांत्रिक अनुवाद कहते हैं। कम्प्यूटर और साफ्टवेयर की क्षमताओं में अत्यधिक विकास के कारण आजकल अनेक भाषाओं का दूसरी भाषाओं में मशीनी अनुवाद सम्भव हो गया है। यद्यपि इन अनुवादों की गुणवता अभी भी संतोषप्रद नहीं कही जा सकती, तथापि अपने इस रूप में भी यह मशीनी अनुवाद कई अर्थों में और अनेक दृष्टियों से बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। जहाँ कोई चारा न हो, वहाँ मशीनी अनुवाद से कुछ न कुछ अर्थ तो समझ में आ ही जाता है।

आने वाली शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति की शताब्दी होगी और सम्प्रेषण के नए–नए माध्यमों व आविष्कारों से वैश्वीकरण के नित्य नए क्षितिज उद्घाटित होंगे। इस सारी प्रक्रिया में अनुवाद की महती भूमिका होगी। इससे "वसुधैव कुटुम्बकम" की उपनिषदीय अवधारणा साकार होगी। इस दृष्टि से सम्प्रेषण–व्यापार के उन्नायक के रूप में अनुवादक एवं अनुवाद की भूमिका निर्विवाद रूप से अति महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है। आज के दौर में अनुवाद हमारे परिवेश का एक अभिन्न अंग बन चुका है। सच तो यह है कि सूचनाओं को जन–जन तक पहुँचाने के लिए अनुवाद सशक्त माध्यम है और जिसके प्रचार–प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी अपनी अहम् भूमिका निभाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास और सुधार की निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है और इसी संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों से सूचनाओं के भंडारण की एक आधुनिकतम पद्धति लोकप्रिय हो रही है जिसे यूनिकोड कहते हैं। यूनिकोड के माध्यम से पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी पर अंग्रेजी की अनिवार्य निर्भरता से मुक्ति की संभावनाएं दिख रही हैं क्योंकि यह पद्धति एक आम कम्प्यूटर को विश्व की सभी भाषाओं में काम करने में सक्षम बना सकती है। जाहिर है, आईटी के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को विकसित होते देखने की आकांक्षा रखने वाले लोग यूनिकोड में छिपी संभावनाओं को देखकर उत्साहित हैं क्योंकि कई दशकों के बाद अब हम बिना अंग्रेजी जाने कंप्यूटर की क्षमताओं का प्रयोग करने की स्थिति में आ रहे हैं।

हालांकि यूनिकोड है तो सिर्फ डेटा के स्टोरेज संबंधी एनकोडिंग मानक, लेकिन इसके प्रयोग से कंप्यूटरों की कार्यप्रणाली और उनके इस्तेमाल के तौर–तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है क्योंकि डेटा ही कंप्यूटरों के संचालन का केंद्र बिन्दु है। भले ही हम कंप्यूटर का किसी भी काम के लिए प्रयोग करें, मसलन लेखन कार्य के लिए, ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए या फिर वीडियो प्रोसेसिंग के लिए, हमें इसके लिए कंप्यूटर को या तो कुछ सूचनाएं प्रदान करनी पड़ती हैं (जैसे टाइपिंग के माध्यम से या रिकॉर्डिंग के जरिए) या फिर हम कुछ सूचनाएं कंप्यूटर से ग्रहण करते हैं (मसलन पहले से रिकार्डेड वीडियो को देखना या पहले से मौजूद फाइलों को खोलना)। इन्हें क्रमशरू इनपुट और आउटपुट के रूप में जाना जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में जिन सूचनाओं (डेटा) का प्रयोग होता है उसे कंप्यूटर पर अंकों के रूप में स्टोर किया जाता है क्योंकि वह सिर्फ अंकों की भाषा जानता है, और वह भी सिर्फ दो अंकों– श्शून्यश तथा श्एकश की भाषा। इन दो अंकों का भिन्न–भिन्न ढंग से पारस्परिक बाइनरी संयोजन कर अलग–अलग डेटा को कंप्यूटर पर रखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर 01000001 का अर्थ है अंग्रेजी का कैपिटल ए अक्षर और 00110001 से तात्पर्य है 1 का अंक।

अक्षरों या पाठ्य सामग्री और कंप्यूटर पर स्टोर किए जाने वाले बाइनरी डिजिट्स के बीच तालमेल बिठाने वाली प्रणाली को एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग टेबल के माध्यम से कंप्यूटर यह तय करता है कि फलां बाइनरी कोड को फलां अक्षर या अंक के रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाए। किस एनकोडिंग में कितने बाइनरी अंक प्रयुक्त होते हैं, इसी पर उसकी क्षमता और नामकरण निर्भर होते हैं। उदाहरण के तौर पर अब तक लोकप्रिय एस्की एनकोडिंग को ७ बिट एनकोडिंग कहा जाता है क्योंकि इसमें हर संकेत या सूचना के भंडारण के लिए ऐसे सात बाइनरी डिजिट्स का प्रयोग होता है। एस्की एनकोडिंग के तहत इस तरह के 128 अलग–अलग संयोजन संभव हैं यानी इस एनकोडिंग का प्रयोग करने वाला कम्प्यूटर 128 अलग–अलग अक्षरों या संकेतों को समझ सकता है। अब तक कंप्यूटर इसी सीमा में बंधे हुए थे और इसीलिए भाषाओं के प्रयोग के लिए उन भाषाओं के फोंट पर सीमित थे जो इन संकेतों को कंप्यूटर स्क्रीन पर अलग–अलग ढंग से प्रदर्शित करते हैं। यदि अंग्रेजी का फोंट इस्तेमाल करें तो 01000001 संकेत को ए अक्षर के रूप में दिखाया जाएगा। लेकिन यदि हिंदी फोंट का प्रयोग करें तो यही संकेत ग, च या किसी और अक्षर के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।

यूनिकोड एक 16 बिट की एनकोडिंग व्यवस्था है, यानी इसमें हर संकेत को संग्रह और अभिव्यक्त करने के लिए सोलह बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसमें 65536 (यूनिकोड 5.0.0 में लगभग 99000) अद्वितीय संयोजन संभव हैं। इसी वजह से यूनिकोड हमारे कंप्यूटर में सहेजे गए डेटा को फोंट की सीमाओं से बाहर निकाल देता है। इस एनकोडिंग में किसी भी अक्षर, अंक या संकेत को सोलह अंकों के अद्वितीय संयोजन के रूप में सहेज कर रखा जा सकता है। चूंकि किसी एक भाषा में इतने सारे अद्वितीय अक्षर मौजूद नहीं हैं इसलिए इस स्टेंडर्ड (मानक) में विश्व की लगभग सारी भाषाओं को शामिल कर लिया गया है। हर भाषा को इन हजारों

संयोजनों में से उसकी वर्णमाला संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार स्थान दिया गया है। इस व्यवस्था में सभी भाषाएं समान दर्जा रखती हैं और सहजीवी हैं। यानी यूनिकोड आधारित कम्प्यूटर पहले से ही विश्व की हर भाषा से परिचित है (बशर्ते ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी क्षमता हो)। भले ही वह हिंदी हो या पंजाबी, या फिर उड़िया। इतना ही नहीं, वह उन प्राचीन भाषाओं से भी परिचित है जो अब बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होतीं, जैसे कि पालि या प्राकृत। और उन भाषाओं से भी जो संकेतों के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि गणितीय या वैज्ञानिक संकेत।

यूनिकोड के प्रयोग से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि एक कंप्यूटर पर दर्ज किया गया पाठ (टेक्स्ट) विश्व के किसी भी अन्य यूनिकोड आधारित कम्प्यूटर पर खोला जा सकता है। इसके लिए अलग से उस भाषा के फोंट का इस्तेमाल करने की अनिवार्यता नहीं है क्योंकि यूनिकोड केंद्रित हर फोंट में सिद्धांततरू विश्व की हर भाषा के अक्षर मौजूद हैं। विश्व भाषाओं की यह उपलब्धता सिर्फ देखने या पढ़ने तक ही सीमित नहीं है। हिंदी जानने वाला व्यक्ति यूनिकोड आधारित किसी भी कम्प्यूटर में टाइप कर सकता है, भले ही वह विश्व के किसी भी कोने में क्यों न हो। सिर्फ हिंदी ही क्यों, एक ही फाइल में, एक ही फोंट का इस्तेमाल करते हुए आप विश्व की किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। इस प्रक्रिया में अंग्रेजी कहीं भी आड़े नहीं आती। विश्व भर में चल रही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी का यह अपना अलग ढंग का योगदान है।

यूनिकोड आधारित वेबसाइटों या पोर्टलों को देखने के लिए पाठक के पास संबंधित फोंट होने की अनिवार्यता भी नहीं है। अगर कोई वेबसाइट यूनिकोड में है तो उसे विश्व में किसी भी स्थान पर फोंट डाउनलोड किए बिना न सिर्फ देखा जा सकता है बल्कि उसके लेखों को अपने कंप्यूटर पर सहेजा भी जा सकता है। डाइनेमिक फोंट नामक टेक्नॉलॉजी के जरिए यह सुविधा सीमित अर्थों में पहले भी मौजूद थी लेकिन कंप्यूटर पर सहेजे गए लेख तभी पढ़े जा सकते थे यदि कंप्यूटर में संबंधित फोंट मौजूद हो। अब यह सीमा नहीं रही।

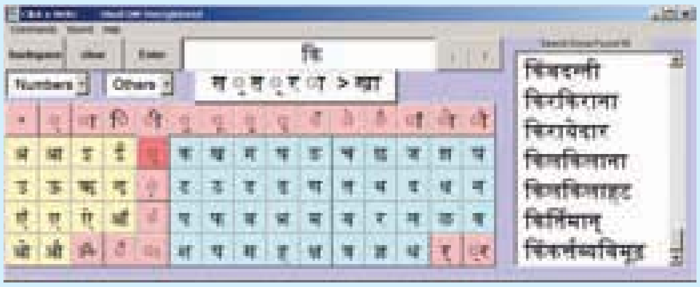

कंप्यूटर अब अंग्रेजी का मोहताज नहीं रहा और इसीलिए यूनिकोड ने उसकी सम्पूर्ण कार्यप्रणाली भी बदल दी है। डेटा के भंडारण के साथ–साथ उसकी प्रोसेसिंग और प्रस्तुति के तरीके भी बदल गए हैं। चूंकि यूनिकोड सोलह बिट की एनकोडिंग व्यवस्था है और विश्व के अधिकांश सॉफ्टवेयर पुरानी एनकोडिंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए थे इसलिए ऐसे सॉफ्टवेयर यूनिकोड टेक्स्ट को समझ नहीं पाते। नतीजतन विश्व भर में सॉफ्टवेयरों को यूनिकोड समर्थन युक्त बनाने की प्रक्रिया चल रही है। किसी कंप्यूटर पर यूनिकोड का पूरा लाभ लेने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है ताजातरीन विन्डोज, लिनक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग।

भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर का विकास

यूनेस्को की व्याख्या के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी एक शास्त्रीय, तकनीकी, प्रबंधकीय एवं अभियांत्रिकी शाखा है, जो सूचनाओं के तंत्र को विकसित करके उसका प्रयोग कंप्यूटर के माध्यम से करते हुए मानव और मशीन के बीच सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को सुदृढ़ और सबल बनाती है। सूचना प्रौद्योगिकी एक सरल तंत्र हैं जो तकनीकी उपकरणों के सहारे सूचनाओं का संकलन, प्रक्रिया एवं संप्रेषण करता है। भारत एक बहु भाषिक देश है। भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी सहित कुल 18 भाषाओं को स्थान प्राप्त हुआ है। भाषावार प्रांत रचना के फलस्वरूप विभिन्न प्रातों में अलग–अलग भाषाओं का प्रचलन बढ़ गया है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच हिंदी भाषा एक पुल हैं जिसके सहारे विभिन्न भारतीय भाषाओं में समन्वय निर्माण किया गया है। देश के अधिकांश भागों में धर्म, व्यापार, पर्यटन के क्षेत्र में हिंदी भाषा का समुचित प्रयोग किया जाता है।

औद्योगिक क्रांति में मशीनों के सहारे उत्पादकता बढ़ी है और गुणवत्ता में एकरूपता आई है। 1947 में ट्रांजिस्टर, 1971 में माइक्रोप्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर का आकार छोटा और गणना शक्ति विशाल हो गई है। छोटे और अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर के द्वारा व्यापार, शिक्षा, कार्यालय आदि अनेक क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। कंप्यूटर में हिंदी प्रयोग की बढ़ती संभावनाओं को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रानिकी विभाग ने ष्भारतीय भाषाओं के लिए टेक्नॉलॉजी विकास नामक परियोजना के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी अर्ध सरकारी, सरकारी उद्यमों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। किसी भी प्रजातंत्र में सरकारी अथवा निजी संघठन में जन भाषा का सम्मान करना फलप्रद होता है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सूचनाओं का माध्यम जनभाषा होना जरूरी है। इंटर नेट प्रणाली के महाशक्तिशाली तंत्र में भाषा का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी, मंडारिन, फ्रांसीसी, जापानी, अरबी, स्पेनिश आदि भाषाएँ कंप्यूटर क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है साथ ही इनका प्रयोग भी। दुर्भाग्य से भारत में कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं का प्रचार–प्रसार बहुत धीमी गति से हुआ है। आज हम दूरदर्शन पर जापानी या चीनी शेअर बाजार का दृश्य देखते हैं तब यह मालूम होता है कि वहाँ के सभी बोर्ड, सूचनाएँ जापानी या चीनी भाषा में प्रदर्शित होते हैं। हमारे देश में शेअर बाजार का दृश्य कुछ अलग होता है। आम भारतीय निवेशक अपनी पूँजी भारतीय अथवा विदेशी कंपनियों के शेअरों में केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध प्रपत्र में ही प्रस्तुत करने के लिए विवश है। भाषाओं की इस असुविधा को हटाना जरूरी है। आर्थिक उदारीकरण के तहत भारत के बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुले किए जा रहे हैं। विदेशी कंपनियाँ भारतीय उपभोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु भारतीय भाषाओं का बखूबी से प्रयोग कर रही हैं।

अब वर्तमान स्थिति में वैबसाइट पर हिंदी इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोष उपलब्ध है। इसी तरह अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में पारस्पारिक अनुवाद प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध है। कन्नड हिंदी के बीच ''अनुसारक'' सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। हिंदी और दक्षिण भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद सॉफ्टवेयर का विकास आई.आई.टी. कानपुर तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद हेतु एम.सी.एस.टी. में समाचारपत्रों एवं कहानियों के लिए तथा सी–डैक पुणे में प्रशासनिक

सामग्री के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। सी–डैक पुणे द्वारा निर्मित लीप–ऑफिस सॉफ्टवेयर में अंग्रेजी हिंदी शब्दकोष, अनुवाद, समानार्थी शब्दकोष, हिंदी में ई–मेल आदि अंग्रेजी भाषा के समकक्ष सभी सुविधाओं को प्रस्तुत किया गया है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के सहारे शिक्षा का

प्रसार तीव्र गति से होने की संभावना बढ़ गई हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा के अभाव स्वरूप कई बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। हर गाँव में पाठशाला का प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन प्रशिक्षित शिक्षक एवं साधन सामग्री के अभाव फलस्वरूप शिक्षा का प्रसार बहुत धीमी गति से हो रहा है। आने वाले दिनों में हर स्कूल, महाविद्यालय में कंप्यूटर एवं इंटरनेट सेवा अनिवार्य हो जाएगी। एन.आय.सी पुणे ने वाराणानगर गोकुल दूध डेअरी परिसर हेतु कंप्यूटर पर मराठी भाषा को स्थापित किया है। इसके द्वारा ग्रामीण किसान व छात्र अपनी भाषा में कंप्यूटर के सहारे दैनंदिन कामकाज करने में सक्षम हो गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी भाषा का प्रचलन धीरे–धीरे बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, याहू, रेडिफ आदि विदेशी कंपनियों ने अपनी वैबसाइट पर हिंदी भाषा को स्थान दिया है। बी.बी.सी. ने भी पंजाबी, बंगाली के साथ–साथ हिंदी में वैबसाइट विकसित की है। सूचना प्रौद्योगिकी में ई–कॉमर्स, ई–गवर्नस क्षेत्र में हिंदी का विकास धीरे–धीरे हो रहा है। भारत सरकार के नेशनल सेंटर फार सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी (NCST)ने सभी भारतीय भाषाओं की लिपि को कंप्यूटर पर स्थापित करने हेतु विशेष अभियान चलाया है। अमेरिकन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एन.सी.एस.टी के साथ एक संयुक्त योजना के तहत विश्व प्रसिद्ध विंडोज प्रणाली पर भारतीय भाषाओं को विकसित करने का कार्य शुरू किया है। एम.एस.ऑफिस सॉफ्टवेयर–2000 के दक्षिण एशियाई संस्करण में अब तमिल और देवनागरी लिपि को स्थापित किया गया है। भारत की आम जनता भारतीय भाषाओं में तथा दृश्य चित्र और स्पर्श के सहारे कंप्यूटर का प्रयोग सभी क्षेत्रों में कर सकेगी। रेडिफ, भारत मेल, जिस्ट मेल, अपना मेल, वी.एस.एन.एल., वैब दुनिया, जागरण आदि अनेक भारतीय एवं विदेशी साईट पर भी ई–मेल में हिंदी की सुविधा बहाल की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक उपकरणों का प्रसार आम जनता तक पहुँचाने हेतु सिम कंप्यूटर जैसे सस्ते उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु सरकार प्रयत्नशील है।

विज्ञान का अंतिम लक्ष्य साधारण गरीब व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक विकास में सहायता करना है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय युवकों ने अपनी प्रतिभा एवं अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व के कारण अमेरिका के सिलीकॉन वैली में कार्यरत माइक्रोसॉफ्ट, पैंटियम, इंटेल आदि कंप्यूटर क्षेत्र में 50 प्रतिशत भागीदारी दर्ज है। विदेशी कंपनियों के सीमित लक्ष को ध्यान में रखते हुए भारतीय युवक कुछ कालावधि के लिए अनुबंध करके विदेश में चले जाते हैं। लेकिन बदली आर्थिक स्थिति में विदेशी कंपनियाँ भारतीय युवकों को अनुबंध भंग करके लौटा रहे हैं। विदेश में प्रशिक्षित कंप्यूटर इंजीनियर को आकर्षित करके भारतीय भाषाओं को सूचना प्रौद्योगिकी में विकसित करना चाहिए। भारत में नव–निर्मित सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह जान लिया है कि देश में डिजिटल विभाजन बढ़ गया है। इंटरनेट का प्रयोग कुछ सीमित अंग्रेजी जानने वाले अमीर लोगों तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार नेटवर्क विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इंटरनेट विकास हेतु दूरसंचार क्षेत्र को आधार बनाया गया है। नेशनल इंटरनेट बैकबोन (राष्ट्रीय इंटरनेट ढाँचा) विकसित करने में दूरसंचार की अहम भूमिका होगी। विदेश की तुलना में भारत में दूरसंचार घनता प्रति व्यक्ति दो या तीन है जबकि चीनी, जापान आदि एशियन देशों में यह प्रतिशत 15–20 तक है।

भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नीति निर्धारण में हिंदी भाषा को समुचित स्थान प्राप्त होना चाहिए। भारत सरकार के कई मंत्रालयों एवं विभागों की साईट पर डायनैमिक हिंदी फॉन्टस् के अभाव स्वरूप साईट पढ़ने में दिक्कतें आ जाती है। हर बार अलग–अलग फांट डाउन लोड करना और उसे पढ़ना असुविधा जनक महसूस होता है। सभी सरकारी वैबसाइट द्विभाषी (हिंदी–अंग्रेजी) होनी चाहिए लेकिन इस दिशा में बहुत कम प्रयास किए जा रहे हैं। अंग्रेजी वैबसाइट की तुलना में संबंधित हिंदी वैबसाइट बहुत संक्षिप्त एवं अनाकर्षक होती है। राजभाषा नियम के अनुसार सभी बैबसाइट हिंदी में तैयार करना अनिवार्य है।

इंटरनेट सेवा के अंतर्गत ई–मेल, चॅटिंग, वाइस मेल, ई–ग्रीटिंग आदि बहुपयोगी क्षेत्र में हिंदी भाषा का विकास एवं संप्रेषण की संभावनाएँ अधिक है। कंप्यूटर पर हिंदी भाषा ध्वनि, चित्र, एनीमिशन के सहारे विकसित की जा रही है।

कंप्यूटर की सहायता से विश्वविद्यालय, स्कूल में शिक्षा का प्रसार बढ़ाया जा सकता है। आज अमेरिका में एम.आई.टी. संस्था ने अपने सभी पाठ्यक्रम इंटरनेट पर मुफ्त प्रस्तुत किए हैं। डिप्लोमा से लेकर पी–एच.डी, डी–लिट तक सभी पाठ्यक्रम विश्व के किसी भी कोने में बैठकर इंटरनेट द्वारा हासिल किए जा सकते हैं। स्कूली स्तर पर हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम प्रयोजन मूलक बनवाकर विज्ञान, गणित, वाणिज्य आदि विषयों के साथ तालमेल बैठाया जाए तथा यह सामग्री इंटरनेट पर जोड़ी जाए जिससे छात्र हिंदी पाठों को रुचि से पढ़े तथा हिंदी को व्यवहार में लाए। आंतरिक प्रतिभा का विकास करने हेतु विचार अभिव्यक्ति का माध्यम मातृभाषा में होना जरूरी है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रबंधन में स्नातक स्तर पर हिंदी भाषा में जनसंपर्क प्रोजेक्ट अनिवार्य हो जिससे वे लोकभाषा हिंदी में सूचना संग्रह कर सकें। समाजोपयोगी कार्यक्रमों को आम लोगों को समझाने में समर्थ हो सकें। विचारणीय है कि यदि हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रबंधक उपयुक्त टेक्नॉलॉजी और तकनीक को जनसामान्य को जितने प्रभावी ढंग और आसानी से समझा सकेंगे देश की उन्नति तेज हो जाएगी। देश की प्रगति और लोकभाषा में संप्रेषण समता के बीच सीधा संबंध है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

भारतीय रिज़र्व बैंक
हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता
(2011-2012)
प्रमाणपत्र
हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में आयोजित
हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता में
प्रथम स्थान
प्राप्त करने के लिए
राष्ट्रीय आवास बैंक
को प्रदत्त

RESERVE BANK OF INDIA
HINDI HOUSE JOURNAL COMPETITION
(2011-2012)
CERTIFICATE
Awarded to
NATIONAL HOUSING BANK
for ranking
FIRST
in the Hindi House Journal Competition
for the progressive use of Hindi

गवर्नर
GOVERNOR

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138 मुद्रण तिथि : 30 जून 2014

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत एक शीर्षस्थ आवास विकास वित्त संस्थान के रूप में हुई थी। अपनी 25 वर्षों की यात्रा में, राष्ट्रीय आवास बैंक ने निम्न एवं मध्य आय वर्ग के परिवारों पर अपना ध्यान केन्द्रित रखने के साथ, जनसंख्या के सभी वर्गों की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु इस सेक्टर में क्षमता निर्माण पर कार्य किया है।

बैंक आवास वित्त बाजार में समग्र विस्तार एवं स्थिरता को प्रोत्साहित कर रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक की सहक्रियात्मक नीति सर्मथन में आवास वित्त उद्योग की गहनता एवं पहुंच को विस्तारित किया है।

अपनी विनियामक भूमिका को सम्पूरित करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक पूरे देश भर के सभी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित जनसंख्या के सभी वर्गों को सेवा देने हेतु अपने उपभोगता आधार को भी व्यापक बना रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक के ताजातरीन प्रयासों में सरसाई (भारत सरकार द्वारा समर्थित केन्द्रीय रजिस्ट्री) और एनएचबी रेजीडेक्स एक टिकाऊ बाजार अवसंरचना वृद्धि की दिशा में चरण हैं जो कि बाजार में पारदर्शिता एवं संतुलनीयता को बढ़ाएगें।

निम्न आय परिवारों की ऋण पात्रता को सुकर बनाने के क्रम में, बैंक ने आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के तत्वावधान में निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास की स्थापना की है।

अपने प्रोत्साहन अधिकार पत्र के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक रिवर्स मार्टगेज लोन (आरएमएल) उत्पाद के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के हितों को भी समर्थित कर रहा है।

राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त हेतु एशिया–प्रशान्त यूनियन की मेजबानी कर रहा है जो कि एशिया–प्रशान्त क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों, सरकारी निकायों, केन्द्रीय बैंकों तथा सदस्य संस्थानों के बीच ज्ञान की साझेदारी एवं नेटवर्किंग हेतु एक वैश्विक मंच है।

राष्ट्रीय आवास बैंक पूरे देश भर में 13 कार्यालयों के माध्यम से राज्यों में अपनी स्थानीय उपस्थिति को विस्तारित कर रहा है।

रा.आ.बैंक के प्रयासों की विस्तृत जानकारी हेतु, कृपया वेबसाइट www.nhb.org.in को देखें।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

नई दिल्ली (मुख्यालय) अहमदाबाद, बैंगलूरू, चैन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, नागपुर, जयपुर।

पृष्ठ सज्जा एवं प्रिंटिंग–जे.के.ऑफसेट, बी–278, फेस–1, ओखला इंडस्ट्रीय एरिया, नई दिल्ली